पंचदश माला, खंड 21, अंक 17

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2011
25 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 24 April 2014

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
संयुक्त निदेशक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 17, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321	1–4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340	4–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910	76–620
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	619–636
संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर) कार्य सारांश.	63
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति.	63
21वां और 22वां प्रतिवेदन	637
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य.	637
(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006-उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के कार्यान्वयन के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	637–638
(दो) डरबन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन	638–643
श्रीमती जयंती नटराजन	638–643
सभा का कार्य.	643–648
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित.	648–649
(एक) प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011	649
(दो) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन विधेयक, 2011	649
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2011-12.	649–654
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2011.	655–656

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 656

विचार करने के लिए प्रस्ताव 656

खंड 2, 3 और 1 656

पारित करने के लिए प्रस्ताव 656

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 657–652

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 658–668

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 669

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 670

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2011/25 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 321, श्री रघुवीर सिंह मीणा।

...(व्यवधान)

पार्टिसिपेटरी नोट

+
***321. श्री रघुवीर सिंह मीणाः**
श्री अवतार सिंह भडानाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पार्टिसिपेटरी नोट्स द्वारा निवेश करने संबंधी मानदंडों सहित इसकी मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या पार्टिसिपेटरी नोट और सुरक्षित धन खाते (हेज फंड अकाउंट) के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश/वायदा व्यापार में किसी प्रकार के उल्लंघन का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न माध्यमों से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निवेश के प्रकटन हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने विभिन्न उप-खातों के माध्यम से वायदा व्यापार में संपूर्ण प्रकटन को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय संदर्भ में विदेशी व्युत्पाद लिखत (ओडीआई)/पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएन), विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अथवा इसकी सहयोगी कंपनियों में से किसी एक द्वारा विदेशी क्षेत्राधिकारी में जारी व्युत्पाद लिखत है जिसके पास आधार (अंडरलाइंग) लिखत के रूप में भारतीय प्रतिभूतियां हैं। अंडरलाइंग लिखत भारतीय तथा अन्य क्षेत्राधिकारों की प्रतिभूतियों का स्वामित्व होता है न ही कोई मताधिकार।

विदेशी क्षेत्राधिकारों में निवेशक विभिन्न कारणों से पीएन में निवेश करते हैं जिसमें अंडरलाइंग प्रतिभूतियों में मूल्य का उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियम, 1995 (क) के अनुसार, पीएन, केवल उन कंपनियों को जारी किए जा सकते हैं जो उसको शामिल करने के देशों में संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाती है और "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी मानदंडों के अनुपालन के अध्यधीन है। लिखतों को कम मूल्य पर जारी करना तथा उनका अंतरण केवल विनियमित कंपनी को किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), जो अंडरलाइंग भारतीय प्रतिभूतियों के एवज में पीएन जारी करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वें जारी किए गए तथा बकाया पीएन की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सेबी को दें। इसके अतिरिक्त, सेबी, विदेशी व्युत्पाद लिखतों के संबंध में, सेबी (एफआईआई) विनियमों के विनियम 20(क) के अंतर्गत एफआईआई से कोई भी सूचना ऐसे प्ररूप में मंगा एकता है जब कभी एसकी सेबी को जरूरत हो।

पार्टिसिपेटरी नोट जारी करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों से अपेक्षित होता है कि वे सेबी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इन रिपोर्टो में पीएन के ग्राहकों का नाम तथा गठन उनकी सवस्थिति, भारतीय प्रतिभतियों के स्वरूप इत्यादि का ब्यौरा देना अपेक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थागत निवेशक केवल विनियमित कंपनियों को ही पीएन जारी कर सकते हैं तथा उन्हें इस आशय का वचन भी देना होता है जिसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने अनिवासी भारतीय (एनआरआईएस)/निवासी भारतीयों को पीएन जारी नहीं किए हैं।

विदेशी व्युत्पाद लिखतों/पीएन से सबंधित आंकड़े की रिपोर्ट भेजने में उल्लंघन के कुछ संदिग्ध मामले सेबी के ध्यान में आए हैं। पिछले तीन वर्षो (2008-09, 2009-10, 2010-11) में ऐसे तीन मामले ध्यान में आए। इनमें से दो मामलों में सेबी ने जांच के पश्चात उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की तीसरी कंपनी का मामला न्यायाधीन है।

विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप, एफआईआई से अपेक्षित है कि वे ओडिआई/पीएन की स्थितियों का मासिक आधार पर रिपोर्ट भेजें।

एफआईआई सहित बाजार भागीदारों की विभिन्न श्रेणियों का व्युत्पाद बाजार में प्रकटन उनके उप-खातों के माध्यम से स्थिति सीमा द्वारा विनियमित/नियंत्रित किया जाता है। स्टाक एक्सचेंज दैनिक आधार पर इन स्थिति सीमाओं को मानिटर तथा लागू करते हैं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े, श्री एस सेम्मलई, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जी हां, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री रघुवीर सिंह मीणा के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री रघुवीर सिंह मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 2008 से 2011 तक तीन सालों में तीन ऐसे संदिग्ध मामले आए हैं जो जांच के दायरे में हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सेबी के ध्यान में वे कौन सी ऐसी तीन कंपनियां हैं, और इन कंपनियों की वजह से कितने करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है? ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, मैं इसे विस्तार से बता सकता हूं। जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों का संबंध है विदेशी संस्थागत निवेशक व्यवस्था में निवेश का एक तरीका है इसकी शुरुआत पहले अक्तूबर में हुई थी ...*(व्यवधान)* तत्पश्चात् यह चलता गया। वर्ष 2004 में अच्छी खासी धनराशि पीएन की प्रतिभवता के रूप में आई। एयूसी का अनुपात वर्ष 2005 में 31 प्रतिशत वर्ष 2006 में 30 प्रतिशत वर्ष 2007 में 34 प्रतिशत वर्ष 2008 में 56 प्रतिशत, वर्ष 2009 में 39 प्रतिशत, वर्ष 2010 में 20 प्रतिशत, वर्ष 2011 में 18 प्रतिशत और अक्तूबर तक 20 प्रतिशत था।

इसकी पंजीकरण की शुरुआत भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 1992 से हुई। ...*(व्यवधान)* सेबी और विदेशी संस्थागत निवेशक का समझौता 1993 में हुआ था 13 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार सेबी के अंतर्गत विदेशी पंजीकृत संस्थागत निवेशक की कुल संख्या 1993 थी। इनमें से मात्र 30 को विदेशों में व्युत्पन्न निवेश हेतु पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई है। आज की स्थिति 16 दिसम्बर, 2011 के अनुसार सेबी के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता 6222 हैं। लेकिन उप-लेखागार को पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना

***322. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और जनजातीय विरासत का प्रदर्शन करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों ने विभिन्न जनजातीय स्थानों की यात्रा की है तथा इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन परियोजनाओं सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय में आयोजित प्राथमिकीकरण बैठकों में विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सौंपे गए परियोजना प्रस्तावों की पहचान की जाती है। योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता तथा पुरानी परियोजनाओं को पहले पूरा किए जाने की शर्त पर पर्यटन मंत्रालय पहचान की गई ऐसी परियोजनाओं के लिए सीएफए प्रदान करता है।

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (30.09.2011 तक) के दौरान जनजातीय क्षेत्र वाले जिलों में पर्यटन अवसंरचना विकास, ग्रामीण पर्यटन, होटल प्रबंध संस्थानों (आईएचएम)/भोजन कला संस्थानों (एफसीआई) तथा मेले एवं उत्सवों से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जनजातीय गंतव्यों में पर्यटक दौरों पर अलग से कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक दौरों (डीटीवी) तथा विदेशी पर्यटक दौरों (एफटीवी) की कुल संख्या, जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त डाटा पर आधारित है संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान समग्र रूप से देश के लिए रुपए के मामले में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय प्रक्कालित रूप से क्रमश: 51294 करोड़ रु. 54960 करोड़ रु. तथा 64889 करोड़ रु. है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक योजना बजट का 2.5% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए निर्धारित किया है। यह उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक बजट के 10% हिस्से के अतिरिक्त है। पर्यटन मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रचार अभियान भी चलाए हैं, जिसमें घरेलू टेलीविजन पर प्रचार अभियान शामिल हैं।

विवरण I

*जनजातीय क्षेत्र** वाले जिलों में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-2011 और 2011-12 के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाओं की संख्या तथा राशि*

(धनराशि लाख रुपए में)

आन्ध्र प्रदेश

परियोजना श्रेणी	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.9.11 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पर्यटन अवसंरचना	1	312.00	3	609.00	0	0	2	1064.00
ग्रामीण पर्यटन	0	0	1	20.00	3	109.8	1	48.12
योग	1	312.00	4	629.00	3	109.8	3	1112.12
अरूणाचल प्रदेश								
पर्यटन अवसंरचना	10	3122.00	8	3564.00	9	3157.00	3	1291.88
ग्रामीण पर्यटन	0	0	2	64.66	1	17.00	1	45.52
मेले एवं उत्सव	2	15.00	3	15.00	2	35.00	2	24.00
योग	12	3137.00	13	3643.66	12	3209.00	6	1361.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़								
पर्यटन अवसंरचना	0	0	0	0	1	1362.00	0	0
मेले एवं उत्सव	0	0	0	0	1	40.80	0	0
योग	0	0	0	0	2	1402.80	0	0
हिमाचल प्रदेश								
मेले एवं उत्सव	1	5.00	1	5.00	0	0	0	0
योग	1	5.00	1	5.00	0	0	0	0
झारखंड								
पर्यटन अवसंरचना	0	0	0	0	1	235.30	0	0
मेले एवं उत्सव	0	0	1	5.00	2	50.00	0	0
योग	0	0	1	5.00	3	285.30	0	0
मध्य प्रदेश								
पर्यटन अवसंरचना	1	284.59	1	457.32	1	542.00	1	710.00
मेले एवं उत्सव	0	0	0	0	1	15.00	0	0
योग	1	284.59	1	457.32	2	557.00	1	710.00
महाराष्ट्र								
पर्यटन अवसंरचना	0	0	0	0	2	1117.02	0	0
योग	0	0	0	0	2	1117.02	0	0
मेघालय								
पर्यटन अवसंरचना	2	1213.54	3	1428.38	7	2212.93	0	0
ग्रामीण पर्यटन	0	0	1	20.00	0	0	0	0
मेले एवं उत्सव	4	25.00	2	10.00	2	40.00	2	40.00
आईएचएम/एफसीआई	1	475.00	0	0	0	0	0	0
योग	7	1713.54	6	1458.38	9	2252.93	2	40.00
मिजोरम								
पर्यटन अवसंरचना	0	0	6	2395.93	3	1014.02	3	1290.92
ग्रामीण पर्यटन	0	0	0	0	1	20.00	1	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेले एवं उत्सव	3	20.00	1	10.00	3	50.00	2	40.00
योग	3	20.00	7	2405.93	7	1084.02	6	1380.92
नागालैंड								
पर्यटन अवसंरचना	4	2390.46	5	2234.87	5	2864.89	4	2577.00
ग्रामीण पर्यटन	4	134.20	6	205.10	0	0	0	0
मेले एवं उत्सव	4	25.00	1	5.00	5	45.00	2	10.00
योग	12	2549.66	12	2444.97	10	2909.89	6	2587.00
ओडिशा								
पर्यटन अवसंरचना	0	0	1	616.00	2	877.40	0	0
योग	0	0	1	616.00	2	877.40	0	0
राजस्थान								
पर्यटन अवसंरचना	1	241.37	0	0	0	0	0	0
मेले एवं उत्सव	0	0	1	8.00	0	0	0	0
योग	1	241.37	1	8.00	0	0	0	0
दादरा एवं नगर हवेली								
पर्यटन अवसंरचना	1	9.88	0	0	0	0	0	0
मेले एवं उत्सव	2	15.00	0	0	0	0	0	0
योग	3	24.88	0	0	0	0	0	0

*इसमें पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं, ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं, आईएचएम/एफसीआई तथा मेले एवं उत्सव शामिल हैं।

**इसमें (i) संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अधीन पंचम अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र (ii) संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के अधीन छठी अनुसूची के अनुसार जनजातीय क्षेत्र और (iii) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप जैसी घनी जनजातीय आबादी वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

विवरण II

वर्ष 2008से 2010 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू तथा विदेशी पर्यटक दौरे

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008		2009		2010	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.24	0.13	1.42	0.14	1.81	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	1326.85	7.89	1574.90	7.95	1557.90	3.23
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.49	0.03	1.95	0.04	2.28	0.03
4.	असम	36.17	0.14	38.51	0.15	40.51	0.15
5.	बिहार	118.90	3.46	157.85	4.23	184.92	6.36
6.	चंडीगढ़	9.09	0.35	9.15	0.38	9.05	0.39
7.	छत्तीसगढ़*	4.43	0.01	5.12	0.01	5.66	0.02
8.	दादरा एवं नगर हवेली	5.05	0.06	5.07	0.07	4.96	0.02
9.	दमन एवं दीव	4.65	0.05	5.63	0.06	7.74	0.05
10.	दिल्ली**	21.33	23.39	88.34	19.58	135.58	18.94
11.	गोवा	20.20	3.51	21.27	3.77	22.02	4.41
12.	गुजरात	155.05	1.11	159.10	1.03	188.61	1.31
13.	हरियाणा	59.73	0.87	64.08	1.37	69.15	1.06
14.	हिमाचल प्रदेश	93.73	3.77	110.37	4.01	128.74	4.54
15.	जम्मू और कश्मीर	76.39	0.55	92.35	0.54	99.73	0.48
16.	झारखण्ड**	60.30	0.06	76.10	0.14	68.85	0.16
17.	कर्नाटक**	127.98	3.15	327.02	3.27	382.02	3.81
18.	केरल	75.91	5.99	77.89	5.49	85.95	6.59
19.	लक्षद्वीप	0.02	0.02	0.07	0.04	0.08	0.02
20.	मध्य प्रदेश	220.89	2.52	231.06	2.01	380.80	2.50
21.	महाराष्ट्र	205.53	20.57	306.28	24.26	484.65	50.83
22.	मणिपुर	1.12	0.00	1.24	0.00	1.14	0.00
23.	मेघालय	5.50	0.05	5.91	0.05	6.53	0.04
24.	मिजोरम	0.56	0.01	0.57	0.01	0.57	0.01
25.	नागालैंड	0.21	0.01	0.21	0.01	0.21	0.01
26.	ओडिशा	63.58	0.44	68.92	0.46	75.92	0.50
27.	पुडुचेरी	8.28	0.60	8.51	0.54	8.36	0.51
28.	पंजाब**	5.09	1.58	53.70	1.10	105.84	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	राजस्थान	283.59	14.78	255.59	10.73	255.44	12.79
30.	सिक्किम	5.12	0.21	6.16	0.18	7.00	0.21
31.	तमिलनाडु	982.85	20.29	1157.56	23.69	1116.37	28.05
32.	त्रिपुरा	2.45	0.04	3.18	0.04	3.42	0.05
33.	उत्तर प्रदेश	1248.43	15.85	1348.32	15.50	1447.55	16.75
34.	उत्तराखण्ड	205.46	1.00	219.35	1.06	302.06	1.27
35.	पश्चिम बंगाल	193.14	11.34	205.29	11.80	210.72	11.92
	योग	5630.34	143.81	6688.00	143.72	7402.14	178.53

*अखिल भारतीय वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए प्राक्कलित

**पर्यटन मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर आंकड़े प्राक्कलित किए गए हैं।

काला धन

***323. श्री अर्जुन राय:**
श्री बलीराम जाधव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन के अवैध अंतरण को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ बनाने तथा इसकी वसूली से संबंधित उपायों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई तथा सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा काले धन का पता लगाने के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारत में काले धन के सृजन, विदेश में उसके अवैध अंतरण को रोकने तथा उसकी वसूली हेतु कानूनों को सुदृढ करने के तरीकों की जांच करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति अवैध साधनों के माध्यम से काले धन के सृजन की समस्या से निबटने के लिए मौजूदा विधायी एवं प्रशासनिक रूपरेखा की जांच करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) अवैध रूप से सृजित धन को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के रूप में घोषित करना;

(ii) ऐसी परिसम्पत्तियों की जब्ती एवं वसूली के लिए कानूनों को अधिनियमित/संशोधित करना; तथा

(iii) इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करना। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अध्यक्ष-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,-अध्यक्ष

(ii) सदस्य (जांच), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सह अध्यक्ष

(iii) सदस्य (विधायन एवं कम्प्यूटरीकरण), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(iv) निदेशक, प्रवर्तन

(v) महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)

(vi) महानिदेशक (मुद्रा)

(vii) निदेशक-एफआईयू-आईएनडी

(viii) संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय

(ix) संयुक्त सचिव, (एफटीएवं टीआर) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(x) आयकर आयुक्त (जांच), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सदस्य सचिव

(ग) जी, नहीं

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 31.01.2010 तक सौंपे जाने की संभावना है।

(ङ) सरकार ने विदेश में अवैध रूप से जमा किए गए देश के धन को वापस लाने हेतु एक व्यापक पांच स्तरीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। रणनीति में शामिल है:

(i) काले धन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल होना;

(ii) एक उचित विधायी रुपरेखा तैयार करना;

(iii) अवैध धन से निबटने हेतु संस्थानों का गठन;

(iv) कार्यान्वयन के लिए तंत्र का विकास करना; एवं

(v) प्रभावी कार्रवाई हेतु मानवशक्ति को प्रशिक्षित करना।

कर अपवंचन के विरुद्ध अभियान एक सतत् एवं चालू प्रक्रिया है। आयकर विभाग लेखाबाह्य धन का खुलासा करने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए अनेक दंडात्मक एवं निवारक कदम उठाता है। इनमें कर विवरणियों की संवीक्षा; सर्वेक्षण तलाशी एवं जब्ती कार्रवई, अर्थदंड का अधिरोपण; एवं समुचित मामलों में अभियोजना शुरु करना शामिल है। कर अपवंचकों के खिलाफ अपवंचनरोधी कार्रवाई करने हेतु सूचना के संग्रहण एवं मिलान हेतु व्यवस्थित तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

आयुर्विज्ञान में अनुसंधान

***324. श्री प्रेमदास:**
श्री मानिक टैगोर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शुरु किए गए अनुसंधान कार्य/परियोजनाएं अंतराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरुप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में आयुर्विज्ञान में कौन-कौन सी बड़ी अनुसंधान परियोजनाएं शुरु की गई है और इनके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयुर्विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने और चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संस्थानों में इसके लिए समुचित अवसंरचना की स्थापना हेतु और क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में की गई अनुसंधानात्मक परियोजनाओं/कार्यों को आंकने के लिए कोई भी निर्धारित वैश्विक अथवा भारतीय मानदंड/दिशानिर्देश नहीं हैं। तथापि, बड़ी संख्या में देश के शोध पत्र इंडेक्स्ड जर्नलों में प्रकाशित होते हैं और पबमेड अथवा स्कॉपस जैसे डाटा बेसों में सूचीबद्ध होते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का आउटपुट वैश्विक मानकों के समतुल्य है तथापि, परिमाण की दृष्टि से भारत के अनुसंधानात्मक आउटपुट की वैश्विक हिस्सेदारी अल्प बनी हुई है।

(ग) और (घ) अनुसंधानात्मक परियोजनाएं निजी संस्थाओं और लोकोपचारी संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में सरकारी और निजी चिकित्सा कॉलेजों में संचालित की जाती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां भी चिकित्सा अनुसंधान को संचालित/वित्तपोषित करती हैं। इन सभी संगठनों द्वारा संचालित अनुसंधानात्मक परियोजनाओं अथवा उनको आबंटित अथवा उन पर व्यय की गई निधियों के संबंध में केन्द्रीय डाटा बेस अथवा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने भारत में चिकित्सीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में वैज्ञानिकों की विभिन्न श्रेणियों हेतु लक्षित मानव संसाधन विकास के लिए संवर्धित वित्तपोषण, जैसे ग्रीष्मकालीन छात्रवृत्ति, वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति के लिए संबंधित वित्तपोषण अनुसंधान संचालित करने के लिए चिकित्सा शिक्षकों के लिए तदर्थ अनुसंधानात्मक परियोजनाएं तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए सहायता, विदेश में प्रशिक्षण के लिए अल्पावधिक अंतरराष्ट्रीय शिक्षावृत्ति शामिल हैं।

इनके अलावा, राज्यों तथा पूर्वोत्तर के उन चिकित्सा कॉलेजों में अनुसंधान कार्यविधि और परियोजना लेखन संबंधी विशिष्ट

संकेंद्रित प्रशिक्षण परियोजना विकासमूलक कार्यशालाएं आयोजित की गई है जिनमें पहले अनुदान आवेदन पत्रों को अपेक्षाकृत कम मंजूरी मिली है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने चिकित्सा कॉलेजों को अवसंरचनात्मक सहायता और राज्यों में मॉडल ग्रामीण अनुसंधान यूनिटों की स्थापना; मानव संसाधन विकास; विषाणु और अन्य संक्रामक रोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के विकास तथा सहायता अनुदान स्कीम के संबंध में स्कीमें तैयार की हैं।

गैर-योजनागत व्यय को कम किया जाना

***325. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजस्व और पूंजी दोनों में गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यय में कटौती करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मितव्ययिता उपायों के परिणामस्वरुप अनुमानत: राजस्व की कितनी बचत होने संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों का गैर-योजना व्यय संबंधी ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

	वास्तविक व्यय 2008-09	वास्तविक व्यय 2009-10	संशोधित अनुमान 2010-11	बजट अनुमान 2011-12
राजस्व	559024	657925	726749	733558
पूंजी	49697	63171	94803	82624
कुल	608721	721096	821552	816182

(ग) और घ) मई, 2011 और जुलाई, 2011 में व्यय प्रबंधन संबंधी अनुदेश जारी किए गए हैं। हालांकि 2011-12 में गैर-योजना व्यय में कोई सामान्य कटौती नहीं की गई है, फिर भी इन अनुदेशों में 2011-12 के बजट अनुमानों का पालन करने की सलाह तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों के लिए आबंटन राशि में 10 प्रतिशत की कटौती, वाहनों की खरीद पर रोक तथा विदेश यात्रा, परामर्शी कार्यों, आदि पर प्रतिबंध जैसे मितव्ययिता उपाय शामिल हैं।

(ङ) मितव्ययिता संबंधी उपायों के कारण होने वाली बचतों का उपयोग संशोधित अनुमानों में अन्य शीर्षों स्कीमों/कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आवंटन के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

अवसाद के मामले

***326. श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या तथा अवसादरोधी दवाओं की खपत चिंताजनक रुझान दर्शा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सामने आए ऐसे मामलों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसक क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में अवसाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवसाद और अन्य प्रकार की मानसिक बीमारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जनजागरुकता कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारत में ऐसे कोई दीर्घकालिक जनसंख्या आधारित

नहीं किए गए हैं जिससे यह पता चलता हो कि देश में अवसाद के रोगियों की संख्या तथा अवसादरोधी औषधों के सेवन में वृद्धि हो रही है। तथापि, भारत में 11 केन्द्रों में एक साथ किए गए अध्ययन के अनुसार, यह निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति में उसके जीवनकाल के दौरान अवसाद की घटना होने की संभावना 9% है आजीवन व्याप्तता)। अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि 12 माह की अवधि के किसी भी समय बड़े अवसाद की घटना होने की संभावना 4.5% (अवधि व्याप्तता) होती है।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अवसाद से ग्रस्त लोगों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा इस मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, अवसाद के लिए किसी एकल कारक को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। अवसाद अनेक परिस्थितियों जैसे कि आनुवंशिक, जैविक, मनोसामाजिक तथा तनाव संबंधी अन्य स्थितियों जैसे कि वैवाहिक तनाव, बेरोजगारी, व्यवसाय संबंधी तनाव इत्यादि के कारण हो सकता है।

(ग) मानसिक विकारों के भारी बोझ से निपटने के लिए भारत सरकार ने सन 1982 से देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) शुरू किया है। मानसिक विकारों/बीमारी का पता लगाने, नियंत्रण तथा उपचार की व्यवस्था के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 123 जिलों को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। देश में मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों की कमी पर काबू पाने के उद्देश्य से, मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता के 11 केन्द्रों तथा मानसिक स्वास्थ्य स्पेशियलिटी में 25 पीजी प्रशिक्षण विभागों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीजी प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने तथा तृतीयक परिचर्या उपचार सुविधा को बेहतर करने के लिए वित्तापोषित किया गया है। इसके अलावा, देश में तीन केन्द्रीय संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर तथा केन्द्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधनों को संवर्धित करने तथा क्षमता निर्माण के लिए सुदृढ़ किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को आत्महत्या निवारण सेवाओं, कार्य स्थलीय तनाव प्रबंधन तथा स्कूलों और कॉलेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श जैसे अतिरिक्त घटकों को शामिल करने के लिए पुनर्सरचनाबद्ध किया गया है। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों/जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सा स्कंधों का उन्नयन, राज्य द्वारा संचालित मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के लिए सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानसिक बीमारियों के लिए जिला स्तर पर समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा मूलभूत दवाओं की व्यवस्था करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मौजूदा डॉक्टरों के प्रशिक्षण के जरिए समुदाय में मानसिक बीमारी की शुरू में ही पहचान, प्रबंधन एवं उपचार का भी प्रावधान है।

(घ) और (ङ) मानसिक बीमारी के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रलाप राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न भाग हैं। स्थानीय समाचार पत्रों तथा रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, भित्ति चित्रों इत्यादि में जागरुकता संदेश ऐसे विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यक्रलाप हैं जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं।

चिकित्सा संबंधी परामर्श

***327. श्री वरुण गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य परिचर्या परिदान और औषधि के क्षेत्र में, विशेषकर दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सूचना-प्रौद्योगिकी समाधान को शामिल करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग सीधे डॉक्टर के चिकित्सा संबंधी परामर्श प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सरकार यह मानती है कि मौजूदा जन स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत प्रदान की जा रही ई-स्वास्थ्य पहलें स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच, दायरे और गुणवत्ता के विस्तार हेतु प्रयुक्त की जा सकती हैं। उच्च गति वाली बैंडविथ दूरसंचार प्रणालियों का इस्तेमाल करके चिकित्सीय प्रतिबिंबों के साथ मूल पाठ और ध्वनि को दूर-दराज के क्षेत्रों को कवर करके पूरे देश में गरीब नागरकिों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि, यह कनेक्टिविटी और नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इस पहल के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की नेट-वर्किंग की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को अन्य पांच क्षेत्रीय केन्द्रों अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी, केईएम चिकित्सा कॉलेज, मुम्बई तथा पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी

स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग द्वारा समर्थित राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एनआरबी) और क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र (आरआरसी) तथा राष्ट्रीय नेटवर्क केन्द्र (हब) के रूप में कार्य करने हेतु अभिज्ञात किया गया है। यह परियोजना पहले चरण में टेली-एजूकेशन, प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, सतत व्यावसायिक विकास और स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा एवं अनुसंधान के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करेगी।

इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण टेलीमेडिसिन नेटवर्क की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों को 18.78 करोड़ रुपए दिए गए थे; ओंकोनेट इंडिया प्रोजेक्ट के लिए 1.43 करोड़ रुपए तथा टेली-ऑफ्थामोलॉजी के लिए 3.37 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने सवास्थ्य परिचर्या में आईटी समर्थ सेवाएं प्रदान करने संबंधी पहल भी शुरू की है।

[हिन्दी]

मातृ और बाल स्वास्थ्य योजनाएं

***328. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि के उपयोग की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ खामियां पाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II, एक समग्रतावादी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार करना है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत आबंटित निधियों और उपयोग की स्थिति संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II के कार्यान्वयन की कड़ी मानीटरिंग, संयुक्त समीक्षा मिशनों और सामान्य समीक्षा मिशन के जरिए की जाती है। अब तक 7 संयुक्त समीक्षा मिशन और 4 सामान्य समीक्षा मिशन पूरे कर लिए गए हैं जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, विकास सहभागियों और सिविल सोसायटी के सदस्यों ने मौके पर आकलन हेतु क्षेत्र दौरे किए। संयुक्त समीक्षा मिशनों और सामान्य समीक्षा मिशनों द्वारा उजागर किए गए कुछ चिंताजनक क्षेत्र निम्नलिखित से संबंधित हैं:

1. मानव संसाधनों, विशेषकर विशेषज्ञों की कमी।
2. मानव संसाधन की युक्तिसंगत तैनाती में अंतर।
3. राज्य स्तर पर कमजोर सहयोगी पर्यवेक्षण।
4. गुणवत्तायुक्त परिचर्या के प्रति अपर्याप्त ध्यान।
5. प्रशिक्षण क्षमता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत।
6. बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत।

संयुक्त समीक्षा मिशनों और सामान्य समीक्षा मिशनों के निष्कर्षों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवई के लिए केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर प्रसारित किया जाता है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के लिए आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत आबंटन, निर्मुक्ति एवं व्यय

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.82	0.82	0.41	0.88	0.80	0.54	1.00	0.94	0.47	1.18	0.00	2.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	आन्ध्र प्रदेश	176.53	176.53	166.22	187.22	186.86	138.71	212.55	209.19	87.92	235.74	0.00	58.86
3.	अरूणाचल प्रदेश	9.46	9.46	13.57	12.92	12.92	13.57	12.14	19.73	16.90	12.93	12.89	7.66
4.	असम	230.33	230.33	182.08	314.78	314.65	154.62	295.64	148.00	241.38	316.76	0.00	150.49
5.	बिहार	25117	351.17	258.21	266.36	266.36	331.76	302.41	327.41	425.95	333.91	333.91	154.35
6.	चंडीगढ़	2.11	1.29	1.43	2.23	2.22	1.28	2.53	2.10	1.73	2.76	0.00	1.40
7.	छत्तीसगढ़	63.01	63.01	45.66	77.12	77.12	58.55	87.56	97.56	90.64	96.58	72.44	44.09
8.	दादरा और नगर हवेली	0.53	0.41	0.54	0.55	0.59	0.80	0.62	2.42	1.55	0.79	0.00	0.99
9.	दमन और द्वीप	0.38	0.11	0.28	0.39	0.46	0.40	0.44	0.25	0.32	0.40	0.15	0.56
10.	दिल्ली	32.12	20.13	17.32	34.07	34.01	18.70	38.69	29.02	22.46	42.18	0.00	15.38
11.	गोवा	3.13	2.18	0.66	3.32	1.84	0.99	3.77	2.00	2.34	4.34	0.00	0.45
12.	गुजरात	117.94	79.09	94.58	125.09	124.85	122.81	142.02	162.02	170.11	156.90	156.90	48.10
13.	हरियाणा	49.16	49.16	35.53	52.12	52.12	37.21	59.18	59.18	62.95	65.44	65.44	30.49
14.	हिमाचल प्रदेश	18.42	14.06	11.95	22.54	22.49	11.67	25.59	19.19	20.43	28.38	0.00	4.39
15.	जम्मू और कश्मीर	30.51	28.74	12.87	37.34	37.27	25.21	42.40	42.40	37.91	46.91	46.91	10.69
16.	झारखण्ड	81.55	81.55	138.72	99.79	99.60	54.39	113.29	110.35	109.14	124.97	122.91	50.57
17.	कर्नाटक	122.92	12.92	113.36	130.37	130.37	155.00	148.01	183.01	163.59	163.60	163.60	70.34
18.	केरल	74.23	74.23	75.19	78.71	78.56	86.13	89.36	78.62	78.37	98.56	63.51	28.09
19.	लक्षद्वीप	0.15	0.06	0.49	0.15	0.53	0.91	0.17	0.87	0.60	0.40	0.40	1.05
20.	मध्य प्रदेश	183.00	316.84	350.57	194.07	244.07	340.74	220.34	271.34	375.84	242.84	182.13	146.13
21.	महाराष्ट्र	225.55	82.95	170.25	239.19	236.12	159.85	271.56	234.61	189.69	299.61	299.61	108.97
22.	मणिपुर	20.60	15.66	14.92	28.16	28.16	8.37	26.44	0.00	13.45	25.86	0.00	1.95
23.	मेघालय	19.93	12.64	6.08	27.23	23.48	6.64	25.58	0.00	10.29	27.71	0.00	2.11
24.	मिजोरम	7.77	7.77	8.62	10.62	10.43	8.72	9.97	·16.04	12.47	10.62	0.00	6.75
25.	नागालैण्ड	17.22	17.22	10.99	23.54	20.59	9.25	22.11	0.00	17.17	23.55	16.58	6.70
26.	ओडिशा	111.24	111.24	128.08	117.97	117.97	159.73	133.94	153.94	191.05	147.83	147.83	85.16
27.	पुदुचेरी	2.28	1.40	1.63	2.41	2.40	2.61	2.73	3.73	3.88	3.15	3.15	2.54
28.	पंजाब	56.63	56.63	41.54	60.05	59.81	46.14	68.18	68.18	68.08	75.30	58.53	15.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	राजस्थान	171.15	297.44	289.45	181.50	181.50	279.94	206.06	231.06	286.90	227.07	113.54	151.16
30.	सिक्किम	4.73	4.73	5.16	6.46	6.35	4.62	6.07	3.65	4.04	6.46	5.16	2.99
31.	तमिलनाडु	144.79	144.79	95.49	153.55	153.55	133.82	174.33	163.08	152.69	193.17	96.59	86.44
32.	त्रिपुरा	27.69	25.2	14.16	37.85	36.79	19.25	35.55	23.73	16.64	37.86	0.00	6.65
33.	उत्तर प्रदेश	503.25	373.25	459.16	533.68	533.68	555.97	605.90	605.90	655.09	668.60	334.30	220.90
34.	उत्तराखण्ड	25.71	25.71	40.85	31.45	31.45	29.16	35.70	40.70	37.91	39.42	39.42	19.63
35.	पश्चिम बंगाल	187.02	157.02	122.78	198.32	197.94	146.63	225.17	133.58	140.96	247.97	177.82	98.19
	कुल योग	2973.03	2955.83	2928.80	3292.00	3327.91	3124.69	3647.00	3443.80	3710.91	4009.75	2513.72	1641.85
36.	अन्य	3.00	2.56	0.00	3.00	1.17	0.00	3.00	0.21	0.00	3.00	0.00	0.00
	कुल योग	2976.03	258.39	2928.80	3295.00	3329.08	3124.69	3650.00	3444.01	3710.91	4012.75	2513.72	1641.85

नोट: वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 (30.9.2011 तक) के व्यय अनन्तिम हैं।
गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और पंजाब राज्यों का वित्तीय वर्ष 2011-12 का व्यय दिनांक 30.6.2011 तक का है।
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्मुक्ति अनंतिम है और दिनांक 5.11.2011 तक अद्यतन है। उपरोक्त निर्मुक्तियां केन्द्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग

***329. श्री तूफानी सरोज:**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव तथा बैंकिंग कार्यों में राज्य में तथा अन्तर्राज्यीय असमानता पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों में बैंकिंग की सुविधाएं कम होने का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों/बैंकिंग उद्योग के साथ इस मामले को उठाया है ताकि उन क्षेत्रों में जहां बैंक नहीं है पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ क्या रुपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के उन क्षेत्रों को जहां बैंक नहीं है, बैंकिंग नेटवर्क के अंतर्गत लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) देश में ऐसे 375 जिले हैं जहां पर बैंकों की सुविधा पर्याप्त नहीं है और इन जिलों में स्थित प्रत्येक शाखा के प्रति जनसंख्या का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। सरकार ने अब तक के सेवारहित क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक बहु आयामी नीति अपनाई है। इसमें निम्नलिखित हैं-कारबार सम्पर्कियों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके ऐसे क्षेत्रों में बैंक की अधिक शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड तथा जनरल क्रेडिट कार्ड के तहत कवरेज का विस्तार। वर्ष 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के आधार पर, 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 73,000 से अधिक गांवों की, मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहचान की गई है। नवम्बर 2011 तक, 46,000 गांवों को कवर कर लिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एफआईपी-30.11.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल गांव	30.11.2011 तक कवर किए गए गांव
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	6661	4769
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	3
4.	असम	2327	877
5.	बिहार	9213	4402
6.	छत्तीसगढ़	1050	645
7.	दादरा और नगर हवेली	30	18
8.	दमन और दीव	7	3
9.	दिल्ली	110	63
10.	गोवा	41	41
11.	गुजरात	3502	2124
12.	हरियाणा	1838	1508
13.	हिमाचल प्रदेश	48	37
14.	जम्मू और कश्मीर	795	628
15.	झारखण्ड	1541	1135
16.	कर्नाटक	3395	2639
17.	केरल	120	120
18.	लक्षद्वीप	0	0
19.	महाराष्ट्र	4292	3330
20.	मणिपुर	186	35
21.	मेघालय	39	17
22.	मिजोरम	14	1
23.	मध्य प्रदेश	2736	1609
24.	नागालैण्ड	196	38
25.	ओडिशा	1877	1177
26.	पुडुचेरी	42	42
27.	पंजाब	1576	1181
28.	राजस्थान	3883	3055
29.	सिक्किम	43	30
30.	तमिलनाडु	4385	3536
31.	त्रिपुरा	419	369
32.	उत्तर प्रदेश	16270	8820
33.	उत्तराखण्ड	216	133
34.	पश्चिम बंगाल	7486	4348
	योग	74358	46741

स्रोत:एसएलबीसी बैंक

औषधि परीक्षण/नैदानिक परीक्षण

***330. श्री कामेश्वर बैठा:**
श्री जोस के. मणि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त कुछ औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं काम नहीं कर रही हैं या कम काम कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनके कम काम करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या परीक्षण किए बिना औषधि देने तथा औषधि के नैदानिक परीक्षणों के दौरान मौतें होने की जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो असाध्य बीमारी के मामलों तथा नैदानिक परीक्षणों दोनों के कारण हुई मौतों में मृतकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का ब्यौरा क्या है एवं प्रभावितों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(च) नैदानिक परीक्षणों के लिए परीक्षण दलों, संस्थाओं, दवा कंपनियों तथा रोगियों द्वारा अनुपालित आचार संहिता का ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों पर औषधि के परीक्षण न किए जाएं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय सरकार औषध जांच प्रयोगशालाओं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की औषध जांच प्रयोगशालाओं के बारे में अपेक्षित सूचना क्रमश: संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को यह विदित है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की कुछ औषध जांच प्रयोगशालाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। उदाहारणार्थ झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में औषध जांच प्रयोगशालाएं जनशक्ति की कमी के कारण इस समय कार्य नहीं कर रही हैं। उनके कार्यकरण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

(घ) और (ङ) बिना जांच की गई औषधों को देने के कारण मौत की कोई सूचना नहीं है क्योंकि बिक्री के लिए निर्मुक्त करने से पहले औषध के प्रत्येक बैच की जांच करना विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य है। तथापि, नैदानिक परीक्षणों के दौरान विभिन्न कारणों से मृत्यु हो सकती है। ये रोग संबंधी मृत्यु हो सकती हैं जैसा कि कैंसर या गंभीर रूप से बीमार रोगियों को औषध प्रदान करने या औषधों के दुष्प्रभावों या किसी अन्य कारणों आदि के मामलों में होता है। ऐसी मृत्यु की जांच, परीक्षणकर्ता द्वारा और प्रायोजक के चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा नैमित्तिक (केजुअल) संबंध का पता लगाने के लिए की जाती है। वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षणों में परीक्षण संबंधी मृत्यु के 22 मामलों की सूचना प्राप्त हुई और इन सभी मामलों में मुआवजों का भुगतान किया जा चुका है। इन मामलों में भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

अब तक परीक्षण में शामिल किए गए व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उनके नामांकन के समय ली गई सोची समझी सहमति में शामिल नहीं की गई है।

(च) नियम 21 (ख) के अन्तर्गत लाईसेंसिंग प्राधिकारी अर्थात औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने तथा संबंधित आचार संहिता समिति से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के बाद ही नई औषध पर नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। प्रायोजक, परीक्षणकर्ता और आचार संहिता समिति की जिम्मेदारियां अनुसूची "वाई" के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त भारत में नैदानिक परीक्षणों के लिए उत्तम नैदानिक पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों एवं औषध तथा प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची "वाई" में नियत की गई हैं। परीक्षणकर्ता, प्रोटोकोल एवं उत्तम नैदानिक पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। नैदानिक परीक्षण का प्रायोजक यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है कि भारत में नैदानिक परीक्षणों के लिए उत्तम नैदानिक, पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों और प्रोटोकोल के अनुरूप नैदानिक परीक्षण किया जाता है, आंकड़े सृजित, प्रलेखित एवं सूचित किए जाते हैं।

यह आचार संहिता समिति, जो समीक्षा करती है तथा परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए अपना अनुमोदन देती है, की जिम्मेदारी है कि वह परीक्षण में शामिल किए गए व्यक्तियों के अधिकारों, सुरक्षा और कुशलता को सुरक्षित रखे। आचार संहिता समिति से अपेक्षा है कि वह परीक्षण में शामिल सभी व्यक्तियों के अधिकारों सुरक्षा और कुशलता की रक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरते।

नैदानिक परीक्षणों से संबंधित विनियमों को सुदृढ़ करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में संशोधनों के लिए दिनांक 18.11.2011 की एक प्रारुप अधिसूचना सा.का.नि. 821 (अ) प्रकाशित की गई है। इस अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. परीक्षण से संबंधित चोट या मृत्यु के मामले में परीक्षण में शामिल किए गए व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने हेतु प्रावधानों को शामिल करना।

2. आचार संहिता समिति, प्रायोजक एवं परीक्षणकर्ता की जिम्मेदारियों को बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षण से जुड़ी चोट या मृत्यु वाले व्यक्तियों को वित्तीय मुआवजा और चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है।

3. परीक्षण में शामिल व्यक्ति के पता, व्यवसाय, वार्षिक आय को शामिल करने के लिए परीक्षण में शामिल किए गए व्यक्तियों की सोची समझी सहमति प्राप्त करने के लिए फार्मेट में संशोधन ताकि परीक्षण में किए गए व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी रखी जा सके।

विवरण I

केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम
1.	केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, मुम्बई
2.	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता
3.	केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चैन्ने
4.	केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, हैदराबाद (नई प्रयोगशाला प्रचालित की जा रही है)
5.	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
6.	क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम
7.	क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चंडीगढ़
8.	राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की औषध जांच प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	औषध जांच प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	1-अकार्यशील
4.	दिल्ली	1
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	अकार्यशील
11.	कर्नाटक	3
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	1
14.	महाराष्ट्र	2
15.	मेघालय	1
16.	ओडिशा	1
17.	पुदुचेरी	1
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	2
20.	तमिलनाडु	2
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	1
23.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	29

विवरण III

वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षण से जुड़ी मृत्यु के मामलों में भुगतान किए गए मुआवजों का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रायोजक	परीक्षणात्मक उत्पाद	भुगतान किया गया मुआवजा
1	2	3	4
1.	मर्क	सेफीनामाइड	1,50,000 रुपए
2.	वेथ	टेमसीरेलीमस	1,50,000 रुपए

1	2	3	4
3.	क्वीनटाइल्स	एमएलएन 0002/प्लेसबो	20,00,000 रुपए
4.	क्वीनटाइल्स	बीआई 1744/परीक्षणी प्रक्रिया	3,00,000 रुपए
5.	लिली	एच3ई-एमसी-जेएमएचआर	1,08,000 रुपए
6.	लिली	पेमेट्रेक्स्ड	2,00,000 रुपए
7.	लिली	पेमेट्रेक्स्ड	2,00,000 रुपए
8.	बेयर	रीवारोक्साबान/प्लेसेबो/वारफा	2,50,000 रुपए
9.	बेयर	रीवारोक्साबान	2,50,000 रुपए
10.	बेयर	क्लेक्सेन/प्लेसेबो	3,50,000 रुपए
11.	बेयर	रीवारोक्साबान	2,50,000 रुपए
12.	बेयर	रीवारोक्साबान	2,50,000 रुपए
13.	एमगेन	एएमजी-706	1,50,000 रुपए
14.	एमगेन	एएमजी-479/एएमजी 102	1,50,000 रुपए
15.	ब्रिसटोल मायरस	ब्रीवानीबेलेनीनेट/सोराफेनिब	2,50,000 रुपए
16.	सनोफी	ब्लाइंड	1,50,000 रुपए
17.	सनोफी	ब्लाइंड	1,50,000 रुपए
18.	सनोफी	ब्लाइंड	2,00,000 रुपए
19.	पीपीडी	एक्सएल-184/प्लेसबो	10,00,000 रुपए
20.	फिजर	सीटाक्ससेंटान/प्लेसबो	1,50,000 रुपए
21.	फिजर	सीटाक्ससेंटान/प्लेसबो/सिल्डेनेफिल	2,25,000 रुपए
22.	फिजर	एक्सीटीनिब	1,50,000 रुपए

[अनुवाद]

किशोरियों के लिए योजनाएं

***331. श्री कमलेश पासवान:**
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किशोरियों की बहुआयामी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना और राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एंडोलिसेन्ट गर्ल्स-सबला की क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं में और अधिक घटकों को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई तथा उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) क्या सरकार को इन योजनाओं में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) 11-18 वर्ष की आयु की किषोरियों के स्व-विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता और अंक ज्ञान, व्यावसायिक कौशलों, आदि जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) की शुरुआत की गई। वर्ष 2005 में 6118 में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजनाओं तक इस स्कीम का विस्तार किया गया।

वर्ष 2010-11 में सरकार ने राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला, जो 11-18 वर्ष की आयु की किशोरियों के विकास के लिए एक व्यापक स्कीम है, की शुरुआत देशभर के 200 जिलों में की। इन 200 जिलों में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर सबला चलाई गई है। फिर भी इस समय गैर-सबला स्कीम वाली 4194 परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना कायर्यान्वित की जा रही है।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार निर्मुक्त निधियों तथा इनके उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	किशोरी शक्ति योजना		सबला	
	निर्मुक्त निधियां	उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग की गई निधियां
2008-09	52.25	50.94	स्कीम 2010-11 में शुरू की गई थी	
2009-10	37.05	35.54		
2010-11	33.64	23.47	296.73	44.28
2011-12	23.06	7.36	489.32	90.21

(घ) सरकार को इन स्कीमों के अंतर्गत अब तक भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

ज्वारीय ऊर्जा का संवर्द्धन

***332. श्री एस. सेम्मलई:**
श्री धनंजय सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ज्वारों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार की देश में ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने तथा महासागर ऊर्जा नीति तैयार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारुख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा सुंदरबन क्षेत्र में दुर्गादुवानी खाड़ी (क्रीक) में 3.75 मेवा. क्षमता वाले ज्वारीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना करने हेतु पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (डब्ल्यूबीआरईडीए), कोलकाता को एक प्रदर्शन परियोजना मंजूर की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

देश में ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 8000 मेवा. ज्वारीय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता है। इसमें गुजरात राज्य में खम्बात की खाड़ी में लगभग 7000 मेवा. कच्छ की खाड़ी में 1200 मेवा. और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन

क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में लगभग 100 मेवा. की संभाव्यता शामिल है।ज्वारीय तरंग विद्युत का दोहन करने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा एक 250 मेवा. की ज्वारीय हस्ताक्षर किए गए हैं जो गुजरात विद्युत निगम लिमिटेड (जीपीसीएल), मैसर्स अटलांटिस रिसोर्स कारपोरेशन (यू.के) और पर्फेक्त माइनिंग एनर्जी सॉल्यूशंस (पीएमईएस), सिंगापुर के बीच सम्पन्न किया गया है। मई, 2011 में एक विशेष उद्देश्य माध्यम को शामिल किया गया है। आरंभ में जीपीसीएल द्वारा 50 मेवा. की ज्वारीय तरंग विद्युत परियोजना शुरू की गई है।

(ख)	आवंटित की गई धनराशि		उपयोग की गई धनराशि
	वर्ष	बजट परिव्यय	
	2009-10	2.00 करोड़ रु.	शून्य
	2010-11	2.00 करोड़ रु.	2.00 करोड़ रु.
	2011-12	10.00 लाख रु.	शून्य (30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)

(ग) जी हां।

(घ) एमएनआरई के पास ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, सर्वेक्षण एवं खोज तथा प्रदर्शन परियोजनाएं आरंभ करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश विद्यमान हैं।

विद्युत की मांग

***333. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भविष्य में इन क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) और (ख) देश में वर्ष 2007-08, 2008-09 के दौरान घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई हैं देश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में हुई विद्युत की खपत नीचे दी गई है-

क्रम सं.	क्षेत्र	2007-08 (मिलियन यूनिट)	2008-09 (मिलियन यूनिट)	2009-10 (मिलियन यूनिट)
1.	घरेलू	1,20,918	130,057	1,41,845
2.	कृषि	1,04,182	1,07,776	1,19,492
3.	उद्योग	1,89,424	1,95,927	2,09,209

घरेलू कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत खपत एवं वृद्धि के राज्य-वार, क्षेत्र-वार एवं अखिल भारतीय विवरण क्रमशः संलग्न विवरण I, II एवं III पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) पांच वर्षों के पश्चात देश में इलेक्ट्रिकल पावर सर्वे (ईपीएस) करवाता है। सीईए द्वारा मार्च, 2007 में प्रकाशित 17वें ईपीएस में 2011-12 तक राज्य-वार विद्युत खपत के वार्षिक प्रक्षेपण तथा वर्ष 2016-17 एवं 2021-22 में विभिनन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल विद्युत खपत के दीर्घकालीन पूर्वानुमान दिए गए हैं। 17वें ईपीएस के अनुसार, 2011-12 में घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित

विद्युत खपत क्रमश: 2,20,372 मिलियन यूनिट, 1,52,931 मिलियन यूनिट तथा 2,60,748 मिलियन यूनिट है।

(ङ) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम नीचे दिए गए हैं-

(i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाना।

(ii) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी करना।

(iii) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iv) विद्युत उपकरणों की घरेलू विनिर्माणन क्षमता की अभिवृद्धि।

(v) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं रखरखाव।

(vi) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति में हो रही कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(vii) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(viii) उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग करने के लिए अंत:राज्यीय एवं अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को सुदृढ़ करना।

(ix) हानि को कम करने की दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

(x) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल।

(xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता एवं मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करना।

विवरण I

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक घरेलू क्षेत्र में हुई कुल राज्य-वार (खपत)

(जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	घरेलू 2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
हरियाणा	3476.52	3772.23	4323.78
हिमाचल प्रदेश	1050.84	1089.12	1112.13
जम्मू और कश्मीर	1399.08	1399.08	1390.97
पंजाब	6348.79	6458.66	7007.5
राजस्थान	4463.83	5014.92	5822.57
उत्तर प्रदेश	13704.2	15890.5	16327.76
उत्तराखंड	1162.9	1162.9	1387.23
चंडीगढ़	435.66	420.71	471.91
दिल्ली	7142.07	7792.92	9020.84
उप जोड़ (उ.क्षे.)	39183.89	43001.04	46864.69

1	2	3	4
गुजरात	7565.45	7809.54	8339.89
मध्य प्रदेश	4943.01	5067.71	5181.47
छत्तीसगढ़	1883.07	2183.28	2579.9
महाराष्ट्र	15389.36	16945.89	18222.7
गोवा	602.08	626.52	628.04
दमन और द्वीप	51.62	56.49	57.76
दादरा और नगर हवेली	48.27	50.65	47
उप जोड़ (प.क्षे.)	30482.86	32740.08	35056.56
आंध्र प्रदेश	10678.52	11674.85	13220.26
कर्नाटक	6206.88	6696.01	7278.41
केरल	5624.18	5952.02	6616.98
तमिलनाडु	13006	13502	13.39
पुदुचेरी	393	353.74	454.39
लक्षद्वीप	16.44	15.88	17.67
उप जोड़ (द.क्षे.)	35925.02	38194.5	41526.71
बिहार	1699.98	1768.27	1964.73
झारखंड	1345.87	1619.58	2256.03
ओडिशा	3312.89	2946.7	332.25
पश्चिम बंगाल	7001.24	7631.12	8293.32
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.16	75.49	83.96
सिक्किम	61.62	63.74	114.57
उप जोड़ (पू.क्षे.)	13493.76	14104.9	16039.11
असम	991.99	1073.97	1251
मणिपुर	118.25	120.12	127.49

1	2	3	4
मेघालय	211.65	226.69	264.16
नागालैंड	127.02	145	208.19
त्रिपुरा	220.12	241.85	262.24
अरुणाचल प्रदेश	47.75	97	115.41
मिजोरम	115.91	111.33	129.16
उप जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1832.69	2015.96	2357.65
कुल (अखिल भारत)	120918.22	130056.48	141844.72

विवरण II

वर्ष 2007-08 ये 2009-10 तक कृषि क्षेत्र में हुई कुल राज्य-वार (खपत)

(जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	कृषि		
	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
हरियाणा	7335.37	7365.4	9190.03
हिमाचल प्रदेश	26.52	28.74	36.82
जम्मू और कश्मीर	271.42	271.42	204.88
पंजाब	10022.2	9325.42	10469.31
राजस्थान	8144.56	9790.86	12072.59
उत्तर प्रदेश	6200.04	6860.36	7340.52
उत्तराखंड	300.2	300.2	298.1
चंडीगढ़	1.31	1.35	1.02
दिल्ली	37.08	52.77	39.67
उप जोड़ (उ.क्षे.)	32338.7	33996.52	39653.14
गुजरात	10946.44	11729.71	12813.8

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	7535.59	6217.5	5985.65
छत्तीसगढ़	1458.6	2049.93	1751.6
महाराष्ट्र	12675.64	13066.12	13264.22
गोवा	38.6	40.18	110.76
दमन और दीव	2.41	2.47	2.49
दादरा और नगर हवेली	8.77	9.2	3
उप जोड़ (प.क्षे.)	32666.25	33115.11	33931.52
आंध्र प्रदेश	15241.05	16604.57	18825.02
कर्नाटक	10844.02	11314.43	12384.77
केरल	240.78	234.98	266
तमिलनाडु	10717	10529	11951
पुदुचेरी	81.63	73.48	73.8
लक्षद्वीप	0	0	0
उप जोड़ (द.क्षे.)	37124.48	38756.46	43500.59
बिहार	659.12	798	794.01
झारखंड	66.85	69.62	65.72
ओडिशा	171.99	141.49	149.57
पश्चिम बंगाल	1110.07	843.28	1322.97
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.7	0.74
सिक्किम	0	0	0
उप जोड़ (पू.क्षे.)	2008.03	1853.09	2333.01
असम	19.54	20.86	32
मणिपुर	0.09	0.12	0.71
मेघालय	0.61	0.5	0.63

1	2	3	4
नागालैंड	0	0.04	0
त्रिपुरा	23.99	33.39	39.73
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
मिजोरम	0	0	0.5
उप जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	44.23	54.91	73.57
कुल (अखिल भारत)	104181.7	107776.09	119491.83

विवरण III

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक औद्योगिक क्षेत्र में हुई कुल राज्य-वार (खपत)

(जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	औद्योगिक विद्युत		
	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
हरियाणा	4,989.87	5,439.25	6,054.00
हिमाचल प्रदेश	3,099.89	3,406.59	3,596.86
जम्मू और कश्मीर	950.06	950.06	705.54
पंजाब	10,558.11	10,437.77	10,633.64
राजस्थान	7,406.98	7.858.30	8,301.30
उत्तर प्रदेश	8,591.31	11,863.12	11,179.86
उत्तराखंड	2,287.65	2,287.65	3,399.16
चंडीगढ़	279.52	249.28	278.60
दिल्ली	2,831.62	2,665.37	2,901.78
उप जोड़ (उ.क्षे.)	40,995.01	45,157.39	47,050.74
गुजरात	20,238.47	20,892.36	22,558.81
मध्य प्रदेश	7,516.14	5,430.01	5,4795.63

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	5,149.56	5,605.99	5,122.76
महाराष्ट्र	29,033.85	28,895.74	30,916.58
गोवा	1,590.12	1,620.82	1,553.46
दमन और द्वीप	1,194.62	1,225.75	1,358.17
दादरा और नगर हवेली	2,719.83	2,853.88	3,131.24
उप जोड़ (प.क्षे.)	67,442.59	66,524.55	70,438.65
आंध्र प्रदेश	15,383.47	17,512.99	18,405.31
कर्नाटक	11,104.84	9,069.04	9,772.02
केरल	3,198.11	3,352.47	3,880.48
तमिलनाडु	21,113.62	21,269.92	23,068.33
पुदुचेरी	1,422.96	1,280.81	1,182.32
लक्षद्वीप	0.32	0.27	0.32
उप जोड़ (द.क्षे.)	52,223.32	52,485.50	56,308.78
बिहार	1,103.16	1,430.98	1,667.54
झारखंड	8,700.67	9,496.76	9,324.30
ओडिशा	6,019.86	6,653.41	6,544.45
पश्चिम बंगाल	11,335.36	12,394.93	16,103.54
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.03	7.67	8.72
सिक्किम	88.63	97.78	45.23
उप जोड़ (पू.क्षे.)	27,255.71	30,081.53	33,693.78
असम	833.65	923.39	1,071.00
मणिपुर	8.86	8.68	8.81
मेघालय	507.66	528.54	468.64
नागालैंड	13.09	13.90	1.71
त्रिपुरा	65.35	84.97	86.72

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	77.12	116.47	77.63
मिजोरम	1.68	1.61	2.38
उप जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1,507.41	1,677.56	1,716.89
कुल (अखिल भारत)	189,424.04	195,926.52	209,208.83

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

***334. श्री संजय दिना पाटील:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संबंधित राज्यों, परियोजनाओं, डेवलपरों/कम्पनियों तथा विद्युत खरीदने वाली कंपनियों के साथ अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों के समक्ष हस्ताक्षरित करारों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम और झारखंड में तिलैया स्थित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) को अवार्ड करने के लिए विकासकर्ता तथा खरीददारों के बीच विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए खरीददार एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) (i) मुंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकासकर्त्ता कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) ने इंडोनेशियाई कोयले, जहां से कंपनी कोयला प्राप्त कर रही है, के मूल्य में वृद्धि के लिए मामले का समाधान करने के लिए मंत्रालय से हस्तक्षेप हेतु संपर्क किया है। गुजरात सरकार ने भी इस मसले के समाधान हेतु अनुरोध किया है।

(ii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि कृष्णापटनम यूएमपीपी के विकासकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इंडोनेशियाई कोयले के मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण काम रोक दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में इस मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

(ङ) विद्युत क्रय करार (पीपीए) के केवल खरीददार और विकासकर्त्ता के बीच एक विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज होने के कारण मंत्रालय ने अग्रणी खरीददारों अर्थात कृष्णापटनम यूएमपीपी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और मुंद्रा यूएमपीपी के लिए गुजरात सरकार को सलाह दी है कि इसके अंतर्गत उठाए गए किसी भी मामले का निपटान अनुबंधकर्त्ता पार्टियों द्वारा पीपीए के उपबंधों के भीतर किया जाना चाहिए जिसके लिए अग्रणी खरीददार द्वारा आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

विवरण

क्र.सं.	यूएमपीपी का नाम	विकासकर्त्ता का नाम	पीपीए हस्ताक्षर होने की तिथि	राज्य विद्युत प्रापण यूटिलिटी
1	2	3	4	5
1.	सासन यूएमपीपी (6×660 मेगावाट)	सासन पावर लि. (रिलायंस पावर लि.)	7.8.2007 (वास्तविक) 15.10.2008 (अनुपूरक)	**दिल्ली** * नॉर्थ दिल्ली पावर लि. * बीएसईएस यमुना पावर लि. * बीएसईएस राजधानी पावर लि.

1	2	3	4	5
				हरियाणा * हरियाणा पावर पर्चेज सेंटर **मध्य प्रदेश** * एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी **पंजाब** * पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड **राजस्थान** * जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. * अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. * जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. **उत्तर प्रदेश** * पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. * पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. * मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. * दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. **उत्तराखंड** * उत्तराखंड पावर कार्पो. लि.
2.	मुंद्रा, यूएमपीपी (5×800 मेगावाट)	कोस्टल गुजरात पावर लि. (टाटा पावर)	23.4.2007 (वास्तविक) 31.7.2008 (अनुपूरक)	* गुजरात उर्जा विकास निगम लि. (जीयूबीएनएल) * महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम लि. (एमएसईडीसीएल) * पंजाब राज्य पावर कार्पो. लि. (पीएसपीसीएल) * हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पो. लि. (एचपीजीसीएल) * अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. * जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. * जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6×660 मेगावाट)	कोस्टल आंध्र पावर लि. (रिलायंस पावर लि.)	23.3.2007 27.9.2010 (संशोधित)	**आंध्र प्रदेश** * आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कं.लि. * आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कं.लि. * आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कं.लि. * आंध्र प्रदेश उत्तरी विद्युत वितरण कं.लि. **कर्नाटक** * हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.लि. * बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.लि. * चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.लि. * गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.लि. * मंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.लि.

1	2	3	4	5
				महाराष्ट्र * महाराष्ट्र विद्युत वितरण कं.लि. **तमिलनाडु** * तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
4.	तिलैया यूएमपीपी (6×660 मेगावाट)	झारखंड इंटिग्रेड पावर लि. (रिलायंस पावर लि.)	7.8.2009	**झारखंड** * झारखंड राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड **बिहार** * बिहार राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड **पंजाब** * पंजाब राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड **उत्तर प्रदेश** * पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. * पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. * दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. * उत्तरांचल विद्युत वितरण निगम लि. **मध्य प्रदेश** * एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी **राजस्थान** * जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. * अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. * जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. हरियाणा * दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. * उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.महाराष्ट्र * महाराष्ट्र विद्युत वितरण कं.लि.गुजरात * गुजरात उॅर्जा विकास निगम लि.दिल्ली * नॉर्थ दिल्ली पावर लि. * बीएसईएस यमुना पावर लि. * बीएसईएस राजधानी पावर लि.

खनिज संसाधनों की पहचान

***335 श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री रमेन डेका:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार उपलब्ध खनिज भंडारों की अनुमानित मात्रा तथा मूल्य कितना है एवं निजी और सरकारी क्षेत्र में उनकी कुल कितनी खानें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा विभिन्न राज्यों में कितने सर्वेक्षण किए गए हैं तथा उक्त खोजों के क्या परिणाम रहे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खनिज संसाधनों की खोज के लिए राज्य-वार तथा खनिज-वार कितना व्यय किया गया है;

(घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य अभिकरणों द्वारा विशेषकर खनिज समृद्ध जनजातीय क्षेत्रों में चिन्हित नए खनिज समृद्ध क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी कंपनियों की भागीदारी सहित राष्ट्र के समृद्ध भंडारों के अन्वेषण के लिए क्या उपाय किए गए हैं या शर्तें निर्धारित की गई हो?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) कुल भंडार/संसाधनों संबंधी राज्य-वार और खनिज वार सूचना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज ईयर बुक में दिए गए हैं जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में भेजी गई है। भंडारों का मूल्य, महत्वपूर्ण खनिजों संबंधी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र (खनिज-वार और राज्य-वार) में कुल रिपोर्टिंग खानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राज्य सरकारों के भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम), खनिज गवेषण कॉरपोरेशन लि. (एमईसीएल) तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न खनिज अन्वेषण/सर्वेक्षण के ब्यौरे तथा पिछले तीन वर्षों में पाए गए खनिजों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	खनिज अन्वेषणों की संख्या				प्राप्त खनिज	राज्य जिनमें खनिज प्राप्त हुए
	जीएसआई	डीजीएम	एमईएल	अन्य	तांबा, स्वर्ण, सीसा-जस्ता, चूनापत्थर, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, फ्रायब्ल क्वार्टजाइज ग्लास सैंड, मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, ग्रेफइट, ग्रेनाइट, ग्रानेटिक, क्वार्टज, बेस, मेटल, जिप्सम, लेटराइट, बेनटोनाइट, कैलसाइट, वालस्टोन, चाइनाक्ले, क्ले, फेल्सफर, सिलमेनाइट, पाइरोफिललाइट, क्रोमाइट सैण्ड, स्टोन, ग्रेनाइट, सिलिका सैण्ड, स्टोन, जेनेसिस, डोलोमाइट	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
2008-09	77	48	4	14		
2009-10	92	53	5	15		
2010-11	116	उपलब्ध	5	उपलब्ध नहीं		

उपलब्ध सूचना के अनुसार, जीएसआई तथा एमईसीएल द्वारा विभिन्न राज्यों में खनिज अन्वेषण के लिए किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:

एजेंसी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
जीएसआई	1184.75	1033.70	1304.00	630.45 (अक्तूबार, 2011 तक)
एमईसीएल	900.00	565.00	700	492.00 (नवम्बर, 2011 तक)

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 संबंधी, खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 (एमएमडीआर विधेयक) के मसौदे को संसद में रखा गया है। नए एमएमडीआर विधेयक का उद्देश्य, खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए उचित विधायी वातावरण तैयार करना है।

विवरण

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के भंडारों का मूल्य, रिपोर्टिंग खानों की कुल संख्या (खनिज-वार और राज्य-वार)

खनिज	कुल भंडार	भंडार का मूल्य (करोड़ रु. में)	2010-11 के दौरान रिपोर्टिंग खान		राज्य, जहां भंडार पाए गए
			निजी	सार्वजनिक	
1	2	3	4	5	6
एपेटाइज (हजार टन में)	2090	418.11	1	1	आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल
बॉक्साइट (हजार टन में)	592938	22221.54	19	168	छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु
एस्बेस्टॉस (हजार टन में)	2510	12541.65	-	5	आंध्र प्रदेश, राजस्थान
बाल क्ले (हजार टन में)	16778	354.69	2	34	आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु
बेराइटस (हजार टन में)	31584	3588.16	1	4	आंध्र प्रदेश राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
क्रोमाइट (हजार टन में)	53970	29068.94	8	13	महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा
केलसाइट (हजार टन में)	2664	88.29	-	3	राजस्थान
तांबा (हजार टन में)	4767	धातु)	2	-	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम
लौह अयस्क (हजार टन में)	8115301	1464446.64	27	270	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
स्वर्ण (किलोग्राम में)	85120	16355.3	3	1	झारखंड, कर्नाटक
हीरा (कैरेट में)	1045318	806.99	2	-	मध्य प्रदेश
डोलोमाइट (हजार टन में)	738185	21922.62	8	104	आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़
फेल्सफर** (हजार टन में)	38050	801.07	3	63	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड

1	2	3	4	5	6
फायर क्ले** (हजार टन में)	59301	1040.32	-	50	आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओड़िशा, तमिलनाडु
फ्लोराइट (हजार टन में)	4721.83	3	-		गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
गारनेट (हजार टन में)	20976	1223.09	1	61	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
ग्रेफाइट (हजार टन में)	8031	329.37	1	14	
जिप्सम (हजार टन में)	39096	1172.88	26	3	गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान
कैलोइन (हजार टन में)	177158	3646.27	6	68	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
कायनाइट (हजार टन में)	1575	167.31	2	1	झारखंड, महाराष्ट्र
सिलिमेनाइट (हजार टन में)	4085	3641.58	4	-	केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा
चूना पत्थर** (मिलियन टन में)	12715	172483.65	40	495	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
सीसा (हजार टन में)	2245.1 (धातु)	30510 (धातु)	-	6	आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम
जस्ता (हजार टन में)	12453.26 (धातु)	1597255 (धातु)			
मैगनेसाइट (हजार टन में)	41950	6236.24	5	4	कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड
अभ्रक (कि.ग्रा)	190741	0.57	-	31	आंध्र प्रदेश
ओकर (हजार टन में)	56232	719.43	-	23	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा
पाइरोफिलाइट (हजार टन में)	23275	517.43	1	28	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा
क्वार्टजाइट (हजार टन में)	86599	2668.89	-	178	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
क्वार्टज/सिलिका सैण्ड** (हजार टन में)	771508	8571.45	8	178	आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6
स्टीटइट** (हजार टन में)	15526	1027.73	-	112	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराचंल
वर्मीकुलाइट (हजार टन में)	1704	103.76	1	4	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
वालस्टोनाइट (हजार टन में)	2487	204.43	-	2	राजस्थान
डुनाइट (हजार टन में)	17137	478.96	1	-	कर्नाटक

** 01.04.2005 के अनुसार भंडार

[हिन्दी]

पौष्टिक भोजन का वितरण

***336. श्री राम सिंह कास्वां:**
श्री उदय सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पौष्टिक भोजन के वितरण में कथित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं/कालाबाजारी के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पौष्टिक भोजन के वितरण संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पौष्टिक भोजन के वितरण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु खाद्यान्नों के प्रापण एवं वितरण तथा उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। इसलिए भ्रष्टाचार/ अनियमितता/काला बाजारी की यदि कोई शिकायत भारत सरकार को प्राप्त होती है तो मामले में उपर्युक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है।

अप्रैल, 2011 से आज तक पूरक पोषण के संबंध में 1 शिकायत मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 10 उत्तर प्रदेश, 1 झारखण्ड, 1 उत्तर खण्ड, 1 हरियाणा, 1 दिल्ली तथा 1 नागालैण्ड से अर्थात् कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रबंधन में अनियमितताओं के बारे में हैं। इन शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई करने तथा रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया है।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण की आपूर्ति हेतु भोजन का प्रकार/आहार, वित्तीय एवं पोषाहारीय मानक संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्तमान में, पोष्टिक भोजन के वितरण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने हेतु अध्ययन करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित, स्कीम होने के नाते आई. सी.डी.एस. के क्रियान्वयन का मॉनीटरन निर्धारित मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं तथा पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्यम से किया जाता है। गुणवत्ता के आकलन के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड के क्षेत्रीय यूनिट खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किये जाते हैं। प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों को स्कीम की कमियों को दूर करने और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्य करने हेतु पत्रों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से कहा जाता है। इसके अलावा, पूरक पोषण कार्यक्रम की प्रदायगी सहित आई.सी.डी.एस. स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तरों पर पांच स्तरीय मॉनीटरन और समीक्षा तंत्र स्थापित किये हैं और दिनांक 31.03.2011 को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

विवरण

पूरक पोषण के मानदण्ड

विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों हेतु पूरक पोषण कार्यक्रम

क्र.सं.	आयु समूह	पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रकार
1.	0-6 माह के बच्चे	जीवन के प्रथम 6 माह तक केवल स्तनपान
2.	06 माह से 36 माह के बच्चे	बच्चे के खालने लायक सूक्ष्म पोषक तत्वों से पोषित आहार और/या ऊर्जा संघनित आहार के रूप में घर ले जाए जाने वाला राशन (टीएचआर)
3.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (3 से 36 माह)	800 कैलरी और 20-25 प्रोटीन के साथ उपर्युक्त के समान भोजन
4.	03 से 06 वर्ष के बच्चे	दूध/केला/अण्डा/मौसमी फल के रूप में सुबह का नाश्ता और गर्म पकाया हुआ भोजन
5.	गंभीर रूप से अल्पवजनी बच्चे	सूक्ष्म तत्वों से पोषित आहार और/या ऊर्जा संघनित आहार के रुप में अतिरिक्त 300 कैलरी ऊर्जा और 8-10 ग्राम प्रोटीन
6.	गर्भवती और धात्री माताएं	सूक्ष्म तत्वों से पोषित आहार और/या ऊर्जा संघनित आहार के रूप में घर ले जाए जाने वाला राशन (टीएचआर) दिया जा सकता है।

वित्तीय मापदण्ड: मंत्रालय के दिनांक 7.11.2008 के पत्र संख्या 4.2/2008 सी.डी.-II द्वारा भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पूरक पोषण की लागत में संशोधन किया है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	श्रेणी	संशोधन पूर्व	संशोधित (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)
1.	बच्चे (6-72 माह)	2.00 रुपये	4.00 रुपये
2.	गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	2.70 रुपये	6.00 रुपये
3.	गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	2.30 रुपये	5.00 रुपये

पोषाहारीय मानदण्ड: दिनांक 24.2.2009 के पत्र संख्या 5.9.2005 एन.डी.टेक (वॉल्यूम II) द्वारा संशोधित

क्र.सं.	श्रेणी	संशोधन पूर्व		संशोधित (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)	
		कैलोरी (किलो कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा)	कैलोरी (किलो कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा)
1.	बच्चे (6-72 माह)	300	8-10	500	12-15
2.	गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 माह)	600	20	800	20-25
3.	गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं	500	15-20	600	18-20

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम

***337. श्री प्रबोध पांडा:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगें के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में कार्यक्रमों के धीमी गति से क्रियान्वयन के कारण जनजातीय लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्ष कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में सभी अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्रीय प्रायोजित तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों सहित सभी जनजातीय लोगों के कल्याणार्थ बने हैं। मंत्रालय की मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमश: 25 करोड़ रुपए तथा 30 करोड़ रुपए प्रति जिले के ब्लॉक अनुदान के साथ नौ राज्यों के 60 चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए दिनांक 25.11.2010 एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) अनुमोदित की गई थी। इस अनुदान का उपयोग जिला स्तरीय समिति द्वारा तैयार योजना के लिए कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है जिसमें विद्यालय भवन, आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पेयजल, सार्वजनिक स्थानों पर बिजली का प्रकाश इत्यादि जैसी सार्वजनिक अवसंरचना हेतु गतिविधियां शामिल हैं।

(ग) से (ङ) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) का कार्यान्वयन शुरू किया गया तथा वर्ष 2010-11 के लिए प्रति जिला 25 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 2011-12 के लिए प्रति 10 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी गई है तथा 40 जिलों को 10 करोड़ रुपए की अगली श्रृंखला अर्थात 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त कर दी है। जिलों द्वारा सूचित व्यय 1421 करोड़ रुपए अर्थात अब तक निर्मुक्त कुल राशि का लगभग 56.84% है। योजना आयोग ने एकीकृत योजना (आईएपी) के तहत कवर किए गए चयनित जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में मुख्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी विकसित की है।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कताई, बुनाई एवं हस्तकरघा प्रशिक्षण केन्द्रों को समर्थन दिया जाता है, अस्पतालों के अलावा सचल औषधालय इत्यादि)।

2. जाजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना स्व-रोजगारोन्मुख योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों को समान रूप से लाभन्वित करना है।

3. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना।

4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

6. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा।

7. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

8. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाएं।

9. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन।

10. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना।

11. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

12. रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।

13. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संवर्धन के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तरों का उत्थान। कक्षा 6 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (लड़कियों और लड़कों दोनों) को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों" की स्थापना हेतु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के एक भाग का उपयोग किया जाता है।

यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता तथा इन्हें प्रदान करने का प्रावधान है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की निगरानी

***338. श्री नवीन जिन्दल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरे देश में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की निगरानी हेतु तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इन स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है अत: समूचे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध परिचर्या सुविधाओं की मॉनिटरिंग करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी को मॉनीटर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने निम्नलिखित मॉनिटरिंग तंत्र भी स्थापित किये हैं;

1. वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम): प्रत्येक वर्ष 12-15 राज्यों में मिशन शुरू किये जाते हैं। सीआरएम दलों में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विकास प्रतियोगी, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीआरएम के एक भाग के रूप में दल, राज्य के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों द्वारा करते हैं।

2. संयुक्त समीक्षा मिशन (जे.आर.एम): राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य घटक की समीक्षा करने के लिए हर वर्ष संयुक्त समीक्षा मिशन शुरू किए जाते हैं। मिशन दलों में सिविल सोसाइटी के व्यावसायिक, विकास प्रतिभागी और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

3. स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) एक एकीकृत वेब आधारित प्रणाली है जो एक वेब आधारित इंटरफेस का उपयोग करते हुए प्रमुख मानदंडों की प्रगति का संकलन करती है।

4. सामुदायिक मॉनिटरिंग: भारत सरकार द्वारा गठित सामुदायिक कार्रवाई सलाहकार समूह द्वारा शुरू की गई सामुदायिक मॉनिटरिंग प्रक्रिया के जरिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की मॉनिटरिंग समुदाय द्वारा की जाती है। सामुदायिक मॉनिटरिंग का प्रथम चरण 9 राज्यों में शुरू किया गया है।

5. अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले जिले: 264 अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए

सरकारी अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशकों और जन स्वास्थ्य प्रबंधन व्यावसायिकों को शामिल करते हुए एकीकृत मॉनिटरिंग पुन: की जायें।

(ग) उप, केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित विभिन्न जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक बनाए गए हैं। वे मानदंड निर्धारित करते हैं जिनमें इन स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, अन्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और सहायता सेवाओं यथा प्रयोगशाला सेवाओं, विद्युत, जल आदि के लिए सुनिश्चित सेवाएं शामिल हैं। आईपीएचएस दिशा निर्देशों में अपेक्षित मानव संसाधनों के ब्यौरे, आवश्यक औषधियों की सूची, प्रत्येक स्तर पर उपकरणों और उपभोज्य सामग्रियों के ब्यौरे भी प्रदान किए जाते हैं भौतिक अवसंरचना, अपशिष्ट निपटान, रिकार्ड अनुरक्षण और रिपोर्टिंग, गुणवत्ता आश्वासन आदि के मानकों को भी आईपीएचएस में कवर किया जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित आईपीएचएस मानदंडों के अनुरूप उनका उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को नए निर्माण, उन्नयन और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय साहायता उपलब्ध कराई जाती है। संविदा के आधार पर मानव संसाधनों की नियुक्ति करके जनशक्ति में वृद्धि करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र को वार्षिक अनुरक्षण अनुदान, अबद्ध निधियों और रोगी कल्याण समिति अनुदान भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

राज्य अपनी प्राथमिकताओं और महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अपनी अपेक्षाओं को प्रक्षेपित करते हैं जिनका भारत सरकार द्वारा राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकिंग का दायरा

***339. श्री महेश्वर हजारी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बैंकिंग नेटवर्क के दायरे में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रतिशत जनसंख्या आती है;

(ख) क्या पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं/कार्यों तथा विकास के अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) देश में 'बैंकिंग कवरेज' की जानकारी देने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सरकार ने अब तक बैंक सेवारहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक बहुमुखी नीति अपनाई है। इनमें, ऐसे क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलना, बैंकिंग प्रतिनिधियों का उपयोग करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, किसान क्रेडिट कार्ड और सामान्य क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवरेज बढ़ाना शामिल है। बजट 2010-11 में की गई घोषणा के आधार पर, 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 73,000 से अधिक गांवों की पहचान की गई है, जिनमें मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नवम्बर 2011 तक 46,000 गांव कवर कर लिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

बैंकिंग कवरेज

क्र.सं.	राज्य	औसत जनसंख्या प्रति बैंक शाखा (हजार में) सितम्बर 2011	शाखाओं की संख्या 30 सितम्बर 2011
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9.0	42
2.	आन्ध्र प्रदेश	11.2	7587
3.	अरूणाचल प्रदेश	15.9	87
4.	असम	20.5	1523
5.	बिहार	24.2	4289
6.	चण्डीगढ़	3.7	283

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़	18.0	1419
8.	दादरा और नगर हवेली	9.5	36
9.	दमन एवं दीव	8.7	28
10.	दिल्ली	6.5	2576
11.	गोवा	3.1	469
12.	गुजरात	12.0	5035
13.	हरियाणा	9.4	2703
14.	हिमाचल प्रदेश	6.3	1084
15.	जम्मू और कश्मीर	12.0	1049
16.	झारखण्ड	16.8	1959
17.	कर्नाटक	9.5	6428
18.	केरल	7.3	4601
19.	लक्षद्वीप	5.3	12
20.	मध्य प्रदेश	16.5	4412
21.	महाराष्ट्र	13.0	8655
22.	मणिपुर	32.8	83
23.	मेघालय	13.6	218
24.	मिजोरम	10.9	100
25.	नागालैण्ड	20.9	95
26.	ओडिशा	13.8	3038
27.	पुडुचेरी	8.01	156
28.	पंजाब	7.1	3912
29.	राजस्थान	15.4	4449
30.	सिक्किम	7.2	84
31.	तमिलनाडु	10.7	6749
32.	त्रिपुरा	15.2	242
33.	उत्तर प्रदेश	18.2	10974
34.	उत्तराखण्ड	7.9	1284
35.	पश्चिम बंगाल	16.4	5587
	अखिल भारत	13.3	91248

टिप्पणी: (1) शाखाओं की संख्या के आंकड़े, बैंक शाखा सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित मास्टर आफिस फाइल के अनुसार है जो 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यतित है।

(2) शाखाओं की संख्या के आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालयों/नियंत्रक कार्यालयों की संख्या शामिल नहीं है।

विवरण II

एफआईपी-30.11.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल गांव	30.11.2011 तक कवर किए गए गांव
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	6661	4769
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	3
4.	असम	2327	877
5.	बिहार	9213	4402
6.	छत्तीसगढ़	1050	645
7.	दादरा और नगर हवेली	30	18
8.	दमन और दीव	7	3
9.	दिल्ली	110	63
10.	गोवा	41	41

1	2	3	4
11.	गुजरात	3502	2124
12.	हरियाणा	1838	1508
13.	हिमाचल प्रदेश	48	37
14.	जम्मू और कश्मीर	795	628
15.	झारखण्ड	1541	1135
16.	कर्नाटक	3395	2639
17.	केरल	120	120
18.	लक्षद्वीप	0	0
19.	महाराष्ट्र	4292	3330
20.	मणिपुर	186	35
21.	मेघालय	39	17
22.	मिजोरम	14	1
23.	मध्य प्रदेश	2736	1609
24.	नागालैण्ड	196	38
25.	ओडिशा	1877	1177
26.	पुडुचेरी	42	42
27.	पंजाब	1576	1181
28.	राजस्थान	3883	3055
29.	सिक्किम	43	30
30.	तमिलनाडु	4385	3536
31.	त्रिपुरा	419	369
32.	उत्तर प्रदेश	16270	8820
33.	उत्तराखण्ड	216	133
34.	पश्चिम बंगाल	7486	4348
	योग	74358	46741

स्रोत: एसएलबीसी बैंक

[अनुवाद]

चिकित्सा आंकड़ों का डिजीटाइजेशन

***340. श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जन्म से मृत्यु तक के सभी नागरिक अधिकारों के चिकित्सा आकड़ों को डिजीटाइज करने का है और इस संबंध में समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने डिजीटाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर विशिष्ट पहचान संख्या की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु को कम करने के प्रयास के रूप में सभी गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु को व्यापक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से माता एवं बच्चे के लिए एक नाम आधारित ट्रैकिंग प्रणाली (एमसीटीएस) हाल ही में शुरू की है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

3681. श्री विष्णु पद राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी सुविधाओं से युक्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या छह वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ) द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपूर्ति की गई मशीनरी क्षतिग्रस्त है और मरम्मत योग्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित प्रयोगशाला के लिए माइक्रोबायोलोजिस्ट/लोक विश्लेषक के पदों को तत्काल भरे जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियमावली 2011 का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक खाद्य प्रयोगशाला है।

(ख) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्राप्त कुछ उपस्कारों में मामूली मरम्मत करवाने की आवश्यकता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लोक विश्लेषक का एक पद पहले ही दिनांक 25 अगस्त, 2011 को अधिसूचित और चयन हेतु विज्ञापित किया गया है।

(घ) और (ङ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा मानक नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्वास्थ्य सेवा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है।
- अपर जिला मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों को तीन विभिन्न जिलों के लिए विवाचक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- उपनिदेशक (स्वास्थ्य) चिकित्सा अधीक्षक, कार-निकोबार और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नार्थ और मिडिल अंडमान को अपने-अपने संबंधित जिलों में नामोद्दिष्ट अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- खाद्य अपमिश्रण के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त और अधिसूचित किया गया है।
- अधिनियम और नियमों इत्यादि के प्रावधानों के बारे में खाद्य व्यापार प्रचालकों और आम लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए गए हैं।

एम्स में पार्किंग

3682. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) आने वाली आम जनता को हुई असुविधा पर गौर किया है क्योंकि संस्थान के आपातकालीन वार्ड से आम पार्किंग 2.5 किलोमीटर दूर है तथा पार्किंग के लिए 15 रुपये पार्किंग शुल्क के रूप में लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आपातकालीन वार्ड के समीप एक और पार्किंग स्थल में पहले चार घंटों के लिए 100 रुपए तथा उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 15 रुपये बतौर पार्किंग शुल्क लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी असामान्य दरों के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार आपातकालीन वार्ड के समीप पार्किंग स्टैंड शुल्क कम करने का है तथा ओपीडी एवं जनरल वार्डों के समीप पार्किंग बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जगह की कमी के कारण एम्स के अस्पतालीय क्षेत्र में बड़ा पार्किंग स्थल बनाना संभव नहीं है। स्कूटरों और कारों के लिए जनरल पार्किंग एम्स के आपातकाल वार्ड से क्रमश: 0.7 किमी. और 0.85 कि.मी. कर दूरी पर है। यह सच है कि कार पार्किंग के लिए 15/- रुपए वसूले जाते हैं। तथापि, संस्थान रोगी और उनके परिचारकों की सुविधा के लिए मुख्य अस्पताल और संस्थान के अन्य केन्द्रों से पार्किंग स्थल से नि:शुल्क लाने-ले-जाने की सेवा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में मेन कैजुअल्टी से लगभग 0.4 किमी. की दूरी पर एक नि:शुल्क पार्किंग स्थल तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) चार घंटे के लिए 100/- रुपए की दर वाला पार्किंग स्थल डॉ. आर.पी. नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र के सामने है। यह स्थल मुख्यत: निजी वार्डों के रोगियों को सेवा प्रदान करता है। यह पार्किंग मेट्रो स्टेशन से अगली ही है तथा मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा भी इस्तेमाल की जा रही थी जिससे भीड़-भाड़ और निजी वार्ड के रोगियों के लिए असुविधा हो गई। शुरुआती चार घंटे के लिए 100/- रुपए का पार्किंग शुल्क मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा निजी वार्ड के रोगियों के लिए बने स्थल में अपने वाहनों के पार्किंग को हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया है।

(ङ) और (च) मौजूदा जनरल ओपीडी के पास नया पार्किंग स्थल बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। तथापि एक तीन स्तरीय भूमिगत पार्किंग निर्माणाधीन है जो प्रस्तावित नए ओपीडी ब्लॉक के पास है।

एन.टी.पी.सी. ईकाइयों में कार्यरत कर्मचारी

3683. **श्रीमती जे शांताः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) में ठेकेदारों द्वारा रखे गए कर्मचारियों की ईकाई-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष भर चलने वाले कार्यों में लगे ठेका श्रमिकों की ईकाई-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन श्रमिकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की न्यूनतम दर श्रेणी-वार कितनी है;

(घ) क्या ठेकेदारों द्वारा श्रमिक कानूनों यथा ठेकेदारों द्वारा न्यूतम मजदूरी, भविष्य निधि अंशदान आदि के उल्लंघन के मामलों में एनटीपीसी प्रबंधन अनेक ईकाइयों में मुख्य नियोक्ता के रूप में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर रहा है;

(ङ) यदि हीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो मुख्य नियोक्ता के रूप में उनकी भूमिका के संबंध में एन.टी.पी.सी. ईकाई प्रबंधन को विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एनटीपीसी इकाईयों में ठेकेदारों द्वारा काम मे लगाये गये कर्मचारियों की संख्या ईकाई वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एनटीपीसी अपने विद्युत संयंत्र में विद्युत के उत्पादन से संबंधित मुख्य गतिविधियों में अपने नियमित जनशक्ति की तैनाती करता है। इसलिए, एनटीपीसी द्वारा वर्ष भर चलने वाले कार्यों में कोई भी ठेके के श्रमिक में नहीं लगाया जाता है।

(ग) कामगारों को मजदूरी की न्यूनतम दर के भुगतान से संबंधित नवीनतम सूचना एनटीपीसी की संबंधित यूनिटों से एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(च) एनटीपीसी ने सूचित किया है कि सांविधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ प्रणाली अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई हैं यह संविदा की संभाव्य शर्तों (जीसीसी) का एक भाग भी है। ताकि सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

एनटीपीसी इकाईयों में ठेकेदारों द्वारा काम में लगाए गए कर्मचारी

परियोजना/इकाई	ठेकेदारों द्वारा काम में लगाये गये कर्मचारी
1	2
रामागुंडम एसटीपीसी	945
सिम्हाद्री एसटीपीसी	348
कायमकुलम एसटीपीपी	116
रिहंद एसटीपीपी	721
सिंगरौली एसटीपीएस	728
टांडा एसटीपीएस	422
उंचाहार एसटीपीपी	268
दादरी एसटीपीएस	845
बदरपुर टीपीएस	427
फरीदाबाद जीपीपी	43
अंटा जीपीपी	105
औरैया जीपीपी	74
कोरबा एसटीपीएस	810
विंध्याचल एसटीपीपी	1004
सिपत एसटीपीपी	920
कवास जीपीपी	45
झानौर गंधार जीपीपी	2
मौदा एपटीपीपी	59
पूर्वी क्षेत्र-I एचक्यू	39
फरक्का एसटीपीएस	516
कोलकाता कार्यालय	35

1	2
कहलगांव एसटीपीपी	1521
तलचर एसटीपीपी, कनीह	1003
तलचर टीपीएस	470
कोलडैम एचईपी	140
खसीयाबारा एचईपी	53
लोहरीना-पाला एचईपी	53
तपोवन एचईपी	146

टिप्पणी 1: आंकड़े उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हैं तथापि, ठेकेदारों* की संख्या कर्मचारियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।
टीपीपी: ताप विद्युत
एसटपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
एसटीपीएस: सुपर थर्मल पावर स्टेशन
सीसीपीपी: कंबाइंड सायकल पावर प्रोजेक्ट
एचईपी: हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
जीपीपी: गैस पावर प्रोजेक्ट

[हिन्दी]

जनजातियों के लिए राज्य सरकारों की योजना

3684. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जनजातियों के लिए राज्य सरकारों की योजनाओं को अनुमोदित करती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को प्राप्त/संस्वीकृत/लंबित पड़ी ऐसी योजनाओं के प्रस्तावों की संख्या का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित मामलों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का अनुमोदन नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत निधियों की निर्मुक्ति के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है तथा अपनी योजनाओं के मानदंडों के अनुसार निधियां निर्मुक्त करता है।

[अनुवाद]

जनजातीय राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र

3685. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की समस्त जनजातीय जनसंख्या को जनजातीय राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रमाण-पत्रों को जारी करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना का कार्य तेजी से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, नहीं। जनजातीय राष्ट्रयता प्रमाण पत्र जारी करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति पदनामित प्राधिकरणों में से किसी एक से निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र/सामाजिक स्थिति को जारी करने तथा उनका सत्यापन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत में माइक्रोफाइनेंस

3686. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2050 तक 100 मिलियन परिवारों तक माइक्रोफाइनेंस को पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अभी तक किन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है;

(घ) क्या माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हालांकि नाबार्ड का लक्ष्य पूरा देश है, परन्तु यह 13 प्राथमिकता प्राप्त राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम तथा छत्तीसगढ़ पर जोर दे रहा है, जहां एसएचजी के गठन की पर्याप्त संभावना है।

समग्र देश के विकास में निश्चय ही सूक्ष्म वित्त का योगदान है और भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएचजी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:-

(i) सूक्ष्म वित्त पर जोर देने के लिए आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त को कुछेक शर्तों के अधीन प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किया है और स्व-सहायता समूह को उधार देने को प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिम के अंतर्गत लाया गया है। स्व-सहायता समूह के अपने संसाधनों के संचालन में परिपक्व होते ही, बैंक उन्हें वर्गीकृत करता है तथा उनकी बचतों के गुणकों में पात्र समूहों को ऋण उपलब्ध कराता है।

(ii) आबीआई ने बैंकों को व्यवसाय सुविधाकारक (बीएफ) तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडलों के जरिए वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्व-सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्था तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाएं मध्यवर्तियों के यप में लेने की अनुमति दे दी है।

(iii) आरबीआई ने एसएचजी को वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की सलाह दी है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्व-सहायता समूहों को उधार देने के लिए बैंकों को पुनर्वित उपलब्ध करता है।

(v) नाबार्ड ने एसएचजी के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण/एसएचजी की ग्रेडिंग आरम्भ की है।

(vi) नाबार्ड में 200 करोड़ रुपए की राशि से सूक्ष्म वित्त विकास तथा इक्विटी कोष का गठन किया गया है। निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

(vii) महिला एसएचजी को प्रोत्साहित करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि से महिला एसएचजी विकास निधि का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत फ्रैन्चाइजी

***3687. श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत फ्रैन्चाइजी की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फ्रैन्चाइजी को दिये गये कार्य तथा उनके द्वारा किये गये कार्य एवं इनके द्वारा कवर किए गए गांवों के ब्यौरे क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण के प्रबंधन के लिए फैन्चाइजी की नियुक्ति को राजस्व स्थापित सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार लाने के लिए वांछनीय माना जाता है।

ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फैन्चाइजी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), उपयोगकर्ता संगठन, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत व्यवसायी हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश सहित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तैनात किए गए फैन्चाइजियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा और शामिल गांवों की संख्या सहित मध्य प्रदेश में फैन्चाइजी के रूप में नियुक्त किए गए संगठनों/संघ/संस्थानों/सहकारी समितियों तथा व्यवसायियों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

फ्रैन्चाइजी की राज्यवार स्थिति

12.12.2001 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	फ्रेंचाइजियों की संख्या	संचयी प्रगति			
			फ्रेंचाइजियों की संख्या	गांव आरजीजीवीवाई	अन्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	राजस्व वसूली	1444	2421	278	2699
2.	असम	इनपूट आधारित	973	441	3810	4251
3.	बिहार	राजस्व वसूली	126	0	1829	1829
4.	छत्तीसगढ़	राजस्व वसूली	46	860	0	860
5.	गुजरात	राजस्व वसूली	13929	16438	0	16438
6.	हरियाणा	राजस्व वसूली	3	6237	0	6237
7.	कर्नाटक	राजस्व वसूली	12302	24284	0	24284
8.	मध्य प्रदेश	राजस्व वसूली	160	614	0	614
9.	महाराष्ट्र	राजस्व वसूली	138	40292	0	40292
10.	मेघालय	राजस्व वसूली	14	71	8	79
11.	नागालैण्ड	इनपूट आधारित	586	586	0	586
12.	ओडिशा	राजस्व वसूली	48	16404	761	17165
13.	राजस्थान	राजस्व वसूली	140	36	134	170
14.	त्रिपुरा	राजस्व वसूली	18	600	107	707
15.	उत्तर प्रदेश	राजस्व वसूली	477	3724	14741	18465
16.	उत्तराखंड	राजस्व वसूली	22	184	0	184
17.	पश्चिम बंगाल	राजस्व वसूली	576	7092	6786	13878
	कुल		31002	120284	28454	148738

विवरण II

सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा तथा शामिल गांवों की संख्या

क्र.सं.	जिला का नाम	संगठन/संघ/संस्थान/कोपरेटिव/ उद्यमकर्ता के नाम	सौंपा गया काम	कवर किए गए गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	दामोह जिला	श्री जगदीश प्रसार कुरमी सारा तेंदुखेड़ा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
2.	दामोह जिला	श्री बसोरी सिंह, पोंडीतेंदुखेड़ा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
3.	दामोह जिला	श्री जवाहर सिंह, समनपुर तेंदुखेड़ा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
4.	दामोह जिला	श्री पुरुषोत्तम पटेल इमलाई दामोह	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
5.	दामोह जिला	श्री वेद कुमार हिरवार, इमलाई दामोह	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
6.	अनुपुर जिला	श्री धर्मेन्द्र सोनी	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
7.	अनुपुर जिला	श्री श्याम किशोर मिश्रा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
8.	रीवा जिला	श्री यदुनंदन सिंह ग्राम एण्ड पोष्ट खिरा जिला-रीवा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
9.	रीवा जिला	श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला ग्राम देवरा, पोष्ट खिरा जिला-रीवा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
10.	सतना जिला	श्री गोविन्द बादगैया ग्राम-तेलहंदा, पो. जूरा जिला-सतना	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
11.	सतना जिला	श्री विष्णु प्रसाद ग्राम तेलहंदा, पो. भीटा, जिला-सतना	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
12.	सतना जिला	श्री जोगेन्द्र प्रसाद शुक्ला ग्राम एवं पो. खामाखुजा जिला-सतना	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
13.	सतना जिला	श्री रामकिशोर शुक्ला गाम एवं पो. इतमा नदी तीर जिला-सतना	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
14.	पन्ना जिला	पारस स्वयं सेवक संस्था, रायपुर	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1

1	2	3	4	5
15.	पन्ना जिला	शिवराम स्वयं सेवक संस्था, पूरायना	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
16.	पन्ना जिला	पारसमणि स्वयं सेवक संस्था भजवार कला	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
17.	पन्ना जिला	गणेश स्वयं सेवक संस्था, कनवरपुर	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
18.	पन्ना जिला	शिवा स्वयं सेवक संस्था, पुरणिया	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	2
19.	पन्ना जिला	सिद्धिकी स्वयं सेवक संस्था, अमरची	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	4
20.	पन्ना जिला	संयासी बाबा स्वयं सेवक संस्था, रामपुर	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	2
21.	पन्ना जिला	शिव शक्ति स्वयं सेवक संस्था, बंधा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	2
22.	पन्ना जिला	विवेकानंद स्वयं सेवक संस्था नयागांव	मीटर पठन, वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	2
23.	पन्ना जिला	मां दुर्गा नेहरु युवा मंडल ककराहति	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
24.	पन्ना जिला	बलराम स्वयं सेवक संस्था, बराच	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
25.	पन्ना जिला	महिला बाल विकास स्वयं सेवक संस्था	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण चोरी रोकना इत्यादि	1
26.	पन्ना जिला	कामता स्वयं सेवक संस्था, बीरा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
27.	इंदौर जिला	सरपंच ग्राम पंचायत केंपल	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि।	1
28.	धार जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, सुंदरेल	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
29.	खारगोन जिला	सरंपच ग्राम पंचायत, सांग्वी	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि।	1
30.	खारगोन जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, रहीमपुर	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1

1	2	3	4	5
31.	खारगोन जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, भासनेर	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
32.	खारगोन जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, तेमला	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
33.	रतलाम जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, रुपखेड़ा	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
34.	रतलाम जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, धराद	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
35.	रतलाम जिला	सरपंच ग्राम पंचायत, धतुरिया	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	1
36.	गुना जिला	ग्राम पंचायत फ्रांचिजी (40 फ्राचिजी)	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	40
37.	अशोक नगर जिला	ग्राम पंचायत फ्रांचिजी (43 फ्राचिजी)	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	106
38.	बेतुल जिला	ग्राम पंचायत फ्रांचिजी (40 फ्राचिजी)	मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व एकत्रण, चोरी रोकना इत्यादि	425
	कुल			614

[अनुवाद]

कुडनकुलम पारेषण लाइन

3688. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम पारेषण लाइन आबादी वाले बागानों के ऊपर से गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त परियोजना के पीड़ितों को मुआवजे अंतिम समायोजन के संबंध में निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा 220 केवी लाइन के उन्नयन का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) कुडनकुलम पारेषण परियोजना के अंतर्गत 400 केवी एडमॉन-मुवथूपुझा (कोचीन) पारेषण लाइन का मार्ग संरेखण, केरल के कोल्लम, पाथनमथिपट्टा, कोट्टायम तथा एर्नाकुलम जिलों से होकर गुजरता है। सर्वेक्षणों के दौरान पारेषण लाइन का बस्ती वाले क्षेत्रों और हरित क्षेत्रों से होकर गुजरना न्यूनतम करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं।

(ख) पारेषण लाइनों के मामले में मार्ग संरेखण से प्रभावित भूमि के उपयोग के लिए केरल सरकार के दिनांक 4 जून, 2010 के जीओ (आरटी) सं. 581/2010 आरडी द्वारा विशेष मुआवजा पैकेज दिया गया है। तथापि, मुआवजे का अंतिम निपटारा अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने एडमॉन-कोचीन क्षेत्र जहां कार्य रोका गया है अथवा जहां विद्यमान संरेखण 400 केवी पारेषण लाईन के लिए पर्याप्त होगा, के किसी अन्य व्यवहार्य संरेखण की

जांच के लिए एक 7 सदस्यों की समिति का गठन किया था। केएसईबी, पीजीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कार्रवाई परिषद के प्रतिनिधियों वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन विकल्पों (1) विद्यमान 220 केवी लाइनों के कॉरीडोरों का उपयोग करने, (2) कुट्टानाड से होकर वैकल्पिक मार्ग तथा (3) पीजीसीआईएल द्वारा प्रस्तावित मूल मार्ग का अध्ययन किया है।

रिपोर्ट में, समिति ने सभी तीन विकल्पों में सम्मिलित मामलों पर प्रकाश डाला है और कहा है कि विद्युमान 220 केवी लाइनों के मार्गाधिकार के उपयोग में अत्यंत व्यापक एवं जटिल मुद्दों के सम्मिलित होने के साथ-साथ यह एक महंगा प्रस्ताव भी है। तदनुसार, एडमॉन-कोचीन खंड के निर्माण के लिए मूल प्रस्तावित मार्ग को अपनाने की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

समेकित जनजातीय विकास परियोजना

3689. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से समेकित जनजातीय विकास परियोजना के पुनर्गठन संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को राज्य में नए जिलों के सृजन के बाद, बस्तर-जिले में नारायणपुर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के पुनर्गठन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव अधूरे थे। कमियों के बारे में राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है।

(ग) आईटीडीपी के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जाती है जिसमें समय लगता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आईटीडीपी के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, समयसीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

नीलगिरि पहाड़ी पर विद्युत परियोजना

3690. श्री ओ.एस. मणियन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीलगिरि पहाड़ी पर 500 मेगावाट विद्युत परियोजना को चालू करने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को तमिलनाडु के नीलगिरि की पहाड़ी पर 500 मेगावाट की कुंदा पम्पड् स्टोरेज स्कीम (पीएसएस) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई। सीईए/केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)/जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जांच की गई थी। यह स्कीम कावेरी बेसिन में स्थित है एवं कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्वीकृति अथवा अंतर-राज्यीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए पक्षकार राज्यों की सहमति अपेक्षित हैं। चूंकि, उपर्युक्त स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इस परियोजना के डीपीआर को जल संसाधन मंत्रालय के तहत सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतर-राज्यीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इस प्रकार, डीपीआर को अंतर-राज्यीय मामले के समाधान के पश्चात पुनः प्रस्तुत करने के लिए 26.12.2007 को सीईए द्वारा वापस कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने अब तक संशोधित डीपीआर प्रस्तुत नहीं की है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों की स्थापना

3691. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सी.जी.एच.एस. औषधालयों और उनके लाभार्थियों की संख्या का हरियाणा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में और अधिक सी.जी.एच.एस. औषधालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त औषधालयों में चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन औषधालयों में आज की तिथि के अनुसार कितने चिकित्सक और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नवी आजाद): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों और उनके लाभार्थियों का हरियाणा सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। नए शहर/स्थानों तक सीजीएचएस औषधालयों का विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीजीएचएस में दक्ष चिकित्सीय और पराचिकित्सीय व्यावसायिकों की कमी है। औषधालयों में स्वीकृत डॉक्टरों और स्टाफ का राज्यवार ब्यौरा और कार्यरत व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में दक्ष डॉक्टरों और पराचिकित्सीय कार्मिक शक्ति की पूणरूपेण कमी है। संविदा आधार पर सीजीएचएस में सेवानिवृत डॉक्टरों को नियुक्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

विवरण

आज की तारीख के अनुसार सीजीएचएस कल्याण केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल	लाभार्थियों की संख्या	डॉक्टरों और पराचिकित्सीय स्टाफ की स्वीकृत संख्या	स्टाफ की मौजूदा संख्या	कमी
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	7	24716	73	61	12
2.	उत्तर प्रदेश	38	424506	691	548	143
3.	कर्नाटक	14	114315	294	214	80
5.	ओडिशा	3	17355	20	18	2
6.	चंडीगढ़	1	19318	20	19	1
7.	तमिलनाडु	18	87605	418	311	107
8.	उत्तराखंड	1	1067	6	5	1
9.	असम	4	47543	51	42	9
10.	आंध्र प्रदेश	19	193684	422	314	108
11.	मध्य प्रदेश	4	131263	24	23	1
12.	राजस्थान	7	19466	154	135	19
14.	पश्चिम बंगाल	22	210354	400	365	35

1	2	3	4	5	6	7
18.	महाराष्ट्र	55	414596	1042	809	233
19.	बिहार	7	60395	147	147	2
21.	झारखंड	2	9712	31	23	8
22.	मेघालय	1	6544	19	12	7
23.	केरल	5	30443	39	39	0
24.	दिल्ली	122	1396420	2210	1847	393
25.	हरियाणा (फरीदाबाद और गुड़गांव)	2	55197	29	28	1
26.	जम्मू और कश्मीर	1	270	3	0	3
	कुल	333	3209572	6093	4930	1163

पूर्वोत्तर निवासियों की पेंशन से टी.डी.एस.

3692. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों को किसी भी स्रोत से उनकी आय पर आयकर से छूट है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों को बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के पश्चात् पेंशन अदा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों अथवा राज्यों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति (संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथा परिभाषित) के सदस्यों के मामले में निम्नलिखित से प्राप्त अथवा उत्पन्न:

(i) ऐसे क्षेत्रों अथवा राज्यों में किसी स्रोत से कोई आय, अथवा

(ii) पूरे भारत से लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में कोई आय, कुल आय का हिस्सा नहीं होती है।

अनुसूचित जनजाति के सदस्य संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में संलग्न तालिका के भाग I अथवा भाग II में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों अथवा उक्त पैराग्राफ 20 के उप-पैराग्राफ (3) के उपबंध के अधीन आसाम के राज्यपाल द्वारा जारी दिनांक 23 फरवरी, 1951 की अधिसूचना संख्या टीएडी/आर/35/50/109, जैसा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के आरंभ होने के ठीक पहले जारी हुआ था, में शामिल क्षेत्रों में निवास करते हों।

(ख) इन पेंशनभोगियों, जिनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं, को बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान स्रोत पर कटौती किए बिना किया जाता है, यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के अंतर्गत एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

3693. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की विद्युत उत्पादक कंपनी ने अपना प्रचालन बंद करने का निर्णय लिया है जबकि उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम (ओपीजीसी) में अपनी हिस्सेदारी बरकारार रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी ने ओपीजीसी को छोड़कर किसी नई परियोजना को आरंभ नहीं करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बारहवीं योजना में भारतीय विद्युत क्षेत्र में 400 बिलियन डालर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने 12वीं योजना तैयार करने के लिए विद्युत संबंधी कार्य दल का गठन किया है जिसमें विद्युत क्षेत्र में निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कदमों सहित निधियों की आवश्यकता शामिल है।

[हिन्दी]

स्पोर्ट्स इन्जरी सेंटर, हेतु उपस्करों की खरीद

3694. श्रीमती सीमा उपाध्याय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पोर्ट्स इन्जरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा ऊंची कीमतों पर उपस्कर खरीदने का ठेका एक कंपनी को दिए जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश के अस्पतालों में ऐसी धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जहां तक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में उपस्करों के प्रापण का संबंध है, सभी उपस्करों का प्रापण जी एफ आर 150 के अनुसार विज्ञापित निविदा जांच के जरिए किया गया है। संदर्भित निविदा के लिए प्राप्त सभी तकनीकी बोलियों का स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिसमें उसी स्पेशियलटी के बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल थे। अधिप्राप्त किए गए सभी उपस्करों की संविदाएं संयुक्त क्रय समिति (जेपीसी) तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाती है।

तथापि, इस मंत्रालय में स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर (एस आई सी) के एक डॉक्टर के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई है। वर्तमान क्रियाविधियों के अनुसार कार्रवाई पहले ही शुरु की जा चुकी है।

[अनुवाद]

जनजातीय समुदाय के लिए आदर्श ग्राम

3695. श्री रामसिंह राठवा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आदर्श ग्राम विकसित करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस प्रयोजनार्थ चिन्हित ग्रामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवंटित और जारी तथा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम में और गांवों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क), (ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय अपनी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केन्द्रीय प्रायोजित और विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों तथा राज्यों के प्रयासों को पूर्ण करता है।

(ख) और (ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनवासियों पर अत्याचार

3696. श्री महेश्वर हजारी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूमि अधिकारों का दावा करने वाले वनवासियों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी अत्याचार किए जाने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकारों की अस्वीकृति वनों से जनजातियों की बेदखली से संबंधित शिकायतें काफी समय से प्राप्त हो रही हैं। ये शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं चूंकि अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की है।

[अनुवाद]

सॉफ्ट ड्रिंकों का विकल्प

3697. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य सुरक्षा विनियामक सॉफ्ट ड्रिंक संकेन्द्रकों, च्यूईगम और अन्यों के लिए प्राकृतिक विकल्पों की सिफारिश करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह आम आदमी के लिए कितना लाभप्रद होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

कमोडिटी बाजार और निर्यात से कर

3698. श्री देवेन्द्र नागपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कमोडिटी एक्सचेंजों पर लागू शुल्कों/लेवी/करों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कमोडिटी व्यापार और खाद्य वस्तुओं के निर्यात से अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनसे संग्रहित राशि का श्रेणी-वार, क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) सेवा कर सेवा शीर्ष "वस्तुओं के संव्यवहार के व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी तथा निपटान अथवा वायदा संविदाओं के संबंध में प्रदत्त सेवाओं सहित किसी वस्तु की बिक्री अथवा खरीद अथवा आगे की संविदाओं में सहायता देने, विनियमन करने अथवा नियंत्रण करने के संबंध में एक मान्यता प्राप्त/पंजीकृत संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं" के अधीन 10 प्रतिशत की दर से वस्तु विनिमय सेवा पर लगाया जाता है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, वस्तुओं के विनिमय, वस्तुओं के व्यापार में होने वाले लाभ तथा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर लगाया जाने वाला आय/धन कर क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 तथा धन कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान उपर्युक्त सेवा शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित सेवा कर क्रमशः 18. 25 करोड़ रुपये, 23.17 करोड़ रुपये और 32.34 करोड़ रुपये है। तथापि, वस्तु व्यापार में लगी संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभ, वस्तु विनिमय से संग्रहित प्रत्यक्ष करों के बारे में आंकड़े और निर्यात खाद्य मदें केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं। अतः इन से संग्रहित कर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा विकास

3699. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडी) सौर ताप ऊर्जा संयंत्र का वित्त पोषण करती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईआरईडी ने किसी मॉडल सौर ताप संयंत्र का डिजाइन तैयार किया है और ऐसे संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयंत्र की अवस्थिति और इसकी क्षमता कितनी है;

(घ) क्या उक्त मॉडल संयंत्र को प्रचालित कर दिया गया है और क्या ये देश में व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा किसी सौर तापीय विद्युत संयंत्र का वित्त-पोषण नहीं किया गया है।

(ख) एक वित्तीय संस्था होने के नाते इरेडा द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सौर अथवा अन्य विद्युत परियोजनाओं की डिजाइनिंग इरेडा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस श्रेणी में कोई मॉडल संयंत्र नहीं हैं। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत इस वर्ष पहला 2.5 मेवा. का सौर तापीय विद्युत संयंत्र आरंभ किया गया है। सौर तापीय विद्युत संयंत्र केवल उच्चतर शुल्क दरों के साथ वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं।

(ङ) यह संयंत्र राजस्थान के बीकानेर में लगाया गया है और मैसर्स एसीएमई टेलीपावर द्वारा संस्थापित किया गया है।

प्रसव परिचर्या

3700. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लैन्सेट द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में छह लाख मृत शिशु जन्म लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में प्रसव परिचर्या हेतु किये जाने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) मृत बच्चों की जन्म संबंधी लेंसेट श्रृंखला, अप्रैल, 2011 में भारत संबंध में वर्ष 2009 में प्रति 1,00 जीवित जन्मों में 22.1 की मृत बच्चों कर दर का अनुमान दिया गया है जिसका अर्थ उस वर्ष में लगभग 5.8 लाख मृत बच्चों का जन्म है। तथापि, भारत के महापंजीयक-नमूना पंजीकरण प्रणाली 2009 (आरजीआईएसआरएस 2009) के अनुसार वर्ष 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर मृत बच्चों के जन्म की दर का अनुमान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 8 है जिसका अर्थ उसी वर्ष में लगभग 2.1 लाख मृत बच्चों का जन्म है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) तथा इसके संरक्षण में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II के अंतर्गत देशभर में माताओं के लिए प्रसूति रोग परिचर्या की गुणवत्ता में उन्नयन के लिए अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना।
- बुनियादी एवं व्यापक प्रसूति परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण।
- सातों दिन चौबीस घंटे बुनियादी एवं व्यापक प्रसूति परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपक्रमों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों का प्रचालन।
- प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं का नाम आधारित पता रखना।
- माताओं एवं बच्चों के लिए सेवा प्रदानगी की मॉनीटरिंग करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से माता एवं बाल सुरक्षा कार्ड।
- रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार के लिए गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं हेतु आयरन और फोलिक एसिड महिला प्रसव, पूर्व, प्रसव कालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या।
- मांग सृजित करने तथा समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए 800,000 से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की नियुक्ति।
- आउटरीच कार्यकलाप के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- आयरन और फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थो और आयरन समावेश को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करके आहार विविधता को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।

* जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) नामक एक नई पहल हाल ही में 1 जून, 2011 को शुरू की गई है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्णतया बिल्कुल मुफ्त एवं व्यय रहित प्रसव कराने हेतु पात्र बनाती हैं इन पहलों में रेफर किए गए मामले में घर से संस्थान तक सुविधा केन्द्रों के बीच तथा वापस घर छोड़ने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधा और नि:शुल्क औषधों, नैदानिक सामग्री, रक्त एवं आहार की व्यवस्था है।

आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद

3701. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्देदिक दवा विनिर्माता कंपनियां, जो दिल्ली के सीजीएचएस आयुर्वेदिक औषधालयों को स्थानीय खरीद की आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करती है, अत्यधिक ऊंची कीमतें वसूल रही हैं, जबकि वही दवाएं अन्य विख्यात आयुर्वेदिक दवा विनिर्माता कंपनियों से कम दर पर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दवा विक्रेता और सीजीएचएस कर्मचारियों के बीच ऊंची दरों पर दवा आपूर्ति के लिए कोई सांठ7गांठ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का कब तक कंपनियों से ऊंची दरों पर दवा खरीदना बंद करने और विख्यात ब्रांड वाली कपंनियों से ऊंची गुणवत्ता वाली तथा सस्ती दरों की दवाओं की खरीद करना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का औषधालयों को दवाओं को अस्वीकार करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी नहीं। अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों द्वारा आपूर्ति की गई जेनेरिक दवाइयों के लिए बिलों की संवीक्षा की जाती है और ये भुगतान के लिए निम्नतर दरों तक सीमित होते हैं।

(घ) और ङ) स्थानीय कैमिस्टों के साथ किए गए करार के अनुसार विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में स्थानीय कैमिस्टों द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयों को अस्वीकार करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

आईसीडीएस

3702. श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभ आवंटित निधियों के अनुरुप है;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम है तथा छोटे बच्चों के विकास के लिए यह बहुत बड़ा समुदाय आधारित समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इस स्कीम को राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क्रियान्वित करते हैं, जिसके अंतर्गत पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं जैसी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। यह स्कीम छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।

33 परियोजनाओं और 4,891 आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ वर्ष 1975 में प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई इस स्कीम को विस्तारित करके नौवीं योजना अवधि के अंत तक 5652 परियोजनाएं और लगभग 6 लाख संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। वर्ष 2008-09 में इस स्कीम को 7076 परियोजनाओं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अनुमोदित करके सर्वसुलभ बनाया गया।

प्रचालित परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में आईसीडीएस स्कीम की महत्त्वपूर्ण प्रगति साल-दर-साल दर्ज की गई है। विगत पांच वर्षों के आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। दसवीं योजना अवधि में 2.99 लाख की

तुलना में 11वीं योजनावधि (दिनांक 30.9.2011 तक) में 4.44 लाख नए आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र प्रचालनरत हैं। पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या 10वीं योजना अवधि के अंत तक 705.43 लाख की तुलना में बढ़कर 11वीं योजना अवधि (30.9. 2011) में 950.35 लाख हो गई। लाभार्थियों की संख्या में यह वृद्धि इस स्कीम की स्वीकार्यता का सूचक है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 सहित अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के उद्देश्यों जैसे गुणवत्तापूर्ण स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित, बाल कुपोषण में कमी, देखरेख की पद्धति में तथा छोटे बच्चों के विकास के परिणामों में सुधार प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक रूप से सहयोग दिया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक भागीदारी के बीच संकेन्द्रण के संबंध में इस स्कीम के कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं। अवसंरचना तथा पेयजल की आपूर्ति आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्रों में साफ-सफाई की सुविधा आदि से संबंधित मुद्दे भी अपनी जगह विद्यमान है।

यह भी एक भ्रामक विचार है कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल एक आहार केंद्र के रूप में कार्य कर रहा हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये केंद्र बच्चों के समग्र विकास के केंद्र हैं। इस विचार के कारण तथा कार्यक्रम-पूरक दूरियों के कारण पूरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस स्कीम के कार्यान्वयन में विषमता विद्यमान है। यह बात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मिले जुले परिणामों से परिलक्षित होती है।

तथापि, इन दूरियों और कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने का निर्णय किया है, जिसमें इस स्कीम के पुनर्प्रकल्प तथा सेवाओं की नई परिभाषा शामिल है। कार्याक्रमपरक, प्रबंधकीय तथा संस्थागत सुधारों के माध्यम से उक्त कार्यों को करने का प्रस्ताव यह भी परिकल्पित है कि एसएसए तथा एनआरएचएम की तर्ज पर आईसीडीएस स्कीम को एक मिशनमोड के रूप में अपनाया जाए। ये सभी बातें विचारार्थ विचारार्थ अग्रणी श्रेणी में रखी गई हैं।

विवरण

विगत पांच वर्षों में प्रचालित परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लाभार्थियों की संख्या

वर्ष	प्रचालित परियोजनाओं की संख्या	प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या			स्कूल-पूर्व शिक्षा लाभार्थियों की संख्या
			6 माह-6 वर्ष	गर्भवती एवं धात्री माताएं	कुल (लाख में)	
31.03.2006	5659	748229	467.18	95.00	562.18	244.92
31.03.2007	5829	844743	581.85	123.58	705.43	300.81
31.03.2008	6070	1013337	696.44	146.82	843.26	339.11
31.03.2009	6120	104426	721.96	151.47	873.43	340.60
31.03.2010	6509	1142029	727.89	156.45	884.34	354.93
31.09.2011	6771	1288463	770.84	179.51	950.35	379.41

[अनुवाद]

ईसीजी तकनीशियन

3703. **श्री शैलेन्द्र कुमारः** क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ईसीजी तकनीशियन, स्टाफ के कितने पद डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिक्त पड़े हैं, और इनके रिक्त पड़े रहने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या कुछ ईसीजी तकनीशियनों को पिछले तीन वर्षों से संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संविदा आधार पर ईसीजी तकनीशियन पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों, जो नियमित भर्ती प्रकिया के लिए आयु सीमा लांघ चुके हैं; को आयु में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) इन रिक्तियों को नियमित आधार पर कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दो ईसीजी तकनीशियनों की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है।

(घ) और (ङ) किसी पद के संबंध में आयु में छूट सरकार के मौजूदा नियमों द्वारा शासित होती है।

(च) इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

ईसीजी तकनीशियनों का संवर्ग

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्ति के कारण
1.	तकनीकी अधिकारी	01	01	इलैक्ट्रो फिजियो-लैब के लिए नवसृजित पद, भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
2.	तकनीकी पर्यवेक्षक (कैथ लैब)	01	01	इलैक्ट्रो फिजियो-लैब के लिए नवसृजित पद, भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
3.	तकनीकी पर्यवेक्षक (पेडियाट्रिक सर्जरी	01	01	इलैक्ट्रो फिजियो-लैब के लिए नवसृजित पद, भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायता (कार्डियोलॉजी)	07	05	4 पद नवसृजित हैं। प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
5.	वरिष्ठ तकनीकी सहायता (इलैक्ट्रो फिजियो-लैब)	02	02	इलैक्ट्रो फिजियो-लैब के लिए नवसृजित पद, भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
6.	वरिष्ठ ईसीजी/मॉनीटरिंग तकनीशियन	20	10	09 (नौ) पद नवसृजित। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
7.	पेसिंग लैब तकनीशियन	01	01	भर्ती नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
8.	ईसीजी तकनीशियन (कनिष्ठ)	18	16	14 (चौदह) नवसृजित पद, भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

स्वास्थ्य बीमा संबंधी नए मानदण्ड तैयार करना

3704. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने पॉलिसी धारकों द्वारा उनके स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों को बदलने के संबंध में नए मानदण्ड तैयार किए हैं/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मानदण्डों के पॉलिसी धारकों के लिए किस हद तक मददगार साबित होने की संभावना है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के विचार भी मांगे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विचारों को किस सीमा तक उनमें शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवनेतर बीमा कंपनियों के बीच स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की 01.10.2011 से सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 9.9.2011 के परिपत्र के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारक उक्त परिपत्र के आधार पर नवीकरण के समय, निम्नलिखित का चयन कर सकते हैं:-

(1) एक बीमा कंपनी से अपनी पसन्द की दूसरी बीमा कंपनी, अथवा

(2) उसी बीमा कंपनी की एक बात बीमा योजना से दूसरी बीमा योजना।

इस प्रक्रिया के द्वारा, पालिसीधारक को पूर्व विद्यमान शर्तों के लिए प्रतीक्षा अवधि, समयबद्ध अपवर्जन, आदि के लिए अर्जित जमाओं की हानि नहीं होगी।

(ग) स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारक अपनी पालिसियों के नवीकरण के समय इसी प्रकार के उत्पाद हेतु किसी अन्य बीमा कंपनी का चयन विद्यमान कंपनी में नवीकरण होने की स्थिति में अर्जित जमा की हानि के बिना कर सकता है, यदि वह किसी कारणवश वर्तमान बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है। ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि बीमा कंपनी अथवा योजना में परिवर्तन होने से इन जमाओं की हानि हो जाती थी और पालिसियां नई पालिसियों की तरह प्रारम्भ होती थी, जिसमें नए सिरे से अब तक की सीमाएं होती हैं।

इस प्रकार, 'सुवाह्यता' सभी बीमा कंपनियों के लिए समान अवसर क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है तथा ग्राहक उत्पादों एवं कंपनियों के चयन एवं इनके लाभ की तुलना कर सकता है। आईआरडीए ने एक सुवाह्यता पोर्टल भी प्रदान किया है जिससे बीमा कंपनियों के बीच आंकड़ों का अंतरण आसान हो गया है।

(घ) और (ङ) आईआरडीए द्वारा दिनांक 9.9.2011 के सुवाह्ययता परिपत्र को तैयार करते समय साधारण बीमा परिषद तथा जीवन बीमा परिषद द्वारा दिए गए विचार ध्यान मे रखे गए थे।

विदेशी निवासियों से कर का परित्याग

3705. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी निवासियों से लेन-देन पर कर के रूप में संगृहित की जाने वाली बड़ी धनराशि का परित्याग कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, नहीं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ने "अनिवासियों को की गई अदायगी पर कराधान" पर अपनी रिपोर्ट (निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में वर्ष 2010-2011 की रिपोर्ट संख्या 18) में 2003-04 से 2007-08 की अवधि में रकम प्रेषणों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती पर एक कर-अंतराल अवलोकित किया है। इस कर अंतराल को रिपोर्ट में इस आधार पर परिकलित किया गया है कि प्रत्येक रकम प्रेषण स्रोत पर कर-कटौती के लिए दायी है। यह सही नहीं है। स्रोत पर कर कटौती, प्रासंगिक दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार, जिसमें स्रोत आधारित कराधान की बहुत कम गुंजाइश है, के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। इसी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस दृष्टिकोणा से भी सहमत है कि इस प्रकार परिकलति कर अंतराल हमेशा विद्यमान रहेगा।

इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक व्यवस्था विद्यमान है जिसके तहत रकम प्रेषण के समय स्रोत पर कर की कटौती की पुष्टि होती हैं जब कभी स्रोत पर कर की कटौती में कमी आती है तो उचित कार्रवाई की जाती है।

सीजीएचएस औषधालयों में चिकित्सकों की कमी

3706. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सीजीएचएस औषधालयों में चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारिवृंदों को कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उपरोक्त ऐलोपैथी, आयुर्वेदिक /होम्योपैथिक सीजीएचएस औषधालयों में स्टाफ/चिकित्सकों के संस्वीकृत पदों और वास्तव में तैनात स्टाफ/चिकित्सकों का ब्यौरा क्या है.

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में उपरोक्त औषधालयों में चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या तिलक नगर सहित सीजीएचएस औषधालयों में पिछले एक वर्ष से एक्स-रे मशीन और अन्य चिकित्सीय उपकरण उपयुक्त ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त स्थान
समूह-क	736	670	66
समूह-ख	11	2	9
समूह-ग	1355	1004	351
समूह-घ	1230	905	325

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग इन रिक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर रहे हैं। तथापि, चिकित्सकों की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने के लिए सीजीएचएस इन रिक्त पदों को संविदा आधार पर भर रही हैं अराजपत्रित कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) और (ङ) तिलक नगर में एक्स-रे मशीन को छोड़कर सभी चिकित्सा उपकरण कार्य कर रहे हैं। मशीन को ठीक करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

'आयुष' के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

3707. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी विभागों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव अनुमोदित किये गये, साथ ही कितनी निधियां प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार के पास अनेक प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, अनुमोदित प्रस्तावों एवं संस्वीकृत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IX पर दिए गए हैं।

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरों को समेकित किया जा रहा है, जिन्हें समेकित होने के बाद प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) आयुष संस्था विकास स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य/संस्थाओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण 15 प्रस्तावों के संबंध में अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सके। किसी संस्था को नए सहायता अनुदानों की संस्वीकृति पूर्व में दिए गए अनुदानों से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र की बेबाकी और दस्तावेजी साक्ष्यों सहित पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त किए गए 1226.73 लाख रुपये के अनुदान के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज के साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत प्राप्त और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-X पर प्रस्तुत है।

विवरण I

स्कीम का नाम: एएसयू एंड एच. औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	–	3	–	–	3	–	–	97.21	–
गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	1	1	–	1	1	–	2.00	4.21	
हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–	1	–	–	2.00	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	1	1	–	1	1	–	20.00	85.00	–
केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	1	2	–	1	2	–	3.00	22.82	–
ओडिशा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	1	5	–	1	5	–	2.55	121.32	–
तमिलनाडु		–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तराखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	3	–	–	3	–	–	2.87	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुडुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	1	4	–	1	4	–	8.18	32.00	–
नागालैंड	–	3	–	–	3	–	–	32.00	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	5	23	–	5	23	–	35.73	399.43	–

विवरण II

स्कीम का नाम: जन स्वास्थ्य पहल में आयुष उपचार का संवर्धन

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश	2	9	2	1			17.36		
बिहार		1							
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
दमन और दीव									
दादरा और नगर हवेली									
गुजरात									
गोवा									
हरियाणा									
हिमाचल प्रदेश	2								
जम्मू और कश्मीर	1								
झारखंड									
कर्नाटक	4	5	1	1	1		100.00	115.00	
केरल	3	3		1	1		25.00	20.00	
मध्य प्रदेश	5	1		1	1		14.00	54.62	
महाराष्ट्र	5	5	2		1			300.00	
ओडिशा	10	2	3	1	2		20.00	268.00	
पंजाब		1			1			183.00	
राजस्थान	3								
तमिलनाडु	10	4	5		1			298.00	
उत्तराखण्ड									
उत्तर प्रदेश	16	7	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	1	1		1			23.00		
दिल्ली	6	3		1	1		15.00	12.96	
पुडुचेरी									
लक्षद्वीप									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश	1								
बिहार									
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
अरूणाचल प्रदेश									
असम									
मेघालय	1								
मणिपुर	1	1	1						
मिजोरम									
नागालैंड									
त्रिपुरा	1			1			19.79		
सिक्किम									
कुल	72	42	23	8	10		347.50	1271.58	शून्य

विवरण III

स्कीम का नाम: उत्कृष्टता केन्द्रों का उन्नयन केन्द्र क्षेत्रक स्कीम

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश	3				1		250.56		
बिहार	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़	1								
दमन और दीव									
दादरा और नगर हवेली									
गुजरात	1				1		500		
गोवा									
हरियाणा	1								
हिमाचल प्रदेश					2		1000		
जम्मू और कश्मीर	1	1							
झारखंड									
कर्नाटक	1	2		1			500		
केरल	7	5	1	1	1	1	190.81	499.235	500
मध्य प्रदेश		1							
महाराष्ट्र	4	3	3	2	2		645.92	680.785	
ओडिशा									
पंजाब									
राजस्थान	1								
तमिलनाडु	2	5		1	4		365	1541	
उत्तराखंड		2			1			500	
उत्तर प्रदेश		2			1			297.08	
पश्चिम बंगाल									
दिल्ली		1							
पुडुचेरी									
लक्षद्वीप									
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह									
अरूणाचल प्रदेश									
असम									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेघालय									
मणिपुर			1						
मिजोरम									
नागालैंड									
त्रिपुरा									
सिक्किम									
कुल	22	25	5	5	13	1	3452.29	3518.1	500

विवरण IV

स्कीम का नाम: स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनरुत्थान

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश	3	1	6						
बिहार	1	1	2						
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
दमन और दीव									
दादरा और नगर हवेली									
गुजरात			1						
गोवा									
हरियाणा									
हिमाचल प्रदेश									
जम्मू और कश्मीर	1				1			30.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड			1						
कर्नाटक		1	7	2			58.56		
केरल			2						
मध्य प्रदेश	2	1							
महाराष्ट्र	1	105	27						
ओडिशा	1	2	5			1			10.00
पंजाब									
राजस्थान		1	2						
तमिलनाडु	12	6	1	5	3		128.06	84.00	
उत्तराखण्ड								30.00	
उत्तर प्रदेश	7	2	6						
पश्चिम बंगाल	1	1							
दिल्ली	2	4	1		1			30.00	
पुडुचेरी									
लक्षद्वीप									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़	1		1				29.97		
अरूणाचल प्रदेश	2	3							
असम	1	1							
मेघालय		4			4			96.00	
मणिपुर		2	4						
मिजोरम	1								
नागालैंड									
त्रिपुरा									
सिक्किम									
कुल	35	136	69	8	10	1	216.59	270.00	10.00

विवरण V

स्कीम का नाम: आयुष उद्योग समूह

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश		1			1			200	
बिहार									
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
दमन और दीव									
दादरा और नगर हवेली									
गुजरात									
गोवा									
हरियाणा									
हिमाचल प्रदेश									
जम्मू और कश्मीर									
झारखंड									
कर्नाटक	1			1			200		
केरल	1			1			400		
मध्य प्रदेश									
महाराष्ट्र	2			2			354		
ओडिशा		1			1			120	
पंजाब	1			1			400		
राजस्थान		1			1			194	
तमिलनाडु	1			1			200		
उत्तराखण्ड									
उत्तर प्रदेश									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
दिल्ली									
पुडुचेरी									
लक्षद्वीप									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश									
बिहार									
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
अरूणाचल प्रदेश									
असम									
मेघालय									
मणिपुर									
मिजोरम									
नागालैंड									
त्रिपुरा									
सिक्किम									
कुल	6	3		6	3		1554	514	शून्य

विवरण VI

स्कीम का नाम: सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी)

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार									
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़	1			1			35		
दमन और दीव									
दादरा और नगर हवेली									
गुजरात		1			1			35	
गोवा									
हरियाणा		1			1		35		
हिमाचल प्रदेश	1			1			35		
जम्मू और कश्मीर			1			1			35
झारखंड		1			1		35		
कर्नाटक			1		1			35	
केरल									
मध्य प्रदेश									
महाराष्ट्र		1		1	1			35	
ओडिशा	1			1			35		
पंजाब	1	1	1	1	1	1	35	35	35
राजस्थान		1	1		1	1		35	35
तमिलनाडु	1			1			35		
उत्तराखण्ड	1	1		1	1		35	35	
उत्तर प्रदेश									
पश्चिम बंगाल									
दिल्ली									
पुडुचेरी									
लक्षद्वीप									
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह									
आंध्र प्रदेश									
बिहार									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़									
छत्तीसगढ़									
अरूणाचल प्रदेश									
असम									
मेघालय	1			1			21		
मणिपुर									
मिजोरम		1			1			35	
नागालैंड			1			1			35
त्रिपुरा	1		1	1		1	35		35
सिक्किम									
कुल	8	8	6	8	8	6	266	280	210

विवरण VII

"राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन" केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित प्रस्तावों एवं निर्मुक्त निधियां का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीम के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित निधियों की 75% की दर से निर्मुक्त राशि (30.11.2011 तक)		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	1	1	1	900.00	700.00	203.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	–	1	1	–	281.56	58.85	0.00
3.	असम	–	1	–	–	1	–	0.00	332.80	0.00
4.	बिहार	1	–	–	1	–	–	150.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1	–	–	1	–	–	350.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	1	–	1	1	–	1	161.35	0.00	47.35
7.	हरियाणा	1	–	1	1	–	1	175.70	0.00	85.46
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1	–	1	1	0.00	106.11	63.22
9.	जम्मू और कश्मीर	1	–	–	1	–	–	294.40	0.00	0.00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	झारखंड	1	1	1	1	1	1	563.33	165.18	199.24
11.	कर्नाटक	1	1	–	1	1	–	100.00	372.22	0.00
12.	केरल	1	1	1	1	1	1	131.25	96.14	166.96744
13.	मध्य प्रदेश	–	1	1	–	1	1	0.00	737.58	222.26
14.	महाराष्ट्र	–	1	1	–	1	1	0.00	243.49	163.371
15.	मणिपुर	1	–	1	1	–	1	126.24	0.00	87.23
16.	मेघालय	1	1	–	1	1	–	306.60	68.50	0.00
17.	मिजोरम	1	1	1	1	1	1	188.16	124.05	120.00
18.	नागालैंड	1	1	1	1	1	1	265.70	181.63	129.54362
19.	ओडिशा	1	1	1	1	1	1	236.10	166.69	279.18
20.	पंजाब	–	1	–	–	1	–	0.00	96.00	0.00
21.	राजस्थान	1	1	–	1	1	–	169.80	100.00	0.00
22.	सिक्किम	1	1	1	1	1	1	366.10	4.17	55.81677
23.	तमिलनाडु	1	1	1	1	1	1	300.00	834.70	658.20
24.	उत्तर प्रदेश	1	–	–	1	–	–	760.00	0.00	0.00
25.	उत्तराखंड	1	1	–	1	1	–	414.11	280.98	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	1	1	–	1	1	–	684.60	107.54	0.00
	कुल	21	19	14	21	19	14	6925.00	4776.63	2481.97

विवरण VIII

स्कीम का नाम: केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (आयुष संस्थाओं का विकास)

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या एवं संस्वीकृत सहायता अनुदान			संस्वीकृत राशि		
	2009-10	2010-11	2011-12 (12.12.11 तक की स्थिति के अनुसार)	2009-10	2010-11	2011-12 (12.12.11 तक की स्थिति के अनुसार)	2009-10	2010-11	2011-12 (12.12.11 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2	3	0	1	0	0	69.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	0	2	0	1	1	0	201.63	93.77	0.00
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1	3	0	0	2	0	0.00	230.73	0.00
गोवा	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	2	0	0.00	1600.00	0.00
झारखंड	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1	1	2	2	1	0	230.28	102.95	0.00
केरल	3	3	0	2	1	0	208.10	150.00	0.00
मध्य प्रदेश	0	2	0	0	1	0	0.00	223.54	0.00
महाराष्ट्र	5	5	1	6	3	0	1003.00	368.00	0.00
ओडिशा	0	1	0	0	1	0	0.00	70.39	0.00
पंजाब	0	1	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
उत्तराखण्ड	3	1	0	1	0	0	118.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	2	5	0	1	1	0	170.00	80.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0	1	1	0	1	0	0.00	98.01	0.00
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
पुडुचेरी	0	3	0	0	1	0	0.00	600.00	0.00
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
असम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	1	1	0	1	0	0.00	800.00	0.00
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
कुल	18	36	8	14	16	0	2000.00	4417.39	0.00

विवरण IX

वर्ष 2009-10 से 2011-12 हेतु आयुष अस्पताल एवं औषधालय विकास केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार/संधा राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12*
		केन्द्रीय निर्मुक्ति	केन्द्रीय निर्मुक्ति	केन्द्रीय निर्मुक्ति (15.12.11 के अनुसार)
		राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1.25	1191.04	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	117.34	0.00
3.	असम	77.42	4.68	0.00
4.	बिहार	2617.75	1734.26	0.00
5.	छत्तीसगढ	0.00	8.50	0.000
6.	गुजरात	0.00	1220.93	0.00
7.	हरियाणा	1615.00	2.33	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1118.87	2154.13	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	572.02	37.40	0.00
10.	झारखंड	2026.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	484.70	3559.92	0.00
12.	केरल	1184.83	4014.19	0.00
13.	मध्य प्रदेश	1276.88	798.13	0.00
14.	मेघालय	323.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	1052.25	6.90	0.00
16.	मिजोरम	99.72	6.90	765.00
17.	महाराष्ट्र	27.00	6.38	0.00
18.	नागालैंड	305.29	187.92	0.00
19.	ओडिशा	463.46	1383.12	0.00
20.	पंजाब	1119.70	6.00	0.00
21.	राजस्थान	2170.68	5800.64	0.00
22.	त्रिपुरा	240.60	289.54	0.00
23.	उत्तराखंड	463.00	805.85	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	186.5	11.73	0.00
27.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	0.00	0.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	3.83	3.83
33.	लक्षद्वीप	0.00	50.76	75.99
34.	पुडुचेरी	45.30	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	22305.66	23402.41	844.82

*नोट: वित्तीय वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण, वर्ष 2011-12 के दौरान अधिकांश राज्यों को नए अनुदान निर्मुक्त नहीं किए जा सके।

विवरण X

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केन्द्र प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2011-12 के लिए राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों/कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों/कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी)	राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (रुपये लाखों में)	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (रुपये लाखों में)	वर्ष 2011-12 के लिए निर्मुक्त निधियां (रुपये लाखों में)	अभयुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	16 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1013.76	2780.38	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		1048 आयुष अस्पतालों और औषधालयों के लिए आवयश्यक औषध	784.75			
		919 आयुष औषधालयों का उन्नयन	9281.90			
2.	अरुणाचल प्रदेश	होम्योपैथी के 22 विशिष्टता क्लिनिकों की स्थापना	402.60	0.00	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		आयुर्वेद के 3 विशिष्टता क्लिनिकों की स्थापना	54.90			
		1 आयुष अस्पताल की स्थापना	200.00			
		आवश्यक औषधों की आपूर्ति-88 एकांश	26.50			
		23 विशिष्टता क्लिनकों को आवर्ती सहायता	74.10			
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश को सहायता	19.36			
3.	असम	कार्यक्रम एकांश की स्थापना	13.83	2078.19	शून्य	निधियां लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		10 बिस्तरों वाला (नया घटक)	348.00			
4.	बिहार	250 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष ओपीडी के लिए आवर्ती सहायता	1281.00	2712.04	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		आवश्यक औषधों की आपूर्ति-1511 आयुष एकांश	1295.25			
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश के लिए सहायता	11.50			

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	3 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	190.08	1824.50	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश के लिए सहायता	15			
6.	गुजरात	कार्यक्रम प्रबंध एकांश की स्थापना	16.98	4830.84	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना	10.16			
		739 आयुष औषधालयों के लिए आवश्यक औषध (523-आयुर्वेद, 216-होम्योपैथी)	464.00			
7.	हरियाणा	62 आयुष औषधालयों का उन्नयन	532.20	2248.06	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), 21 जिला अस्पतालों के लिए औषधियों का प्रापण				
		504 आयुष औषधालयों के लिए आवश्यक औषधों की आपूर्ति	247.00			
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश के स्टाफ का वेतन	5.18			
8.	हिमाचल प्रदेश	पीएचसी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी)/जिला अस्पतालों में एनआरएचएम के तहत सहस्थापन	4904.00	3291.37	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		आयुष अस्पतालों का उन्नयन	490.88			
		आयुष औषधालयों का उन्नयन	2980.95			
		आयुष अस्पतालों और औषधालयों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति	559.50			
		50 बिस्तरों वाले समेकित आयुष अस्पताल की स्थापना	1121.00			
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश को सहायता	25.10			
9.	जम्मू और कश्मीर	630 आयुर्वेद, 30 होम्यो, औषधालयों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति	332.50	575.13	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		427 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष ओपीडी	1281.00			
		17 जिला अस्पतालों में आयुष स्कंधों की स्थापना	264.40			

1	2	3	4	5	6	7
		5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में आयुष आईपीडी	152.50			
		2 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	27.38			
		कार्यक्रम प्रबंध एकांश	15.90			
		सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीआईपी)	95.00			
		रोगी कल्याण समितियां	208.50			
		स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली	5.50			
		50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल (नया घटक)	1120.00			
10.	झारखंड	कोई भी प्रस्ताव/पीआईपी प्राप्त नहीं हुआ		2760.25	शून्य	
11.	कर्नाटक	268 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2278.00	1150.20	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		19 तालुक अस्पतालों में योग ओपीडी की स्थापना				
		677 एकांशों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति	360.82			
12.	केरल	30 आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए आवर्ती सहायता	135.62	1184.83	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		70 होम्यो, औषधालयों का उन्नयन	700.00			
		341 एनआरएचएम होम्यो, औषधालयों को आवश्यक औषधों के लिए आवर्ती सहायता	82.25			
		1122 एएसयू औषधालयों को आवश्यक औषधों की आपूर्ति	561.00			
		68 आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए आवर्ती सहायता	908.00			
		51 आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए आवर्ती और अनावर्ती सहायता।	3231.36			
		585 आयुष औषधालयों के लिए आवर्ती और अनावर्ती सहायता।	5908.50			
		162 आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए अनावर्ती सहायता	162.00			

1	2	3	4	5	6	7
13.	मध्य प्रदेश	1623 आयुष अस्पतालों और औषधालयों को आवश्यक औषध	776.00	2745.85	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		आयुष औषधालयों का उन्नयन	1250.00			
		373 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) और 36 जिला अस्पतालों को आवर्ती सहायता	260.45			
14.	मेघालय	कोई प्रस्ताव नहीं/प्राप्त पीआईपी		524.60	शून्य	
15.	मणिपुर	50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल (नया घटक)	1288.00	1824.70	शून्य	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
16.	मिजोरम	पीएचसी/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी)/ जिला अस्पतालों का सह-स्थापना	82.00	0.00	765.00	निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	0.75			
		आयुष अस्पताल और औषधालयों का उन्नयन	10.10			
		50 बिस्तरों वाला अस्पताल की स्थापना (नया घटक)	970.00			
		कार्यक्रम प्रबंधन की स्थापना	15.90			
17.	महाराष्ट्र	डॉ. पंजाबराव अलियास भाऊ साहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, अमरावती को आवर्ती सहायता	15.00	525.74		निधियां 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		851 पीएचसी की स्थापना	15573.30			
		236 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आयुष आईपीडी	7198.00			
		23 जिला अस्पताल में आयुष स्कंध की स्थापना	583.60			
		805 (780 आयु + 25 यूनानी) को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	402.50			
		200 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2020.00			
		कार्यक्रम प्रबंधन एकांश	5.98			
		स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली	6.60			

1	2	3	4	5	6	7
18.	नागालैंड	मानव शक्ति, सिविल कार्य, रोगी कल्याण समितियों, औषधियों, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु वित्तीय सहायता	143.55	306.90	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 8 होम्योपैथी विशिष्टता क्लिनिक की स्थापना	146.40			
		10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 आयुर्वेदिक विशिष्टता क्लिनिक की स्थापना	183.00			
19.	ओडिशा	कोई प्रस्ताव नहीं/प्राप्त पीआईपी		2722.19	शून्य	
20.	पंजाब	होम्योपैथी औषधालयों को आवश्यक औषधियों	2584.95			वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		कार्यक्रम प्रबंधन एकांश की स्थापना	2.10	1564.07	शून्य	
21.	राजस्थान	1500 आयुष औषधालयों हेतु भवन जीर्णोद्धार	2200.97	1687.67	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		3886 आयुष औषधालयों की औषधि का आपूर्ति				
		3000 औषधालयों को उपकरण की आपूर्ति	450.00			
		3000 आयुष औषधालयों को फर्नीचर की आपूर्ति	1500.00			
		3015 आयुष औषधालयों को आकस्मिक राशि	301.50			
22.	त्रिपुरा	50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल (नया घटक)			शून्य	
23.	तमिलनाडु	पीएचसी हेतु सह-स्थापन	3202.50	6228.38	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		44 जिला अस्पतालों, 92 तालुक अस्पताल, 345 पीएचसी हेतु सह-स्थापन	9694.20			
24.	उत्तराखंड	107 होम्योपैथी स्कंध हेतु आवश्यक औषधियों	26.75			वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		38 पीएचसी, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आयुष एकांशों का सह-स्थापना	878.40			
		116 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं 13 जिला अस्पतालों में औषधियों हेतु आवर्ती सहायता	843.80	1794.74	शून्य	
		17 आयुर्वेद अस्पताल का उन्नयन	339.00			

1	2	3	4	5	6	7
		148 आयुर्वेद औषधालयों का उन्नयन	1494.80			
		489 आयुर्वेदिक औषधालयों हेतु आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	244.50			
		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में 32 होम्योपैथी औषधालयों को आवर्ती सहायता	56.00			
25.	उत्तर प्रदेश	आवश्यक औषधियों हेतु प्रस्ताव	500.00	1934.30	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
26.	पश्चिम बंगाल	25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष ओपीडी की स्थापना	427.80	692.21	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		15 जिला अस्पतालों में आयुष स्कंध की स्थापना	499.20			
		अस्पताल एवं औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति (2018 एकांशों)	629.00			
		20 आयुष औषधालयों का उन्नयन	200.00			
		कार्यक्रम प्रबंधन एकांश हेतु सहायता	5.50			
		4 आयुष अस्पताल का उन्नयन	203.00			
27.	सिक्किम	10 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल हेतु प्रस्ताव	3.01	176.50	शून्य	
28.	दिल्ली	एमसीडी औषधालयों को आवश्यक औषध	5644.00	34.75	शून्य	वर्ष 2009-10 तक लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
29.	गोवा	कोई प्रस्ताव नहीं/प्राप्त पीआईपी		0.00	शून्य	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	कोई प्रस्ताव नहीं/प्राप्त पीआईपी		0.00	शून्य	
31.	दादरा और नगर हवेली	1-आयुष औषधालयों आवश्यक को औषधियों की आपूर्ति	2.00	0.00	शून्य	15% राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधी वचनबद्धता की प्रस्तुति नहीं करने के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
		1-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	1.00			
		5-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	5.00			

1	2	3	4	5	6	7
		एनआरएचएम के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकांश को सहायता	2.06			
32.	दमन और दीव	आवश्यक औषध की आपूर्ति	4.50	0.00	3.83	
33.	लक्षद्वीप	4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 3 सीएचसी, 2 जिला अस्पताल का सह-स्थापन	266.50	0.00	75.99	
		कार्यक्रम प्रबंधन एकांश	25.00			
34.	पुदुचेरी	प्राप्त पीआईपी के माध्यम से प्राप्त 410.27 लाख रुपये	417.03	87.38	शून्य	प्रस्ताव विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार नहीं है।
35.	चंडीगढ़	कोई प्रस्ताव नहीं/प्राप्त पीआईपी		43.60	शून्य	

आयुर्वेदिक औषधालय

3708. **श्री कैलाश जोशी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं जिसके कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भोपाल और जबलपुर में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों के खोले जाने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) जनशक्ति एवं संभारतंत्र के अभाव के कारण सी.जी.एच.एस. नए औषधालय खोलने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

अधिग्रहण संहिता में संशोधन

3907. **श्री एन. कृष्टप्पः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक औद्योगिक संघों में बंधक शेयरों के उद्घटन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा अधिग्रहण संहिता में हाल ही में किए गए संशोधन में कतिपय त्रुटियां इंगित की हैं;

(ख) यदि हां, तां तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर सेबी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार सेबी द्वारा ऐसे कानूनों को अधिनियममित करते हुए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वित्त मंत्रालय को अखिल भारतीय उद्योग संघ (एआईएआई) से मंत्रालय के अनेक अधिकारियों को संबोधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों द्वारा भारयस्त शेयरों के प्रकटन के संबंध में था। यह अभ्यावेदन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सौंप दिया गया था। तथापि, यह अभ्यावेदन सेबी द्वा दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण विनियम, 2011 (नए अधिग्रहण विनियम) अधिसूचित करने के पश्चात प्राप्त हुआ था।

(ख) अखिल भारतीय उद्योग संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है:-

(i) सेबी अधिग्रहण विनियम, 2011 में सभी सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों के लिए अपनी शेयरधारिता पर 'भारग्रस्त शेयरों' का प्रकटन करना अनिवार्य किया गया है। पिछली अपेक्षा केवल प्रतिभूति शेयरों के प्रकटन तक ही सीमित थी।

(ii) उपर्युक्त आशोधन पर जुलाई, 2011 में हुई ऐबी बोर्ड की बैठक में नतो कोई विचार-विमर्श किया गया, न ही उनके द्वारा अनुमोदित किया गया।

(iii) प्रस्तावित आशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे और इससे पहले से ही ह्रासोन्मुख होते भारतीय पूंजी बाजारों के और अधिक अस्थिर होने की संभावना है।

(iv) इस प्रकार की 'भारग्रस्त शेयरों' के प्रकटन की अपेक्षा अनावश्यक है और इसका दुरुपयोग स्टॉक बाजारों में तेजी से गिरावट लाने तथा मनोभावों को मिटाने के लिए भ्रष्ट मंदड़ियों द्वारा किया जाएगा।

(v) 'प्रतिभूति शेयरधारिता के प्रकटन की पूर्ववर्ती अपेक्षा उचित थी तथा पर्याप्त थी, जबकि 'भारग्रस्त शेयरों) के मामले में ऐसा नहीं है।

सेबी ने सूचित किया है कि प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूति शेयरों अथवा अन्यथा भारग्रस्त शेयरों के प्रकटन की अपेक्षा फरवरी, 2009 से सूचीबद्ध करार में है। अधिग्रहण विनियमन सलाहकार समिति ने अधिग्रहण विनियमों की अपेक्षाओं को सूचीयन कारर की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की सिफारिश की थी।

सेबी बोर्ड ने अपने समक्ष प्रस्तुत सभी संगत निविष्टियों पर विचार करने के पश्चात टीआरएसी की सिफारिशों औश्र उन पर प्राप्त टिप्पणियों को उचित महत्व देते हुए नई अधिग्रहण संहिता को अनुमोदित कश्र दिया।

सेबी ने उन 'भारग्रस्त शेयरों' के स्वरूप को भी स्पस्ट किया है जिनका प्रकटन 12 सितम्बर, 2011 को नए अधिग्रहण विनियमों के अनुसार प्रवर्तकों द्वारा किया जाना है। ये सेबी वेबसाइट (www.sebi.gov.in) के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के भाग में उपलब्ध हैं।

(ग) सामान्य प्रचलन के अनुसार, सेबी एक परामर्शदात्री प्रक्रिया, जिसमें आमतौर पर विभिन्न हितधारकों जैसे प्रातिनिधिक निकायों के साथ विचार-विमर्श शामिल होता है, के जिरए नियम/विनियम निरूपित करता हैं सेबी बोर्ड को उसके निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मसौदा नियमों/विनियमों आदि पर सार्वजनिक टिप्पणियां भी सामान्यत: मांगी जाती हैं। इस प्रक्रिया के जरिए, सेबी निर्णय लेन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित कर पाता है।

सामग्री

3710. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी औषधि विनिर्माताओं को अपने सभी उत्पादों पर उपयोग में लायी गई समस्त सामग्री को दर्शाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या यही सिद्धांत शीतल पेय, ब्रेड बिस्कुट आदि जैसे खाद्य मदों पर लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने शीतल पेय में प्रदूषकों के मद्देनजर उपयोग में लायी गई सभी सामग्रियों को उल्लिखत करने के अनुदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) सक्रिय अवयवों की शुद्ध मात्रा का सही विवरण औषधि के अन्तरम पात्र के लेबल और प्रत्येक उस अन्य कॅवरिंग पर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें पात्र पैक किया जाता है।

(ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) विनियम, 2011 में खाद्य उत्पाद के विनिर्माण के समय उनके संघटक के अवरोही क्रम खाद्य उत्पाद के लेबल पर अवयव की सूची को इंगित किए जाने की अपेक्षा है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है जहां राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील लंबित है। तथापि, एफएसएस विनियम, 2011 के अंतर्गत अवयवों के प्रकटीकरण को पहले शामिल कर लिया गया है।

स्थानीय बैंकों में ईसीबी निधियां जमा किया जाना

3711. श्री सी. शिवासामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेटरों को घरेलू व्यय हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से उगाही गई निधियों को स्थानीय बैंकों में जमा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कारपोरेट जगत की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में हो रहे उतार-चढ़ाव के मद्देनजर तथा बृहत आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि 23 नवम्बर, 2011

से विदेश में एकत्रित किए जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की राशि को पूंजीगत सामानों के स्थानीय स्रोत, स्वा-सहायता समूहों को उधार देने के संबंध में या सूक्ष्म ऋण के लिए, स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए भुगतान आदि के लिए भारत में रुपए के रूप में व्यय करने के लिए इसे उधारकर्ताओं द्वारा भारत में ए.डी. श्रेणी-1 में बैंको के रुपए खातों में जमा करने के लिए तत्काल लाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में ईसीबी आय केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए है और इसे विदेश में लंबित उपयोग के रूप में रखा जा सकता है। तथापि, रुपए निधियों को पूंजी बाजारों, स्थावर सम्पदा या अंतर निगम उधार में निवेश करने की अभी तक कोई अनुमति नहीं है और न ही दी जाएगी।

(ग) और (घ) 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेश में 12.7 यू.एस.डी. बिलियन राशि जमा है और इनमें से 2. 4 यू.एस.डी. बिलियन (लगभग 19%) भारत में रुपए के रूप मं व्यय करने के लिए है। आशा है कि रुपए के व्यय के लिए निर्धारित ईसीबी आय के भारत में आते ही नकदी की स्थिति में सुधार होगा।

[हिन्दी]

मेगा डेस्टीनेशन और पर्यटन सर्किट का विकास

3712. श्री राकेश सिंह:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मेगा डेस्टीनेशन/सर्किटों के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत पर्यटन केन्द्र के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) देश में किन पर्यटक केन्द्रों को उपर्युक्त योजना में शामिल किया गया है अथवा शामिल किये जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत और अधिक ऐसे पर्यटक केन्द्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने आगमन और भावी पर्यटक संभाव्यता के आधार पर, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) के साथ परामर्श करके अब तक 45 वृहत पर्यटक गंतव्यों/परिपथों की पहचान की है। 45 पहचान की गई परियोजनाओं में से 30 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। वृहत् पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

"गंतव्यों एव परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास" की योजना के अंतर्गत पहचान किए गए प्रत्येक वृहत् गंतव्य और परिपथ के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में पर्यटन मंत्रालय के अंशदान की ऊपरी सीमा क्रमशः 25.00 करोड़ रुपए और 50. 00 करोड़ रुपए है।

वृहत् पर्यटन परियोजनाओं की पहचान करना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना सतत प्रक्रिया है। वृहत पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आयोजित की गई प्राथमिकता निर्धारण बैठकों के आधार पर निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवरण

वृहत पर्यटक गंतव्यों/परिपथों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृहत परियोजना/परिपथों के नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र-गंतव्य	2007-08	994.75
2.		तिरुपति विरासत पर्यटक परिपथ	2008-09	4652.49
3.		कडापा विरासत पर्यटक परिपथ	2008-09	3692.89

1	2	3	4	5
4.	असम	मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, जोरहट, सिबसागर एवं माजौली को कवर करता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वृहत परिपथ	2010-11 में पहचान की गई	
5.	बिहार	बोधगया-राजगीर-नालंदा परिपथ	2006-07	1922.42
6.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर-तीरथगढ़-चित्रकूट-बारसूर-दंतेवाड़ा-तीरथगढ़ परिपथ	2008-09	2347.39
7.	दिल्ली	स्मारकों का प्रदीप्तिकरण-परिपथ	2006-07	2375.09
8.		दिल्ली हाट, जनकपुरी का विकास	2010-11 में पहचान की गई	
9.	गोवा	गोवा परिपथ के गिरजाघर	2008-09	4309.91
10.	गुजरात	द्वारका-नागेश्वर-बेट द्वारका परिपथ	2008-09	798.90
11.		शुक्लतीर्थ-कबीरवाद-मंगलेश्वर-अंगरेश्वर परिपथ अंगरेश्वर परिपथ	2011-12	4650.97
12.	हरियाणा	पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर परिपथ	चरण-I 2006-07 (एस-1630.03) (आर-1161.23) चरण-II 2008-09 (एस-1545.22) (आर-35.54)	3175.25
13.	हिमाचल प्रदेश	इको एवं एडवेंचर परिपथ (कुल्लू-कटरेन-मनाली)	2009-10 में पहचान की गई	
14.	हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	पंचकुला-यमुनानगर (हरियाणा)-पौंटा साहिब	2010-11	3253.06
15.	जम्मू और कश्मीर	मुबारक मंडी विरासत परिसर, जम्मू-गंतव्य	2010-11 में पहचान की गई	
16.		नागर नगर परिपथ (वातलाब वाया हजरतबल, तुलमुल्लाह, मानसबल और वुल्लर झील), श्रीनगर	2011-12	3814.56
17.		लेह में वृहत परिपथ का विकास	2010-11 में पहचान की गई	
18.	झारखंड	देवघर में वृहत् गंतव्य	2011-12	2371.19

1	2	3	4	5
19.	कर्नाटक	हम्पी परिपथ	2008-09	3283.58
20.	केरल	कोडुंगल्लूर के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व वाले स्थानों को जोड़ने वाला मुजीरिस विरासत परिपथ	2010-11	4052.83
21.	मध्य प्रदेश	वृहत गंतव्य के रूप में चित्रकूट का विकास	2009-10	2401.98
22.		वृहत परिपथ के रूप में जबलपुर	2010-11 में पहचान की गई	
23.		टीकमगढ़, दामोह, सागर, छतरपुर और पन्ना को शामिल करते हुए वृहत परिपथ के रूप में बुंदेलखण्ड	2011-12 में पहचान की गई	
24.	महाराष्ट्र	विदर्भ विरासत परिपथ	2008-09	3738.19
25.		औरंगाबाद गंतव्य	2008-09 में पहचान की गई	
26.		माहौर-नांदेड़ विष्णुपरी-बैक वाटर कंधार किला वृहत परिपथ के रूप में	2011-12 में	
27.	मणिपुर	आईएनए मेमोरियल	2010-11	1238.59
28.	मेघालय	वृहत गंतव्य के रूप में उमियम (बारापानी)	2011-12 में पहचान की गई	
29.	ओडिशा	भुवनेश्वर-पुरी-चिल्का परिपथ	2008-09	3022.80
30.	पुडुचेरी	पुड्डुचेरी गंतव्य	2010-11	4511.00
31.	पंजाब	अमृतसर गंतव्य	2008-09	1585.53
32.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर गंतव्य	2008-09	1069.68
33.		मरुभूमि परिपथ (जोधपुर-बीकानेर-जैसलमेर)	2010-11 में पहचान की गई	
34.	सिक्किम	गंगटोक-गंतव्य	2008-09	2390.70
35.	तमिलनाडु	महाबलीपुरम-गंतव्य		1312.69
36.		तीर्थ विरासत परिपथ (मदुरई-रामेश्वरम-कन्याकुमारी)	2010-11	3647.95

1	2	3	4	5
37.		थंजावुर	2010-11	1475.00
38.	उत्तराखंड	हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनि की रेती परिपथ	2008-09	4452.22
39.		निर्मल गंगोत्री	2010-11 में पहचान की गई	
40.	उत्तर प्रदेश	आगरा परिपथ	चरण-I ईस्ट गेट 2005-06 (एस-848.49) (आर-848.49) वेस्ट गेट 2006-07 (एस-933.40) (आर-933.40) चरण-II 2009-10 (एस-1976.44) (आर-988.22)	
41.		वाराणसी-सारनाथ-रामनगर परिपथ	चरण-I 2006-07 (एस-786.00) (आर-628.00) चरण-II 2008-09 (एस-1416.31) (आर-707.16)	2202.31
42.		वृहत गंतव्य के रूप में विश्रामघाट (मथुरा) के जीर्णोद्वार सहित मथुरा-वृंदावन का विकास	2011-12 में पहचान की गई	
43.	पश्चिम बंगाल	गंगा विरासत नदी क्रूज परिपथ	2008-09	2042.35
44.		दोआर्स (जिला जलपाईगुडी)	2010-11 में पहचान की गई	
45.	त्रिपुरा	माता बारी सहित वृहत झील परिपथ	2010-11 में पहचान की गई	

पर्यटन नीति

3713. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय संस्कृति और विरासत को उचित रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए नई पर्यटन नीति तैयार करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) सरकार की नवीनतम पर्यटन नीति उद्योग संघों, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात वर्ष 2002 में तैयार की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास बहुआयामी प्रभावों का सतत ढंग से दोहन करना है।

वर्तमान में सरकार के समक्ष नई पर्यटन नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव

3714. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी 16308/2007 में दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को देश में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में शामिल तत्वों और ऐसी वस्तुओं के सेवन के दुष्परिणामों का व्यापक विश्लेषण और अध्ययन करने का आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत स्वास्थ्य रिपोर्ट के कार्य क्षेत्र से सिगरेट को बाहर रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थमा सोसाइटी (एसएलपी 16308/2007) के मामले में सॉलीसिटर जनरल को निर्देश दिया था कि वे गुटखा, तम्बाकू पान मसाला और देश में निर्मित ऐसी ही सामग्रियों तथा ऐसी सामग्रियों के उपभोग के हानिकारक प्रभावों को व्यापक विलेषण और अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संस्थान से सम्पर्क करने हेतु संबंधित मंत्रालयों को निदेश दें।

उक्त निर्देश का पालन करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संसथान (एनआईएचएफडब्ल्यू) के परामर्श से रिपोर्ट तैयार की है और उसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय न्यायालय मामला एस पी एल 16308/2007-अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थमा सोसाइटी में पक्षकार किया गया है। उक्त अध्ययन में सिगरेट के समावेशन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई सुझाव/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।

निकोटिन की बिक्री

3715. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक जहरीली तथा व्यसनकारी दवा निकोटिन का देश में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधिकारी क्षेत्र से बाहर विनिर्माण, भण्डारण, वितरण तथा विक्रय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा दवा के नुस्खे पर निकोटिन की बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का किसी उत्पाद में निकोटिन की मात्रा को दर्शाने का लेबल लगाना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) औषध के रूप में निकोटिन फार्मूलेशनों के विनिर्माण एवं बिक्री को औषधन और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत विनियमित किया जाता है अतः निकोटिन आधारित औषध फार्मूलेशनों का विनिर्माण किसी वैध औषध विनिर्माण

लाइसेंस के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तथापि, निकोटिन गम जिसमें 2 एमजी निकोटिन निहित होता है, के फार्मूलेशन की बिक्री औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के तहत बिक्री लाइसेंस की अपेक्षा से मुक्त है। यह छूट दी गई थी क्योंकि निकोटिन गम का इस्तेमाल धूम्रपान से मुक्ति के लिए निकोटिन प्रतिस्थापन थिरेपी के रूप में किया जाता है। इस छूट को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) औषध फार्मूलेशनों के लेबल पर सक्रिय अवयवों की मात्रा इंगित करना औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली,1945 के तहत अनिवार्य है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस लाभार्थियों को दवाएं

3716. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री मकनसिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/चिकित्सकों के मनमाने रवैये के चलते केन्द्रीय आयुर्वेदिक औषधालय से विहित मात्रा में दवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं अथवा न्यूनतम मात्रा में दवाएं प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस तरीके से दवाओं की आपूर्ति को रोकने की जांच करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा विधिवत लिखी जाने वाली सभी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विस्थापित लोगों का पुनर्वास

3717. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के सांवतवाड़ी में कुरली घनसारी परियोजना और विलारी परियोजना के लोगों का पुनर्वास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोगों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या पुनर्वास कार्य अपूर्ण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यो के कब तक पूरा होने की संभावना हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम्योद्योग को बढ़ावा

3718. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्राम्योद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम्योद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ किसी संयुक्त उद्यम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ संभावित परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योग के पुनसृजन के लिए

निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआईसी) की अन्य योजनाओं के अभिमुख किए जाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की संयुक्त रूप से स्थापना के लिए दिनांक 4 अगस्त, 2008 को सहयोग ज्ञापन (एमओसी) हस्ताक्षरित किया था। 7 पायलट परियोजना की पहचान की गई, लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका। यह संयुक्त कार्य प्रबंध केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए था। तत्पश्चात मंत्रालय एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच कोई संयुक्त कार्य प्रबंध तैयार नहीं किया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

स्टाफ कारों का दुरुपयोग

3719. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ कारों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उक्त दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) स्टाफ कारों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतें उचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजी जाती है। ऐसी शिकायतों का कोई डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। स्टाफ कारों के दुरुपयोग को रोकने और उनका सही एवं प्रामाणिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ कार नियमावली में प्रावधान दिए गए हैं। स्टाफ कारों के गैर-ड्यूटी अथवा अप्राधिकृत प्रयोजनों के लिए इसोमाल को रोकने के लिए अनुदेश मौजूद हैं।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ शाखा

3720. **श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में "अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ शाखा" की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सकों पर हमला

3721. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने चिकित्सकों पर हमले की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है तथा यह मांग की है कि मूल कारणों का पता लगाने के लिए ऐसी घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जाए ताकि दोषी को दण्डित किए जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चिकित्सकों और अस्पतालों पर होने वाले हमलों की संख्या में हो रही वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारतीय चिकित्सा संघ ने चिकित्सकों और अस्पतालों के विरुद्ध होने वाली हिंसा से निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र एक विधान लाने के लिए श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री और श्री एम. वीरप्पा मोइली, विधि और न्याय मंत्री को संबोधित दिनांक 18.12.2009 के तीन एक जैसे पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया है, क्योंकि 8 राज्यों द्वारा ऐसा विधान पहले ही पारित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

3722. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनयूएचएम के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों की निधियन का अनुपात क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में इस परियोजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी स्वास्थ्य देशभाल के लिए आवंटित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एनयूएचएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जी हां। शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने और जन स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी पर नए सिरे से ध्यान देने के लिए देश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। मिशन की रूप-रेखा को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और योजना आयोग सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य चौकियों के लिए निधियों का आबंटन

(लाख रुपए में)

क.सं.	राज्य/संघ	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		श.प.क. केन्द्र	स्वास्थ्य चौकियां	श.प.क. केन्द्र	स्वास्थ्य चौकियां	श.प.क. केन्द्र	स्वास्थ्य चौकियां	श.प.क. केन्द्र	स्वास्थ्य चौकियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	884.00		834.88		944.00		968.00	
2.	बिहार	265.00		250.28		284.00		530.00	
3.	छत्तीसगढ़	88.00	160.00	83.12	154.00	92.00	174.00	104.00	195.00
4.	गोवा								
5.	गुजरात	1010.00	260.00	953.83	250.24	1068.00	304.00	1300.00	405.00
6.	हरियाणा	140.00	104.00	132.20	100.12	150.00	116.00	160.00	120.00
7.	हिमाचल प्रदेश	290.00		273.88		308.00		400.00	
8.	जम्मू और कश्मीर	63.00		59.48		70.001		75.00	
9.	झारखंड	136.00		128.44		144.00		150.00	
10.	कर्नाटक	782.00		738.56		820.00		900.00	
11.	केरल								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	494.00	552.00	466.56	531.28	524.00	598.00	600.00	650.00
13.	महाराष्ट्र	590.00	2510.00	557.20	2415.88	624.00	2700.00	700.00	2830.0
14.	ओडिशा	99.00	82.00	93.43	78.92	106.00	92.00	110.00	100.0.
15.	पंजाब	198.00	546.00	187.00	525.52	212.00	590.00	230.00	700.00
16.	राजस्थान	462.00	324.00	436.32	311.84	484.00	350.00	500.00	400.00
17.	तमिलनाडु	244.00	918.00	230.44	883.60	260.00	982,00	300.00	1300.00
18.	उत्तर प्रदेश	885.00	1438.00	835.80	1384.08	934.00	1544.00	1417.00	2200.00
19.	उत्तराखंड	38.00	92.00	35.88	88.52	44.00	100.00	80.00	200.00
20.	पश्चिम बंगाल	1087.00		1026.60		1142.00		1400.00	
21.	अरुणाचल प्रदेश	74.00		81.08		93.00		83.36	
22.	असम	96.00		105.20		121.00		330.00	
23.	मणिपुर	28.00		30.68		36.00		35.60	
24.	मेघालय	15.00		16.44		20.00		18.92	
25.	मिजोरम	15.00		17.72		22.00		27.00	
26.	नागालैंड								
27.	सिक्किम	15.00		16.44		20.00		37.04	
28.	त्रिपुरा	57.00		62.44		74.00		9.44	
29.	दिल्ली	430.00	232.00	1220.00	360.00	1000.00	350.00	800.00	400.00
	कुल योग	8485.00	7218.00	8874.00	7084.00	9596.00	7900.00	11265.36	9500.00

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए शहरी आर सी एच के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आबंटन 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30.09.2011)
1	2	3	4	5	6
क. अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य					
1.	बिहार	3.12	1.58	1.08	0.54

1	2	3	4	5	6
2.	छत्तीसगढ़	0.15	–	–	–
3	हिमाचल प्रदेश	–	–	0.45	0.68
4.	जम्मू और कश्मीर	1.35	1.54	1.80	2.02
5.	झारखंड	2.61	0.68	0.80	0.24
6.	मध्य प्रदेश	2.55	1.80	1.53	1.94
7.	ओडिशा	3.24	2.28	2.94	2.89
8.	राजस्थान	12.57	10.00	7.69	4.62
9.	उत्तर प्रदेश	18.92	16.92	16.74	12.74
10.	उत्तराखंड	1.24	–	3.69	4.59
	उप योग	45.75	34.79	36.73	30.25
ख. पूर्वोत्तर राज्य					
11.	अरूणाचल प्रदेश	0.26	0.22	0.46	0.34
12.	असम	6.69	5.66	6.06	8.02
13.	मणिपुर	0.76	0.73	0.80	0.88
14.	मेघालय	1.30	2.00	2.71	0.44
15.	मिजोरम	0.19	0.19	0.31	0.31
16.	नागालैंड	0.20	–	–	–
17.	सिक्किम	0.15	0.21	0.53	0.10
18.	त्रिपुरा	0.35	1.00	1.15	0.21
	उप-योग	9.89	10.01	12.12	10.32
ग. अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य					
19.	आंध्र प्रदेश	5.58	3.53	6.94	753
20.	गोवा	0.08	0.01	0.01	0.01
21.	गुजरात	21.43	7.90	28.53	23.70

1	2	3	4	5	6
22.	हरियाणा	2.61	3.29	10.97	9.20
23.	कर्नाटक	1.47	3.69	4.81	5.76
24.	केरल	.55	1.00	5.00	6.00
25.	महाराष्ट्र	40.16	29.04	25.00	22.16
26.	पंजाब	1.53	1.66	1.90	2.07
27.	तमिलनाडु	3.50	0.01	0.02	
28.	पश्चिम बंगाल	2.01	0.50	0.58	0.58
	कुल योग	84.92	50.63	83.76	77.02
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**				-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
32.	दमन	-	-	-	-
33.	दिल्ली	0-48	0.60	0.55	0.56
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
35.	पुडुचेरी	0.03	0.07	0.05	0.05
	उप-योग	0.51	0.67	0.60	0.61
	महायोग	141.07	96.10	133.20	118.20

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा ग्राहकों का उत्पीड़न

3723. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंकों के विरुद्ध अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने/ऋणों के संवितरण करने के बाद और उनके द्वारा ऋणों की पुनअदायगी के बाद भी उत्पीड़न की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड से संबंधित ज्यादातर जो शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों में यह उल्लेख होता कि बैंकों या उसके

सहायक बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड परिचालन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है।

(ख) बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष (जुलाई से जून तक)	शिकायतों की संख्या
2008-09	17603
2009-10	17098
2010-11	11800
जुलाई-नवम्बर 2011	5554

*टिप्पणी: बैंकों द्वारा न केवल क्रेडिट कार्ड जारी करने/ऋणों के संवितरण के पश्चात बल्कि ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात भी परेशान किए जाने के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को वसूली एजेंटों को कार्य पर लगाने तथा प्रशिक्षण के लिए जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करने की सलाह देते हुए और वसूली की प्रक्रिया के दौरान वसूली एजेंटों द्वारा असभ्य, गैर-कानूनी तथा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं, क्योंकि बैंक अपने एजेंटों के व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। ग्राहकों के सामने आ रही समस्याओं को कम करने के लिए बैंकों तथा उनके एजेंटों को भारतीय बैंकिंग संहिता तथा मानक बोर्ड द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता तथा उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा यहां तक कि प्राथमिक सहकारी बैंकों के ग्राहकों की भी सभी शिकायतों को शीघ्रता और कम खर्च में हल करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन से बैंकिंग लोकपाल योजना भी आरम्भ की थी। पूरे देश में बैंकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं जिन्हें बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड परिचालनों से उत्पन्न शिकायतों के मामलों में शिकायतकर्ताओं को हुई समय की क्षति, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए व्यय, उन्हें हुई परेशानी तथा मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करने की शक्ति है। क्रेडिट कार्ड बकायों को जमा करते समय वसूली एजेंटों द्वारा परेशान किए जाने संबंधी शिकायतों का भी मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार हल किया जाता है।

बाल अधिकार सूचकांक

3724. **श्रीमती दर्शना जरदोश:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाल अधिकार सूचकांक तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) केंद्र सरकार ने बाल अधिकार सूची तैयार नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य वर्धित उद्योगों के लिए खनन ब्लॉक

3725. **श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूल्य वर्धित उद्यागों जैसे इस्पात, विद्युत और सीमेंट को खनन ब्लॉक उपलब्ध कराकर उन्हें महत्त्व देने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर रक्षित उद्योगों को खनन ब्लॉक आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) खनिज रियायतों की स्वीकृति में मूल्यर्वधन को प्राथमिकता देने के संबंध में राज्य सरकारों को अनुमति देने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तदनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 (एमएमडीआर विधेयक) में प्रावधान है, कि राज्य सरकार, खनिज रियायत की स्वीकृति में प्रौद्यो-आर्थिक और वित्तीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को महत्त्व देने के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्राथमिकता दे सकते हैं। एमएमडीआर विधेयक, 2011 के मसौदे को 12.12.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

शीतागारों को नाबार्ड की सहायता

3726. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने शीतागारों के निर्माण और विस्तार तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए कोई राजसहायता योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत उक्त प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य विशेषरूप से गुजरात और महाराष्ट्र के लिए राजसहायता की आवंटित राशि कितनी है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई राशि कितनी है तथा कितनी राशि राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) इस योजना के तहत राज्यों के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना मांग आधारित है अर्थात सब्सिडी का संवितरण प्रत्येक राज्य में मंजूर की गई परियोजनाओं के आधार पर किया जाता है। नाबार्ड बैंकों को सब्सिडी का संवितरण राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की शीतागार योजनाओं के तहत उद्यमियों को आगे सब्सिडी देने के लिए कर रहा था।

नाबार्ड द्वारा विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई कुल सब्सिडी		
		शीतागार योजना एनएचबी	शीतागार योजना एनएचएम	शीतागार योजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		111.11	
2.	असम			
3.	बिहार	101.57	171.91	
4.	छत्तीसगढ़	26.01	53.77	
5.	गुजरात		139.20	
6.	हिमाचल प्रदेश			
7.	जम्मू और कश्मीर			210.00
8.	झारखण्ड		19.34	
9.	कर्नाटक	145.82	242.52	
10.	केरल	23.59		

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	42.76	12.98	
12.	महाराष्ट्र	2.97	44.21	
13.	नई दिल्ली	6.41		
14.	ओडिशा	21.56	24.65	
15.	पंजाब	114.05	392.75	
16.	राजस्थान		6.62	
17.	तमिलनाडु			
18.	त्रिपुरा			
19.	उत्तर प्रदेश	880.10	807.88	
20.	उत्तराखंड			
21.	पश्चिम बंगाल	38.21	59.01	
	योग	1403.15	2085.95	210.00
	सकल योग		3699.10	

विवरण II

नाबार्ड द्वारा विभिन्न शीतागार योजनाओं के तहत जारी की गई सब्सिडी

वर्ष 2009-10 (पद सौ)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई कुल सब्सिडी		
		शीतागार योजना एनएचबी	शीतागार योजना एनएचएम	शीतागार योजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	186.36		
2.	असम			6.00
3.	बिहार	205.36		
4.	छत्तीसगढ़	12.50		
5.	गुजरात	232.22		
6.	हिमाचल प्रदेश			
7.	जम्मू और कश्मीर			154.42

1	2	3	4	5
8.	झारखण्ड			
9.	कर्नाटक	75.00		
10.	केरल			
11.	मध्य प्रदेश	41.24		
12.	महाराष्ट्र	26.54		
13.	नई दिल्ली			
14.	ओडिशा			
15.	पंजाब	182.43		
16.	राजस्थान	0.00		
17.	तमिलनाडु	35.00	22.00	
18.	त्रिपुरा			
19.	उत्तर प्रदेश	1938.00		
20.	उत्तर प्रदेश			
21.	पश्चिम बंगाल	25.00		
	योग	2959.65	22.00	214.42
	सकल योग	3196.07		

विवरण III

नाबार्ड द्वारा विभिन्न शीतागार योजनाओं के तहत जारी की गई सब्सिडी

वर्ष 2010-11 (लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई कुल सब्सिडी		
		शीतागार योजना एनएचबी	शीतागार योजना एनएचएम	शीतागार योजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	115.23		
2.	असम			59.64
3.	बिहार	198.22		
4.	छत्तीसगढ़	49.34		

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	571.29		
6.	हिमाचल प्रदेश			799.80
7.	जम्मू और कश्मीर			189.52
8.	झारखण्ड	86.67		
9.	कर्नाटक	47.59		
10.	केरल			
11.	मध्य प्रदेश	26.20		
12.	महाराष्ट्र	69.23		
13.	नई दिल्ली			
14.	ओडिशा			
15.	पंजाब	177.08		
16.	राजस्थान	91.23		
17.	तमिलनाडु	72.63		
18.	त्रिपुरा			56.77
19.	उत्तर प्रदेश	2873.32		
20.	उत्तराखण्ड	12.00		
21.	पश्चिम बंगाल	34.93		
	योग	4424.96	0.00	1105.73
	सकल योग	5530.69		

विवरण IV

नाबार्ड द्वारा विभिन्न शीतागार योजनाओं के तहत जारी की गई सब्सिडी

वर्ष 2011-12 (लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई कुल सब्सिडी		
		शीतागार योजना एनएचबी	शीतागार योजना एनएचएम	शीतागार योजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	274.60		

1	2	3	4	5
2.	असम			33.33
3.	बिहार	39.02		
4.	छत्तीसगढ़			
5.	गुजरात	65.19		
6.	हिमाचल प्रदेश			
7.	जम्मू और कश्मीर			533.00
8.	झारखण्ड			
9.	कर्नाटक			
10.	केरल			
11.	मध्य प्रदेश	44.25		
12.	महाराष्ट्र			
13.	नई दिल्ली			
14.	ओडिशा			
15.	पंजाब	12.50		
16.	राजस्थान	30.92		
17.	तमिलनाडु			
18.	त्रिपुरा			
19.	उत्तर प्रदेश	1571.33		
20.	उत्तराखण्ड			
21.	पश्चिम बंगाल	41.97		
	योग	2079.78	0.00	566.33
	सकल योग	2646.11		

सीजीएचएस औषधालयों का आधुनिकीकरण

3727. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और औषधालय -वार/अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आबंटित ओर जारी निधि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां सभी सीजीएचएस औषधालयों (एलोपैथिक) को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। सीजीएचएस औषधालयों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकताओं के आधार पर मामलेवार लिया जाता है।

सीजीएचएस औषधालयों के सामान्य उन्नयन/नवीकरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं-

वर्ष 2008-09	9.83 करोड़ रुपए
वर्ष 2009-10	10.70 करोड़ रुपए
वर्ष 2010-11	24.95 करोड़ रुपए

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण

3728. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को हरियाणा राज्य सरकार से विशेष रूप से ग्राम संधवा खंड तोशाम जिला भिवानी सहित हरियाणा राज्य में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान शुरू क गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) हरियाणा राज्य में उक्त अवधि के दौरान परियोजना-वार जारी और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पीएचसी भवनों के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हरियाणा सरकार सहित सभी राज्य सरकारें अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण सहित अपनी अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार निधियों की अपनी आवश्यकताएं शामिल करती हैं। हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एनआरएचएम के अंतर्गत 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को निधियां प्रदान की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने ग्राम संधवा, ब्लॉक तोशाम, जिला भिवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन का निर्माण करने हेतु राज्य के योजनागत बजट से 250.90 लाख रु. की राशि अनुमोदित की है।

(ग) वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं के भवन के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार को आबंटित निधियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) हरियाणा सरकार से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार हरियाणा राज्य में पीएचसी का निर्माण करने के लिए अपनाए गए पैरामीटर निम्नलिखित हैं:

- जनसंख्या-30,000
- भूमि-2-21/2 एकड़ भूमि संबंधित ग्राम पंचायत इस आशय के वचन के साथ नि:शुल्क दी जाती है कि सरकार द्वारा नए भवन के निर्माण होने तक पीएचसी चलाने हेतु अपनी लागत से एक उपयुक्त भवन की व्यवस्था की जाएगी।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार को आबंटित निधियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	एनआरएचएम द्वारा निर्मुक्त निधियां	किया गया व्यय
2007-08	1535.98	00
2008-09	8100.00	1973.79
2009-10	4000.00	12262.19
2010-11	2500.00	2500.00
2011-12	1000.00	1000.00
कुल	17135.98	17735.98

इंदिरा क्रांति पाटम योजना

3729. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से इंदिरा क्रांति पाटम योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण पर तथा समय पर ऋण चुकाने वाले लोगों के मामले में ब्याज दर को कम करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कम की गई ब्याज दर पर भार का वहन आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की बजाय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फसल ऋणों पर ब्याज सहायता की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक ब्याज सहायता योजना का सुझाव दिया था।

भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना सिर्फ किसानों के लिए 1 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण लेने के लिए लागू है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है।

भारत सरकार ने बजट 2011-12 में 500 करोड़ रुपए के महिला एसएचजी विकास निधि सृजित करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंक

3730. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में सरकारी क्षेत्र (पीएसबी) के बैंकों और उनकी शाखाओं की राज्य-वार और बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक-वार उक्त बैंकों में कितनी राशि जमा की गई और उनके द्वारा संवितरित कुल ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बैंकों की शाखाओं ने ऋण संवितरण से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) आईडीबीआई बैंक लि. को शामिल करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की संख्या 26 है। दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार, पीएसबी की शाखाओं की संख्या का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) मार्च 2009, 2010, 2011 और सितम्बर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार पीएसबी के कुल जमा और उनके द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों द्वारा संवितरित किए जाने वाले समय ऋणों का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि के अपने मूल्यांकन के आधार पर आरबीआई वर्ष के दौरान ऋण संवृद्धि का सिर्फ

सांकेतिक अनुमान देता है। तथापि, सरकार ने विभिन्न निष्पादन मानदण्डों, यथा जमा, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में कमी, लाभ, सीआरएआर, आस्तियों पर आय इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों का आशय विवरण तंत्र स्थापित किया है। सरकार और बैंक के उच्च प्रबंधन के बीच परामर्श के पश्चात लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

विवरण I

दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाओं की राज्य-वार और बैंक-वार संख्या

राज्य का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	41
आन्ध्र प्रदेश	5315
अरूणाचल प्रदेश	65
असम	1021
बिहार	2655
चण्डीगढ़	228
छत्तीसगढ़	870
दादरा और नगर हवेली	21
दमन एवं दीव	21
दिल्ली	1909
गोवा	377
गुजरात	3953
हरियाणा	1931
हिमाचल प्रदेश	875
जम्मू और कश्मीर	342
झारखण्ड	1452
कर्नाटक	4192
केरल	2636
लक्षद्वीप	12
मध्य प्रदेश	3041
महाराष्ट्र	6485
मणिपुर	52
मेघालय	147
मिजोरम	36
नागालैण्ड	77
ओडिशा	1975
पुडुचेरी	102
पंजाब	3178
राजस्थान	2810
सिक्किम	73
तमिलनाडु	4745
त्रिपुरा	118
उत्तर प्रदेश	7303
उत्तराखण्ड	968
पश्चिम बंगाल	4236
कुल	63262

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
इलाहाबाद बैंक	2387
आन्ध्रा बैंक	1610
बैंक आफ बड़ौदा	3478
बैंक आफ इंडिया	3474
बैंक आफ महाराष्ट्र	1534
केनरा बैंक	3306
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3843
कार्पोरेशन बैंक	1289
देना बैंक	1197

1	2
इंडियन बैंक	1883
आईडीबीआई बैंक लि.	889
इण्डियन ओवरसीज बैंक	2228
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1668
पंजाब एंड सिंध बैंक	967
पंजाब नैशनल बैंक	4922
सिंडिकेट बैंक	2541
यूको बैंक	2212
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3085
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1559
विजया बैंक	1186
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	916
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1219
भारतीय स्टेट बैंक	13347
स्टेट बैंक आफ मैसूर	702
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1019
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	801
	63262

टिप्पणी: 1) शाखाओं की संख्या के आंकड़े, बैंक शाखा सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित मास्टर आफिस फाइल के अनुसार है जो 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यतित हैं।

(2) शाखाओं की संख्या के आंकड़ों में प्रशासनिक कार्यालयों/नियंत्रक कार्यालयों की संख्या शामिल नहीं है।

विवरण II

मार्च 2009, 2010, 2011 और सितम्बर 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार पीएसबी के जमा और अग्रिमों के आंकड़े

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल जमा				कुल अग्रिम			
		मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	सितम्बर-11	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11	सितम्बर-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इलाहाबाद बैंक	84,810	1,05,774	1,31,506	1,41,486	58,956	71,510	91,585	92,412
2.	आन्ध्रा बैंक	59,407	77,688	92,156	94,435	44,428	56,505	72,154	74,519
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1,51,409	1,85,283	2,33,323	2,44,720	1,09,977	1,33,589	1,71,801	1,71,375
4.	बैंक आफ इंडिया	1,59,487	1,96,585	2,52,963	2,44,535	1,15,354	1,35,194	1,65,147	1,59,310
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	52,255	63,304	66,845	69,376	34,817	40,926	47,487	50,882
6.	केनरा बैंक	1,82,979	2,28,445	2,85,132	3,02,128	1,35,520	1,63,291	2,02,724	2,06,909
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,88,286	86,053	1,06,103	1,31,390	1,30,443
8.	कार्पोरेशन बैंक	73,984	92,734	1,16,748	1,20,613	48,927	63,629	87,213	81,935
9.	देना बैंक	43,051	51,344	64,210	64,236	28,984	35,721	45,163	43,100
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	1,12,401	1,67,648	1,80,083	1,73,745	1,03,914	1,38,584	1,55,996	1,53,382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	इंडियन बैंक	69,659	85,307	1,02,332	1,11,311	48,861	59,963	72,587	81,827
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	95,434	1,05,434	1,40,381	1,58,108	68,479	73,026	1,03,087	1,13,935
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	98,369	1,20,258	1,39,054	1,49,552	69,065	84,184	96,839	1,05,612
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	34,676	49,155	59,723	60,635	24,698	32,739	42,833	42,347
15.	पंजाब नेशनल बैंक	2,09,760	2,49,330	3,12,899	3,41,799	1,56,098	1,88,306	2,43,999	2,51,864
16.	सिडिकेट बैंक	1,08,688	1,09,688	1,26,796	1,33,569	74,164	82,599	97,535	1,02,358
17.	यूको बैंक	93,213	1,15,956	1,36,414	1,21,716	64,020	77,568	93,246	89,289
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,38,703	1,69,670	2,02,461	1,94,856	98,265	1,18,273	1,53,022	1,40,057
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	54,536	68,180	77,845	78,244	35,727	42,756	53,934	54,842
20.	विजया बैंक	54,535	61,932	73,248	77,802	35,875	41,935	49,222	54,304
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	39,224	46,059	53,852	57,080	30,088	35,563	41,744	44,691
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	62,449	72,971	88,628	94,398	43,938	53,297	65,423	67,410
23.	भारतीय स्टेट बैंक	7,10,032	7,64,717	8,87,152	9,17,289	4,63,006	5,44,409	6,62,444	6,85,248
24.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	28,332	30,624	उ.न.	उ.न.	21,747	23,949	उ.न.	उ.न.
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	32,916	38,880	43,225	43,905	25,870	29,859	34,426	35,915
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	60,006	64,552	68,066	72,960	43,961	47,051	52,331	53,904
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	42,042	50,883	58,158	62,373	32,972	38,802	46,471	48,480
	कुल	29,83,628	35,34,509	41,72,558	43,19,157	21,03,763	25,19,331	30,79,804	31,36,350

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अद्यतित स्थलेतर विवरणी, घरेलू परिचालन और अनंतिम

बेसहारा महिलाएं

3731. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी बेसहारा महिलाओं के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है या करने का प्रस्ताव है जिन्हें तलाक नहीं मिला है या अपने पतियों से अलग रह रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, राजस्थान में विधवाओं एवं तलाकशुदा/अलग रह रहीं महिलाओं की संख्या क्रमश: 1589726 एवं 49544 है। देश में 3.43 करोड़ विधवाएं थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं सहित महिलाओं के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार कई कार्यक्रम/स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:-

i. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए स्वाधार एवं अल्पवास गृह।

ii. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, महिला मुखिया, गरीबी रेखा से नीच जीवन-यापन करने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए परिसंपत्तिविहीन महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

iii. कामकाजी महिला होस्टल स्कीम जिसके अंतर्गत अकेली रह रही कामकाजी महिलाओं, अविवाहित, विधवा, परित्यक्त एवं अलग रह रही महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं को, जिनका पति अथवा परिवार उस क्षेत्र में निवास नहीं करता है, को सुरक्षित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

iv. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को पेंशन दी जाती है।

v. वृद्ध व्यक्तियों हेतु समेकित कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रम, चलित चिकित्सा एककों आदि के संचालन एवं रख रखाव तथा वृद्ध विधवाओं को पूर्ण कालिक आश्रय, देखरेख, आयोत्पादक कार्यकलापों में प्रशिक्षण, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, योगा आदि के लिए वृद्ध विधवाओं के हेतु बहुसुविधा देखरेख केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार अनेक उपाय कर रही है, जो इस प्रकार हैं:

(i) 'महिला स्वयंसिद्धा स्कीम' का क्रियान्वयन जिसके अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा/अलग रह रही, परित्यक्त महिलाओं को स्व-रोजगार हेतु नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) विधवाओं की दो बेटियों के विवाह के लिए 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) "विधवा विवाह योजना" के अंतर्गत पेंशन की पात्र विधवाओं को उनके पुनर्विवाह के समय 15,000/-रुपये के उपहार दिए जाते हैं।

(iv) 10% शिक्षकों के पद विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जिनमें से 8% विधवाओं एवं 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए है।

परिवार नियोजन आपरेशन

3732. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में किए गए परिवार नियोजन आपरेशनों की संख्या का लिंग-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आपरेशन की असफलता या व्यक्ति की मृत्यु अथवा आपरेशन के पश्चात् उत्पन्न किसी जटिलता के कारण प्रभावित लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए डेटा के अनुसार, देश में विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान की गई परिवार नियोजन संबंधी शल्यक्रियाओं की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	संख्या*
2008-09	4963132
2009-10	4997571
2010-11	5148279
2001-12 (सितम्बर, 2011 तक)	1529717

*2008-09 को छोड़कर अनंतिम आंकड़े

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान की गई परिवार नियोजन संबंधी लिंगवार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार शल्यक्रियाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना वर्ष 2005 से बन्ध्यीकरण ग्राहियों को विफलताओं, जटिलताओं तथा मौतों के लिए मुआवजा देने तथा डॉक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है जैसा कि नीचे दिया गया है:-

कवरेज	सीमा
अस्पताल में बंध्यीकरण के कारण (बंध्यीकरण शल्यक्रिया की प्रक्रिया के दौरान होने वाली मृत्यु (सहित) या अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 7 दिनों के भीतर मौत	2 लाख रु.
अस्पताल से छुट्टी की तारीख से 8-30 दिनों के भीतर बंध्यीकरण के कारण मृत्यु	50,000 रु.
बंध्यीकरण की विफलता	30,000 रु.
अस्पताल में या शल्यक्रिया के बाद होने वाली जटिलता के कारण छुट्टी की तारीख से 60 दिनों तक उपचार की लागत (बंध्यीकरण शल्यक्रिया की प्रक्रिया के दौरान जटिलता सहित)	वास्तविक 25,000 रु. से अनधिक
प्रति डॉक्टर/सुविधा केंद्र क्षतिपूर्ति बीमा किन्तु वर्ष में 4 से अधिक मामले नहीं	प्रति दावा 2 लाख रु. तक

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (30.09.2011 तक) की गई परिवार नियोजना (बंध्यीकरण) शल्यक्रियाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10*		2010-11*		2011-12 (30.09.2011 तक)*	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरूणाचल प्रदेश	30,414	668,110	22,867	642,533	14,276	543,158	5,080	214,395
2.	असम	1,239	46,825	13,926	67,186	13,016	62,935	3,494	27,486
3.	बिहार	29,507	221,043	35,088	277,123	10,110	481,246	2,573	82,456
4.	छत्तीसगढ़	10,567	158,166	8,970	164,665	7,340	142,691	2,741	22,435
5.	गुजरात	11,586	308,929	9,945	303,688	7,183	318,565	1,717	99,551
6.	हरियाणा	9,922	78,998	8,955	77,285	6,206	73,997	3,653	33,506
7.	झारखंड	11,618	99,075	7,144	106,210	13,182	114,537	5,114	16,260
8.	कर्नाटक	6,616	408,469	12,341	383,987	6,787	324,061	2,067	163,735
9.	केरल	4,657	123,226	3,767	97,664	2,686	102,347	866	48,805
10.	मध्य प्रदेश	34,008	417,754	18,607	416,099	42,818	639,032	6,530	71,175
11.	मेघालय	37,544	498,091	34,994	481,490	19,867	490,621	8,012	193,764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ओडिशा	5,678	89,512	6,500	111,455	13,762	125,486	1,296	42,114
13.	पंजाब	12,545	74,187	11,231	65,146	16,373	65,194	4,133	31,789
14.	राजस्थान	12,213	344,704	9,314	336,586	8,200	330,374	2,266	86,210
15.	तमिलनाडु	3,024	340,177	2,564	341,344	2,172	325,090	1,566	178,021
16.	उत्तर प्रदेश	13,663	379,913	12,506	457,688	9,044	405,632	4,427	51,010
17.	पश्चिम बंगाल	40,940	268,224	33,860	277,862	17,921	256,957	5,638	66,039
18.	अरूणाचल प्रदेश	11	1,889	6	1,384	3	1,654	3	338
19.	दिल्ली	3,717	21,372	4,200	17,490	2,801	15,339	1,335	8,465
20.	गोवा	29	5,325	26	4,149	24	3,752	55	4,318
21.	हिमाचल प्रदेश	3,940	26,873	3,184	24,432	2,618	21,020	191	1,624
22.	जम्मू और कश्मीर	1,891	19,346	1,446	18,666	1,11	18,139	366	3,367
23.	मणिपुर	900	1,248	172	814	222	1,246	60	906
24.	मेघालय	9	1,924	25	1,805	14	2,016	27	1,756
25.	मिजोरम	106	3,263	3	2,533	5	2,368	0	720
26.	नागालैंड	53	437	68	1,144	7	1,639	0	1,076
27.	सिक्किम	151	121	142	407	93	146	25	46
28.	त्रिपुरा	1,090	6,228	593	3,152	412	3,631	97	2,585
29.	उत्तराखण्ड	3,868	29,554	3,003	21,459	3,778	28,774	582	3,124
30.	अरूणाचल प्रदेश	7	690	6	819	1	1027	0	701
31.	चंडीगढ़	39	2,047	45	2,028	65	1,951	54	786
32.	दादर और नगर हवेली	0	1,114	0	1,160	1	1,044	2	393
33.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	8	383	0	171
34.	लक्षद्वीप		2	1	7	0	32	0	18
35.	पुडुचेरी	19	9,177	22	9,082	13	11,205	3	5,218

*आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के योग देश के आंकड़े से कम होंगे क्योंकि रक्षा तथा रेल मंत्रालयों द्वारा की गई बंध्यीकरण शल्यिक्रियाओं को उपर्युक्त विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।

खनिज बहुल क्षेत्रों की पहचान

3733. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में खनिज बहुल क्षेत्रों की पहचान करने तथा उन्हें विशेष खनन क्षेत्र (एसएमजेड) के रूप में विकसित करने के लिए अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौह और विद्युत क्षेत्रों में संभावित अनुषंगी उद्योगों के लिए एसएमजेड के त्वरित आवंटन के फलस्वरुप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी नहीं, तथापि, प्रारुप खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 में राज्य सरकारों के लिए यह व्यवस्था है कि वे खनिजधारी क्षेत्रों का पता लगाएं और रियायत देने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने तथा ज्यादा पारदर्शी बनाने के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए पूर्वेक्षण तथा खनन पट्टे प्रदान करें। इस प्रस्ताव से खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ने की संभावना है।

कैदियों के बच्चों का कल्याण

3734. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनकी परिचर्या के लिए कोई कार्य योजना बनाई है जिनके माता-पिता जेल में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला कैदियों के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके साथ रहने की अनुमति दी जाती है, जहां उन्हें आर.डी. उपाध्याय मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिशुगृह/खेलकूद की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 6 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बच्चों को कारागार परिसर में रहने की अनुमति नहीं दी जाती है और उनकी देखभाल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है।

सरकार वर्ष 2009-10 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: समेकित बाल संरक्षण स्कीम क्रियान्वित कर रही है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में कैदियों के बच्चों सहित देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल गृह की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। उन बच्चों को, जिनके माता-पिता जेल में हैं और यदि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो इन गृहों में रखा जा सकता है। ऐसे बच्चों को इन गृहों में देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) कैदियों के बच्चों की अलग से सूचना नहीं रखी जाती हैं। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों के बाल लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	संख्या
2009-10	19,035
2010-11	76,035
2011-12	24,869

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

3735. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु आवंटित और जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए परिवार नियोजन सेवाओं के लिए निधियों के राज्यवार/संघ क्षेत्रवार आबंटन तथा उनके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लिए परिवार नियोजन के अंतर्गत व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.9.2011 तक की स्थिति के अनुसार)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
क. अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	37.94	30.08	58.15	44.43	82.42	46.10	79.17	8.41
2.	छत्तीसगढ़	20.69	10.61	21.21	13.65	22.23	14.25	19.11	3.70
3.	हिमाचल प्रदेश	4.02	2.85	4.02	3.67	3.97	2.87	4.20	0.44
4.	जम्मू और कश्मीर	3.79	1.78	2.70	1.79	2.76	1.96	3.05	0.73
5.	झारखंड	22.60	22.03	19.06	15.48	24.52	16.22	17.08	4.28
6.	मध्य प्रदेश	34.98	47.36	59.00	41.09	59.28	65.44	72.12	8.90
7.	ओडिशा	19.74	11.24	18.28	13.03	16.90	14.67	16.78	4.00
8.	राजस्थान	41.80	36.88	40.90	35.07	50.82	38.78	47.49	8.05
9.	उत्तर प्रदेश	61.97	71.26	84.81	51.43	83.45	44.27	79.06	3.25
10.	उत्तराखण्ड	5.57	4.53	3.65	3.65	5.19	3.47	4.55	0.64
ख पूर्वोत्तर राज्य									
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.55	0.34	0.30	0.12	0.34	0.21	0.34	0.04
12.	असम	9.30	3.25	17.25	.94	19.17	16.48	18.66	5.09
13.	मणिपुर	0.23	0.20	0.45	0.12	0.48	0.22	0.10	0.08
14.	मेघालय	0.38	0	0.46	0.05	0.82	0.38	0.74	0.01
15.	मिजोरम	0.30	0.34	0.47	0.30	0.45	0.28	0.53	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	नागालैंड	0.54	0.11	0.39	0.05	0.56	0.34	0.37	0.01
17.	सिक्किम	0.23	0.22	0.14	0.15	0.10	0.07	0.10	0.01
18.	त्रिपुरा	1.21	0.89	2.21	0.58	1.89	0.72	1.61	0.30
ग. अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य									
19.	आंध्र प्रदेश	73.50	52.98	62.82	61.28	27.80	30.20	34.31	7.50
20.	गोवा	0.23	0.08	0.14	0.09	0.11	0.12	0.18	0.07
21.	गुजरात	26.30	20.74	23.32	18.35	24.69	16.23	24.28	3.87
22.	हरियाणा	9.83	6.76	13.69	6.56	10.49	4.96	12.04	2.07
23.	कर्नाटक	35.50	19.92	45.15	23.71	54.46	30.12	37.36	9.70
24.	केरल	5.22	4.20	5.20	4.38	4.47	3.50	4.11	1.26
25.	महाराष्ट्र	56.63	39.44	59.13	38.02	45.99	38.56	430.14	11.61
26.	पंजाब	9.35	8.49	11.17	7.82	11.28	8.47	10.71	3.59
27.	तमिलनाडु	34.28	19.74	31.21	26.36	34.05	26.26	31.43	13.14
28.	पश्चिम बंगाल	23.00	20.06	41.13	22.73	42.50	22.41	39.96	5.92
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.03	0.10	0.05	0.10	0.05	0.04	0.03
30.	चंडीगढ़	0.25	0.07	0.17	0.09	0.15	0.10	0.17	0.05
31.	दादरा और नगर हवेली	0.11	0.11	0.14	0.11	0.15	0.11	0.19	0.04
32.	दमन और दीव	0.03	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01	0.03	0.00
33.	दिल्ली	2.90	2.21	3.12	1.72	3.63	1.46	3.63	0.30
34.	लक्षद्वीप	-	-	0.05	-	0.02	0.01	0.02	-
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	-	0.39	0.77	0.62	0.70	0.31
	कुल योग	543.02	438.87	630.03	450.30	636.06	449.93	607.33	108.55

नोट: वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए उपर्युक्त व्यय एफएमआर के लिए है तथा अनंतिम है।

पर्यटक पुलिस स्टेशन

3736. **श्री एस.एस. रामासुब्बु:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों की समस्याओं से निटपने के लिए विशेष पर्यटक पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तलिनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भ्रमण हेतु आने वाले विदेशी पर्यटकों की रक्षा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ऐसे पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी स्थापना हेतु पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक ऑर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध की रोकथाम और पर्यटक पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों के साथ अपराध या विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए विशिष्ट पर्यटक पुलिस स्टेशनों की स्थापना से संबंधित किसी भी आंकड़े को संकलित नहीं करता है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में देश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्यटक पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए पर्यटक सुरक्षा संगठन (संगठनों) के गठन के दिशा-निर्देश भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किए हैं।

केशरीपुर में जीएसआई कार्य

3737. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने मयूभंज जिले के केशरीपुर क्षेत्र में चांदी और तांबा की खोज कोई कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य को स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थगित कार्य को फिर से शुरू करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने मयूरभंज जिले के केशरीपुर क्षेत्र में केवल तांबा खनिजीकरण हेतु अनुसंधान कार्य आरंभ किया है।

(ख) केशरीपुर क्षेत्र में ओल्ड वर्किंग्स के तीन समूह यथा, (i) मुख्य केशरीपुर ब्लॉक, जहां कार्य विस्तार लगभग 1,000 मीटर की दूरी से अधिक तक है (ii) मदानसाही ब्लॉक, जहां ओल्ड वर्किंग्स का विस्तार लगभग 600 मीटर की दूरी से अधिक तक है तथा (iii) दुधियासोल ब्लॉक अस्तित्व में हैं।

(ग) जीएसआई ने उक्त कार्य निर्धारित समय में पूरा कर दिया है तथा संबंधित रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है।

(घ) उपरोक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जीएसआई ने क्षेत्र का क्षेत्रीय संसाधन मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया है।

बाल शोषण

3738. **श्री एन. चेलुवराया स्वामी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार सूचित किए गए और केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाए गए बच्चों के यौन और शारीरिक शोषण के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से पारिवारिक सदस्यों तथा अन्यों के द्वारा किए गए यौन शोषण से संबंधित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार संबधित कानूनों और प्रक्रियाओं में कोई संशोधन करने का है ताकि बाल शोषण के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा यौन एवं शारीरिक अपराधों से संबंधित रख जा रहे आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं 2010 में बालकों के विरुद्ध यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामलों की वर्ष-वार एवं राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I और II में दी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने चालू वर्ष के आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को 01 जनवरी, 2007 से 10 दिसम्बर 2011 तक बच्चों के यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित 1059 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त शिकायतों में से 156 मामले परिवार के सदस्यों एवं अन्य द्वारा यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) बाल दुर्व्यवहार के मामलों से और अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने "यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011" राज्य सभा में 23 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित किया है।

विवरण I

बच्चों के विरुद्ध यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले (वर्ष-वार)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2007	2008	2009	2010
1.	हत्या	1377	1296	1488	1408
2.	शिशु हत्या	134	140	63	100
3.	बलात्कार	5045	5446	5368	5484
4.	अपहरण एवं अगवा करना	6377	7650	8945	10670
5.	भ्रूण हत्या	96	73	123	111
6.	आत्म-हत्या के लिए उकसाना	26	29	46	56
7.	जोखिम में डालना तथा परित्याग	923	864	857	725
8.	अवयस्क बालिकाओं का प्रापण	253	224	237	679
9.	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री	40	30	32	78
10.	वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद	69	49	57	130
11.	अन्य अपराध	6070	6699	6985	7253
	कुल	20,410	22,500	24,201	26,694

विवरण II

यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1499	1321	1719	1823
2	अरुणाचल प्रदेश	4	24	33	20
3	असम	167	183	44	197
4	बिहार	675	766	1016	1843
5	छत्तीसगढ़	1024	1167	1319	1463
6	गोवा	70	80	92	79
7	गुजरात	1110	1074	968	1006
8	हरियाणा	325	269	353	303
9	हिमाचल प्रदेश	151	205	221	246
10	जम्मू और कश्मीर	26	10	18	17
11	झारखण्ड	74	71	60	54
12	कर्नाटक	266	388	308	409
13	केरल	487	549	587	596
14	मध्य प्रदेश	4290	4259	4646	4912
15	महाराष्ट्र	2707	2709	2894	3264
16	मणिपुर	49	89	72	73
17	मेघालय	71	62	83	110
18	मिजोरम	64	22	14	50
19	नागालैण्ड	7	3	0	10
20	ओडिशा	201	141	194	194
21	पंजाब	527	389	729	627

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	1252	1223	1407	1318
23.	सिक्किम	31	24	40	29
24.	तमिलनाडु	441	666	634	810
25.	त्रिपुरा	63	163	163	227
26.	उत्तर प्रदेश	2248	4078	3085	2332
27.	उत्तराखण्ड	10!	38	33	31
28.	पश्चिम बंगाल	361	513	484	880
	कुल राज्य)	18291	20486	21216	22923
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	47	41	51
2.	चंडीगढ़	53	66	71	59
3.	दादरा और नगर हवेली	11	17	11	13
4.	दमन और दीव	3	4	2	2
5.	दिल्ली	2019	1854	2839	3630
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
7.	पुडुचेरी	23	26	21	16
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2119	2014	2985	3771
	कुल अखिल भारत	20410	22500	24201	26694

उत्पादों का बढ़ा-चढ़ा कर विज्ञापन देना

3739. श्री पी. करुणाकरन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एंटी एजिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, वजन कम करने के कार्यक्रम तथा विटामिन/डायटरी सप्लीमेंट के प्रभावकारिता के दावों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाले विज्ञापनों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने हेतु कोई जांच करवाई है/कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के उपबंधों के तहत विनियामक नियंत्रण रखा जाता है औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 को नियम 148-ख अंत:स्थापित करके वर्ष 2009 में संशोधित किया गया जिसमें प्रसाधन सामग्री के लिए झूठे एवं भ्रामक दावों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। बेतुके या अप्रमाणित दावों के बारे में शिकायतों की जांच संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है

जिनके क्षेत्राधिकार में विनिर्माता अवस्थित होता हैं दिनांक 14.11. 2011 को आयोजित सांविधिक औषध परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को उनके राज्यों से उत्पन्न होने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवई करने के लिए कहा गया था।

खाद्य पदार्थों के विज्ञापन के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम 2006 की धारा 24 में किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के विज्ञापन पर प्रतिषेध का प्रावधान है जो भ्रम में छालता है या अधिनियम के उपबंधों अथवा उनके अंतर्गत बने नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करता है। उक्त अधिनियम की धारा 53 के अधीन भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान है जिसके लिए दस लाख रु. तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विनियामक नियंत्रण किया जाता है।

[हिन्दी]

माइक्रोफाइनेंस का विकास

3740. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइक्रोफाइनेंस जैसी वित्तीय सेवाओं के विकास की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में ऐसे संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म वित्त प्रभावी साधन है क्योंकि इससे गरीबों की मित्व्ययिता, उधार, भेजी हुई रकम तथा बीमा जैसी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अत: विशेष रूप से बिहार सहित कम विकसित राज्यों में ऐसी वित्तीय सेवाओं के विकास की काफी संभावना है।

ग्रामीण भारत में गरीबों को मुख्यत: स्व-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक लिंकेज मॉडल तथा सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)-बैंक लिंकेज मॉडल के जरिए सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार स्व-सहायता समूहों की सूक्ष्म वित्त-बचत के अंतर्गत प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-एफएफआई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

(i) सूक्ष्म वित्त पर जोर देने के लिए आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त को कुछेक शर्तों के अधीन प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किया है और स्व-सहायता समूह को उधार देने को प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अग्रिम के अंतर्गत लाया गया है। स्व-सहायता समूह क अपने संसाधनों के संचालन में परिपक्व होते ही, बैंक उन्हें वर्गीकृत करता है तथा उनकी बचतों के गुणकों में पात्र समूहों को ऋण उपलब्ध कराता है।

(ii) आरबीआई ने बैंकों को व्यवसाय सुविधाकारक (बीएफ) तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडलों के जरिए वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्व-सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्था तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों की सेवाएं मध्यवर्तियों के रूप में लेने की अनुमति दे दी है।

(iii) आरबीआई ने एसएचजी का वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को अपनी शाखाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की सलाह दी है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्व-सहायता समूहों को उधार देने के लिए बैंकों को पुनर्वित उपलब्ध कराता है।

(v) नाबार्ड ने एसएचजी के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण/एसएचजी की ग्रेडिंग आरम्भ की है।

(vi) नाबार्ड में 200 करोड़ रुपए की राशि से सूक्ष्म वित्त विकास तथा इक्विटी कोष का गठन किया गया है। निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है।

(vii) महिला एसएचजी को प्रोत्साहित करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि से महिला एसएचजी विकास निधि का गठन किया गया है।

विवरण I

सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत प्रगति-एसएचजी की बचतें की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार/राज्य-वार/एजेंसी-वार

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	31 मार्च, 2011	
		एसएचजी की संख्या	बचत राशि
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	35319	9920.45
2.	हिमाचल प्रदेश	53113	3708.50
3.	पंजाब	40919	4385.16
4.	जम्मू और कश्मीर	5569	387.14
5.	राजस्थान	233793	14031.70
6.	नई दिल्ली	3095	323.55
7.	चण्डीगढ़	964	100.66
	योग	372772	32857.16
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1.	असम	245120	8196.60
2.	मेघालय	10653	376.12
3.	नागालैण्ड	9866	362.99
4.	त्रिपुरा	34312	3395.30
5.	अरुणाचल प्रदेश	7079	186.31
6.	मिजोरम	4592	178.11
7.	मणिपुर	10306	240.23
8.	सिक्किम	2811	168.94
	योग	324739	13104.60
ग.	**पूर्वी क्षेत्र**		
1.	बिहार	248197	10587.31
2.	झारखण्ड	87205	14195.76
3.	ओडिशा	521152	35354.72
4.	पश्चिम बंगाल	666314	80314.14
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य)	4750	115.68
	योग	1527618	140837.61
घ.	**मध्य क्षेत्र**		
1.	छत्तीसगढ़	118167	8428.99
2.	मध्य प्रदेश	153817	11674.09
3.	उत्तराखण्ड	44295	3965.37
4.	उत्तर प्रदेश	470157	36269.56
	योग	786436	60338.01
ङ.	**पश्चिम क्षेत्र**		
1.	गोवा	7926	818.73
2.	गुजरात	192834	17303.13
3.	महाराष्ट्र	760161	64779.27
	योग	960921	82901.13
च.	**दक्षिणी क्षेत्र**		
1.	आंध्र प्रदेश	1466225	130780
2.	कर्नाटक	564545	96502.87
3.	केरल	493347	42143.58
4.	लक्षद्वीप	164	10.36

1	2	3	
5.	तमिलनाडु	943098	99723.87
6.	पुडुचेरी	22081	2430.87
	योग	3489460	371591.77
	सकल योग	7461946	701630.28

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	एनबीएफसी (एमएफआई) का नाम
1	2	3
1.	गुजरात	चंदन धारा फाइनेंस लिमिटेड
2.	कर्नाटक	उज्जीवन फाइनंसियल सर्विस लि.
3.		बीएसएस माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लि.
4.		जनलक्ष्मी फाइनेंसियल सर्विस लि.
5.	ओडिशा	मैसर्स अधिकार माइक्रो फाइनेंस प्रा.लि.
6.	आंध्र प्रदेश	अस्मिता माइक्रोफिन लि.
7.		फ्यूचर फाइनेसियल सर्विस लि.
8.		मानवीय होल्डिंग एंड इनवेस्टमेंट प्रा.लि.
9.		शेयर माइक्रोफिन लि.
10.		एसकेएस माइक्रोफाइनसेंस प्रा.लि.
11.		स्पन्दन सपोर्ट फा.लि.
12.		नेनो फाइनेंसियल सर्विस इंडिया प्रा.लि.
13.		माइक्रो सपोर्ट फाइनेंसियल सर्विस लि.
14.		सीआरईएसए फाइनेंसियल सर्विस लि.
15.		कीर्तन फाइनेंसियल लि.
16.		एसडब्ल्यूएडब्ल्यूएस माइक्रोक्रेडिट का. इंडिया प्रा.लि.
17.		जीपी मास फा.लि.
18.		साई आदर्श फा. एंड इन्वस्टमेंट इंडिया प्रा.लि.
19.		दी बेलीवेदर माइक्रोफाइनेंस फंड प्रा.लि.
20.		भारतीय समृद्धि फा. लि.
21.		जयसिनाथ फिनवेस्ट प्रा.लि.
22.		साधना इनोवेटिव फा. प्रोडक्टस एंड सर्विस लि.
23.		डोवफिन माइक्रोफाइनेंस प्रा.लि.
24.	उत्तर प्रदेश	निमिषा फाइनेंस इंडिया प्रा.लि.
25.		सोनेटा फाइनंस प्रा.लि.
26.	पश्चिम बंगाल	ग्रामीण फाइनेंसियल सर्विस प्रा.लि.
27.		बंधन फाइनेंसशियल सर्विस प्रा.लि.
28.		विलेज फाइनेंसशियल सर्विस प्रा.लि.
29.		दिशारी सेविंग्स एंड क्रेडिट का.लि.
30.	नई दिल्ली	सेजा फाइनेंस प्रा.लि.
31.		स्टार ग्लोबल रिसॉसिस प्रा.लि.
32.		विक्रम फिनलिज प्रा.लि.
33.		मिमाज इंटरप्राइजिज फा.लि.
34.		भारतीय समृद्धि फाइनेंस लि.
35.		कोमेट लिजिंग एंड फाइनेंस लि.
36.	राजस्थान	सहायता माइक्रोफाइनेंस प्रा.लि.

[अनुवाद]

आरसीएचपी का क्रियान्वयन

3741. श्री सी.एम. चांगः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के द्वारा किस हद तक बाल मृत्यु दर को रोक गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन और स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II (आरसीएच-II) देश में मातृ और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के उन्नयन पर लक्षित अनेक स्वास्थ्य कार्यकलापों, कर्यनीतियों और स्कीमों को समेकित करता है। यह कार्यक्रम 2005-2012 से चल रहा और इसका फोकस मातृ मृत्यु दर अनुपात, नवजात मृत्यु दर अनुपात और कुल प्रजनन दर में कमी लाने पर है।

प्रत्येक घटक अंतर्गत कार्यक्रम के कार्यकलाप के संबंध में विस्तृत नोट विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आसीएच-2 कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) आरसीएच-2 कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर में वर्ष 2005 में 58 से वर्ष 2009 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 50 तक गिरावट आई है।

विवरण I

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चरण-2 (आरसीएच-2) के संबंध में नोट

पृष्ठभूमि

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, चरण-II (आरसीएच) मातृ और नवजात मृत्युदर और कुल प्रजनन दरों में कमी के लिए आरसीएच-2 लक्ष्य प्रदान करने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के वृहत संरक्षण के अंतर्गत एक व्यापक क्षेत्रवार अग्रणी कार्यक्रम है। आसीएच-II का लक्ष्य गुणवत्तायुक्त प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनकी उपयोगिता में सामाजिक और भौगोलिक असमानताओं में कमी लाना है। राज्य सरकारों की भागीदारी से अप्रैल, 2005 में शुरू यह मिशन भारत सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2001 और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

आरसीएच का कार्यान्वयन राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के रूप में आवश्यकता आधारित वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को अनुमति प्रदान करके लचर प्रोग्रामिंग एप्रोच के साथ किया जा रहा है।

आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप और प्रगति का सार नीचे दिया गया है:

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यकलाप

1.1 मांग संवर्धन: जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): यह निम्न सामाजिक र्थिक स्तर की महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में जन्म देने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक राष्ट्रीय सशर्त नकदी अंतरण स्कीम है।

सांस्थानिक प्रवस के लिए नकदी सहायता (रुपए में) का मानदंड:

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	माता का पैकेज	आशा का पैकेज	माता का पैकेज	आशा का पैकेज
एलपीएस में	1400	600	1000	200
एचपीएस में	700	200*	600	200*
एचपीएस**	700	600		

*अप्रैल 1, 2009 से प्रभावी

** आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय महिलाओं में सांस्थानिक प्रवस को सुकर बनाने के लिए 15 जून, 2010 से प्रभावी।

जेएसवाई ने वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत से ही निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार अत्यधिक वृद्धि दिखाई है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	व्यय (करोड़ में)
2005-06	7.39	38.29
2006-07	31.58	258.22
2007-08	73.29	880.17
2007-09	90.37	1241.33
2009-10	100.78	1473.76
2010-11*	113.38	1618.39

*आंकड़े अनंतिम हैं।

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि जेएसवाई की शुरुआत से ही जेएसवाई के लाभार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रही है अर्थात वर्ष 2005-06 में 7.39 लाख से वर्ष 2006-07 में 31. 58 लाख, वर्ष 2007'08 में 73.29 लाख, वर्ष 2008-09 में 90. 37 लाख, वर्ष 2009'10 में 100.78 लाख तक। वर्ष 2010-11 के लिए अनंतिम रिपोर्टो के अनुसार लगभग 113.37 लाख माताओं को जेएसवाई के अंतर्गत लाभ मिला है।

इसके अतिरिक्त यूनिसेफ द्वारा आयोजित कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण, 2009 के अनुसार सांस्थानिक प्रसव में 72.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जेएसवाई स्कीम को योगदान कारकों में से एक के रूप में माना जाता है।

1.2 स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:

1.2.1 गर्भवस्था, प्रसवपूर्व परिचर्या और प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करना: पूर्ण एएनसी में 18.8 प्रतिशत (डीएलएचएम-III) से 26.5 प्रतिशत (सीईएल-2009, यूनिसेफ) तक वृद्धि हुई है।

1.2.2 निम्न के सहित अनिवार्य और आपातकाल प्रसूति रोग परिचर्या:-

1.2.3

- **जन्म पर दक्ष परिचालक (घरेलू और स्वास्थ्य सुविधाएं)-** सितंबर, 2011 के अनुसार एसबीए में लगभग 32291 नर्सिंग कार्मिकों (स्टाफ नर्स, एएनएम/एलएचवी) को प्रशिक्षित किया गया है।

- **सुविधाएं प्रचालित करना:** जून, 2011 तक 2510 फर्स्ट रेफरल यूनिटें (एफआरयू) स्थापित की गई है जिनमें 566 जिला अस्पताल, 731 उप मंडलीय अस्पताल और 1231 सीएचसी तथा अन्य स्तरीय अस्पताल शामिल हैं। जून, 2011 की स्थिति के अनुसार 7823 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और सीएचसी अथवा ब्लॉक स्तर परंतु जिला स्तर से निचले स्तर पर अन्य 949 सुविधा केंद्रों को 24x7 सुविधा केंद्रों के रूप में सुपरिष्कृत किया है।

- **महत्वपूर्ण विशेषज्ञताओं की कमी से निपटने के लिए डॉक्टरों का बहुदक्षता-** जीवनदायक संवेदाहरण दक्षताओं (एलएसएएस) और आपातकालीन प्रसूति रोग परिचर्या (ईएमसीसी) संबंधी प्रशिक्षण। सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 1070 चिकित्सा अधिकारियों को एचएसएस में प्रशिक्षित किया जाता है तथा 601 चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक ईएमओसी में प्रशिक्षित किया गया है जिसमें सी-सेक्शन शामिल हैं।

- राज्यों में एक 10 दिवसीय बुनियादी आपाकालीन प्रसूति रोग परिचर्या दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीईएमओसी) शुरू किया गया है जिसके लिए एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली में फिलहाल मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रगति पर है।

1.3 सभी स्तरों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), वाउचर स्कीम, रेफरल निधियों के जरिए रेफरल प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

1.3.1 रेफरल परिवहन: माता के रेफरल परिवहन के लिए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं। रेफरल सेवाओं के और सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित रेफरल परिवहन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं:

* हरियाणा में स्वास्थ्य वाहन सेवा नं. 102
* नई दिल्ली में केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवा (सीएटीएस)
* मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना
* पश्चिम बंगाल में एम्बुलेंस योजना

* आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मेघालय में आपातकालिक प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (ईएमआरआई) सेवा।

1.4 सुरक्षित गर्भपात सेवाएं: आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य नीतियां अपनाई गई हैं:

1.4.1 24×7 पीएचसी और एमसीएच स्तरीय 2 सुविधा केन्द्रों में 8 सप्ताह तक कम से कम एमवीए (मैनुअल वेक्यूम एस्पाइरेशन) की व्यवस्था करना।

1.4.2 एमवीए/ईवीए/एमएमए सहित सभी एफआरयू तथा एमसीएच स्तरीय 3 सुविधा केन्द्रों (जिला अस्पताल और उप जिला स्तरीय सविधा केन्द्र) में व्यापक एमटीपी सेवाएं प्रदान करना।

1.4.3 गुणवत्तायुक्त एमटीपी सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी तथा गैर- सरकारी संगठन को प्रोत्साहित करना

1.4.4 समुदाय में सुरक्षित एमटीपी के संबंध में जागरुकता बढ़ाना तथा उनकी सेवाओं की उपलब्धता

1.4.5 सुरक्षित एमटीपी तकनीकों के क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

1.4.6 एमटीपी के लिए गोपनीय परामर्श देने के लिए सहायक नर्सधात्रियों, आशा एवं अन्य क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना तथा इन कार्यकर्ताओं के जरिए गर्भपात के बाद की परिचर्या को बढ़ावा देना।

1.4.7 व्यापक सुरक्षित गर्भपात परिचर्या-राज्यों को प्रशिक्षित एवं सेवा प्रदानगी दिशानिर्देश परिचालित कर दिए गए हैं।

1.5 ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (रोग प्रतिरक्षण सहित समुदाय स्तरीय व्यापक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की व्यवस्था करना) एनआरएचएम की शुरुआत से मार्च 2011 तक कल 207 करोड़ ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किए जा चुके हैं (एनआरएचएम-एमआईएस)।

II. बाल स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण कार्यकलाप:

2.1 समेकित नवजात एवं शैशवाकालीन बीमारी उपचार (आईएमएनसीआई) जिसमें सेवा प्रदायकों का सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार (उदाहरणार्थ सुविधा उन्नयन संभारतंत्रों की उपलब्धता, रेफरल प्रणालियां) समुदाय तथा परिवार स्तरीय परिचर्या शामिल है। देश भर के 433 जिलों में आईएमएनसीआई को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा अक्तूबर, 2011 तक **492611 स्वास्थ्य कर्मियों** को आईएमएनसीआई के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी): गृह आधारित नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए आशा को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। आशा सभी नवजातों के यहां जीवन के 42 दिनों तक विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार जाएगी। प्रतिगृह करीब एक घंटे की अवधि के दौरे के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन 50/- रु. है जो पांच दौरों के लिए कुल 250 रु. है। इसका भुगतान निम्नलिखित के अध्यधीन प्रसव के 45 दिनों के बाद एकबारगी किया जाएगा:

क. एमसीपी कार्ड पर नवजात के वजन को दर्ज करना

ख. बीसीजी, ओपीवी की प्रथम खुराक तथा डीपीटी टीकाकरण

ग. माता तथा नवजात दोनों प्रसव के 42 दिनों तक सुरक्षित हों, तथा

घ. जन्म का पंजीकरण कर दिया गया हो

इसकी पुष्टि एमसीपी कार्डो के अभिलेख तथा आशा के दौरा संबंधी प्रपत्र के जरिए की जाएगी।

2.2. सुविधा आधारित नवजात तथा बाल परिचर्या:

- अक्तूबर, 2011 तक 293 रुग्ण नवजात परिचर्या एकक स्थापित किए जा चुके हैं;
- अक्तूबर, 2011 तक 1134 नवजात स्थिरीकरण एकक स्थापित किए जा चुके हैं;
- अक्तूबर, 2011 तक 8582 नवजात परिचर्या कार्नर स्थापित किए जा चुके हैं।

2.3 नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) बुनियादी नवजात परिचर्या एवं पुनरुज्जीवन के क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर लक्षित कार्यक्रम है। 44,977 चिकित्सा कर्मियों को अक्तूबर, 2011 तक एनएसएसके में प्रशिक्षित किया गया है।

2.4 शिशु एवं बाल आहार: शिशु तथा बाल आहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान की जल्दी शुरुआत (प्रसव के एक घंटे के भीतर) तथा 6 माह तक केवल स्तनपान के संवर्धन तथा सतत स्तनपान के साथ उचित समय पर संपूरक आहार पर बल दिया जाता है।

2.5 बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण का उपचार करने के लिए **पौषणिक पुनर्वास केन्द्र।** अक्तूबर, 2011 तक देश भर में 455 एनआरसी स्थापित किए गए हैं।

2.6 तीव्र श्वसनी संक्रमणों (एआरआई) तथा अतिसार रोगों के कारण रुग्णता तथा मृत्यु में कमी: जिंक तथा ओआरएस आपिर्त का संवर्धन सुनिश्चित किया जाता है।

2.7 सूक्ष्मपोषक तत्वों से संपूरण: विटामिन ए एवं आयरन संपूरकों की आपूर्ति करना।

2.8 स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परिचर्या तथा रेफरल हेतु स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम: भारत सरकार स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3,95,960 स्कूलों में 70165698 छात्रों को शामिल किया गया।

2.9 रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम जानलेवा स्थितियों में, अनिवार्य हैं, से बच्चों की सुरक्षा के लिए मुख्य कार्यकलापों में से एक हैं व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार सात वैक्सीन निवार्य रोगों अर्थात डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, बाल्यावस्था में होने वाले क्षयरोग एवं हेपेटाइटिस बी की रोकथाम करने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा, पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो कार्यक्रम पोलियो उन्मूलन के लिए चलाया जाता है तथा जापानी एंसेफ्लाइटिस (जेई) वैक्सीन जेई स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में बच्चों को दी जाती है। प्रति वर्ष उप-केन्द्रों तथा समुदाय स्तर पर करीब 90 लाख रोग प्रतिरक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं जिनमें 2.6 करोड़ बच्चों तथा 3 करोड़ गर्भवती माताओं को लक्षित किया जाता है।

2.10 पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण वर्ष 2010 के दौरान देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक पोलियो मामलों की न्यूनतम संख्या दर्ज की गई है। वर्ष 2009 में पता लगाए गए पोलियो के 741 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में पोलियो के 42 मामलों का पता चला। वर्ष 2010 में पता लगाए गए 42 मामलों की तुलना में **पूरे देश में वर्ष 2011 (2 दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान पोलियो के 1 मामले का पता चला** (पश्चिम बंगाल में जनवरी, 2011 के दौरान)। यह प्रगति और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि विगत 10 माह से देश में पोलियो के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है जो इस कार्यक्रम में कभी भी प्रत्याशित नहीं रहा है। प्रभावित जिलों की संख्या में भी गिरावट आई है जो 2008 में 90 से 2009 में 56 तथा 2010 में 17 और 2011 में अब तक (2 दिसम्बर, 2011 तक) केवल 1 रह गई है।

2.11 रोग प्रतिरक्षण के अंतर्गत अन्य प्रमुख पहलें:

- देश में सभी राज्यों में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का सार्वभौमिकरण
- तमिलनाडु तथा केरल में पेंटावैलेंट वैक्सीन (डीपीटी+हेपे. बी.+हिब) की शुरुआत
- रोग प्रतिरक्षण के बाद किसी प्रतिकूल घटना से तुरन्त निपटने के लिए राज्य तथा जिला एईएफआई समितियों की स्थापना।

III. परिवार नियोजन संबंधी कार्यकलाप

3.1 निम्नलिखित के जरिए गर्भनिरोधन के क्षेत्र में **अपूरित आवश्यकता को पूरा करना**

3.1.1 परिवार नियोजन सेवाओं की सुनिश्चित प्रदानगी

3.1.2 सेवा प्रदायकों का क्षमता निर्माण

3.1.3 नो स्केलपल वैसेक्टॉमी (एनएसवी) के जरिए **पुरुष भागीदारी** को बढ़ाना

3.1.4 अल्प एवं दीर्घकालीन जन्म अंतराल विधि के रूप में अंतर गर्भाशयी **गर्भनिरोधक युक्ति (आईयूसीडी) को बढ़ावा देना**

3.2 परिवार नियोजन बीमा योजना

3.3 सार्वजनिक निजी सहभागिता में संवर्धन

3.3.1 केन्द्रीय राज्य और जिला स्तरों पर और नियमित मानीटरिंग से गुणवत्ता आश्वासन समितियों की स्थापना करके परिवार नियोजन सेवाओं गुणवत्ता परिचर्या सुनिश्चित करना।

3.4 गर्भ निरोध में अनेक विकल्पों में वृद्धि करना।

IV. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन

4.1 स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन में कमी को पूरा करने के लिए संविदा आधार पर स्टाफ की सेवा किराए पर लेने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। मार्च, 2011 तक 60268 सहायता नर्स धात्रियां, 7063 विशेषज्ञ चिकित्सक और 33667 स्टाफ नर्से नियुक्त की गई हैं।

4.2 स्वास्थ्य और इसके सामाजिक निर्धारकों संबंधी जागरुकता सृजित करने और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति समुदाय को एकत्रित करने और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करने तथा अच्छे स्वास्थ्य कार्यों में संवद्धन करने के लिए मार्च, 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर 8.49 लाख आशा कार्यकर्ता नियुक्त की गई हैं।

4.3 कार्यक्रम की योजना बनाने और उसके निष्पादन में प्रबंधन सहायता प्रदान करन में राज्यों को सहायता देने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 15095 कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ नियुक्त किए गए हैं।

V. कार्यक्रम समीक्षा और मानीटरिंग

5.1 समीक्षा मिशन

आरसीएच कार्यक्रम में राज्यों द्वारा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक समीक्षा की जाती है। समीक्षा जिसे संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) के रूप में जाना जाता है, राज्य सरकारों और डीपी की सहायता और सहभागिता से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। क्षेत्रीय प्रेक्षणों के आधार पर राज्यों की सिफारिश और उनकी भागीदारी के साथ एक सहायक विवरण तैयार किया गया है। अब तक संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए हैं। सातवां जेआरएम जुलाई-अगस्त, 2010 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया।

5.2 मानीटरिंग एवं मूल्यांकन

राज्यों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक समीक्षा मिशनों के अलावा कई अन्य तंत्र स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से तथा बाह्य एजेंसियों की सहायता से मानीटरिंग की जाती है।

5.2.1 मंत्रालय के अधिकारियों तथा परामर्शदाताओं का एक दल आंतरिक मानीटरिंग के एक भाग के रूप में राज्य में एक सप्ताह का दौरा करता है। दौरा के दौरान दल स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा प्रदानगी के संदर्भ में आसीएच कार्यक्रम के विभिन्न तकनीकी संघटकों का प्रेक्षण करता है। मानीटरिंग में कार्यक्रमों के अन्य भागों अर्थात् प्रशिक्षण, मानव संसाधन, कार्यक्रम प्रबंधन इत्यादि में भी ध्यान दिया जाता है। रिपोर्ट के रूप में क्षेत्रीय प्रेक्षण पर आधारित सिफारिशों को राज्यों के साथ शेयर किया जा रहा है।

5.2.2 मूल्यांकन सर्वेक्षण-एम एंड डी प्रभाग आवधिक सर्वेक्षण नामतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस), सुविधा सर्वेक्षण आयोजित करता है।

5.2.3 क्षेत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन की मानीटरिंग और मूल्यांकन करता है।

VI. आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत नई कार्य नीतियां और क्रियाकलाप

6.1 माता और शिशु पहचान पद्धति

भारत सरकार ने नवजात के रोग प्रतिरक्षण के साथ समयोचित एनएनसी, संस्थागत प्रसव तथा पीएनसी की व्यवस्था के लिए नाम के आधार पर प्रत्येक गर्भवती महिला की पहचान करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है। गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य इस पद्धति को अपनाने और इसका विस्तार करने के लिए आगे आ रहे हैं। चूंकि सभी राज्य 1 अप्रैल, 2010 से हार्डकपी में आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और एमसीटीएस का ग्राफ लाइन वर्णन भी शुरू किया गया है जिससे डाटा कैप्चरिंग स्टेटस में वृद्धि होगी। एमसीटीएस सेन्ट्रल सर्वर पर डाटा अपलोड करने की वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 128.90 लाख गर्भवती महिलाओं और दिनांक 19.12.2011 तक 71.17 लाख बच्चों के आंकड़े रखे गए हैं।

6.2 मातृ मृत्यु समीक्षा

जिला स्तर और कार्य बल और राज्य स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (एमडीआर) समितियों की सूचना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और समुदाय दोनों में प्रत्येक मातृ की मृत्यु की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा का उद्देश्य सेवा प्रदानगी में अंतर प्राप्त करना है जिससे मातृ मृत्यु को रोका जा सके और सेवा प्रावधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। सभी राज्यों द्वारा एमडीआर के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है।

6.3 विभेदी योजना और सहायक पर्यवेक्षण

एमडीजी लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी जाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों, विकास भागीदारों और व्यवसायिकों के समर्पित संयुक्त दलों के माध्यम से व्यापक जिला योजना और सहायक पर्यवेक्षण सुनिचित करके आसीएच निष्कर्षों में क्षेत्रीय विषमताओं को कम करके और शीघ्रता से सुधार करके विशेष ध्यान देते हुए 264 पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।

6.4 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

एक नया नामतः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) दिनांक 1 जून, 2011 को शुरू की गई है जिसमें सार्वजनिक

स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्कुल निःशुल्क प्रसव करवाने वाली सभी गर्भवती महिलाएं हकदार हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और जन्म के तीस दिन के बाद उपचार करवाने वाले नवजात-रुग्ण बच्चों की मुफ्त हकदारी निम्नलिखित है-

1. निःशुल्क और नकदी रहित प्रसव।
2. निःशुल्क सी-सेक्शन।
3. निःशुल्क औषधियां और उपभोज्य।
4. निःशुल्क निदान।
5. स्वास्थ्य संस्थाओं में ठहरने के दौरान निःशुल्क आहार।
6. सक्त का निःशुल्क प्रावधान।
7. उपभोक्ता प्रभारों से छूट।
8. घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक निःशुल्क परिवहन।
9. रेफरल के मामले में सुविधा केन्द्रों के बीच निःशुल्क परिवहन।
10. 48 घंटे रुकने के बाद संस्थान से घर तक वापस लाने की निःशुल्क सुविधा।

जबकि 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 32 राज्यों ने योजना के कार्यान्वयन को शुरू किया है, सभी हकदारियों के लिए 19 राज्यों की सूचीबद्ध किया जा चुका है।; 1 या 2 हकदारियों को छोड़कर 13 राज्यों ने भी योजना के कार्यान्वयन को शुरू किया है और शेष 3 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड) से शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क हकदरी प्रदान करने के लिए वर्ष 2011-12 के राज्यों को 1,437 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आबंटित की गई है।

विवरण II

वित्त-वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आएसी.एच नम्य पूल के अंतर्गत

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.82	0.82	0.41	0.88	0.80	0.54	1.00	0.94	0.47	1.18	0.00	246
2.	आंध्र प्रदेश	176.53	176.53	166.22	187.22	186.86	138.71	212.55	209.19	87.92	235.74	0.00	58.86
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.46	9.46	13.57	12.92	12.92	13.57	12.14	19.73	16,90	12.93	12.89	7.66
4.	असम	230.33	230.33	182.08	314.78	314.55	154.62	295.64	14800	241.38	316.76	0,00	15049
5.	बिहार	251.17	351.17	258.21	266.36	266.36	331.76	30241	327.41	425.95	333.91	333.91	154.34
6.	चण्डीगढ़	2.11	1.29	1.43	2.23	2.22	1.28	2.53	2.10	1.73	2.76	0.00	1.40
7.	छत्तीसगढ़	63.01	63.01	45.66	77.12	77.12	58.55	87.56	97.56	90.64	96.58	72.44	44.09
8.	दादरा और नगर हवेली	0.53	0.41	0.54	0.55	0.59	0.80	0.62	2.42	1.55	0.79	0.00	0.99
9.	दमन और दीव	0.38	0.11	0.28	0.39	0.46	0.40	044	0.25	0.32	0.40	0.15	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	दिल्ली	32.12	20.13	17.32	34.07	34.01	18.70	38.69	29.02	22.46	42.18	0.00	15.38
11.	गोवा	3.13	2.18	0.66	3.32	1.84	0.99	3.77	2.00	2.34	4.34	0.00	0.45
12.	गुजरात	117.94	79.09	94.58	125.09	124.85	122.81	142.02	162.02	170.11	156.90	156.90	48.10
13.	हरियाणा	49.16	49.16	35.53	52.12	52.12	37.21	59.18	59.18	62.95	65.44	65.44	30.49
14.	हिमाचल प्रदेश	18.42	14.06	11.95	22.54	22.49	11.67	25.59	19.19	20.43	28.38	0.00	4.39
15.	जम्मू और कश्मीर	30.51	28.74	12.87	37.34	37.27	25.21	42.40	42.40	37.91	46.91	46.91	10.69
16.	झारखंड	31.55	81.55	138.72	99.79	99.60	54.39	113.29	110.35	109.14	124.97	122.91	50.57
17.	कर्नाटक	122.92	122.92	113.36	130.37	130.37	155.00	148.01	183.01	163.59	163.60	163.60	70.34
18.	केरल	74.23	74.23	75.19	78.71	78.56	86.13	89.36	78,62	78.37	98.56	63.51	28.09
19.	लक्षद्वीप	0.15	0.06	0.49	0.15	0.53	0.91	0.17	0.87	0.60	0.40	0.40	1.05
20.	मध्य प्रदेश	18300	316.84	350.57	194.07	244.07	340.74	220.34	271.34	375.84	242.84	182.13	146.13
21.	महाराष्ट्र	225.55	82.95	170.25	23919	236.12	159.85	271.56	234.61	189.69	299.61	299.61	108.97
22.	मणिपुर	20.60	15.66	0.92	28.16	28.16	8.37	26.44	0.00	13.45	25.86	0.00	1.95
23.	मेघालय	19.93	12.64	6.08	27.23	23.48	6.64	25.58	0.00	10.29	27.71	0.00	2.11
24.	मिजोरम	7.77	7.77	8.52	10.62	10.43	8.72	9.97	16.04	12.47	10.62	0.00	675
25.	नागालैण्ड	17.22	17.22	10.99	23.54	20.59	9.25	22.11	0.00	17.17	23.55	16.58	6.70
26.	ओडिशा	111.24	111.24	128.08	117.97	117.97	159.73	133,94	153.94	191.05	147.83	147.83	85.16
27.	पुदुचेरी	2.28	1.40	1.63	2.41	2.40	2.61	2.73	3.73	3.88	3.15	3.15	2.54
28.	पंजाब	56.63	56.63	41.54	60.05	59.81	46.14	68.18	68.18	68.08	75.30	58.53	15.17
29.	राजस्थान	171.15	297.44	28.45	181.50	181.50	279.94	206.06	231.06	286.90	227.07	113.54	151.16
30.	सिक्किम	4.73	4.73	5.16	6.46	6.35	4.62	6.07	3.65	4.04	6.46	5.16	2.99
31.	तमिलनाडु	144.79	144.79	95.49	153.55	153.55	133.82	174.33	163.08	152.69	193.17	96.59	86.44
32.	त्रिपुरा	27.69	25.29	14,16	37.85	36.79	19.25	35.55	23.73	16.64	37.86	0,00	6.65
33.	उत्तर प्रदेश	503.25	373.25	459.16	533.6	533.68	555.97	605.90	605.90	655.09	668,60	334.30	220,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	उत्तराखंड	25.71	25.71	40.85	31.45	31,45	29.16	35,70	40.70	37.91	3942	39.42	19.63
35.	पश्चिम बंगाल	187.02	157.02	122.78	198.32	197.94	146.63	225.17	133.58	140.96	247.97	177.82	98.19
	कुल जोड़	2973.03	2955.83	2928.80	3292.00	3327.91	3124.69	3647.00	3443.80	3710.91	4009.75	2513.72	1641.85
36.	अन्य	3.00	2.56	0.00	3.00	1.17	0.00	300	021	0.00	3.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	2976.03	2958.39	2928.80	3295.00	3329.01	3124.69	3650.00	344401	3710.91	4012.75	2513.72	1641.85

* प्रकार अनुदान में शामिल करने को निर्दिष्ट करता है।
वित्त-वर्ष 2010-11 और 2011-12 (30.9.2011 तक) के लिए व्यय अनन्तिम है।
गोवा, ज. और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और पंजाब राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 हेतु व्यय 30.6.2011 तक है।
वित्त वर्ष 2011-12 के लिए रिलीज अनीन्तम हैं और 5.11.2011 तक अद्यतित हैं।
उपर्युक्त रिलीज केन्द्र सरकार के अनुदान से सम्बन्धित हैं तथा इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

तीर्थयात्रियों हेतु स्वास्थ्य देखभाल सुविधा

3742. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू/श्रीनगर तथा अमरनाथ की तीर्थयात्रा पर जाने वाले यात्रियों को खराब मौसम की स्थितियों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) अमरनाथ तीर्थयात्रियों को हेल्थ केयर सुविधाएं और अन्य सुख-सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार की है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनको राज्य सरकार के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की गई है।

10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से संबंधित पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है:

1. 100.00 लाख रुपए की लागत से अमरनाथ यात्रा परिपथ पर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
2. अमरनाथ जी पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत 700.00 लाख रुपए की लागत से श्री अमरनाथ जी कैंप में अस्थायी कैंपों/अन्य सुविधाओं की स्थापना करना।
3. गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत 443.92 लाख रुपए की लागत से सोनमार्ग बाउल और श्री अमरनाथ जी तीर्थ मंदिर से बालटाल बेस कैंप तक के रास्ते में मार्गस्थ सुविधाओं का विकास।

[अनुवाद]

पेंशनरों का उपचार

3743. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर बीमारियों सहित उपचार की अनुमति मांगने वाले पेंशनभोगियों के आवेदन निदेशक, सीजीएचएस के कार्यालय/मंत्रालय में औसतन दो वर्षों से लंबित तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ पेंशनभोगियों जिन्हें आर्थोट्रापिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाना था परन्तु निदेशक, सीजीएचएस दिल्ली द्वारा उक्त ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक वर्ष से भी अधिक अवधि तक अनुमति नहीं दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु की खबर सरकार के ध्यान में आयी है तथा यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है तथा पेंशनभोगी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने शोक संतप्त परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि उपर्युक्त मामलों में घटित स्थिति से बचने के लिए पेंशनभोगियों को सीजीएचएस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी पसंद के किसी भी निजी अस्पताल में कैश-लैस आधार पर अपना उपचार करवाने की अनुमति होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) श्री बाबा साहेब, जिनका सीजीएचएस कार्ड सं. 93444 है, कर्कट-यकृत रोग सहित एचसीबी संबंधी चिरकालिक यकृत रोग से पीड़ित थे और उन्हें पेगीलेटेड इंटरफेरोन (पेगासिस 90 एमसीजी) की सलाह दी गई थी। रोगी ने दिनांक 21.7.05 को यकृत प्रत्यारोपण के लिए अनुरोध किया था। निदेशालय ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए रोगी से अपेक्षित दस्तावेज और अन्य सूचना मांगे थे। सीजीएचएस द्वारा ऐसी सूचना कभी प्राप्त नहीं हुई, न तो रोगी से कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। यह वर्ष 2005-06 का मामला है। सीजीएचएस के अंतर्गत यकृत प्रत्यारोपण एक अनुमोदित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मामलों में ऐसी मंहगी प्रक्रिया आवश्यकता का पता लगाने के लिए तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाती है। सुविधा के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए अंतरंग उपचार/जांच हेतु पूर्व अनुमति सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी चिकित्सा योजनाओं की मुख्य विशेषता है।

(ङ) और (च) सीजीएचएस में मौजूदा व्यवस्थाओं के अंतर्गत, पेंशनर सीजीएचएस से रेफरल प्राप्त करने के बाद किसी सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल में नकदी रहित उपचार के लिए हकदार है। यह नकदी रहित सुविधा सीजीएचएस और अस्पतालों के बीच हुए द्विपक्षीय करारों के तहत दी जाती है। गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से नकदी रहित सुविधा देना संभव नहीं है।

भारत का एक अरबवां बच्चा

3744. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी बच्चे को एक अरबवां बच्चा घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चे को देश का एक अरबवां बच्चा होने के नाते उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परिचारिकाओं की स्थिति

3745. श्री एंटो एंटोनी:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में विशेषकर निजी अस्पतालों में नर्सिंग पेशे की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नर्सों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करने, कम वेतन का भुगतान करने, अधिक देर तक काम लेने, चिकित्सा सुविधा के अभाव आदि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी और सरकारी अस्पतालों में परिचारिकाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी और कार्य घंटों को निर्धारित करने हेतु एक समान नीति लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अस्पताल द्वारा परिचारिकाओं को एक साल के भीतर नौकरी नहीं छोड़ने के बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने पर जोर देने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं अदा करने के लिए अस्पताल के विरुद्ध राज्य सरकारों को सरकार द्वारा जारी किया गया अनुदेश क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनेक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मामले की जांच की गई है। स्वास्थ्य राज्य का मामला है, इसलिए निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार लाने और उनको विनियमित करने से संबंधित मामला उन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है जिनमें निजी अस्पताल स्थित है। निजी क्षेत्र में कार्यरत नर्सों के न्यूनतम वेतन इत्यादि सहित उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए व्यापक विधान अधिनियमित करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए दिनांक 7.07.2010 के पत्र के तहत सभी राज्य सरकारों से कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय उपचर्या परिषद ने एक पहल की है और दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि विद्यार्थी से सेवा बंधपत्र प्राप्त करने/मूल प्रमाण पत्र जबरदस्ती रखने संबंधी अनैतिक कार्य की सूचना मिलती है तो ऐसी स्थिति में दोषपूर्ण संस्थओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्विस आतिथ्य समूह

3746. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विस आतिथ्य समूह मोवेनपिव भारतीय होटल प्रबंधन में काफी पैसा लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इसकी वर्तमान उपस्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसने देश में नए स्थानों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कुछ रियायत प्रदान कर इस क्षेत्र में और अधिक विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (घ) होटलों का निर्माण एवं विकास मुख्य रूप से निजी क्षेत्रक गतिविधि है। पर्यटन मंत्रालय भावी होटलों की परियोजना को अनुमोदित करता है और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रचालित होटलों का वर्गीकरण करता है। भारत में पर्यटन सेक्टर की वृद्धि के परिणामस्वरूप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रैंड भारत के होटल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट दी गई है कि मोवेनपिक होटल एवं रिजॉर्ट भारत में होटलों को खोलने की योजना बना रहे हैं।

(ङ) और (च) देश में होटल आवास की वृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) होटल एवं पर्यटन संबंधी उद्योग उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में घोषित हैं और लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अनुपालन की शर्त पर 'होटलों एवं पर्यटन क्षेत्र' में ऑटोमेटिक रूट के अधीन 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ii) होटलों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर मुंबई और दिल्ली के राजस्व जिले को छोड़कर यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व विरासत स्थल' वाले निर्धारित जिलों में स्थापित दो, तीन चार सितारा होटलों के लिए वर्ष 2008-09 के बजट में पांच वर्ष के कर अवकाश की घोषणा की गई है। होटल का निर्माण और उसमें काम की शुरुआत 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान होनी चाहिए।

(iii) सरकार ने हाल ही में भारत में कहीं भी 2 सितारा श्रेणी एवं इससे ऊपर की श्रेणी वाले नए होटलों के लिए आयकर अधनियम की धारा 35 एडी के अधीन निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन के एक्सटेंशन की घोषणा की है

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी कमर्शियल रीयल एस्टेट (सीआरई) एक्सपोजर्स के रूप में एक्सपोजर्स के वर्गीकरण पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार, आरबीआई ने होटलों के एक्सपोजर्स को सीआरई एक्सपोजर्स से बाहर वर्गीकृत किया है।

विधायी निकायों के खाते

3747. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर विधायी निकायों के खाते सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) विधायी निकायों द्वारा विए गए भारी खर्च की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) इन निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत की जाती है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) इस व्यय की लेखापरीक्षा संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय की जोखिम आधारित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार

3748. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भ्रष्टाचार और गबन के मामलों में शामिल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक-वार/पद-वार कितने लोगों के विरुद्ध जांच शुरु की गई है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) संदेह के घेरे में होने के बावजूद कितने लोगों की पदोन्नति की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातियों हेतु आय सृजन कार्यक्रम

3749. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय परिवारों को जनजातीय उप योजना के अंतर्गत दी जाने वाली विशेष केनद्रीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई है;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केनद्रीय सहायता को शुरू करने हेतु तथा उक्त योजना के अंतर्गत हुए व्यय को स्वीकृति देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अनुरोध कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (बेएसपी को एससीए) के कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सहित 22 राज्यों से प्राप्त योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र प्रस्तावों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। ये निधियां बीपीएल अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार व आय सृजन कार्यकलापों के लिए वार्षिक रूप से निर्मुक्त की जाती हैं।

(ग) से (ङ) टीएसपी को एससीए के कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है और अनुदान प्राप्त कर रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को निर्मुक्त अनुदान निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
2008-09	1276.00
2009-10	1179.40
2010-11	1506.00
2011-12	750.00

[हिन्दी]

बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

3750. श्री रामकिशुनः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों/बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कथित अनियमितता शिकायतों तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु कोई संस्थागत तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2007-08 से कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा कदाचारों हेतु बोर्ड स्तर के नियुक्त अधिकारियों तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रकृति तथा संख्या बैंक/वर्ष-वार कितनी है;

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तथा ऐसी शिकायतों/अनियमितताओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसबी में भ्रष्टाचार के मामलों तथा अनियमितताओं को रोकने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सतर्कता संबंधी नियम-पुस्तिका में सांस्थानिक व्यवस्था विहित है। केन्द्रीय सरकार के भ्रष्टाचार-निरोधी उपायों के लिए (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग; (ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय लोक उद्यमों और अन्य स्वायत्त संगठनों की सतर्कता इकाइयां; (iv) अनुशासनिक प्राधिकारी; और (v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग का विशेष जांच प्रकोष्ठ और मंत्रिमंडल सचिवालय में अधिकारियों का एक समूह भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदशक मंडल स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निदेशक मंडल स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में ऋण प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता निपटानों, बट्टे खाते डालने, अन्य बैंकों से अधिकार में लिए गए खातों के संबंध में भ्रष्टाचार करने, अग्रिम देने में अनियमितताएं बरतने, आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग करने, असमानुपाती परिसंपत्तियों को रखने, आदि से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।

वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 और वर्ष 2011 की जनवरी से जुलाई महीनों की अवधि के दौरान श्रेणी-V और इससे ऊपर के स्तर के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 83, 116, 101, 107 और 48 है। वर्ष/बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसी शिकायतों की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों/प्रत्यक्ष पूछताछ अधिकारियों द्वारा की जाती है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उनके आचरण एवं अनुशासनिक नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सरकार में प्राप्त होने वाली अनेक शिकायतें गुमनाम या छद्‌दनाम से की जाती हैं अथवा सारहीन होती है। प्रथम चरण में ऐसी शिकायतें दर्ज की जाती हैं या संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं। शेष शिकायतें उनकी सत्यता/आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपने हाथ में ली जाती हैं। ऐसी शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	स्थिति	मामलों की संख्या
1.	जिनकी सिफारिश मामलों को बंद करने के लिए की गई	175
2.	जिनकी सिफारिश भारी दण्ड के लिए की गई	6
3.	जिनकी सिफारिश प्रशासनिक कार्रवाई के लिए की गई	6
4.	जांच के विभिन्न चरणों के अधीन	48
	योग	235

वर्ष 2007 से जून 2011 तक की इस अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 62 मामलों की जांच की है जिनमें से 44 मामलों

को निपटा दिया गया है और 18 मामलों की अभी भी जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ियों और अनाचारों का निवारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिपत्र जारी किए हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण परिपत्र नीचे दिए गए हैं:

(i) बैंकों में धोखाधड़ियां और अनाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समिति की सिफारिश पर डीओओडी का दिनांक 25.08.1992 का परिपत्र।

(ii) बैंकों में लेखा-परीक्षा पद्धतियों के आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण पर कार्यबल की सिफारिशों का सम्प्रेषित करने वाले डीबीएस का दिनांक 01.11.1996 का परिपत्र।

(iii) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में आंतरिक सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने पर डीबीएस का दिनांक 20.9.2004 का परिपत्र।

(iv) धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रबंधन कार्य पर डीबीएस का दिनांक 16.09.2009 का परिपत्र।

(v) धोखाधड़ी को रोकने के लिए न्यायिक संवीक्षा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निष्कर्षों के बारे में डीबीएस का दिनांक 31.05.2011 का परिपत्र।

बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक धोखाधड़ी पर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और उसके बीच आयोजित संरचनात्मक (स्ट्रकचर्ड) बैठकों में इन मामलों पर विचार-विमर्श कर सकता है।

विवरण

वर्ष 2007 से 2011 (जुलाई 2011 तक) के दौरान स्केल-V और उससे ऊपर के स्तर के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध सीवीसी में प्राप्त शिकायतों का वर्ष/बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद बैंक	2	5	3	7	1
2.	आन्ध्रा बैंक	–	2	3	2	1
3.	बैंक आफ इंडिया	12	5	2	2	4
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1	2	1	1	–
5.	बैंक आफ बड़ौदा	1	7	2	1	1
6.	केनरा बैंक	–	2	4	4	2
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	11	5	11	5
8.	कार्पोरेशन बैंक	–	2	1	2	1
9.	देना बैंक	2	2	5	–	2
10.	इंडियन बैंक	–	–	2	1	3
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1	3	2	1	–
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	3	2	4	4	1
13.	पंजाब नेशनल बैंक	5	18	8	20	4
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7	9	9	7	2
15.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2	–	1	2	–

1	2	3	4	5	6	7
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	3	2	–	1	1
17.	भारतीय स्टेट बैंक	6	12	24	19	5
18.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	–	–	–	–
19.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1	–	–	1	–
20.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2	–	–	5	2
21.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	–	1	–	–	–
22.	सिंडिकेट बैंक	13	12	9	1	1
23.	यूको बैंक	5	1	4	7	3
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	12	14	9	7	5
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	1	3	1	2
26.	विजया बैंक	1	3	–	–	2
	सकल योग	83	116	101	107	48
13.	पंजाब नेशनल बैंक	5	18	8	20	4
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7	9	9	7	2
15.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2	–	1	2	–
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	3	2	–	1	1
17.	भारतीय स्टेट बैंक	6	12	24	19	5
18.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	–	–	–	–
19.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1	–	–	1	–
20.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2	–	–	5	2
21.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	–	1	–	–	–
22.	सिंडिकेट बैंक	13	12	9	1	1
23.	यूको बैंक	5	1	4	7	3
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	12	14	9	7	5
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1	1	3	1	2
26.	विजया बैंक	1	3	–	–	2
	सकल योग	83	116	101	107	48

[अनुवाद]

खनन कंपनियों पर कर

3751. श्री तथागत सत्पथी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खनन कंपनियों पर नए कर लगाने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे स्थानीय विकास के लिए अपने लाभ के एक हिस्से को बांट सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा सहित खनिज बहुल राज्यों ने हाल ही में इसी प्रकार की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) लोक सभा में 12 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत खान एवं खनिज (विकास और विनियनम विधेयक, 2011 (एमएमडीआर विधेयक) के प्रारूप के अनुसार केन्द्र सरकार सीमा और उत्पाद कर के आधार पर प्रमुख खनिजों पर अधिक से अधिक ढाई प्रतिशत सेस लगा एवं वसूल कर सकती है। प्रारूप विधेयक में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रमुख एवं गौण खनिजों पर अधिक से अधिक रॉयल्टी का दस प्रतिशत सेस लगा और वसूल कर सकती है। प्रारूप विधेयक में सह भी प्रावधान है कि सभी पट्टाधारक स्थानीय विकास हेतु जिला स्तर पर स्थापित जिला खनिज फाउंडेशन में प्रतिवर्ष निम्नानुसार भुगतान करेंगे-

(i) प्रमुख खनिजों (कोयल को छोड़कर) के मामले में रॉयल्टी के बराबर राशि

(ii) कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26 प्रतिशत के बराबर राशि; तथा

(iii) गौण खनिजों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि।

(ग) से (ङ) छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य सरकारों ने आग्रह किरूा था कि स्थानीय विकास हेतु रॉयल्टी के गुणकों के संबंध में अलग राशि निर्धारित करने के लिए खनन कानून में प्रावधान किया जाए। प्रारूप एमएमडीआर विधेयक, 2011 में राज्य सरकार की इस चिंता के समाधान हेतु प्रावधान किए गए हैं।

[हिन्दी]

सीजीएचएस लाभान्वितों के लिए योग

3752. श्री महाबल मिश्रा:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नयी दिल्ली स्थिति मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सहित विभिन्न योग संस्थानों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभान्वितों को निःशुल्क योग सिखाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। सीजीएचएस दिल्ली में योग की निवारक स्वास्थ्य परिचर्या यूनिट की स्थापना दिसंबर, 2007 से 10 कल्याण केंद्रों अर्थात; (1) किंग्सवे कैंप (2) नोएडा (3) जनक पुरी (4) नांगल राया (5) हरी नगर (6) दिल्ली कैंट (7) पंडारा रोड (8) एमबी रोड (9) सादिक नगर और (10) किदवई नगर में की गई थी।

उपर्युक्त के अलावा हाल ही में सीजीएचएस कल्याण केन्द्रों पर जून, 2011 से (1) पूसा रोड (2) पालम कॉलोनी (3) गाजियाबाद (4) लक्ष्मी नगर (5) शाहदरा (6) चाणक्यपुरी (7) आर.के.पुरम VI (8) लक्ष्मीबाई नगर (9) लाजपत नगर और (10) पुष्प विहार में 10 और योग केंद्रों की स्थापना की गई है और इन सभी योग केंद्रों का प्रबंधन नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा किया जाता है।

मृतकों के आश्रितों को रोजगार

3753. डॉ. बलीराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की विगत तीन वर्षों में, आज तक, राज्य-वार, सेवा के दौरान मृत्यु हुई;

(ख) कितने मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को विभिन्न विभागों में वर्ष-वार/राज्य-वार नौकरी दी गई और इस प्रयोजनार्थ क्या मापदंड अपनाए गए; और

(ग) सभी मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को कब तक रोजगार दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चार विभाग हैं:

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2. स्वास्थ्य अनुसंधान
3. आयुष विभाग
4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन विभाग (नाको)

आज तक इस मंत्रालय के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त चार विभागों में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई है:

1.	श्री नाहर सिंह,	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2.	श्री सुनील कुमार सैनानी,	अनुभाग अधिकारी
3.	श्री जे.पी. पाण्डे,	अनुभाग अधिकारी
4.	श्री सतीश कुमार,	निजी सचिव
5.	श्री एल.सी. भागिया	निजी सचिव
6.	श्री प्रवीण, वी.एस.,	अवर श्रेणी लिपिक
7.	सुश्री मनमोहनी शुक्ला,	उच्च श्रेणी लिपिक
8.	श्री आजाद सिंह,	उच्च श्रेणी लिपिक
9.	श्री एस.एस. कटारिया,	उच्च श्रेणी लिपिक
10.	श्री राकेश भाटिया	कार्यक्रम अधिकारी
11.	श्री घुरल मेहतो,	ग्राफोटाइप आपरटर
12.	श्रीमती राजकुमारी	सांख्यिकी इनवेस्टिगेटर, ताहिलरामानी, ग्रेड-II
13.	श्री के.डी. चक्रवर्ती,	कोडर
14.	श्री पी.के. होम,	सहायक निदेशक
15.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद,	चपरासी
16.	श्री चन्द्र,	सफाईवाला

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मृतकों के किसी आश्रित को रोजगार नहीं दिया है।

(ग) प्रत्येक मामले पर, रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित मेरिट पर विचार किया जाना होता है।

प्रसव-पूर्व और प्रसव-उपरांत मृत्यु

3754. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रसव-पूर्व और प्रसव-उपरांत हुई मौतों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुंदीप बंदोपाध्याय): (क) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर मौतों की संख्या संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, भारत के महापंजीयक का कार्यालय पेरीनेटल मौतों (मृत-बच्चे का जन्म और जन्म होने के 7 दिन के अंदर मृत्यु) और नवजात शिशु मौतों (जन्म के 28 दिनों के भीतर मौतें) पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के अधिकांश राज्यों में पेरीनेटल मौतों और नवजात शिशु मौतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) देश में शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

1. जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना: कुशल जन्म परिचरों द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु में ही कमी लाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। जेएसवाई को शुरु करने से संस्थागत प्रसवों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005 में 7.39 लाख से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 113.38 लाख हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के आधारभूत ढांचे को भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक प्रसूति परिचर्या सेवाएं और आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

2. बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या पर जोर: बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए सुविधा केन्द्र जैसे कि विशेष

नवजात परिचर्या एकक, नवजात स्थिरीकरण एकक और विभिन्न स्तरों पर नवजात शिशु कार्नरों को स्थापित करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जोर दिया जाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। इस समय, 293, एसएनसीयू, 1134 एनबीएसयू और 8582 एनबीसीसी कार्य कर रहे हैं।

3. **स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण:** बच्चों के सामान्य रोगों के शीघ्र निदान और रोग प्रबन्धन और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, माताओं की परिचर्या के लिए चिकित्सकों, नर्सों और एएनम को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण हैं:-आईएमएनसीआई, एनएसएस के एसबीए, एलएसएएस, ईएमओसी, बीएमओसी आदि।

4. **कुपोषण का प्रबंधन:** चूंकि कुपोषण से बच्चों की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इस प्रकार इससे बच्चों में मृत्यु और रोगों की संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुपोषण के प्रबंधन के लिए बल दिया जा रहा है। गंभीर तीव्र कुपोषण के प्रबंधन के लिए 480 पौषणिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। चूंकि स्तनपान से नवजात मृत्यु में कमी होती है, इसलिए पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से केवल स्तनपान कराना और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से शिशु तथा छोटे बच्चों के लिए आहार के उपयुक्त तौर-तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माताओं को पौषणिक परामर्श प्रदान करने और बाल परिचर्या पद्धतियों में सुधार लाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य और पौषणिक दिवस आयोजित किए जा रहे हैं।

5. **व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम:** टीकाकरण अनेक जीवन घातक रोगों यथा क्षयरोग, डिफथीरिया परटयूरिस, पोलिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा से बचाव के लिए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चे, प्रति वर्ष वैक्सीन निवार्य सात रोगों से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। भारत सरकार, वैक्सीनों और सीरिजों, कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति ओर प्रचालनात्मक लागतों के प्रावधान द्वारा वैक्सीन कार्यक्रम में सहायता करती है।

6. **विगत दो वर्षों में नई पहलें**

(क) दिनांक 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरु किया गया था और इसमें सभी गर्भवती महिलाओं और रोगी नवजातों को मुफ्त परिवहन, खाद्य और औषधियों और निदान सामग्री के लिए प्रावधान है। इस पहल से संस्थागत प्रसव को और बढ़ावा मिलेगा और स्वयं के होने वाले खर्चों को समाप्त किया जाएगा, जो माताओं और बीमार नवजातों को संस्थागत परिचर्या प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) गृह आधारित नवजात परिचर्या: चूंकि जन्म के प्रथम 28 दिनों में 52 प्रतिशत शिशु मौतें होती हैं इसलिए 250 रु. का प्रोत्साहन प्रदान करके आशा के जरिए गृह आधारित नवजात परिचर्या शुरु की गई है। गृह आधारित नवजात परिचर्या का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर नवजात पद्धतियों में सुधार लाना और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाना और उन्हें रेफर करना है।

(ग) माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली: सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पंजीकरण और उनका पता रखने (ट्रैकिंग) को सुनिश्चित करने के लिए एक नाम आधारित माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है, जो वेब आधारित है, ताकि उनके लिए नियमित और संपूर्ण सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। दिनांक 23 अक्टूबर, 2011 तक एक करोड़ और अठारह लाख माताओं और 60 लाख बच्चों का पंजीकरण किया गया।

विवरण

भारत के अधिकांश राज्यों में पेरिनेटल और नवजात शिशु मौतें

बड़े राज्य	पेरिनेटल मृत्यु दर			नवजात शिशु मृत्यु दर		
	एसआरएस, 2007	एसआरएस, 2008	एसआरएस, 2009	एसआरएस, 2007	एसआरएस, 2008	एसआरएस, 2009
1	2	3	4	5	6	7
भारत	**37**	**35**	**35**	**36**	**35**	**34**
आंध्र प्रदेश	37	36	37	33	34	33

1	2	3	4	5	6	7
असम	36	33	37	34	34	33
बिहार	28	27	27	31	32	31
छत्तीसगढ़	52	51	45	41	39	38
दिल्ली	24	22	24	20	19	18
गुजरात	36	34	33	37	37	34
हरियाणा	29	30	32	34	34	35
हिमाचल प्रदेश	35	37	40	31	33	36
जम्मू और कश्मीर	37	39	38	39	39	37
झारखण्ड	25	26	27	28	25	28
कर्नाटक	35	35	36	26	24	25
केरल	12	13	13	7	7	7
मध्य प्रदेश	46	45	45	49	48	47
महाराष्ट्र	32	30	28	25	24	24
ओडिशा	49	47	45	49	47	43
पंजाब	32	30	24	29	28	27
राजस्थान	43	43	39	44	43	41
तमिलनाडु	26	24	25	23	21	18
उत्तर प्रदेश	45	42	43	48	45	45
पश्चिम बंगाल	30	28	30	28	26	25

टिप्पणी: एसआरएस 2009 हाल ही का है और वर्तमान वर्ष के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की विद्युत परियोजनाएं

3755. डॉ. राजन सुशान्तः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को हिस्सा देने के बारे में कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हिमाचल प्रदेश को 1 नवम्बर, 2011 से अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(घ) इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग वास्तव में कितनी राशि जारी की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मूल वाद संख्या 2/96 में, दिनांक 27.9.2011 के निर्णय के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह आदेश दिया है कि वादी राज्य अर्थात हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा-नंगल परियोजना से 01.11.1996 से तथा व्यास परियोजना से यूनिट I एवं II में उत्पादन की तिथियों से 7.19% हिस्सा नवंबर, 2011 से दिया जाएगा। उक्त निर्णय के अनुपालन में, भारत सरकार ने भाखड़ा-नंगल एवं व्यास परियोजनाओं से 1 नवंबर, 2011 से ऊर्जा के आवंटन के संबंध में 31.10.2011 को आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के ऊर्जा शेयर के पुन:समायोजन और ऊर्जा शेयरों के पुन: आवंटन के कारण लेखों के समाधान को छोड़कर किसी प्रकार का वित्तीय लेन-देन शामिल नहीं है।

पूरक पोषाहार और आवश्यक दवाइयां

3756. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गर्भवती महिलाओं, दूध-पिलाती मांओं और बच्चों को पूरक पोषाहार और आवश्यक दवाइयां प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई और राज्य सरकारों द्वारा इसमें से कितनी राशि उपयोग में लाई गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य 6 सेवाओं का पैकेज पदान करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है। इस पैकेज में (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व अनासैपचारिक शिक्षा (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जांच एवं (vi) रैफरल सेवाएं शामिल हैं।

तीन सेवाएं अर्थात् प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संकेन्द्रण करके प्रदान की जाती हैं। उक्त मंत्रालय के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य कवरेज सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें संस्थागत प्रसव, दवाइयां, स्वास्थ्य जांच आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर चिकित्सा किट हेतु 600/-रुपये प्रति वर्ष प्रति आंगनवाड़ी केंद्र का प्रावधान है। इस किट में बुनियादी दवाइयां होती हैं।

संस्तुत आहारीय मात्रा एवं औसतन प्रतिदिन लिए गए आहार की मात्रा के अंतर को पूरा करने के लिए आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

आइसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों हेतु निर्धारित पूरक पोषण का प्रावधान इस प्रकार है:

(i) 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे: 'आईसीडीएस आहार पूरक' अंकित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से संपुष्टित आहार और/अथवा ऊर्जा सघन आहार के रूप में घर ले जाने वाले राशन के रूप में ऊर्जा की 500 कैलोरी तथा 15-18 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रति बच्चा पूरक आहार।

(ii) 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे : 500 कैलोरी ऊर्जा एवं 15-18 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन पूरक आहार। चूंकि इस आयु वर्ग में बच्चा एक बार में ऊर्जा की 500 कैलोरी नहीं ले सकता है, इसलिए दिशानिर्देशों में सुबह के नाश्ते में दूधा/केला/मौसमी फल/सूक्ष्मपोषक तत्त्वों से संपुष्टिकृत आहार और एक बार पके हुए गर्म भोजन का प्रावधान किया गया है।

(iii) अत्यधिक कुपोषित बच्चे: घर ले जाने वाले राशन के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से संपुष्टिकृत आहार और/अथवा ऊर्जा सघन सघन आहार के रूप में 800 कैलोरी ऊर्जा एवं 20-25 ग्राम प्रोटीन प्रति लाभार्थी प्रतिदिन पूरक आहार।

(iv) गर्भवती एवं धात्री माताएं: घर ले जाने वाले राशन के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्टिकृत आहार और/अथवा ऊर्जा सघन आहार के रूप में 800 कैलोरी ऊर्जा एवं 20-25 ग्राम प्रोटीन प्रति लाभार्थी प्रतिदिन पूरक आहार।

(ग) आईसीडीएस स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम घटक सहित सभी घटकों के लिए 90:10 और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य

राज्यों के लिए पूरक पोषण हेतु 50:50 और अन्य घटकों के लिए 90:10 के भागीदारी अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायतानुदान निर्मुक्त करती है।

गत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस के अंतर्गत आईसीडीएस (सामान्य) एवं पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त राशि तथा उनके द्वारा बताया गया व्यय संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं बताए गए व्यय और वर्ष 2011-12 (30.11.2011 तक) में निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्ति राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निमुक्ति राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	27748.55	33821.8	36306.76	40007.13	36639.25	36852.43	253385.51
2.	बिहार	18002.32	21283.32	29764.48	32710.1	25185.2	29650.4	24619.83
3.	छत्तीसगढ़	8992.46	12289.24	14393.91	14381.15	12064.647	16233.02	12212
4.	गोवा	406.56	633.18	839.01	827.87	802.74	802.05	580.34
5.	गुजरात	16693.96	15803.67	15987.35	21081.8	18932.53	2249.69	15383.54
6.	हरियाणा	8536.59	8908.91	8176.56	11018.88	10817.842	11673.88	7431.67
7.	हिमाचल प्रदेश	8281.59	7215.12	7088.51	8336.86	8727.11	8702.19	5392.04
8.	जम्मू और कश्मीर	4557.8	8529.92	8329.08	8383.48	14751.62	10596.73	7999.97
9.	झारखण्ड	9897.08	9991.49	12891.82	14360.21	17918	15304.85	12658.89
10.	कर्नाटक	19681.07	22683.08	21036.48	22841.08	19388.69	26410.21	20150.31
11.	केरल	15045.24	13857.39	14287.04	14189.21	12751.76	16581.9	11086.28
12.	मध्य प्रदेश	29535.48	24617.76	20518.38	34346.56	31172.69	38211.43	28221.17
13.	महाराष्ट्र	32300.31	28280.62	32238.38	47432.87	42503.36	47659.35	29498.02
14.	ओडिशा	17176.47	18331.75	22504.1	20791.79	21677.68	24640.66	22170.28
15.	पंजाब	9142.53	8777.7	9260.96	10582.99	11832.38	12602.77	9458.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	राजस्थान	19577.64	20339.84	22550.03	20466.87	17014.35	24500.33	19085.25
17.	तमिलनाडु	18163.08	17344.49	17967.07	23734.47	26319.84	22183.2	18506.26
18.	उत्तराखण्ड	4627.72	3298.89	3717.73	5281.32	3857.79	5242.07	4175.13
19.	उत्तर प्रदेश	54656.48	48569.3	51542.93	55950.04	48631.35	62800.77	51437.23
20.	पश्चिम बंगाल	33798.66	33391.08	37016.49	37362.32	30717.03	40899.47	38184.12
21.	दिल्ली	3916.87	3282.96	3209.81	3014.83	3644.46	3526.1	2442.93
22.	पुदुचेरी	332.37	254.44	249	303.84	355.54	350.62	357.529177
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	299.1	296.05	291.63	292.06	325.3	328.99	261.79
24.	चण्डीगढ़	252.01	233.51	254.5	252.29	244.45	244.45	374.84
25.	दादरा और नगर हवेली	85.87	88.89	129.84	126.57	137.53	69.94	90.11
26.	दमन और दीव	58.81	58.48	56.55	56.65	58.18	58.16	42.45
27.	लक्षद्वीप	62.87	75.87	121.03	75.87	27.49	96.87	45.31
28.	अरूणाचल प्रदेश	3408.86	2758.95	3178.72	3521.15	6391.528	4720.91	2944.09
29.	असम	26033.82	19868.27	23849.59	19010.81	36402.43	29525	17875.2
30.	मणिपुर	2916.69	3000.62	3387.5	2464.68	3707.71	3783.96	3455.81
31.	मेघालय	1832.72	1611.67	2102.15	2560.51	2482.89	2448.01	1864.52
32.	मिजोरम	1613.98	1617.09	2089.23	1693.57	2315.956	2131.7	1063.53
33.	नागालैंड	2539.84	2514.36	5025.41	2530.22	2264.01	4578.34	1711.57
34.	सिक्किम	895.735	485.8	683.53	647.6	503.29	724.62	492.38
35.	त्रिपुरा	3043.05	2864.55	7398.20	3329.42	8132.205	4306.4	3301.7
	कुल	404114.19	396980.06	438443.76	483967.07	478698.83	530691.47	39913.26

विवरण II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं बताए गए व्यय और वर्ष 2011-12 (30.11.2011 तक) में निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंशदान सहित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंशदान सहित व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंशदान सहित व्यय	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	18994.92	35091.02	31285.70	52316.99	16003.74	69979.08	30207.51
2.	बिहार	15346.08	53026.76	40695.19	92263.92	48335.94	57052.77	25507.10
3.	छत्तीसगढ़	5429.43	18362.40	7461.68	21324.67	14211.95	16591.02	7193.62
4.	गोवा	123.83	314.62	375.94	918.75	418.23	570.44	195.96
5.	गुजरात	7464.33	13083.58	8696.39	24690.50	11985.65	42046.64	12084.16
6.	हरियाणा	5143.00	11513.23	6884.01	14571.00	5211.60	872.70	3817.78
7.	हिमाचल प्रदेश	2282.58	4542.58	2939.36	5939.35	2466.48	3398.70	1310.58
8.	जम्मू और कश्मीर	697.98	4326.66	1671.09	–	1949.78	–	1949.76
9.	झारखण्ड	6545.80	18897.10	16893.64	53308	23438.78	16576.41	10867.72
10.	कर्नाटक	10936.42	24644.90	26325.26	56641.93	23585.19	32619.62	13514.30
11.	केरल	5597.50	11847.50	7545.81	15826.29	8071.33	7303.60	3664.22
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	27156.38	22339.36	51990.71	38917.63	58625.81	31000.50
13.	महाराष्ट्र	20646.17	38836.76	20350.12	48660.00	20350.12	73509.16	20934.06
14.	ओडिशा	8729.46	20449.24	13968.2	32185.78	19490.01	37773.10	14135.66
15.	पंजाब	2282.68	4560.02	1748.03	8825.70	4402.84	1754.42	4612.06
16.	राजस्थान	10957.94	23694.28	11014.23	30464.83	20449.06	26231.86	13525.24
17.	तमिलनाडु	5428.14	13752.00	13268	26558.00	12395.76	38109.00	7735.84
18.	उत्तर प्रदेश	57090.72	108780.47	86778.09	178809.82	138.267.06	198737.39	78369.76
19.	उत्तराखंड	1202.36	1062.94	740.47	1488.21	1303.60	622.74	1313.20
20.	पश्चिम बंगाल	16810.60	3208.15	13577.01	55101.17	35274.00	67097.58	20119.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.78	444.01	144.80	511.84	106.95	428.98	60.85
22.	चण्डीगढ़	96.87	206.87	193.78	216.31	129.88	279.88	145.83
23.	दादरा और नगर हवेली	47.33	121.93	91.58	55.30	62.90	0.00	53.10
24.	दमन और द्वीव	27.48	2.96	50.37	179.63	33.58	21.83	31.07
25.	लक्षद्वीप	50.92	113.96	42.87	–	29.69	–	29.69
26.	दिल्ली	1417.03	4865.10	4171.53	6878.70	4004.05	8960.11	2017.30
27.	पुदुचेरी	82.97	446.19	139.91	462.19	395.95	257.23	1016.39
28.	अरुणाचल प्रदेश	326.68	880.27	856.32	956.32	3047.89	2834.01	1465.04
29.	असम	10541.20	9539.82	17660.74	17590.73	21579.99	17876.97	26082.76
30.	मणिपुर	1129.16	2371.87	1477.61	2422.45	4449.60	2572.54	2248.30
31.	मेघालय	1362.96	3151.73	5301.00	6972.28	5650.42	4505.16	2701.72
32.	मिजोरम	766.71	1494.85	2020.79	2496.63	2241.65	2359.56	1120.82
33.	नागालैण्ड	1303.31	2503.31	2658.79	3304.66	4782.37	2113.14	2115.22
34.	सिक्किम	95.53	634.95	794.39	622.59	362.44	367.41	260.42
35.	त्रिपुरा	774.40	1906.42	2851.68	3617.54	3464.40	1297.50	6746.08
	कुल	228131.33	492834.83	373013.74	818172.79	496870.51	793346.36	348152.80

बाल अपराध

3757. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाल अपराधों के निपटान हेतु प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों में बाल न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों में सरकार द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता तथा विशिष्ट एवं स्थानीय कानूनों के तहत देश में रिपोर्ट किए गए किशोर द्वारा किए गए अपराधों की संख्या में गत तीन वर्षों के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित मामलों के निपटान हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों के गठन का अधिदेश देता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 561 जिलों में किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया जा चुका है।

[अनुवाद]

ब्याज अनुदान योजना

3758. श्री एम.आई शानवास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प, दरी हथकरघा और लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रदत्त ब्याज अनुदान योजना को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में संबंधित उद्योगों के विचार मांगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने रुपया निर्यात ऋण (रूपी एक्पोर्ट क्रेडिट) से संबंधित 2% की ब्याज सहायता वाली स्कीम को 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू कर दिया है:-

i. हस्तशिल्प

ii. हथकरघा

iii. कालीन

iv. लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)

आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली दिक्कतें

3759. डॉ. अनूप कुमार साहा:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश में वर्तमान में कार्यरत प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) किन-किन राज्यों में 'आशा' कार्यकर्ताओं को नियत मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है और यह कितना है;

(ग) क्या सरकार ने 'आशा' कार्यकर्ताओं की कम पारिश्रमिक, प्रोन्नति के कम अवसरों और अन्य दिक्कतों की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'आशा' कार्यकर्ताओं के कार्य का मूल्यांकन करने और जिन राज्यों में वे कार्यरत हैं वहां आई.एम.आर. में बदलावों का जायजा लेने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका परिणाम क्या है; और

(छ) उक्त कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को हटाने तथा उनके पारिश्रमिक तथा प्रोन्नति संबंधी अवसरों के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) इस समय कर्नाटक सहित देश में नियुक्त मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नियुक्त की गई आशाएं स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कोई निश्चित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। उनको कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) आशाओं को निश्चित मानदेय के भुगतान तथा उनके कम पारिश्रमिक के मुद्दे पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह की 21.6.2011 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई। मिशन संचालन समूह में यह आम सहमति बनी थी कि आशाओं को निश्चित पारिश्रमिक देना वांछनीय नहीं होगा। तथापि, प्रोत्साहन राशि में वृद्धि और ऐसे क्षेत्रों का विस्तार जहां प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है, पर विचार किया जा सकता है ताकि आशा को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में काफी वृद्धि की जा सके। मिशन संचालन समूह ने आशाओं को प्रेरणात्मक कार्यकलापों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है तथा गृह आधारित नवजात परिचर्या, लाभार्थियों के घर तक आशाओं द्वारा गर्भनिरोधकों का वितरण करने और उनसे नाम मात्र राशि लेने सहित इस कार्य के लिए भुगतान करने के बारे में भी निर्णय लिया गया।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा 8 राज्यों में "आशा कार्यक्रम का मूल्यांकन" नामक एक अध्ययन किया गया।

(च) इस अध्ययन में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात में हुए परिवर्तन का श्रेय आशा के कार्य को नहीं दिया गया है।

(छ) राज्यों से आशाओं की कार्य स्थितियां बेहतर करने, उनकी शिकायतों को दूर करने तथा उनको कैरियर में प्रगति के

अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने के लिए कहा गया है:-

(i) राज्यों द्वारा जिला स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्तरों पर आशाओं के लिए विश्राम कक्ष सुनिश्चित करना।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रदान करने में पात्र आशाओं को प्राथमिकता दी जाए।

(iii) आशाओं को पहचान कार्ड जारी करना।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आशाओं को प्रोत्साहनों के भुगतान में कोई कोताही न हो, आवधिक समीक्षाएं की जानी चाहिए।

(v) आशाओं के कार्यनिष्पादनों का मूल्यांकन करने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए 3 महीने में कम से कम एक बार आशा सम्मेलन और आशा दिवस आयोजित करना।

(vi) एएनएम की नियुक्ति करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने वाली आशाओं को वरीयता दी जाए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आशाओं के लिए नर्सिंग स्कूलों/कालेजों में 10 प्रतिशत सीटें निर्धारित की जानी चाहिए।

विवरण

देश में आशाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रथम माड्यूल में प्रशिक्षण के बाद नियुक्त की गई आशाओं की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	69402
2.	छत्तीसगढ़	60092
3.	हिमाचल प्रदेश	16888
4.	जम्मू और कश्मीर	9500
5.	झारखंड	40115
6.	मध्य प्रदेश	48159
7.	ओडिशा	40765
8.	राजस्थान	40310
9.	उत्तर प्रदेश	135130
10.	उत्तराखंड	11086
11.	अरुणाचल प्रदेश	3862
12.	असम	27926
13.	मणिपुर	3878
14.	मेघालय	6250
15.	मिजोरम	987
16.	नागालैंड	1700
17.	सिक्किम	666
18.	त्रिपुरा	7367
19.	आन्ध्र प्रदेश	70700
20.	गोवा	0
21.	गुजरात	28809
22.	हरियाणा	12825
23.	कर्नाटक	32939
24.	केरल	30719
25.	महाराष्ट्र	56854
26.	पंजाब	15481
27.	तमिलनाडु	2650
28.	पश्चिम बंगाल	29552
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	407

1	2	3
30.	चंडीगढ़	30
31.	दादरा और नगर हवेली	85
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	2680
34.	लक्षद्वीप	83
35.	पुदुचेरी	0
	कुल	807897

पर्यटन योजना

3760. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन विपणन और विकास सहायता स्कीम ने टूर प्रचालकों को अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य-सत्कार मानकों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आत्म-रक्षा हेतु प्रशिक्षण

3761. **श्री आधि शंकर:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं और लड़कियों को आत्म-रक्षा की कला में प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उक्त कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-सरकारों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

बैंक ऋण लेने के संबंध में राजनीतिज्ञों पर प्रतिबंध

3762. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजनीतिज्ञों पर बैंकों से कारोबार/गृह/कार ऋण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चुने हुए प्रतिनिधियों को कारोबार/गृह/कार ऋण लेने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी बैंकों को अनुदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सभी बैंकों में उनके निदेशक-मंडल से अनुमोदित क्रेडिट/ऋण नीति है और वे ऐसी नीति के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार के ऋण-आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं।

[अनुवाद]

यूनिसेफ परियोजनाएं

3763. **श्री किशनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि (यूनिसेफ) की परियोजनाएं प्रचालनों के मास्टर प्लान के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रचालनों के मास्टर प्लान के उद्देश्य का हैं;

(ग) यूनिसेफ द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त प्लान के अंतर्गत भारत की आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और उक्त योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ङ) इस कार्यक्रम ने देश में किस स्तर तक अपने उद्देश्य पूरे किए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) वर्तमान में भारत सरकार 2008-12 के दौरान पंचवर्षीय कंट्री प्रोग्राम कार्य योजना की सहमति के आधार पर यूनिसेफ के साथ सहयोग कर रही है। कंट्री प्रोग्राम कार्य योजना का समग्र उद्देश्य भारत में लिंग, जाति, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक असमानता कम करके सभी बच्चों और महिलाओं की उत्तरजीविता, विकास एवं भागीदारी का अधिकार देना है। "कंट्री प्रोग्राम कार्य योजना 2008-12" 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त हो रही है। कंट्री प्रोग्राम कार्य योजना 2008-12 के अंतर्गत यूनिसेफ द्वारा आबंटित कुल निधियां 513 मिलियन अमरीकी डालर हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को सहायता देने के साथ-साथ यूनिसेफ के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में भी किया जाता है। वर्ष 2008 से 2011 के बीच व्यय का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार यूनिसेफ कार्यक्रम सहयोग के तहत अधिकांश कार्यक्रम क्रियाकलाप मौजूदा सरकारी नीति और कार्यक्रमों से अंत: संबंधित है। अत: किस हद तक यूनिसेफ कार्यक्रम अपना उद्देश्य हासिल करने में समर्थ रहा है उसका सटीफ आकलन करना कठिन है। तथापि, आगामी कार्यक्रम सहयोग योजना बनाने के लिए प्रयोजन से किए गए हालिया मूल्यांकन और अन्यान्य क्रिया उजगार करते हैं कि यूनिसेफ कार्यक्रम ने भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों अर्थात आई.सी.डी.एस. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एस.एस.ए., टी.एस.सी. आदि में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां तकनीकी सहायता देकर, समुदाय के साथ भागीदारी करके और विभिन्न भागीदारी के साथ समर्थनकारी प्रयासों से कार्यक्रम के कुछ उद्देश्यों को हासिल करने में राज्य सरकारों की क्षमता बढ़ाई है।

विवरण

भारत सरकार-यूनिसेफ कंट्री प्रोग्राम 2008-2012 के लिए वर्ष-वार एवं राज्य-वार बजट/व्यय
('000 अमरीकी डॉलर में)

क्र.सं.	राज्य/दिल्ली मुख्यालय	2008 व्यय	2009 व्यय	2010 व्यय	2011 देनदारी*
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली मुख्यालय (भारत सरकार को सहायता)	23,169	34,143	29,545	25,554
2.	पश्चिम बंगाल	4,064	4,046	4,841	4,187
3.	तमिलनाडु	1,778	2,065	2,983	2,133
4.	केरल	156	292	1,080	589
5.	महाराष्ट्र	4,241	4,671	5,50	6,014
6.	असम	2,716	3,207	3,50	2,769

1	2	3	4	5	6
7.	ओडिशा	4,125	3,535	2,22	3,985
8.	आंध्र प्रदेश	2,601	3,593	3,81	2,875
9.	कर्नाटक	1,244	1,801	2,62	2,310
10.	झारखण्ड	2,955	4,565	5,50	4,451
11.	छत्तीसगढ़	3,418	2,868	2,86	2,523
12.	उत्तर प्रदेश	10,453	10,722	15,43	14,960
13.	मध्य प्रदेश	4,575	5,209	6,46	4,759
14.	राजस्थान	4,495	5,782	5,789	4,851
15.	बिहार	12,053	13,547	12,586	12,499
16.	गुजरात	1,690	2,744	3,932	3,745
17.	तकनीकी सहायता	18,373	19,017	22,606	18,436
	कुल (कार्यक्रम सहायता लागत सहित)	1.04,716	1,24,502	1,34,732	2,60,186

*2 दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3764. श्री विजय बहुगुणा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय और टिहरी जल निगम लि. (टीएचडीसी) द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और बांध निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु उत्तराखंड राज्य को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बांध के इर्द-गिर्द भूमि-कटाव के कारण भू-स्खलन से प्रभावित गांवों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तराखंड राज्य में कतिपय विद्युत परियोजनाओं के बीच में ही बंद किए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कितनी हानि हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) पहले पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा और इसके बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए। उत्तराखंड के निर्माण के बाद, टीएचडीसीआईएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उत्तराखंड सरकार द्वारा आर एंड आर कार्य कराए गए। आज की तारीख तक पुनर्वास पर कुल 1483 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। टिहरी बांध के निर्माण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल द्वारा उत्तराखंड राज्य को लगभग 960 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) जी हां, टिहरी जलाशय की झील के आस-पास के भू-स्खलन से प्रभावित गांवों का, स्खलन के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रभावित गांवों का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इसे स्पष्टत: दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ष 2010 में पिछले मानसून के कारण प्रभावित और दूसरा जलाशय के अपकर्ष प्रभाव के कारण। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विद्युत परियोजनाओं को बंद करने के कारण केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण I

टिहरी बांध के आस-पास के गांवों में किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन

वर्ष 2010 (जुलाई से सितंबर) में वर्षा के मौसम के दौरान टिहरी जलाशय में जल स्तर ईएल 831.42 मीटर तक बढ़ गया। उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) ने गांवों के निरीक्षण और कृषि भूमि तथा संपत्तियों में सूचित की गई क्षतियों के कारणों को प्रमाणित करने के लिए सदस्य सचिव के रूप में निदेशक पुनर्वास, टिहरी बांध परियोजना की अध्यक्षता में भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, आईआरटी रुड़की, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान संयुक्त विशेषज्ञ समिति (जेईसी) का गठन किया था जिसमें प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून और टीएचडीसीआईएल के विभिन्न विभागों से सदस्य शामिल थे।

जेईसी ने भागीरथी में कुल 25 गांवों और भिलंगना घाटी में 19 गांवों का दौरा किया। समिति ने उत्तराखंड सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने अप्रैल, 2011 की अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि टिहरी जलाशय को भरने के कारण कुछ गांव क्षतिग्रस्त हुए थे जबकि खड़ी ढलान पर बसे हुए कुछ गांवों में सितंबर, 2010 में भारी वर्षा के कारण ढलान संरचना अनावस्थित होने के कारण क्षति हुई थी। अगले मानसून के आने से पूर्व प्राथमिक रूप से इन क्षेत्रों से मानव आवास को पुन: दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। कुछ गांवों में ढलान स्थायीकरण संबंधी उपायों की सिफारिश की गई थी। धनसली से चिनयालीसोर तक विस्तारित करते हुए बांध जलाशय की सड़क/तटीय किनारों सहित सड़क पर पेड़ों को लगाने की सलाह दी गई थी। भू-संरक्षण उपायों को अपनाने की भी सिफारिश की गई थी। इंटरनेशनल कमीशन आन लार्ज डैम (आईसीओएलडी) 2002 के ड्राफ्ट बुलेटिन संख्या 5 क में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए टिहरी जलाशय के रिम के ऊपर के क्षेत्र को निगरानी में रखने की सिफारिश की गई थी। निगरानी की अवधि को जलाशय के उतार-चढ़ाव के कारण क्षति के स्वरूप और प्रगति पर निर्भर करते हुए और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

विवरण II

उत्तराखंड में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के बीच में छोड़ देने के कारण हुई हानियां

एनटीपीसी

एनटीपीसी दिसंबर, 2011 तक उत्तराखंड राज्य में स्थित लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना के लिए 737.58 करोड़ रुपए की राशि ले चुका है। इसके अलावा, पहले से की गई प्रतिबद्धताओं तथा संविदा की शीघ्र समाप्ति और किए जाने वाले सुरक्षा एवं स्थिरीकरण उपायों पर आने वाली लागत, यदि कोई हो तो, के कारण ठेकेदारों के साथ अन्य उत्तरदायित्व हो सकते हैं।

टीएचडीसी

टीएचडीसीआईएल को अपनी पहुंच में अन्य परियोजना के आबंटन के कारण उत्तराखंड राज्य में अपनी गोहना ताल विद्युत परियोजना (60 मे.वा.) जबरन छोड़ने के कारण हानि उठानी पड़ी। दिनांक 07.04.2005 को उत्तराखंड सरकार ने परियोजना टीएचडीसीआईएल को आबंटित की गई थी। दिनांक 21.11.2005 को इसके कार्यान्वयन हेतु उत्तराखंड सरकार और टीएचडीसीआईएल के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा टीएचडीसीआईएल ने संभाव्यता रिपोर्ट (एफआरए) तैयार की। परिणामस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने गोहना ताल जल विद्युत परियोजना की पहुंच में बिहारी गंगा नदी पर तीन अन्य परियोजनाएं अर्थात बिराही गंगा (4.8 मे.वा.), बिराही गंगा-I (4.4 मे.वा.) तथा बिराही गंगा-II (5.4 मे.वा.) निजी विकासकों को प्रदान कर दी। इसके कारण, परियोजना अव्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में 240.50 लाख व्यय किए हैं। उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह गोहना ताल जल विद्युत परियोजना की पहुंच में अन्य परियोजनाओं का आबंटन रद्द करे अथवा टीएचडीसीआईएल द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने पर व्यय की गई 240.50 लाख रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति करे।

इंडियन रेड क्रास सोसाइटी

3765. डॉ. शशी थरूर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्या इंडियन रेड क्रास सोसाइटी की राज्य शाखाओं के कर्मचारियों का वेतन एकदम अपर्याप्त है और और अन्य सेवा शर्तें भी उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इसकी सभी राज्यीय शाखाओं में वेतन और अन्य सेवा शर्तों को एक समान करने के लिए कोई उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की राज्य

संघ/राज्य क्षेत्र शाखाएं स्वायत्त हैं और वे अपने कर्मचारियों का वेतन और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को भारतीय रेड क्रास सोसाइटी अधिनियम 1920 का 51 (1956 के अधिनियम संख्या 22 और कानून (संख्या 4) आदेश 1957 के अनुकूलन और 1992 के अधिनियम 14 द्वारा यथासंशोधित) के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये निकाय स्वायत्त निकाय हैं।

डायलेसिस संबंधी सुविधाएं

3766. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायलेसिस के लिए भारी मांग रहती है और इसकी प्रक्रिया काफी महंगी और पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी सरकारी अस्पतालों में डायलेसिस सुविधा उपलब्ध करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जहां तक दिल्ली स्थित तीन केन्द्रीय सरकार अस्पतालों का संबंध है, सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डायलेसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन दोनों अस्पतालों में डायलेसिस की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है। यह अनुमान है कि डायलेसिस की औसत लागत लगभग 2 हजार रुपए है। दिल्ली स्थित उपरोक्त केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को यह सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाती है और अन्य रोगियों के लिए यह सुविधा रियायती दर पर प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य क विषय है इसलिए लोगों को उनकी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(i) जिला अस्पतालों में डायलेसिस के लिए उपकरण एवं बिस्तरों सहित डायलेसिस सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

(ii) सीजीएचएस दिल्ली के अंतर्गत अस्पताल के परिवेश से बाहर पृथक डायलेसिस यूनिट की स्थापना प्रायोगिक आधार पर की गई है।

(iii) डायलेसिस के लिए प्रशिक्षित फीजिशियनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ मिलकर डायलेसिस में फिजीशियन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कोलार गोल्ड फील्ड

3767. श्री बालकुमार पटेल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण घोषित किए जाने के बाद वर्ष 2001 में बंद किए गए कोलार गोल्ड फील्ड को पुन: खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्वर्ण भंडार में मौजूद सोने की मात्रा के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे और इस बारे में सरकार ने आगे क्या कार्रवाई की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दुर्व्यापार को रोकना

3768. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दुर्व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) (क) से (ग) जी, हां। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण और समाधान पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन (सार्क) कन्वेंशन का भारत सरकार ने अनुसमर्थन किया है। कन्वेंशन के क्रियान्वयन को सुलभ बनाने के लिए दिनांक 28-29 मई, 2009 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यबल की तीसरी बैठक में सार्क के सभी सदस्य देशों द्वारा मानक प्रचलन प्रक्रिया अपनायी गयी। महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक समान क्षेत्रीय टोल फ्री नम्बर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण, इसे बंद करने और दोषियों को सजा देने के लिए पोटोकॉल सहित देश के बाहर संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी भारत ने अनुसमर्थन किया है।

सरकार देश में व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के निवारण के लिए अनेक उपाय कर रही है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के साथ भारतीय दण्ड संहिता में अवैध व्यापार हेतु बच्चों सहित मानवों के व्यापार का निषेध किया गया है और दण्ड निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 09.09.2009 एवं 12.10.2011 को अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा, मंत्रालय "उज्ज्वला" स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने, उनके पुनर्वास एवं देश के बाहर पीड़ितों को स्वदेशी वापसी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन मुख्यत: गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

नकली/घटिया दवाओं की आपूर्ति

3769. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रमों के अन्तर्गत उचित और वहनीय कीमत पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीयकृत औषध खरीद हेतु किन-किन मार्गनिर्देशों का प्रस्ताव किया है/क्या मार्गनिदेश बनाए हैं;

(ख) सरकार ने सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों के लिए आपूर्ति की जा रही दवाओं की गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उनकी मौलिकता की जांच हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सेना के अस्पतालों, औषधालयों और मरीजों को आपूर्ति की गई नकली/घटिया दवाओं के कितने मामले सामने आए और इस बारे में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) बाजार में ऐसी दवाओं की अनुमानित मात्रा कितनी है जो मानक गुणवत्ता से मेल नहीं खाती;

(ङ) क्या नकली दवाओं की समस्या से निजात पाने के लिए गठित सब-ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग में एक कठोर और पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए आर सी एच, टी बी, मलेरिया, परिवार कल्याण आर व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए औषधियों, दवाइयों और वैक्सीनों का अधिप्रापण करती है। इस प्रकार अधिप्राप्त दवाइयों और वैक्सीनों को विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाता है विभिन्न केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गुणवत्तायुक्त दवाइयों, वैक्सीनों, गर्भ निरोधकों, मेडिकल उपकरणों और अन्य चिकित्सा आपूर्तियों के लिए सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत केन्द्रीकृत अधिप्रापण एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) भंडार सामग्री के निरीक्षण के लिए पेश करने से पूर्व विनिर्माणकर्ताओं से अपनी स्वयं की प्रयोगशाला में भंडार सामग्री की जांच कराई जानी अपेक्षित होती है। पुन: परेषिती को भंडार सामग्री प्रेषित करने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा सभी बैचों की जांच की जाती है जो राष्ट्रीय परीक्षण तथा केलिबेशन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यापित होती है। यदि किसी मामले में कोई बैच, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में असफल हो जाता है तो विनिर्माता द्वारा इसे बदलना अपेक्षित होता है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अस्पतालों के बारे में अपेक्षित सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में पाई गई घटिया किस्म की दवाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आर्मी अस्पतालों में नकली अथवा घटिया स्तर दवाइयों की आपूर्ति उन्हें जारी किए जाने के किसी भी मामले का रक्षा मंत्रालय ने खंडन किया है।

(घ) देश में नकली औषधियों की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2009 में किए गए एक देशव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार विश्लेषण के लिए एकत्रित किए गए 24,236 नमूनों में से केवल 0.046 प्रतिशत नमूने नकली पाए गएं। इसके अतिरिक्त राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त उलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 2010-11 तक पूरे देश में चार वर्षों के दौरान जांच गए औषधि नमूनों से यह पता चलता है कि प्रति वर्ष लगभग 43,000 नमूनों में से लगभग 0.25 प्रतिशत नमूनों को नकली/अपमिश्रित पाया गया है।

(ङ) और (च) नकली दवाइयों के विषय पर उप समूह ने अपनी रिपोर्ट, कार्यबल को प्रस्तुत कर दी है। उप समूह ने अन्य समूह अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर औषधि विनियामक तंत्रों को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की है।

विवरण

वर्ष	कंपनी का नाम	दवा/औषधि का नाम (घटिया स्तर पर पाई गई)	बैच संख्या	टिप्पणियां
2008-09	मैसर्स जेक्सन प्रयोगशालाएं	इंजेक्शन सोडाबिकार्ड	1-9614	इस अस्पताल ने अभी तक इस फर्म से सभी आपूर्तियों के क्रय को बंद किया हुआ है।
		इंजेक्शन बेंजाथिने पेंसिलिन	1-0868	
		इंजेक्शन बेंजाथिने 40 मि.ग्रा.	1-9085	
		इंजेक्शन फेनोबार बिटाने 200 मि.ग्रा.	1-8233	
		इंजेक्शन लिगनोकेन+एड्रानिलाईन	1-0869	
			1-0948	
	मैसर्स दुर्गा फार्मा	विटामिन बी-6 फिरिडोनाईन	7222	फर्म से प्रतिस्थापित किया गया था
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	
2010-11	मैसर्स हिंदुस्तान फार्मा	इंजेक्शन मल्टी विटामिन	049	संबंधित फर्म से प्रतिस्थापन लिया गया था।
	मैसर्स वूल्कन	इंजेक्शन फैनिटेन	3353	
	मैसर्स हिंदुस्तान फार्मा	इंजैक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट		
	मैसर्स फिजियो	सीरप साइप्रो हेपेटाडाइन 100 मि.ली.	एसजी 1038	
	मैसर्स ओमेगा बायटेक	वैक्स पैराफिन 1000 मि.ग्रा.	फोर 1034	
	मैसर्स ओमेगा बायटेक	सीरप प्रोमेथाजाइन 100 मि.ली.		
2011-12	मैसर्स हिंदुस्तान फार्मा	इंजेक्शन कैल्शियम ग्लुकोनोएट	566	संबंधित फर्म सं पतिस्थापन प्राप्त किया गया था।
(13.12.2011 तक)	मैसर्स वूल्कन	इंजेक्शन फेनीएन सोड	3643	

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम

3770. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के कार्यान्वयन के वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (सीएचआईएस) के अंतर्गत शामिल किए गए लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सीएचआईएस के अंतर्गत किए जा रहे लाभ और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए इस समय देश में योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

अवसंरचना विकास के लिए धनराशि

3771. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवसंरचना विकास के लिए समर्पित 'इंडिया इनवेस्टमेंड फंड' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान सिथति क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या भारत में सड़क, राजमार्ग तथा अवसंरचना के अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहन देने का विचार अभी शुरुआती दौर में है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इसको कार्यान्वित/फलीभूत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अवसंरचना क्षेत्रों के विदेशी निधिपोषण के संवर्धन के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें अवसंरचना ऋण निधियों के लिए कर प्रोत्साहन, अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेशों की सीमा बढ़ाना और अवसंरचना में निवेश के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी मानदंडों में छूट शामिल हैं।

औद्योगिक रुग्णता

3772. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औद्योगिक रुग्णता का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) औद्यागिक रुग्णता के कारणों का पता लगाने तथा समयबद्ध तरीके से उनके पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार बीआईएफआर के पास भेजे गए मामलों की संख्या तथा उन उद्योगों की संख्या जिन्हें बीआईएफआर द्वारा पुनर्जीवित किए जाने की सिफारिश की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष राज्य-वार ऐसे रुग्ण उद्योगों जिन्हें पुनर्जीवित किया गया की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर आंके गए औद्यागिक विकास में विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान समग्र आईआईपी क्रमश: 2.5%, 5.3% एवं 8. 2% है। सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश के साथ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना तथा इसे सुकर बनाना; कारबार माहौल में सुधार करना; सार्वजनिक निजी पहल के माध्यम से औद्योगिक एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना; सार्वजनिक निजी पहल के माध्यम से औद्योगिक एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना; अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना; और उद्योग से जुड़े कौशल का विकास करना शामिल है। सरकार ने नवम्बर, 2011 में एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की भी घोषणा की थी जिसमें दशक भर में जीडीपी में विनिर्माण का अंश बढ़ाकर 25% करने और 100 मिलियन नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के द्वारा ग्रामीण युवा वर्ग को आवश्यक कौशल प्रदान करके रोजगार के लायक बनाने की अपेक्षा की गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान दर्ज किए गए मामलों, मंजूर की गई पुनरुज्जीवन योजनाओं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) से मुक्त हुई कपनियों (शुद्ध मालियत धनात्मक होने के कारण) से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

दर्ज किए गए मामलों, मंजूर की गई पुनरुज्जीवन योजनाओं तथा शुद्ध मालियत धनात्मक होने के कारण बाइफर से मुक्त हुई कंपनियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	दर्ज किए गए मामले			मंजूर की गई पुनरुज्जीवन योजनाएं			धनात्मक शुद्ध मालियत होने के कारण मुक्त हुए मामले		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			3						
2.	आंध्र प्रदेश	6	5	1	5	8	4	6	6	12
3.	अरुणाचल प्रदेश									
4.	असम						1			
5.	बिहार									
6.	चंडीगढ़									
7.	छत्तीसगढ़									
8.	दादरा और नगर हवेली				1					1
9.	गोवा						1	1		
10.	गुजरात	9	5	10	6	4	9	5	3	8
11.	हरियाणा	2	2	1	2		2		2	5
12.	हिमाचल प्रदेश	1			1		2			
13.	जम्मू और कश्मीर					1				
14.	झारखंड	2				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	कर्नाटक	2	9	7	8	4		7	3	2
16.	केरल	5	3		3	2		2	2	2
17.	लक्षद्वीप (बी)									
18.	मध्य प्रदेश	3	6	2	5	4	2		7	1
19.	महाराष्ट्र	13	16	16	22	14	11	13	15	12
20.	मणिपुर									
21.	मेघालय					1		1		
22.	मिजोरम									
23.	नागालैंड					1				
24.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	5	10	8	6	16	3	6	8	10
25.	ओडिशा	2	1		1	2				1
26.	पुदुचेरी									
27.	पंजाब	3	3	6	1	3	1	3	2	9
28.	राजस्थान		1	2	2	5		1		1
29.	सिक्किम									
30.	तमिलनाडु	1	5	7	7	4	5	9	14	6
31.	त्रिपुरा									
32.	उत्तर प्रदेश	2		4	9	6	1	2	3	7
33.	उत्तराखण्ड		1		1				2	
34.	पश्चिम बंगाल	1	4	5	11	5	6	4	4	6

बैंकों में नकदी छांटने की मशीनें

3773. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नकदी छांटने की मशीनें स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी गलती करने वाले बैंको विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त मशीनें प्रदूषण फैलाती हैं जिसका आपरेटर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मशीनों के आपरेटरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि 100 रुपए और उससे अधिक के मूल्य वर्ग वाले सभी बैंकों नोटों की छंटाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों को पूरा करने वाली मशीनों के जरिए हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के तहत सभी बैको को निदेश जारी किए हैं कि एक करोड़ रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपए तक की औसत दैनिक नकदी प्राप्त करने वाली सभी बैक शाखाओं को क्रमश: मार्च 2010 तथा मार्च 2011 तक नोट छंटाई मशीनों का प्रयोग करना चाहिए।

(ग) और (घ) ऐसा कोई विशिष्ट मामला आरबीआई (विनियामक) अथवा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खनन गतिविधियां

3778. श्री पी. विश्वनाथन:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार चालू खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित/निलंबित/छोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी खानों के पुनरुद्धार का आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(च) क्या सरकार ने देश में खनन के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किए गए/किए जाने वाले उपचारात्मक उपाय क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में रिपोंटिंग खानों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	2010-11 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	369
पश्चिम बंगाल	10
राजस्थान	261
तमिलनाडु	163
हिमाचल प्रदेश	24
छत्तीसगढ़	88
गोवा	75
झारखंड	117
कर्नाटक	230
मध्य प्रदेश	215
महाराष्ट्र	102
ओडिशा	129
केरल	26
जम्मू और कश्मीर	3
असम	4
बिहार	6
मेघालय	8
उत्तर प्रदेश	18
उत्तराखंड	36

(ख) और (ग) प्रमुख खनिजों के मौजूदा पट्टों से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार पर्यावरणीय जोखिम के कारण न्यायालय के आदेश के द्वारा खनन कार्य पर रोक लगाई गई खानों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	खानों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	64
2.	गोवा	10
3.	कर्नाटक	142
4.	राजस्थान	157
5.	हरियाणा	87
6.	तमिलनाडु	2
7.	उत्तर प्रदेश	12

(घ) से (छ) जी, नहीं। तथापि, कुद उद्योग संगठनों के नियामक संरचना के अंतर्गत वैध खानों के पुनरुद्धार हेतु सरकारी हस्तक्षेप आग्रह किया हैं सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में इंडियन कांउसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून द्वारा 'मैक्रो लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट स्टडी' विषय पर अध्ययन करवाया है, जिसे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। हरियाणा के अरावली क्षेत्र में खानों के लिए पुनर्दावा तथा पुनर्वास योजना का एक अन्य तकनीकी मूल्यांकन का कार्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पूरा किया गया है। ये मामले अभी न्यायाधीन हैं।

सेंसेक्स में गिरावट

3775. श्री कीर्ति आजाद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टॉक मार्किट में सेंसेक्स में हाल ही में आई तेज गिरावट को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) इस वित्त वर्ष (31 मार्च, 2011 से 12 दिसम्बर, 2011 तक) में सेंसेक्स में 18.38 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान सेंसेक्स 19445.22 से गिरकर 15870.35 हो गया।

(ख) और (ग) प्रतिभूति बाजार के विनियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचकांकों में हुई हालिया गिरावट के कारणों के पता लागने के लिए विशेष रूप से कोई अध्ययन नहीं करवाया हैं वैश्विक बाजार, समग्र रूप से, वर्तमान आर्थिक संकट से प्रभावित हुए हैं। इसके अतिक्ति, सेबी बाजार में हमेश सतर्कता बरतता है। किसी कदाचार की सूरत में यह संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। निगरानी कार्य के रूप में, सेबी भारतीय स्टॉक बाजारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, बाजार मनोभावों आदि को मॉनीटर करता है और आवधिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिन्हें सरकार को भी अग्रेषित किया जाता है, जो वैश्विक घटनाक्रमों पर कड़ी नजर बनाए रखती है।

मछली में फोर्मेलिन

3776. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों के बाजारों में बिक्री की जा रही मछली जिसे खराब होने से बचाने के लिए फोर्मेलिन अत्यधिक विषैला तथा 'कार्सिनोजेनेटिक' रसायन है, का प्रयोग किया जाता है उसका उपभोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फार्मेलिन के अवैध उपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा दोषियों को सजा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) फोर्मेलिन, जो कि सामान्यत: फोर्मेलडिहाइड के रूप में जानी जाती है, का प्रयोग रेसिन्ज के विनिर्माण और विभिन्न आर्गेनिक सिन्थेसिस प्रतिक्रयाओं और अन्य औद्योगिक उपयोगों में विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण और प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अन्तर्गत मछली को संरक्षित करने हेतु फोर्मेलिन का प्रयोग करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियमों/विनियमों को क्रियान्वित करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है। अयुक्त, खाद्य सुरक्षा से समय-समय पर प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कड़ी सतर्कता रखने और नियमित जांच करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

[हिन्दी]

संक्रमित बोतलबंद मिनरल वाटर

3777. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री लक्ष्मण टुडुः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ध्यान देश में बोतलबंद संदूषित पानी अस्वीकार्य उच्च स्तर तक संदूषित कीटनाशक और इनमें संदूषण की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संदूषित बोतलबंद पानी उत्पादन करने वाली इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवही की गई/प्रस्तावित है;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों/कम्पनियों को दंडित किया गया;

(ङ) क्या भारतीय मानक ब्यूरों का इस संबंध में परीक्षण मानदंडों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के अंतर्गत पैकेज्ड पेय जल के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं जिनमें पेस्टीसाइड की सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। पैकेज्ड पेयजल के गुणवत्ता नियंत्रण को विनियमित करने के लिए एक यह अनिवार्य उपबंध है कि कोइ भी व्यक्ति सिवाय भारतीय मानक ब्यूरों अधिप्रमाणन मार्क (चिह्न) के अधीन, किसी भी पैकेज-बंद पेय जल का विनिर्माण, विक्रय अथवा प्रदर्शन नहीं करेगा। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से यादृच्छिक नमूनें लिए जाते हैं उन मामलों में जहां नमूनों को अधिनियमित के उपबंधों के अनुरुप नहीं पाया जाता है, अपराधियों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई की जाती है।

(घ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियमावली और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है जो खाद्य सुरक्षा तक मानक विनियम, 2011 के किसी भी उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की करती हैं। केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना एकज की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण माफी स्कीम

3778. श्री एन.एस.वी. चित्तनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बाढ़ या अन्य कारणों की वजह से वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु के किसानों द्वारा लिए गए किसी भी ऋण को माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसानों के लिए कोई वैकल्पिक उपाय शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) प्राकृतिक आपदाओं के समय उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों का स्थायी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश निम्नवत हैं:-

(क) फसल ऋणों और कृषि सावधि ऋणों को बकाया मूलभूत और उन पर प्रोदभूत ब्याज को सावधि ऋणों में रूपांतरित करना

(ख) फसल खराब होने की बारम्बारता/फसलों के नुकसान की तीव्रता के आधार पर 3 से 10 वर्षो की अवधियों के लिए ऋणों और उन पर प्रोदभूत ब्याज का रूपांतरण/पुनर्नियतन

(ग) प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण

(घ) रूपांतरित/पुनर्नियत कृषि ऋणों को 'चालू बकाया' मानना

(ङ) रूपांतरित/पुनर्नियत ऋणों के संदर्भ में ब्याज को चक्रवृद्धि नहीं करना

(च) जमानत और मार्जिन से संबंधित उदार मानदंड

(छ) जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनके उपभोग ऋणों की व्यवस्था करना

(ज) पुनर्नियतन करते समय कम से कम एक वर्ष की अधीस्थगन अवधि।

तमिलनाडु राज्य में, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने 1.51 लाख कृषक खातों को 216.07 करोड़ रुपये की माफी और ऋण राहत प्रदान की है।

[हिन्दी]

आयोडीन रहित नमक की बिक्री

3779. श्री जगदीश शर्मा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में 'आयरन' और 'आयोडिन' युक्त नमक का प्रयोग विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों के बीच आयरन और आयोडिन युक्त नमक के वितरण के लिए आवश्यक इसकी मात्रा का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयोडीन युक्त नमक पर पीला 'लोगो' लगाना अनिवाय करने का है जैसाकि यूनिसेफ ने सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की आयोडीन रहित खाद्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) लौह एवं आयोडीन के साथ डबल फोटीफाइड नमक (डीएफएस) के प्रयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास एवं नीति विभाग को निजी उद्योग और सहकारिता के साथ डबल फोर्टिफाइड नमक के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ग) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) घर में पर्याप्त रूप से आयोडीकृत नमक के उपभोग को बढ़ावा देते हुए पीले रंग में मुस्कुराता सूरज पहले से ही राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का अधिकारिक लोगो है।

(ङ) इस समय, आयोडीन अल्पता विकारों के निवारण एवं नियंत्रण के उद्देश्य से गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री को देश में मानव द्वारा इसके सीधे उपभोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

3780. श्री अशोक तंवर:
श्री रमेन डेका:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास खाद्य प्रसंस्करण की किसी वाणिज्यिक इकाई के उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का प्राधिकार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान परीक्षण किए गए नमूनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे घटिया उत्पादों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार इकाइयों/फार्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणों को इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी वाणिज्यिक यूनिट के खाद्य उत्पादों की जांच करने का प्राधिकार है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एकत्र किए गए और जांचे गए नमूनों और दर्ज किए गए मामलों आदि के संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की प्रतिशत का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008			2009			2010		
		जांचे गए	अपमिश्रित	प्रतिशत	जांचे गए	अपमिश्रित	प्रतिशत	जांचे गए	अपमिश्रित	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12310	627	5.09	11615	974	4.08	11343	465	4.10
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0	0	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	390	4	1.03	405	11	2.72	270	16	5.93
4.	असम	1220	84	6.89	1193	127	10.65	1062	122	11.49
5.	बिहार	1474	230	15.60	1170	237	20.26	2169	366	16.87
6.	चंडीगढ़	121	10	8.26	232	39	16.81	191	32	16.75
7.	छत्तीसगढ़	165	39	23.64	230	102	44.35	204	81	35.71
8.	दादरा और नगर हवेली	72	7	9.72	28	7	अनुपलब्ध	17	0	0.00
9.	दमन और दीव	5	0	0	2	0	0.00	28	0	0.00
10.	दिल्ली	3178	212	6.67	3124	159	5.09	3668	143	3.90
11.	गोवा	341	12	3.52	474	8	1.69	716	9	1.26
12.	गुजरात	5994	297	4.95	9920	565	5.70	9747	663	6.80
13.	हरियाणा	3196	328	10.26	3466	496	14.31	3115	457	14.67
14.	हिमाचल प्रदेश	713	141	19.78	1078	216	20.04	726	145	19.97
15.	जम्मू और कश्मीर	1223	132	10.79	1519	209	अनुपलब्ध	1001	101	10.09
16.	झारखंड	805	110	13.66	501	46	9.18	200	36	18.00
17.	कर्नाटक	5122	255	4.98	5571	213	3.82	5591	263	4.70
18.	केरल	14220	367	2.58	12872	292	2.27	10660	282	2.65
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	1782	218	12.23	5001	885	17.70	4596	939	14.46
21.	महाराष्ट्र	15093	1382	9.16	17648	1860	10.54	17394	1817	10.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	मणिपुर	59	1	1.69	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	26	0	0.00
23.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	8	0	0.00	32	0	0.00
24.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0.00	0	0	शून्य
25.	नागालैंड	154	5	3.25	133	3	2.26	109	17	15.60
26.	ओडिशा	104	24	23.08	597	109	अनुपलब्ध	248	36	14.52
27.	पुदुचेरी	196	4	2.04	276	1	0.36	242	0	0.00
28.	पंजाब	3139	623	19.85	3813	664	अनुपलब्ध	8269	1203	14.55
29.	राजस्थान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	6216	1068	17.18	7752	1738	22.42
30.	सिक्किम	102	9	8.82	51	7	13.73	51	6	11.76
31.	तमिलनाडु	4322	711	16.45	4910	644	13.12	8256	952	11.53
32.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	210	29	13.81	281	10	3.56
33.	उत्तर प्रदेश	18107	2360	13.03	20864	3613	17.32	16564	4746	28.65
34.	उत्तरांचल	254	23	9.6	135	17	12.59	250	84	33.60
35.	पश्चिम बंगाल	609	89	14.61	707	91	12.87	385	77	20.00
	कुल	94470	8304	8.79	113969	12692	11.14	117062	14806	12.65

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पंजीकृत/चालान किए गए, दोष सिद्ध मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008		2009		2010	
		पंजीकृत/ चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या	पंजीकृत/ चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या	पंजीकृत/ चालान किए गए मामलों की संख्या	दोष सिद्ध मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	333	53	415	32	382	37
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	शून्य	10	1	16	7
4.	असम	72	17	105	11	103	10
5.	बिहार	230	शून्य	237	0	293	अनुपलब्ध
6.	चंडीगढ़	10	78	153	7	121	118
7.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	दादरा और नगर हवेली	7	शून्य	3	0	0	0
9.	दमन और दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0	0	0
10.	दिल्ली	204	18	225	99	0	127
11.	गोवा	3	शून्य	9	0	2	0
12.	गुजरात	266	82	619	44	683	99
13.	हरियाणा	328	116	496	71	457	192
14.	हिमाचल प्रदेश	47	12	143	18	106	11
15.	जम्मू और कश्मीर	509	316	2661	1230	532	491
16.	झारखंड	110	शून्य	0	0	26	0
17.	कर्नाटक	170	शून्य	56	0	91	2
18.	केरल	शून्य	शून्य	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	166	13	533	23	562	22
21.	महाराष्ट्र	632	82	445	68	537	48
22.	मणिपुर	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0
23.	मेघालय	शून्य	शून्य	0	0	0	0
24.	मिजोरम	शून्य	शून्य	0	0	0	0
25.	नागालैंड	शून्य	3	3	2	3	3
26.	ओडिशा	18	3	82	3	29	6

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0
28.	पंजाब	287	22	310	34	516	30
29.	राजस्थान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1022	3	806	18
30.	सिक्किम	8	0	3	1	3	1
31.	तमिलनाडु	313	47	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	127	110
32.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	2747	169	3492	287	3789	540
34.	उत्तरांचल	23	1	17	8	52	25
35.	पश्चिम बंगाल	19	शून्य	22	0	22	0
	कुल	6506	1034	11061	1942	9258	1897

प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा शव परीक्षा

3781. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ज्यादातर अस्पतलों के शव-गृहों में प्रशिक्षित चिकित्सकों के स्थान पर गैर-पेशेवर द्वारा शव परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शव परीक्षण के लिए कोई प्रक्रिया संहिता विहित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शव परीक्षण किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में शव परीक्षा प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा ही की जाती है न कि गैर-व्यवसायियों द्वारा।

[हिन्दी]

आर.एम.एल. अस्पताल में नए आपातकालीन स्कंध का निर्माण

3782. **श्री घनश्याम अनुरागी:**
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में नए आपातकालीन स्कंध के निर्माण में किसी प्रकार की उपेक्षा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्माण कार्य रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के नए आपातकालीन विंग के निमाण में लापरवाही की ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। वर्तमान में यह निर्माण अपने छठे चरण से गुजर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में बिजली की बचत

3783. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में बिजली की बचत के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कृषि क्षेत्र में बिजली की बचत के लिए पायलट परियोजना शुरू करने हेतु चयनित राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजना महाराष्ट्र में भी कार्यान्वित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने चयनित डिमांड साईड मैनेंजमेंट (डीएसएम) परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीएसएम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) माननीय विद्युत मंत्री द्वारा पहली पायलट परियोजना महाराष्ट्र के सोलपुर जिले में शुरू की थी। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत आज की तारीख तक सरकारी निजी क्षेत्र भागीदारी (पीपीपी) तरीके से सोलपुर क्षेत्र में 1150 पम्पों को बदला गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) 8 राज्यों, नामत: महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ग्यारह विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की गई हैं।

(घ) महाराष्ट्र में परियोजना के अंतर्गत सोलपुर क्षेत्र में 1150 पम्पों को पहले से ही बदला जा चुका है।

(ङ) जी हां।

(च) आठ राज्यों में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्यान्वयन हेतु संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पहले ही भेजी जा चुकी हैं और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिस्कामों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

खाद्य और पूरक आहार के मानक

3784. श्री पी. कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोद्देश्य (फंक्शनल) खाद्य और पूरक आहार के लिए विनियामक मानदंड अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि वर्तमान पूरक आहार औषध विनियामक एजेंसी तथा एफएसएसएआई दोनों की विनियामक जांच से बच जाते हैं क्योंकि ये उत्पाद दवाओं या खाद्य की 'क्लासिकल' परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) इस समय खाद्य सम्पूरक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार विनियमित किए जा रहे हैं तथा विनिर्माता/आयातकर्ता को खाद्य सम्पूरकों एवं आहार सम्पूरकों सहित किसी भी प्रोपाइटरी खाद्य पदार्थ एवं नए खाद्य पदार्थ के विनिर्माण/आयात से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अनुमोदन लेना होता है। दिनांक 5 अगस्त, 2011 से अधिनियम के प्राख्यापन के बाद ऐसे तत्वों या घटकों वाले या ऐसी प्रौद्योगिकियों या प्रक्रियाओं या इसके मिश्रणों का उपयोग करने वाले किसी भी खाद्य सामग्री, जिनकी सुरक्षा इन विनियमों के माध्यम से स्थापित नहीं की गई हैं या जिनका सुरक्षित उपयोग का इतिहास नहीं है अथवा ऐसे तत्वों वाले खाद्य पदार्थ, जो पहली बार देश में शुरू किए जा रहे हैं, के विनिर्माण करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को केन्द्रीय लाइसेंसिंग के कार्यक्षेत्र में लाया गया है। इसके लिए लाइसेंस दिए जाने से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्पाद अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

विद्युत आपूर्ति के लिए समझौता

3785. श्री दत्ता मेघे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) हमने देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य देश के साथ करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तथापि 2011-12 के दौरान (30.11.2011 तक) जापान के एक वित्तपोषण अभिकरण, जापानी अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेशन एजेंसी (जीका) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आइबीआरडी) के साथ संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए 2011-12 (30.11.2011 तक) के दौरान बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ हस्ताक्षरित नये समझौतों के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बहुउद्देशीय वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा)	ऋण राशि (मिलियन)	क्रियान्वयन एजेंसी	ऋण समझौते की तारीख	ऋण समाप्ति की तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश रूरल हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली परियोजना	जैपनीज इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जेबाई)	18590,00	एपीट्रांस्को	16.6.2011	16.06.2019
2.	मध्य प्रदेश पारेषण आधुनिकीकरण परियोजना	जैपनीज इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (जेबाई)	18475.00	एमपीपीटीसीएल	16.06.2011	22.09.2018
3.	विष्णुकोटी जल विद्युत परियोजना	इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलेपमेंट (यूएसडी)	648.00	टीएचडीसी	10.08.2011	31.12.2017
4.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम किस्त-6	एशियाई विकास बैंक (यूएसडी)	69.00	ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल डिकॉम्स	10.05.2011	30.06.2014
5.	मध्य प्रदेश ऊर्जा दक्षता सुधार निवेश कार्यक्रम	एशियाइ विकास बैंक (यूएसडी)	200.00	ईस्ट, बेस्ट एंड सेंट्रल डिस्कॉम्स	17.08.2011	28.02.2015
6.	बिहार विद्युत प्रणाली	एशियाई विकास बैंक	132.20	बीएसईबी	15.06.2011	30.06.2016

पंचायत के लिए व्यय

3786. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000 पंचायतों में 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में खर्च करने के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक/प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्र सरकार के तीन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम/स्रोत हैं जिनसे पंचायतों के माध्यम से निधियां प्राप्त होती हैं;

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) एमजीएनआईजी अधिनियम के अनुसार कुल वार्षिक आबंटन (वर्तमान वर्ष के लिए आबंटन 40 हजार करोड़ रुपये है) का न्यूनतम 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय किया जाना है।

(ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)-अबद्ध अनुदान का कुल वाषिक आबंटन 5050 करोड़ रुपए 250 पिछड़े जिलों के मध्य वितरित किया जाता है जो पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों (पं.रा.सं. तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है) द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण पर व्यय होता है।

(iii) तेरहवां वित्त आयोग-तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अबद्ध अनुदान (अनंतिम वर्तमान आबंटन 9136 करोड़ रुपए) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यय किया जाता है।

(ग) से (ङ) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा एसीए के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अवसंरचना तथा रोजगार का सृजन करती हैं। यद्यपि इन विकास योजनाओं का प्रभाव राज्य दर राज्य तथा योजना दर योजना भिन्न होता है। इन कार्यक्रमों के प्रभाव के संबंध में फीडबैक के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर उचित संशोधन एवं योजना दिशानिर्देशों में पुन: संशोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल हेतु वैकल्पिक ईंधन

3787. श्री समीर भुजबल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल हेतु किसी वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं को उक्त वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पौध संसाधनों का उपयोग करते हुए वैकल्पिक ईंधन विकसित करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोल और डीजल की खपत का अनुपूरण करने के उद्देश्य से जैव ईंधनों, जैसे बायो-इथेनॉल और बायो-डीजल तथा हाइड्रोजन को उपयोग में लाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कई पहलें की गई हैं। जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है और दिसम्बर, 2009 में इसकी घोषणा की गई। डीजल के साथ बायो-डीजल और पेट्रोल के साथ बायो-इथेनॉल के 5% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों/संस्थानों द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बायो-डीजल के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए अखाद्य तेल के बीजों के उत्पादन तथा उनकी तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए रोपण सामग्री की उन्नत किस्मों का विकास करने हेतु अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्य शुरू किए गए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में समुन्नत रोपण सामग्री का बड़े पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण प्रगति पर है। इसके अलावा, कृषि तथा वन अवशिष्ट/अपशिष्ट से बायो-इथेनॉल के उत्पादन के लिए द्वितीयक उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए भी अनुसंधान और विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा

3788. श्री मनीष तिवारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत केन्द्र सरकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में बड़े पैमाने पर कदाचार वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रस्ताव किया है और सामाजिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकता और लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सामाजिक लेखापरीक्षा किए स्तर पर की जानी चाहिए और इस संबंध में क्या कार्यप्रणाली अपनाई जानी है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त संसाधन दिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रायोगिक अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो कार्यान्वयन में सूचित की जा रही अनियमितताओं के मामले में आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी करती है। यदि सरकार के ध्यान में कोई गंभीर अनियमितता लाई जाती है तो भारत सरकार के दलों को भी राज्यों में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के मामले में दिसम्बर, 2010 और मई, 2011 में विशेष दल भेजे गए थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में असंगतियां पाई। राज्य सरकार ने इन अनियमितताओं में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पड़ताल शुरू की।

भारत सरकार के अनुरोध पर सीएजी ने शुरू से ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विशेष लेखा परीक्षा करनी शुरू की है।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सामुदायिक मानीटरिंग को सुगम बनाने और मिशन के लिए सामृदायिक भागीदारी तथा स्वामित्व विकसित करने के माध्यमों पर सलाह देने के लिए सामुदायिक कार्य सलाहकार समूह गठित किया है। सामुदायिक मानीटरिंग प्रायोगिक आधार पर 9 राज्यों अर्थात असम, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में शुरू की गई है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक मानीटरिंग के प्रायोगिक चरण की "रिवायविंग होप्स रिलाइजिंग राइट्स" नामक रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त राज्यों में सामुदायिक मानीटरिंग की प्रक्रिया राज्य, जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तरों से लेकर विभिन्न स्तरों पर की गई। प्रत्येक राज्य में भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 जिलों का चुनाव किया गया, प्रत्येक जिले में 3 खण्डों का, प्रत्येक खण्ड में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य का तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 गांवों का चयन किया गया। इस प्रकार सामुदायिक मानीटरिंग प्रक्रिया के पहले दौर में 16000 गांवों और 300 सुविधा केन्द्रों को कवर किया गया। सामुदायिक मानीटरिंग प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधियां हैं, ग्राम स्तरों पर सामुदायिक मानीटरिंग एवं नियोजन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक मानीटरिंग एवं नियोजन समिति के सदस्यों का अभिमुखीकरण, सेवा प्रदाताओं का अभिमुखीकरण, ग्राम एवं सुविधा केन्द्र स्तर पर रिपार्ट कार्ड तैयार करना।

(घ) राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जिसका मूल्यांकन एवं अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अनुसंशाओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है, के अंतर्गत अनुमानित आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक मानीटरिंग कार्यकलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक मानीटरगि के पहले चरण की "रिवायविंग होप्स रिलाइजिंग राइट्स" नामक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उल्लेख हैं:

* जननी सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में सुधार।

* गांवों में एएनएम और एमपीडब्ल्यू के बार-बार के दौरे से स्वास्थ्य सेवाओं एवं रोग प्रतिरक्षण के कवरेज में सुधार हुआ।

* स्थानीय स्वास्थ्य प्रदाताओं एवं समुदाए के बीच बातचीत की प्रक्रिया बढ़ी है।

* समुदाय से मांग के आधार पर सचल चिकित्सा यूनिट प्रदान की गई।

पेट्रोल का विकल्प

3789. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों ने पेट्रोल के नि:शुल्क विकल्प को उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) एकक हेतु निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा बायो-इथानॉल,

बायो-बुटानॉल आदि जिन्हें कि पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है, के उत्पादन पर अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) कार्य किया गया है। उपरोक्त के साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ निजी कंपनियों नामत: मैसर्स नागार्जुन ग्रुप, हैदराबाद; प्राज इंडस्ट्रीज, पूना और मैसर्स रॉयल एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई ने पेट्रोल के विकल्प के रूप में हरित ईंधनों के उत्पादन पर अनुसंधान और विकास कार्य पर क्रमश: लगभग 42.00 करोड़ रु. 73.00 करोड़ रु. और 50.00 लाख रु. खर्च होने की सूचना दी है।

स्वास्थ्यचर्या हेतु निजी-सरकारी भागीदारी

3790. श्री सुवेन्दु अधिकारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अंतर्गत कोई स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अंतर्गत कोई स्वास्थ्य परियोजना शुरू नहीं की है।

जीएसआई हेतु अनुसंधान वैसल का अधिग्रहण

3791. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समुद्रस्तरीय सर्वेक्षण के कार्यकरण और अजैव संसाधनों का पता लगाने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) हेतु एक नए अनुसंधान वैसल का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अनुसंधान वैसल के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) इसमें कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) जीएसआई को एक नया अनुसंधान वैसल कब तक मिल जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जीएसआई, समुद्रतलीय सर्वेक्षण और अजैव संसाधनों के गवेषण करने के लिए वर्तमान में जीएसआई में मौजूदा अनुसंधान पोत 'समुद्र मंथन' के स्थान पर नया अनुसंधान पोत हासिल कर रहा है। इस पोत की स्थायित्वता 45 दिनों की है तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ईईजेड में तथा उससे परे पोत के लिए एक दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया है। यह पोत समुद्र की पूरी गहराई (6000 मी.) तक सर्वेक्षण करने में सक्षम है। अनुसंधान पोत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जीएसआई ने दो परामर्शकों को नियुक्त किया है अर्थात, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय जहाजरानी कारपोरेशन (एससीआई) को नामांकन आधार पर प्रथम परामर्शक के रूप में तथा मैसर्स वार्टशिला शिप डिजाइन, नार्वे (डब्ल्यू एस डी एन) को वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से द्वितीय (विदेशी) परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। जीएसआई की आवश्यकताओं के अनुसार मै. डब्ल्यूएसडीएन और एससीआई ने अवधारणा डिजाइन और तकनीकी विनिर्देशन तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, मै. ह्युनडाई भारी उद्योग (एचएचआई), कोरिया शिपयार्ड का भी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया है। विभिन्न संबद्ध संगठनों के परामर्शकों, विशेषज्ञों के साथ कई चर्चाएं और बातचीत करने के बाद विस्तार और अवधारणा डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। वैज्ञानिक उपकरण के विनिर्देशन को क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद, वैश्विक बाजार सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। एससीआई ने पोत के सभी पैरामीटरों की छानबीन की है तथा उसको सत्यापित किया है।

(घ) विदेशी विनिमय की दरों में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन पोत की लागत 549.5 करोड़ रु. है (दोनों परामर्शकों का भुगतान शामिल है) (अनुसंधान पोत की लागत: 531 करोड़ रु.) (117. 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य); परामर्शकों का भुगतान करने के लिए: 18.5 करोड़ रु. (मै. डब्ल्यूएसडीएन को 12,400,000 एनओ के तथा एससीआई को (8.00 करोड़ रु.) है।

(ङ) सितम्बर, 2013 तक पोत की प्राप्ति का अनुमान है।

विवरण

नए अनुसंधान जहाज स्थापना हेतु प्रस्तावित आयाम और वैज्ञानिक उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

नए जहाज के मुख्य आयाम हैं:

लेंग्थ ओवर आल: 103.60 मी.

लेंग्थ बिटमिन पी.पी.: 93.60 मी.

बीम: 19.20 मी.

01 एसीसी: डेक के लिए गहराई: 10.60 मी.

पहली डेक के लिए गहराई: 8.50 मी.

दूसरी डेक के लिए गहराई: 5.10 मी.

ड्रॉट स्केटलिंग: 6.20 मी.

डिजाइन प्रारूप: 5.00 मी.

समर प्रारूप: 6.00 मी.

फ्रेम स्पेसिंग: 600 मी.

वेब फ्रेम स्पेसिंग: 2400 मि.मी.

नए जहाज पर निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए जाएंगे:

अकोस्टिक डोपलर करंट प्रोफिलर (एडीसीपी)

डीप वाटर मल्टीबीम ईको साउंडर

शैलो वाटर मल्टीबीम ईको साउंडर

सिंगल बीम ईको साउंडर

सब-बाटम प्रोफिलर

सिंगल स्ट्रीमर मल्टी चैनल-सिस्मिक सिस्टम

मेरिन ग्रेवीमीटर स्पेसीफिकेशन

मेरिन मेग्नेटोमीटर अपग्रेडेबल टू मेरिन ग्रेडियोमीटर

साईड स्केन सोनार विद इमेज प्रोसेसिंग

मेरिन डाटा मेनेजमेंट (एमडीएम)

अकोस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम

आब्जर्वेशन क्लास रिमोट आपरेटिव व्हिकल (आरओवी) विद कैमरा

हडिंग एंड मोशन सेंसर्स

हीट फ्लो मेजरिंग सिस्टम

करंट मीटर

कंडक्टिविटी डेप्थ एंड टैम्परेचर (सीडीटी) सिस्टम

अकोस्टिक पिंजर

डीजीपीएस

वाइब्रो कोरर

ड्रेज

कोर स्पीलीटर

ग्रेब्स

स्पेड कोरर

कोर कटर

पिस्टन कोरिंग सिस्टम

कोर स्केनर

सिंथेटिक अपेरचर सोनार सिस्टम (एसएएस)

एलआरजी परियोजना स्कीम

3792. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री हरीश चौधरी:
श्री एस. अलागिरि:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्याप्त पर्यटन अवसंरचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वृहद राजस्व सृजन (एलआरजी) करने वाली परियोजना स्कीम के माध्यम से पर्यटन के विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी में सहायता करती हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त स्कीम के कार्यक्षेत्र और इसके भागीदारों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्कीम में कार्यान्वयनाधीन कार्य का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ आयोजित बैठकों में प्राथमिकता प्रदत्त, पर्यटन अवसंरचना के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) निजी क्षेत्र, कॉर्पोरेट तथा सांस्थाकि संसाधनों के साथ-साथ तकनीकी-प्रबंधकीय कुशलता को शामिल करने के उद्देश्य से पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता नामक एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत मान्य परियोजनाएं पर्यटकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए अथवा अतिथियों से शुल्क या उपभोक्ता प्रभार की वसूली के माध्यम से राजस्व पैदा करने के लिए पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली हों।

इस योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुछेक महत्वपूर्ण मदें हैं: पर्यटक ट्रेन, क्रूज वेसल्स, क्रूज टर्मिनल, समागम केन्द्र, गोल्फ कोर्स, स्वास्थ्य एवं कायाकल्प संबंधी सुविधाएं तथा पर्यटक गंतव्यों में अंतिम स्थान तक संपर्क, आदि।

इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की ऊपरी सीमा, कुल परियोजना लागत के अधिकतम 25 प्रतिशत अथवा प्रमोटरों के इक्विटी अंशदान के 50 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, की शर्त पर, 50 करोड़ रुपए है।

इस योजना में स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से लग्जरी पर्यटक ट्रेन, रोपवे, गोल्फ कोर्सों का विकास, आदि हैं।

पैकेज्ड साफ्टवेयर पर कर

3793. **श्री संजय निरूपम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पैकेज्ड साफ्टवेयर के आयात पर लगाने वाले शुल्कों, करों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पैकेज्ड साफ्टवेर के आयात पर सेवा कर भी लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा सेवा कर के दायरे में आने वाले पैकेज्ड साफ्टवेयर पर मूल्य वर्धित कर नहीं लगाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) 'पैकेज्ड साफ्टवेयर' के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क, कर आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी (जिसे सामान्यतया सीवीडी से जाना जाता है): 10%

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी (जिसे सामान्यतया सी वी डी से जाना जाता है): 4%

(ख) जी, हां। विशिष्ट मामलों में, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

(ग) पैकेज्ड साफ्टवेयर के आयात पर सेवाकर तब लगाया जाता है जब दि लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 या इसके तहत् बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे पैकेज पर खुदरा बिक्री मूल्य को घोषित किया जाना जरूरी नहीं होता है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बर्द्धित मूल्य कर को लगाये जाने में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग

3794. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने देश में कुछेक ऊर्जा परियोजनाओं को संवर्द्धन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना में उक्त नवीकरणीय ऊर्जा कोष के अंतर्गत इन परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत सृजन का निर्धारित लक्ष्य और परिमाण क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एसटीटी का उन्मूलन

3795. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) के उन्मूलन हेतु निवेशक समुदाय और अन्य से कोई प्रस्ताव मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मांग निवेदन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व हानि का आकलन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) प्रतिभूति बाजार में लेनदेन की लागत को कम करने के निमित्त प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) को समाप्त करने अथवा तर्कसंगत बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) वित्त वर्ष 2010-11 में एसटीटी का कुल संग्रहण 5985. 07 करोड़ रुपए था जो एसटीटी न लगने की स्थिति में अनुमानित राजस्व क्षति का प्रतिनिधित्व करेगा।

(घ) सरकार प्रतिभूति संव्यवहार कर को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

[हिन्दी]

एनसीपीसीआर

3796. श्री सुदर्शन भगत:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उल्लंघन के लिए अब तक बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) के पास दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में की गई अनुवती कार्रवाई क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम को उद्‌भूत करने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा आगे उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं;

(घ) क्या एनसीपीसीआर उक्त अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई हेल्पलाइन प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) दिनांक 30.11.2011 तक राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उल्लंघन के लिए 2215 शिकायतें दर्ज की हैं। इनमें से 100 शिकायतों का निपटान किया गया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्राप्त की गई और निपटाई गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रचार के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने संबंधित भागीदारों के साथ सामाजिक लेखा परीक्षा जनसुनवाई, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं तथा बारंबार पूछे गए प्रश्नों के बुकलेट प्रकाशित किए गए हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरुकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इनका परिचालन किया गया है।

(घ) इस समय राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30 नवम्बर, 2011 तक राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	217	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0
4.	असम	6	1
5.	बिहार	9	1
6.	चण्डीगढ़	0	0

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़	2	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	567	35
11.	गोवा	1	1
12.	गुजरात	6	4
13.	हरियाणा	38	2
14.	हिमाचल प्रदेश	6	1
15.	जम्मू और कश्मीर	2	0
16.	झारखंड	5	0
17.	कर्नाटक	6	1
18.	केरल	2	0
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	33	19
21.	महाराष्ट्र	134	2
22.	मणिपुर	27	0
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	1	0
25.	नागालैण्ड	1	0
26.	ओडिशा	39	2
27.	पुदुचेरी	1	0
28.	पंजाब	14	4
29.	राजस्थान	775	5
30.	सिक्किम	1	1
31.	तमिलनाडु	140	10
32.	त्रिपुरा	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	70	12
34.	उत्तराखण्ड	5	0
35.	पश्चिम बंगाल	105	3
	कुल	2215	110

[अनुवाद]

वित्त आयोग अनुदानों और बीआरजीएफ के तहत निधियां

3797. श्री एल. राजगोपाल:
श्री खगेन दास:

क्या **पंचायती मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों को वित्त आयोग अनुदानों और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के रूप में जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बीआरजीएफ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए जिलों का ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या जिला योजना समिति होने की शर्त को हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा स्थिति सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत जारी राज्यवार निधियां तथा विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए वित्त आयोग अनुदान क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा संलग्न विवरण-II में हैं। वित्त आयोग अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा सीधी राज्यों को जारी किए जाते हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर नहीं किए गए जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। बीआरजीएफ योजना में 250 जिलों को कवर किया गया है जिनका चयन मूलतः वर्ष 2005-06 में योजना आयोग द्वारा स्थापित बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों पर अंतर-मंत्रालयी कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं। बीआरजीएफ के अंतर्गत जिला योजनाओं को जिला योजना समितियों द्वारा समेकित एवं अनुमोदित किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से चालू वित्त वर्ष 2011-12 (दिनांक 13.12.2011 तक) बीआरजीएफ के क्षमता निर्माण एवं विकास अनुदान घटकों के अंतर्गत राज्यवार जारी निधियां)

(करोड़ रु. में)

राज्य	बीआरजीएफ जिलों की संख्या	जारी निधियां								कुल		क्षमता निर्माण अनुदान एवं विकास अनुदान का कुल योग
		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12				
		क्षमता निर्माण	विकास अनुदान	क्षमता निर्माण	विकास अनुदान	क्षमता निर्माण	विकास अनुदान	क्षमता निर्माण	विकास अनुदान	क्षमता निर्माण	विकास अनुदान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	13	0.00	250.38	22.11	335.28	13.00	335.34	6.07	171.11	41.18	1092.11	1133.29
अरुणाचल प्रदेश	1	0.00	11.07	2.90	11.77	0.00	12.70	0.00	0.00	2.90	35.54	38.44
असम	11	0.00	53.23	0.00	56.03	13.08	126.04	2.90	1.86	15.98	237.16	253.14
बिहार	36	0.00	421.54	25.73	493.21	31.34	708.91	0.00	235.56	57.12	1859.22	1916.34
छत्तीसगढ़	13	13.00	192.44	8.46	207.60	17.54	263.36	1.77	59.08	40.77	722.48	763.25
गुजरात	6	6.04	0.00	5.47	91.17	1.85	101.31	0.00	39.18	13.36	231.66	245.02
हरियाणा	2	3.23	22.45	0.00	19.35	2.00	37.53	1.04	10.48	6.27	89.81	96.08
हिमाचल प्रदेश	2	1.96	21.52	1.76	25.65	!.00	28.50	0.47	11.80	6.19	87.47	93.66
जम्मू और कश्मीर	3	0.00	40.77	9.00	0.00	(.00	41.26	0.00	0.00	9.00	82.03	91.03
झारखंड	21	0.00	290.27	0.00	209.18	8 ·6	322.56	0.00	0.00	8.46	822.01	830.47
कर्नाटक	5	0.00	0.00	8.39	94.88	5.( )	113.48	2.69	13.58	16.08	221.94	238.02
केरल	2	0.00	0.00	2.00	22.21	1.2	30.31	0.00	17.11	3.28	69.63	72.91
मध्य प्रदेश	24	24.00	300.44	5.66	309.99	24.0	511.80	0.00	131.66	53.66	1253.89	1307.55
महाराष्ट्र	12	29.80	0.00	0.00	228.19	12.00	278.95	5.06	152.32	46.86	659.46	706.32
मणिपुर	3	4.60	10.02	0.00	27.71	2.02	52.30	0.67	9.58	7.29	99.61	106.90
मेघालय	3	3.93	33.61	2.36	21.14	3.00	47.42	0.00	12.27	9.29	114.44	123.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मिजोरम	2	2.00	0.00	2.00	19.28	2.00	26.68	0.00	7.97	6.00	53.93	59.93
नागालैंड	3	3.00	30.31	6.00	37.04	3.00	37.04	2.70	17.83	14.70	122.22	136.92
ओडिशा	19	0.00	227.84	23.27	200.40	0.00	385.20	0.19	106.36	23.46	919,80	943.26
पंजाब	1	0.00	0.00	1.00	14.08	1.00	17.22	0.44	14.50	2.44	4580	48.24
राजस्थान	12	0.00	183.50	32.08	109.34	8,45	296.23	0.00	127.34	40.53	716.41	756.94
सिक्किम	1	1.00	11.67	0.73	10.86	0.84	15.08	0.63	3.73	3.20	41.34	44.54
तमिलनाडु	6	16.32	97.21	0.00	62.09	5.24	108.04	1.92	61.93	23.48	329.27	352.75
त्रिपुरा	1	0.83	10.98	0.89	7.69	1.00	12.21	0.45	8.46	3.17	39.34	42.51
उत्तर प्रदेश	34	0.00	541.74	20.26	559,61	28.07	640.02	0.00	374.90	48.33	2116.27	2164.60
उत्तराखंड	3	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	0.00	0.00	9.00	37.66	46.66
पश्चिम बंगाल	11	16.97	142.55	10.52	170.58	11.00	265.68	4.82	76.7	43.31	655.68	698.99
कुल	250	135.68	2893.53	190.6	3344.32	197.2	4852.83	31.8	1665.5	555.31	12756.16	13311.47

विवरण II

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए विभिन्न राज्यों को वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	2010-11		2011-12	
				सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31740	47610	48074	590	30470	295
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2040	2520	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	21040	14511	730	0.00	0.00
4.	बिहार	32480	32480	45569	0.00	28882	-
5.	छत्तीसगढ़	12300	2300	15367	2110	9740	1055

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	360	180	832	0	0.00	0.00
7.	गुजरात	27930	18620	21724	1440	13340	720
8.	हरियाणा	7760	7760	10116	0.00	6212	0.00
9.	हिमचाल प्रदेश	2940	2940	5120	30	3245	15
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	15355	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	13948	1750	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	26640	17760	41938	0.00	125754	0.00
13.	केरल	9850	29550	17935	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	16630	49890	37842	2650	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	59490	39660	50578	790	32057	395
16.	मणिपुर	423.20	846.40	2013	180	0.00	0.00
17.	मेघालय	2500	0.00	2877	460	0.00	0.00
18.	मिजोरम	800	0.00	1855	0.80	0.00	0.00
19.	नागालैंड	1600	800	1420	200	0.00	0.00
20.	ओडिशा	16060	16060	23831	2160	15104	1080
21.	पंजाब	6480	6480	10350	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	36900	24600	36668	360	22518	180
23.	सिक्किम	910	130	1696	0.00	1075	0.00
24.	तमिलनाडु	26100	17400	28710	0.00	17631	0.00
25.	त्रिपुरा	1140	2280	2695	240	1708	120
26.	उत्तर प्रदेश	58560	58560	91130	0.00	55961	0.00
27.	उत्तराखंड	0.00	6480	5437	0.00	3446	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	38130	25420	38120	160	24161	80
	कुल	417723.20	440886.40	572876	14030	296659	3940

नोट: विशेष अर्थात अनुसूची V एवं VI तथा संविधान के भाग IX एवं IX-क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्र जो 16 राज्यों, नामतः -आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में आते हैं।

विवरण III

आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के वे जिले जो बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर नहीं हैं, दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	क्र.सं.	जिले का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	पूर्व गोदावरी
	2.	कृष्णा
	3.	श्रीकाकुल्लम
	4.	गुंटूर
	5.	कुरनूल
	6.	प्रकाशम
	7.	विशाखपट्टनम
	8.	प. गोदावरी
	9.	हैदराबाद
	10.	नेल्लोर
मणिपुर	1.	विष्णुपुर
	2.	इम्फाल
	3.	इम्फाल पश्चिम
	4.	विष्णुपुर
	5.	इम्फाल पश्चिम
	6.	इम्फाल पूर्व
मेघालय	1.	पूर्व खासी हिल
	2.	पूर्व गारो हिल
	3.	जंतिया हिल
	4.	पश्चिम खासी हिल
मिजोरम	1.	आइजोल
	2.	चंफाई
	3.	कोलासिब
	4.	लुंगलेई
	5.	ममित
	6.	सरछिप
नागालैंड	1.	दीमापुर
	2.	केफरी
	3.	कोहिमा
	4.	लौंगलेंग
	5.	मोकोकचुंग
	6.	पेरेन
	7.	फेक
	8.	जुनीबोतो
असम	1.	बक्शा
	2.	चिरांग
	3.	दरांग
	4.	धुब्री
	5.	डिब्रूगढ़
	6.	गोलाघाट
	7.	जोरहाट
	8.	कामरूप
	9.	कामरूप महानगर
	10.	करीमगंज
	11.	नगौन
	12.	नालबाड़ी
	13.	शिवसागर
	14.	सोनितपुर
	15.	तिनसुकिया
	16.	उदलगुड़ी
अरुणाचल प्रदेश	1.	अंजा
	2.	चांगलांग

1	2	3
	3.	दिबंग घाटी
	4.	पूर्व कमेंग
	5.	पूर्व सियांग
	6.	कुरुंग कुमैय
	7.	लोहित
	8.	निचली दिबांग घाटी
	9.	निचला सुवनसिरी
	10.	पापुम पारे
	11.	तवांग
	12.	तिरप
	13.	अपर सियांग
	14.	पश्चिम कमेंग
सिक्किम	1.	पूर्व
	2.	दक्षिण
	3.	पश्चिम
त्रिपुरा	1.	उत्तरी जिला
	2.	दक्षिण जिला
	3.	पश्चिमी जिला

[हिन्दी]

पर्यटकों हेतु रोपवेज

3798. श्री सतपाल महाराज: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड सहित देश के पर्वतीय राज्यों में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही हेतु और रोपवेज बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) रोपवेज बनाने सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास और संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, उनके साथ बैठक में प्राथमिकता प्राप्त रोपवेज सहित पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए के दौरान सितम्बर, 2011 तक उत्तराखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और स्वीकृत राशि के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

11वीं योजना अवधि के दौरान 30 सितम्बर, 2011 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.09.2011 तक)		कुल योग	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	26.29	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	48	234.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	43.30	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	57	157.19
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	असम	6	17.47	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	24	89.09
5.	बिहार	4	21.95	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	18	57.59
6.	चंडीगढ़	2	0.20	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	5	12.94	1	11.34	0	0.00	4	20.95	0	0.00	10	45.23
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	8	20.76	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	25	76.34
11.	गोवा	0	0.00	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	5	5.81	7	21.33	1	.33	1	0.14	2	51.75	16	86.36
13.	हरियाणा	10	22.50	7	36.70	6	12.37	6	27.41	1	0.10	30	99.08
14.	हिमाचल प्रदेश	12	34.81	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	0.22	42	128.54
15.	जम्मू और कश्मीर	33	70.60	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	129	335.82
16.	झारखण्ड	7	11.31	0	0	3	0.25	5	7.56	1	23.71	16	42.83
17.	केरल	11	41.24	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	36	148.21
18.	कर्नाटक	6	24.79	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	36	148.21
19.	लक्षद्वीप	1	7.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	7	22.79	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	15	80.20
21.	मणिपुर	5	11.11	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	35	130.08
22.	मेघालय	2	6.74	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	27	61.54
23.	मिजोरम	6	26.93	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	32	79.49
24.	मध्य प्रदेश	16	39.51	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	55	181.48
25.	नागालैंड	22	32.41	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	62	137.38
26.	ओडिशा	13	30.87	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	35	116.05
27.	पुदुचेरी	6	16.10	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	16	74.45
28.	पंजाब	2	15.98	5	24.93	3	9.48	4	11.91	1	4.23	15	66.53
29.	राजस्थान	2	15.54	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	28	125.41
30.	सिक्किम	25	55.91	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13.45	82	201.98
31.	तमिलनाडु	11	27.61	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	44	143.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	त्रिपुरा	11	11.11	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	7	29.24	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	40	128.25
34.	उत्तराखंड	6	21.01	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	26	133.65
35.	पश्चिम बंगाल	12	32.41	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	39	128.92
	कुल योग	283	757.06	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	1105	3616.80

*इसमें पीआईडीडीसीए एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

किशोर देखभाल और संरक्षण योजनाएं

3799. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देशभर में किशोर अपराध के मामलों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की किशोर देखभाल और संरक्षण योजनाओं में अपर्याप्तता इस वृद्धि का प्रमुख कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो में सरकार द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान देशभर में भारतीय दंड संहिता और विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अंतर्गत किशोरों द्वारा किए जान वाले अपराधों में वृद्धि की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन तथा उपभोग

3800. डॉ. भोला सिंह:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लौह अयस्क खानों की संख्या और इसकी मौजूदा मात्रा राज्य-वार कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लौह अयस्क की मात्रा और इसके बिक्री मूल्य सहित उत्पादन और उपभोग राज्य-वार क्या है;

(ग) क्या देश में लौह अयस्क की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान और अन्य देशों में लौह अयस्क ब्लॉकों के खनन हेतु बोली लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे निवेश करने के दोनों पहलुओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) लौह खानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

राज्य	रिपोर्टिंग लौह अयस्क खानों की संख्या [2010-11 (अनंतिम)]
1	2
आंध्र प्रदेश	29
गोवा	70
झारखंड	20
कर्नाटक	86
मध्य प्रदेश	6

1	2
महाराष्ट्र	15
ओडिशा	60
राजस्थान	1
कुल	297

(स्रोत: एमसीडीआर विवरणियां):

लौह अयस्क संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	लौह अयस्क के संसाधन (हजार टन में) (1.4.2010 तक)	
	हेमेटाइट	मैगनेटाइट
आंध्र प्रदेश	381,478	1,463,541
असम	12,600	15380
बिहार	55	2659
छत्तीसगढ़	3,291,824	–
गोवा	927.12	222,673
झारखंड	4,596,620	10,541
कर्नाटक	2,158,678	7,801,744
केरल	–	83,435
मध्य प्रदेश	231,446	–
महाराष्ट्र	283,209	1361
मेघालय	225	3,380
नागालैण्ड	–	5,280
ओडिशा	5,930,232	199
राजस्थान	30,560	526831
उत्तर प्रदेश	38,000	–
तमिलनाडु	–	507037
कुल	17,882,098	10644060

(ख) पिछले तीन वर्षों में लौह अयस्क (मात्रा और मूल्य) के उत्पादन तथा घरेलू उपभोग का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(उत्पादन की मात्रा तथा घरेलू उपभोग हजार टन में/मूल्य हजार रुपए में)

राज्य	2008-09			2009-10			2010-11 (अनंतिम)		
	उत्पादन	मूल्य	घरेलू उपभोग	उत्पादन	मूल्य	घरेलू उपभोग	उत्पादन	मूल्य	घरेलू उपभोग
आंध्र प्रदेश	10112	15211659	4956	6246	8101303	3393	1435	422293	537
छत्तीसगढ़	29997	59064269	25631	26211	44227248	24115	29146	82675755	23869
गोवा	31195	48609019	7553	38136	55846319	8826	36723	74085391	6522
झारखंड	21329	9246556	13912	22547	11242048	14286	23174	16393379	11602
कर्नाटक	46971	57305574	25941	43163	48811665	27049	37878	62114924	31022
मध्य प्रदेश	412	101332	570	1058	359750	1016	1745	789840	1029
महाराष्ट्र	294	236085	215	283	221777	341	1520	1231774	1086
ओडिशा	72627	95665250	47422	80896	95807348	51784	76350	137623681	51122
राजस्थान	23	4276	23	13	2594	13	27	6392	26
कुल	212960	285444020	126223	218553	264620052	130822	207998	375343429	126814

(स्रोत: एमसीडीआर विवरणियां)

(ग) और (घ) देश में लौह अयस्क की कोई कम नहीं है तथा 1.4.2010 को देश में कुल लौह अयस्क संसाधन 28.52 बिलियन टन है जोकि आगे होने वाले गवेषण तथा लौह अयस्क के थ्रेशहोल्ड मूल्य में 55 प्रतिशत एफ ई से 45 प्रतिशत एफ ई की कमी के कारण और बढ़ने की संभावना है।

(ङ) और (च) चूंकि विदेशों में संपत्तियों की प्राप्ति एक ऐसा कदम है जिससे देश का भावी कच्चा माल संबंधी हित लम्बी अवधि के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इस हेतु स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), टाटा स्टील्स, जेएसडब्ल्यू रीटल्स लिमिटेड तथा जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, संघ ने अफगानिस्तान हाजीगक लौह अयस्क निक्षेप में तीन ब्लॉकों के लिए बोली जाती है।

राज्यों को नाबार्ड की सहायता

3801. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित राज्यों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन क्षेत्रों का नाम क्या है जहां निवेश किया गया है और कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने नाबार्ड समर्थित परियोजनाओं की निगरानी और समय से पूरा करने को/सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान झारखंड, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों समेत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आरआईडीएफ के तहत निवेश क्षेत्र हैं-कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी।

आरआईडीएफ परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। आरआईडीएफ के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए तथा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों का अपना स्वयं का एक तंत्र है।

नाबार्ड आरआईडीएफ परियोजनाओं की निगरानी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के माध्यम से दो तरीकों से, अर्थात डेस्क मानिटरिंग (आन-साइट), भी करता है।

विवरण

नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के तहत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

राज्य का नाम	आरआईडीएफ-XIV: 2008-09		आरआईडीएफ-XV: 2009-10		आरआईडीएफ-XVI: 2010-11		आरआईडीएफ XVII: 2011& 12 (30 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार)
	आबंटन	संस्वीकृति	आबंटन	संस्वीकृति	आंबटन	संस्वीकृति	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	1,053	1,315	966	1,185	890	1237	880
अरूणाचल प्रदेश	167	122	176	56	195	0	210
असम	336	113	335	300	325	284	330

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	697	752	701	877	900	1090	920
चंडीगढ़	546	72	540	86	710	121	730
गोवा	159	86	180	149	200	57	70
गुजरात	800	1,085	821	972	840	1163	850
हरियाणा	286	301	343	543	510	487	480
हिमाचल प्रदेश	406	425	397	454	560	424	540
जम्मू और कश्मीर	606	377	569	654	750	903	770
झारखंड	489	631	513	567	680	623	690
कर्नाटक	659	659	637	657	710	861	720
केरल	283	501	291	353	410	532	450
मध्य प्रदेश	834	975	914	1,176	980	1200	980
महाराष्ट्र	811	1,123	842	914	930	1125	90
मणिपुर	69	0	53	4	70	272	160
मेघालय	108	66	114	135	160	143	140
मिजोरम	93	1	87	75	140	146	980
नागालैंड	87	240	78	187	110	79	80
ओडिशा	599	849	584	760	690	898	740
पुडुचेरी	55	55	340	9	80	106	130
पंजाब	330	525	863	553	450	602	450
राजस्थान	913	1,100	66	1,015	980	1300	1000
सिक्किम	47	99	706	177	0	78	80
तमिलनाडु	680	905	92	850	760	1034	780
त्रिपुरा	93	305	0	142	110	86	110
उत्तर प्रदेश	1,200	971	1170	1,364	1280	1569	1300
उत्तराखण्ड	388	300	379	426	640	738	540
पश्चिम बंगाल	761	801	743	922	850	1160	800
प्रोत्साहन/भावी आबंटन	445		500				

1	2	3	4	5	6	7	8
आरआईडीएफ	14,000	14,754	14,000	15,630	16,000	18,315	16000
भारत निर्माण (एनआरडीए)	4,000	4,000	6,500	6,500	0	0	0
सकल योग	18,000	18,754	20,500	22,130	16,000	18,315	16,000

नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कोष

3802. **श्री विजय बहादुर सिंह:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम जनता को नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण मुहैया कराने के लिए कोष का गठन करने के लिए हाल ही में ब्रिटेन के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोष का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में विदेशी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे की जनता के लिए ऐसे उपकरण वितरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं। ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

3803. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो, उक्त योजना की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तपोषण प्रक्रिया के ब्यौरे सहित इस योजना के लिए मुहैया कराए जाने वाली निधियों के स्रोत क्या हैं; और

(घ) क्या उक्त योजना में जनता के लिए वहनीय स्वास्थ्य देखभाल की परिकल्पना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) 14.7.2003 को आरंभ की गई थी। यह स्कीम सरकार की आर्थिक सहायता के साथ गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों तथा परिवारों के लिए पहले से ही लागू है। इसके अलावा, सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराने हेतु 1.04.2008 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीआई) आरंभ की गई थी। योजना का विस्तार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे 'मनरेगा' (एमएनआरईजीए) श्रमिकों, पटरी पर समान बेचने वालों, बीड़ी तथा घरेलू श्रमिकों आदि के लिए भी किया गया है। तथापि, योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ 2020 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में खाका तथा निवेश योजना तैयार करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के संबंध में एक उच्च स्तारीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन किया है। एचएलईजी की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। एचएलईजी का मुख्य सिफारिशें (i) स्वास्थ्य वित्तीयन तथा वित्तीय सुरक्षा; (ii) दवा, टीके तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने; (iii) स्वास्थ्य के संबंध में मानव संसाधन; (iv) स्वास्थ्य सेवा मानदंड; (v) प्रबंधन तथा संस्थागत सुधार (vi) सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों की वचनबद्धता; (vii) स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों आदि के संबंध में हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित एलएचईजी की सिफारिशें सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना का भाग होगी।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण

3804. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस औषधालयों के भवन के निर्माण हेतु गुड़गांव में हरियाणा सरकार से और द्वारका, दिल्ली में भूखण्ड की खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त स्थानों पर कार्य आरम्भ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्य को तत्काल आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन औषधालयों के कब तक चालू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) हुडा द्वारा गुड़गांव में और डीडीए द्वारा द्वारका, नई दिल्ली में सीजीएचएस को भूखण्ड आबंटित किए गए हैं।

(ख) से (घ) 1. **गुड़गांव** के बारे में विवरण: सेक्टर-5, गुड़गांव के सीजीएचएस औषधालय का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा 75 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

2. **द्वारका** के बारे में विवरण: डीडीए द्वारा द्वारका, नई दिल्ली में सीजीएचएस को भूखण्ड आबंटित किए गए हैं। सेक्टर-9 एवं 23 के औषधालयों के लिए भवन योजनाओं को सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो (सीडीबी) द्वारा तैयार किया गया है तथा एमसीडी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

3805. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी/वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बनाए गए नियमों जो कि जनजातीय लोगों के पास वन उत्पाद के व्यापार की मात्रा संबंधी कुछ सीमा की स्वीकृति के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं और उक्त नियमों को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उद्देश्य उन वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि में कब्जा और वन अधिकार सौंपने तथा उन्हें मान्यता प्रदान करना है, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है अधिनियम की धारा 3 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के उन वन अधिकारों को विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें अधिनियम, के अंतर्गत मान्यता दी जानी है और सौंपा जाना है। उक्त धारा में विनिर्दिष्ट वन अधिकारों में से एक स्वामित्व, लघु वन उत्पाद के संग्रहण, प्रयोग तक पहुंच और निपटान के अधिकार से संबंधित है जिन्हें परंपरागत रूप से ग्राम की सीमाओं के अंदर अथवा बाहर संग्रहित किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008, अधिनियम के अंतर्गत इस वन अधिकार को मन्यता देने और सौंपने से संबंधित प्रावधानों क उल्लंघन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सौर और पवन ऊर्जा

3806. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उपस्करों के आयात पर काफी बड़ी राशि व्यय कर रही है जबकि बड़ी मात्रा में सौर तथा पवन ऊर्जा संसाधन अप्रयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या संपूर्ण देया में सौर मिशन कार्यक्रम को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सौर तथा पवन संस्थापनों की क्षमता के विस्तार हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) सरकार राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे कि सब्सिडी, 80% त्वरित मूल्यह्रास, पवन विद्युत परियोजना से अर्जित आय पर 10 वर्षों का करावकाश, कुछ मदों/घटकों के आयात पर रियायतीर सीमा शुल्क, ग्रिड-सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापनाओं की स्थापना हेतु उत्पाद शुल्क में छूट, पवन फार्मों और ग्रिड-सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं

की स्थापना हेतु अधिमान्य शुल्क दर और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है।

(ग) मंत्रालय ने दिनांक 11 जनवरी, 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की शुरुआत की थी जिसे कि देश में तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है।

(घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड-सम्बद्ध विद्युत, 2000 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग और 20 मिलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 1100 मेगावाट ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत 200 मेगावाट ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग 7 मिलियन वर्गमीटर के सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र की स्थापना हेतु वर्ष 2013 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण का अनुमोदन किया हैं मंत्रालय, निजी निवेश के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15,000 मेगावाट क्षमता के पवन फार्मों की संस्थापना करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

स्टॉक बाजार में विदेशी निवेशक

3807. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी से भारतीय शेयर बाजार में संस्थान/कंपनी-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश का शेयर बाजार इन विदेशी पूंजी निवेशकों के प्रभाव के कारण गिरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शेयर बाजार को विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी के सीधे निवेश हेतु कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा चालू वित्त वर्ष में किया गया माहवार निवल निवेश निम्नानुसार है:

वर्ष 2011-12 क दौरान निवल निवेश (करोड़ रुपए)

	इक्विटी	ऋण	योग
अप्रैल	7,213.3	-17.2	7,196.1
मई	-6,614.4	2,338.4	-4,276.0
जून	4,572.2	311.1	4,883.3
जुलाई	8,030.1	2,622.8	10,652.9
अगस्त	-10,833.6	2,931.1	-7,902.5
सितम्बर	-158.3	-1,707.4	-1,865.7
अक्टूबर	1,677.4	1,401.4	3,078.8
नवम्बर	-4,197.9	934.7	-3,263.2
वर्ष 2011-12 (30 नवम्बर, 2011 तक) में कुल एफआईआई निवेश	-311.2	8,814.9	8,503.7

दिनांक 31 अक्तूबर 2011 की स्थिति के अनुसार एफआईआई की श्रेणी और उप खातों के अनुसार अभिरक्षा क अंतर्गत परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं

एफआईआई/उपखातों की श्रेणी	(करोड़ रुपए)		
	इक्विटी	ऋण	योग
म्युचुअल फंड	440,334	4,998	445,333
व्यापक आधारित निधि	138,772	14,893	153,665
अन्य	101,329	15,888	117,216
निवेश प्रबंधक/सलाहकार	53,279	25,650	78,929
निवेश न्यास	54,759	932	55,691
बैंक	15,971	32,094	48,065
संप्रभु संपत्ति निधि	44,162	6	44,167
पेंशन निधि	39,808	1	39,809
परिसपत्ति प्रबंधन कंपनी	5,457	6,410	11,867
विदेशी कारपोरेट	10,944	737	11,682
संस्थागत पोर्टफोलियों प्रबंधक	95	4,830	4,925
बीमा/पुन:बीमा कंपनी	3,805	361	4,165
विदेशी सरकारी एजेन्सी	2,786	532	3,318
केन्द्रीय बैंक	157	2,950	3,107
न्यास का न्यासी	1,593	0	1,593
पुण्यार्थ न्यास	1,155	0	1,155
धर्मदाय (एंडोमेन्ट)	591	0	591
फाउंडेशन	163	0	163
चैरीटेबल सोसायटी	55	0	55
विश्वविद्यालय निधि	33	0	33
विदेशी व्यष्टि	0	0	0
अंतर्राष्टीय/बहुपक्षी संगठन	0	0	0
योग	915,247	110,282	1,025,529

(ख) और (ग) स्टॉक बाजार में निवेश, अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों एवं कम्पनियों के बारे में घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों की अवधारणाओं; पर निर्भर करता है। अवधारणाएं सामान्यत: कई कारकों से प्रभावित होती हैं जिनमें वृहद-आर्थिक वातावरण, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की सम्भावना, सरकार की नीतियां, कारपोरेट निष्पादन, वह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनका असर बाजारों ओर भावनाओं पर पड़ता है, शामिल हैं।

(घ) सरकार तथा सेबी ने अस्थिरता का सामना करने एवं बाजार की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने हेतु सुरक्षित, पारदर्शी तथा दक्ष बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रणालियों तथा प्रक्रियाएं बनायी हैं। संस्थापित प्रणालियों में उन्नत जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं जिनमें आन-लाइन मानिटरिंग तथा निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन आवश्यकताएं, सर्कट फिल्टर इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त, एफआई निवेशों के अंतर्वाह मॉनीटर करने तथा मूल्यांकन करने के लिए तंत्र मौजूद हैं। एफआईआई द्वारा किए गए निवेशों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सम्भावित प्रभावों का सतत आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जब यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्वाह भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, तब उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) से (छ) सरकार ने विभिन्न प्रकार के विदेशी प्रवाहों की जांच के लिए 19 नवम्बर, 2009 को भारत में विदेशी निवेश के संबंध में एक कार्य समूह गठित किया था। इसकी रिपोर्ट 30 जुलाई, 2010 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी। समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पोर्टफोलियों निवेश विनियमों के पंजीकरण तथा प्रशासन हेतु एकल खिड़की (सिंगल विंडों) की सिफारिश की है तथा इसे अर्हक विदेशी निवेशक ("क्यूएफआई") संरचना का नाम दिया है।

यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध करायी गयी है। सरकार ने भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

पी.आर.आई.एस. को शक्तियों का अंतरण

3808. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.एस.) को शक्तियों का अंतरण संपूर्ण देश में प्रभावी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) झारखंड सहित राज्य-वार/राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु पी आर आई के लिए निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं के साथ विभागों/विषयों के अंतरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उन राज्यों/राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पीआरआईएस के लिए शक्तियों के अंतरण की प्रक्रिया काफी व्यापक और तीव्र है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह धीमी है और संघ सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों को मनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीआरआईएस की तीन-स्तरीय प्रणाली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा पंचायतों को यथावश्यक ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सहित 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में सक्षम बनाए। संविधान के अनुच्छेद 243ज के अनुसार एक राज्य की विधायिका, कानून द्वारा पंचायतों को करों, शुल्कों इत्यादि प्राधिकृत अथवा निर्धारित तथा सहायता अनुदान प्रदान कर सकती है।

चूंकि संविधान पंचायतों को शक्तियों का अंतरण राज्यों पर छोड़ देता है, लिहाजा कोषों, कार्यों तथा कर्मियों (3क) का किस सीमा तक अंतरण किया गया है इस मामले में सभी राज्यों में भिन्नता है। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों को 3 'क' के अंतरण के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार जिसमें राज्यों को अंतरण सूचकांक पर वर्ष 2010-11 के लिए रैंक दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में पंचायतों को शक्तियों का अधिकतम अंतरण पाया गया है तथा उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, उत्तराखंड तथा पुड्डुचेरी राज्यों को अंतरण सूचकांक में निम्न रैंक दिया गया है।

अंतरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने गतिविधि मानचित्रण, पंचायत वित्त तथा पंचायतों के लिए श्रम शक्ति पर परामर्शिका (www.panchayat.nic.in पर उपलब्ध) जारी की हैं। राज्यों को पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) के अंतर्गत पंचायतों को 3 'क' के अंतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) से (छ) संविधान के अनुच्छेद 243ख के अनुसार सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर तीन स्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना है। एक राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक न, हो में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं भी हो सकता है। जिन राज्यों में संविधान का भाग IX लागू होता है, उनमें संविधान के अनुसरण में पंचायतों का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तथा पुड्डुचेरी में प्रशासनिक समस्याओं के कारण चुनावों पर रोक लगा दी गयी।

विवरण

प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों को कार्य, कोष और कर्मियों सहित अंतिरित किए गए विभागों/विषयों के अंतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित के संदर्भ में पंचायतों को अंतरित किए गए विभागों/विषयों की संख्या और नाम		
		कोष	कार्य	कर्मी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	करों की वसूली के लिए केवल ग्राम पंचायतें (जी.पी) ही अधिकृत हैं। 10 विभागों के कोष अंतरित करने के लिए सरकारी आदेश (जी.ओ.) जारी कर दिए गए हैं।	वर्ष 1997-2002 के दौरान 22 सरकारी आदेश जारी किए गए। 10 लाईन विभागों ने भी कुछ अधिकार (पंचायती राज संस्थाओं) पं.रा.सं. को अंतरित कर दिए हैं।	कर्मी अपने संबंधित लाईन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ही रहते हैं किन्तु वे आंशिक रूप से पं.रा.सं. को भी जवाबदेह होते हैं।
2.	अरूणाचल प्रदेश	पंरा.सं. कर वसूली नहीं करते। विभागों द्वारा कोष का अंतरण नहीं किया गया है।	29 विषय कर दिए गए हैं, 20 विभागों संबंधी सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं किन्तु अभी लागू नहीं हुए हैं।	कर्मी अंतरित नहीं किए गए हैं।
3.	असम	पं.रा.सं. को कर वसूली का अधिकार तो दिया गया है किन्तु वे लागू (इनफोर्स) नहीं कर सकते। राजस्व का मुख्य स्रोत बाजार, नदीतट एवं तालाबों से पट्टा किराया है।	23 विषयों के लिए कार्यकलाप विवरण तैयार कर लिया गया है। किन्तु 6 विभागों द्वारा केवल 7 विषयों के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं	कर्मियों का अंतरण बहुत कम हुआ है कर्मचारी अभी संबंधित विभाग को ही रिपोर्ट तैयार करते हैं।
4.	बिहार	पं.रा.सं. द्वारा कोई कर वसूली नहीं की जाती किन्तु इस प्रकार का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।	कार्यकलाप विवरण पूरा कर लिया गया है 20 लाईन विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए गए है।	विभागीय स्टाफ संबंधित विभाग को ही जबाबदेह है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों,और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां पं.रा.स. द्वारा की जाती है।
5.	छत्तीसगढ़	जी.पी. विभिन्न प्रकार के करों की वसूली के लिए प्राधिकृत है। 12 विभागों के लिए कोष अंतरित कर दिए गए हैं।	27 मामलों में कार्यकलाप विवरण तैयार किया जा रहा है। सरकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं।	9 विभागों के लिए पंचायतें नियुक्तियां करती हैं।
6.	गोवा	11 प्रकार के कर पंचायतें लगाती हैं। अबद्ध निधि पंचायतों को दी जाती हैं।	ग्राम पंचायतों को 18 मामले अंतरित कर दिए गए हैं जबकि 7 जिला पंचायतों को सौंपे गए हैं।	काम को अंजाम देने के लिए पं.रा.सं. का अपना स्टाफ है।
7.	गुजरात	8 प्रकार के प्रमुख कर पं.रा.सं. द्वारा वसूल किए जाते हैं। वर्ष 2008-09 में 13 विभागों ने पं.रा.सं. को निधि का आबंटन किया था।	14 कार्य पूर्णत: अंतरित किए जा चुके हैं और 5 अंशत: अंतरित हुए हैं।	14 कार्यों के लिए कार्मियों के अंतरण हेतुसरकारी आदेश जारी हो चुके हैं।

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	पंचायत की जमीन की लीज, मदिरा उपकर और पंचायत भवन के किराए के रूप में ग्राम पंचायतें राजस्व अर्जन करती हैं।	पंचायती राज अधिनियम 29 कार्यों का अंतरण करता है। 10 विभागों के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं।	कार्मियों का कोई खास अंतरण नहीं हुआ है।
9.	हिमाचल प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत को ही कर लगाने का अधिकार है। कोष का अंतरण अभी नहीं किया गया है।	29 में से 27 विषय परां सं. को अंतरित किए जा चुके हैं।	कर्मियों का कोई खास अंतरण पं.रा.सं. को नहीं किया गया है।
10.	जम्मू और कश्मीर	जून 2011 में चुनाव पूर्ण हो गए थे। राज्य सरकार ने 14 विभागों के कार्यकलाप विवरण सहित रोडमैप तैयार कर लिया है। पंचायती राज संस्थाओं को विषयों को विषयों के अंतरण संबंधी पड़ताल और उनके लिए सिफारिशें करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया गया है। समिति की रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। हलका पंचायत (ग्राम पंचायत) को 15 कार्यों का अंतरण करते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दिनांक 28.8.2011 को कार्यालय आदेश जारी किया है।		
11.	झारखंड	73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार नवम्बर-दिसम्बर, 2010 के दौरान पं.रा.सं. के चुनाव करवाए गए थे। अभी तक कार्यकलापों का विवरण तैयार नहीं किया गया है।		
12.	कर्नाटक	पं.रा.सं. 7 प्रकार के करों की वसूली करते हैं। पं.रा.सं. को अबद्ध निधि के अनिवार्य अंतरण का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के तहत किया गया है।	कार्यकलाप विवरण प्रत्यायोजित करके कर्नाटक ने 29 विषय पं.रा.सं. को अंतरित कर दिए हैं।	पंचायतों के सभी कर्मचारी संबंधित विभागों और पं.रा.सं. दोनों के दोहरे नियंत्रण में कार्य करते हैं।
13.	केरल	ग्राम पंचायतों के पास 9 प्रकार करों संबंधी अधिकार हैं। पं.रा.सं. को विभागों द्वारा अबद्ध निधियां एवं विशेष प्रयोजनार्थ निधियां प्रदान की गई हैं।	सभी 29 कार्यो संबंधी कार्य-कलाप विवरण तैयार कर दिया गया है और ये कार्यकलाप पंचायतों को सौंप दिए गए हैं।	पंचायती राज संस्थाओं के पास पूरे प्रबंधकीय अधिकार और अंतरित कर्मचारियों के आंशिक अनुशासनिक नियंत्रण का अधिकार है।
14.	मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायतों को कर वसूली का अधिकार है। 13 विभागों के अधीन होने वाले 19 विषयों के संबंध में कोष का हस्तांतरण पं.रा.सं. को कर दिया गया है।	22 विभागों के संबंध में 25 मामलों के कार्यकलापों का विवरण दर्शाने वाला सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है।	13 विभागों के कर्मी पं.रा.सं. को स्थानांतरित किए जा चुके हैं। राज्य पंचायत सेवा अस्तित्व में है
15.	महाराष्ट्र	जिला पंचायतें और ग्राम पंचायतें कर वसूली करती हैं। 11 विभागों के लिए पंचायतों को अनुदान दे दिए गए हैं।	11 विषय पूर्णतः अंतरित कर दिए गए हैं और 18 विषयों की योजनाएं पं.रां.सं. द्वारा चलायी जाती हैं।	सभी स्तरों पर श्रेणी III और IV के कर्मचारी जिला परिषद कर्मचारी हैं।
16.	मणिपुर	पंचायती राज संस्थाओं को कोष के अंतरण हेतु 5 विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं।	22 विभागों के संबंध में कार्यो के अंतरण संबंधी सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं।	5 विभागों ने पं.रा.सं. को कर्मियों स्थानांतरण संबंधी सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं।
17.	ओडिशा	पं.रा.सं. 6 प्रकार के कर वसूल करते हैं। अबद्ध निधियों के अंतरण संबंधी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है।	11 विभागों ने 21 विषय अंतरित कर दिए हैं।	11 विभागों के कर्मी पं.रा.सं. के प्रति उत्तरदायी हैं।

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत पंचायती जमीन का निलामी है। कोषों का अंतरण स्पष्ट नहीं है।	13 विषयों संबंधी 7 मूल विभागों का अंतरण अनुमोदित किया जा चुका है।	लाईन विभागों द्वारा अभी तक पं.रा.सं. को कोई कमी स्थानांतरित नहीं किया गया है।
19.	राजस्थान	जिला स्तर तक पं.रा.सं. को कोष के अंतरण हेतु 5 विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं और पं.रा.सं. को 10 प्रतिशत अबद्ध निधि का अंतरण किया जाना है।	5 विभागों ने सभी काम जिला स्तर तक पं.रा.सं. को सौंप दिए गए हैं।	5 विभागों ने जिला स्तर तक के सभी कर्मचारी पं.रा.सं. को स्थानांतिरत कर दिए हैं।
20.	सिक्किम	पं.रा.सं. कर वसूली नहीं करते। 17 विभागों द्वारा निधियों का अंतरण किया जा रहा है। प्रत्येक विभागों के कुल कोष का 10 प्रतिशत पं.रा.सं. को दिया जाता है। अबद्ध निधि पं.रा.सं. को दिया जाता है।	विधान के अनुसार 29 विषय अंतरित किए जाते हैं। 16 विभागों के अधीन आने वाले 20 विषयों के लिए कार्यकलाप विवरण तैयार कर लिया गया है।	कर्मचारीगण पं.रा.सं. के नियंत्रणाधीन हैं लेकिन उन पर पंचायतों का नियंत्रण सीमित है।
21.	तमिलनाडु	केवल ग्राम पंचायतों के पास ही कर लगाने का अधिकार है। राज्य के अपने करों में से 9 प्रतिशत राजस्व स्थानीय निकायों को अंतरित किया जा चुका है जिसमें से 58 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त होगा।	तमिलनाडु सरकार ने 29 विषयों का पर्यवेक्षण और निगरानी का अधिकार पं.रा.सं. को सौंप दिया	कार्मिकों का स्थानांतरण कोई खास नहीं है।
22.	त्रिपुरा	पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, प्राथमिक विद्यालयों, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षण विभागों तथा पेंशन संबंधी कोष का कुछ भाग पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है। अबद्ध कोष भी पं.रा.सं. को दिए जाते हैं।	अब तक सिंचाई योजना, प्राथमिक विद्यालयों वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण संबंधी विषयों का अंतरण करने के लिए सरकारी विषयों को अंतरण करने के लिए सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं।	जिन 5 विषयों का अंतरण किया जा चुका है उनके कर्मचारी पंचायतों को स्थानांतरित किए जा चुके हैं।
23.	उत्तर प्रदेश	सभी 3 स्तरों पर कर वसूली का अधिकार है।	पं.रा.स. को 12 विभागों से संबंधित 16 विषयों का अंतरण किया गया है।	पं.रा.सं. का अपने कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
24.	उत्तराखंड	केवल जिला परिषद् कर वसूली करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को केवल 3 कार्यों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।	14 विषयों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का स्थानांतरण पर मास्टर सरकारी आदेश वर्ष 2003 में जारी किए गए हैं।	पं.रा.सं. को 14 विषयों के संबंध में कर्मियों के पर्यवेक्षण की भूमिका अंतरित की गई है।
25.	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायतें कर लगा अथवा वसूल कर सकते हैं। टी.एफ.सी. अनुदान के साथ-साथ एस.एफ.सी. अनुदान के तहत अबद्ध निधियां आबंटित की गई। 5 विभागों ने अपने बजट में पंचायतों को स्थान दिया है।	राज्य सरकार उन 28 विषयों के अंतरण के लिए सहमत हैं। अब तक 14 विभागों ने 27 विषयों को स्थानांतरित करते हुए सरकारी आदेश जारी किए हैं।	पंचायत कर्मियों को विभिन्न जिला संवर्गों में विभाजित किया गया है। पंचायत निकायों में सृजित पदों के अलावा राज्य सरकार के 7 विभागों ने कर्मियों को अंतरित किया है।

नोट: मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड को छूट प्राप्त है। दिल्ली में कोई पंचायत नहीं है।

एटीएम के माध्यम से जाली मुद्रा

3809. डॉ. शफीकुर्रहमानः
श्री के. नारायण राव:
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम के माध्यम से जाली मुद्रा के परिचालन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके कारण ग्राहकों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी जाली मुद्रा के परिचालन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य सुरक्षोपाय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 1.7.2008 से 31.10.2011 तक की अवधि के दौरान एटीएम के माध्यम से जाली करेंसी नोटों के प्राप्त होने के संबंध में आरबीआई को 25 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। सभी शिकायतें उपयुक्त तरीके से निपटाई गई हैं जैसाकि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जाली भारतीय विदेशी मुद्रा (एफआईसीएन) समस्या के बहु-आयामी पहलुओं को हल करने के लिए कई एजेंसियां जैसे-आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय (एमएचए), केन्द्र तथा राज्यों की सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एफआईसीएन से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों को निष्फल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इन एजेंसियों के कार्यों की आवधिक समीक्षा इस प्रयोजन हेतु गठित नोडल समूह द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में, कार्यकरण स्तर पर राज्यों के बीच समन्वय हेतु सीबीआई को भी नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है और राजस्व आसूचना निदेशालय को तस्करी से लाए गए एफआईसीएन के लिए मुख्य आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम द्वारा ऐसे अपराधों की जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार ने आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा के मामलों की जांच पर जोर देन के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) में आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का गठन किया है।

विवरण

1.7.2008 से 30.10.2011 तक की अवधि में एटीएम के जरिए जाली नोट प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का संक्षिप्त स्वरुप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	लोनलोविडि	रांची में दो एटीएम से जाली नोट प्राप्त होना	पटना कार्यालय ने रांची में 14 ऐसे एटीएम का निरीक्षण किया और उनहें कोई नकली नोट प्राप्त नहीं हुआ।
2.	आर्शीवाद टम्बडकर	एटीम से प्राप्त जाली नोट की समस्या से निपटने की प्रक्रिया	भारतीय दंड संहिता तथा सीआरपीसी की संगत धाराओं सहित प्रक्रियाओं/अनुदेशों के बारे शिकायकर्ता को सलाह दी गई
3.	दिलीप धुपिया	एटीएम से प्राप्त जाली नोट की बदलना	शिकायतकर्ता को एटीएम में नोट डालने संबंधी अनुदेशों की सूचना दी गई।
4.	रमेश	एटीएम से प्राप्त जाली नोट बदलना	शिकायतकर्ता को एटीएम में नोट डालने संबंधी अनुदेशों की सूचना दी गई।
5.	संजीव पी सिंह	एटीएम से प्राप्त जाली नोट की समस्या से निपटने की प्रक्रिया	शिकायतकर्ता को एटीएम में नोट डालने संबंधी अनुदेशों की सूचना दी गई।

1	2	3	4
6.	राजा मूर्ति	एटीएम से प्राप्त नोटों में नकली नोट पता चलने में लोगों की सुरक्षा की प्रक्रिया	शिकायतकर्ता को आरबीआई के अनुदेशों तथा विधिक अपेक्षाओं की जानकारी दी गई है।
7.	भूपेश करंकर	एटीएम से जाली नोट प्राप्त होना	शिकायतकर्ता को आगे कार्रवाई के लिए विशिष्ट सूचना जैसे बैंक का नाम, स्थान आदि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरबीआई से पुनः सम्पर्क नहीं किया है।
8.	आनंद बाबू के	भारतीय स्टेट बैंक इंदौर के एटीएम से 1000 रुपये का जाली नोट प्राप्त होना, जिसे जमा करते समय एसबीआई की किसी अन्य शाखा द्वारा नष्ट कर दिया गया।	इस मामले को बैंक के साथ उठाया गया हैं तथा बैंक को सलाह दी गई है कि इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त प्रणालियां स्थापित करें।
9.	अमर सिंह	एटीएम से जाली नोट प्राप्त होना	शिकायतकर्ता को आरबीआई के अनुदेशों तथा विधिक अपेक्षाओं की जानकारी दी गई हैं।
10.	गणेश वमन लेले	एक्सिस बैंक के एटीएम से जाली नोट निकलने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित रिपार्ट के संदर्भ में	शिकायतकर्ता को आरबीआई अनुदेशों तथा विधिक अपेक्षाओं की जानकारी दी गई है। बैंक ने यह सूचित किया है कि एटीएम के जरिए सही नोट जारी करने के लिए उपयुक्त जांच तथा प्रणाली मौजूद हैं।
11.	आशीष दासगुप्ता	इलाहाबाद बैंक, उब्बूद्दलपुर शाखा, कोलकाता के पटल पर आहरण में जाली नोट की प्राप्ति	प्रश्नगत नोट जाली नहीं था। यह कटा-फटा था। बैंक को यह सलाह दी गई थी कि ऐसे नोट जारी न किए जाएं।
12.	पुरनेंदु रौत	पंजाब नैशनल बैंक की एटीएम से 500 रुपये के जाली नोट की प्राप्ति	इस शाखा का निरीक्षण किया गया था और किसी जाली नोट का पता नहीं चला था। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया था।
13.	सफदर उल्डे	केनरा बैंक, कौसा के एटीएम के माध्यम से 100/- रुपये तथा 500/- रुपये के संदिग्ध नोटों की प्राप्ति	शिकायतकर्ता नोटों के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा क्योंकि नोट किसी विशेष सीरीज के थे, उसे असली नोटों की विशेषताओं के आधार पर वास्तविकता का सत्यापन करना और उन्हें वापिस करने का अनुरोध किया गया था। शिकायतकर्ता वापिस नहीं आया।
14.	जी. हर्बर्ट विनो	आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई राशि में से 1000 रुपये मूल्यवर्ग का नोट अवरुद्ध करना। ये नोट प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से निकाले गए थे।	भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि एटीएम में नोट इनकी वास्तविकता की पूरी जांच करने के बाद ही जारी किए जाते हैं और उचित प्रणाली लागू की गई है। शिकायतकर्ता को तदनुसार सलाह दी गई थी।

1	2	3	4
15.	मुकुल रंजन	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, मीरा रोड के एटीएम के माध्यम से निकाली गई नकद राशि में 500 रुपये मूल्य वर्ग के जाली नोट की प्राप्ति। इस नोट का पता शमराव विट्ठल सहकारी बैंक, मीरा रोड में नकदी जमा करते समय लगा।	शमराव विट्ठल सहकारी बैंक ने यह सूचित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा कोई जाली नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया था।
16.	सुनील पाड्डा	बैंगलोर में एटीएम से 500 रुपये के नोट निकाले गए।	शिकायतकर्ता को बैंक का नाम बताने का अनुरोध किया गया था परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया। उन्हें भारतीय बैंक-नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के सबंध में जानकारी भी दी गई थी।
17.	हरजिंदर सिंह	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से जाली नोट की प्राप्ति	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाए। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।
18.	बालसुब्रमणियम अय्यर	1000/-रु. का नोट (1) आईसीआईसीआई बैंक के मगरपत्ता शाखा से जारी	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया था कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाए। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।
19.	ऊषारानी रावत	एचडीएफसी बैंक के एटीएम से 500 रु. का एक नोट दिया जाना	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया था कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाए। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।
20.	आर के पटनायक	भारतीय स्टेट बैंक की कंडागिरी एटीएम द्वारा 500 रु. का एक नोट दिया जाना	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया था कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाए। शिकायकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।
21.	दीपेन्दर चौहान	एसबीआई के रानीपुर एटीएम द्वारा 500 रु. का एक नोट दिया जाना।	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया था कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाए। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।
22.	आर जयप्रकाश	एसबीआई हैदराबाद के एटीएम से नकली नकदी नोट दिया जाना	मामले को संबंधित बैंक के साथ उठाया गया था तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया था कि जनता को केवल असली नोट जारी किए जाएं। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।

1	2	3	4
23.	मनोहर	पीएनबी के लिए एक एटीएम से नकली नोट जारी होना	यह सामान्य प्रकृति की शिकायत थी। शिकायतकर्ता को ऐसे मामलों का हल करने के लिए उपाय शुरु करने के बारे में सूचित किया गया तथा मामले में शाखा विशेष का नाम/स्थिति, यदि कोई हो, की जानकारी देने का अनुरोध किया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके शिकायतकर्ता ने पुन: सम्पर्क नहीं किया है।
24.	संदीप	एटीएम से बैंकों द्वारा नकली नोट जारी करना।	यह सामान्य प्रकृति की शिकायत थी। शिकायतकर्ता को ऐसे मामलों का हल करने के लिए उपाय शुरु करने के बारे में सूचित किया गया तथा मामले में शाखा विशेष का नाम/स्थिति, यदि कोई हो, की जानकारी देने का अनुरोध किया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। शिकायतकर्ता ने पुन: सम्पर्क नहीं किया है।
25.	शिवाजी कश्यप	सिटी बैंक के एटीएम से नकली नोट	बैंक (सिटी) ने उत्तर दिया कि केवल जांचे गए नोट जनता को जारी होते हैं तथा एटीएम से जाली नोट जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया गया।

[अनुवाद]

प्रारूप राष्ट्रीय वैक्सीन नीति

3810. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारूप राष्ट्रीय वैक्सीन नीति (एनवीपी) के उपबंधों के अनुसार सरकार को टीका विनिर्माताओं के साथ अग्रिम विपणनवचनबद्धता करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारूप एनवीपी को सार्वजनिक प्रतिक्रिया तथा परामर्श हेतु प्रकाशित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किये गये सार्वजनिक परामर्श का ब्यौरा क्या है और इसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राष्ट्रीय वैक्सीन नीति में जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित उत्पादों के संदर्भ में अग्रिम विपणन प्रतिबद्धता का खुलासा किया गया है तथा इसका उल्लेख 'जन स्वास्थ्य आपात स्थिति के उत्पाद विकास (प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी)' संबंधी अध्याय के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त नीतिगत दस्तावेज में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इस खंड के उद्धरण की प्रति विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रारूप नीति दस्तावेज, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह के सभी सदस्यों को परिचालित किया गया तथा इसके समग्र टिप्पणियों के आलोक में संशोधन किया गया था। इस समय राष्ट्रीय वैक्सीन नीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) में दिया गया जो कि जनता के अधिकार क्षेत्र में है।

विवरण

4.1.4 जन स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए उत्पाद विकास

ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जहां ऐसे विकास के लिए आवश्यक जैविक सामग्री के आयात में लचीलेपन सहित त्वरित विनियामक स्वीकृतियां संभव हैं। तंत्रों को इस प्रकार विकसित करने की जरूरत है जहां सरकार से समुचित सहायता द्वारा विनिर्माताओं के जोखिम को कम किया जा सके। सरकार के लिए ऐसे विकासों की अग्रिम विपणन प्रतिबद्धताओं से सहायता करना तथा इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना अनिवार्य होना चाहिए।

ग्रामीण बैंकों का कंप्यूटरीकरण

3811. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार और बैंक-वार ग्रामीण बैंकों और इनकी पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त बैंको की अनेक कंप्यूटरीकृत शाखाएं पर्याप्त आपूर्ति के उपलब्ध न होने के कारण कोर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति के अभाव में ऐसी शाखाओं के कंप्यूटरीकरण करने के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 30 नवंबर 2011 की स्थिति के अनुसार 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (आरआरबी) में से 80 आरआरबी में मूल बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू कर दिया गया है। कुल शाखाओं की संख्या और जिन शाखाओं में सीबीएस लागू है तथा उन शाखाओं की कुल संख्या का आरआरबी वार/राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर मूल बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणाली को वैकल्फि विद्युत स्रोत पर परिचालित किया जा सकता है।

विवरण

ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं की संख्या जो पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है, राज्यवार तथा बैंक वार ब्यौरा

क्र सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राज्य	शाखाओं की कुल संख्या	इनमें से कितनी मूल बैंकिंग समाधान हैं।
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	आंध्र प्रदेश	553	553
2.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश	385	385
3.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश	105	105
4.	डेक्कन ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश	226	226
5.	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश	144	144
6.	लैंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	असम	46	46
7.	असम ग्रामीण विकास बैंक	असम	364	364
8.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	अरुणाचल प्रदेश	22	22
9.	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार	172	172
10.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	बिहार	421	421
11.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार	68	68

1	2	3	4	5
12.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	बिहार	889	ठ89
13.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	छत्तीसगढ़	266	266
14.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	छत्तीसगढ़	91	91
15.	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	छत्तीसगढ़	112	112
16.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	गुजरात	145	145
17.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	गुजरात	134	134
18.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	गुजरात	167	167
19.	गुड़गांवां ग्रामीण बैंक	हरियाणा	186	186
20.	हरियाणा ग्रामीण बैंक	हरियाणा	229	229
21.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश	125	125
22.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश	33	33
23.	इलाकाई देहाती बैंक	जम्मू और कश्मीर	111	111
24.	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	झारखण्ड	224	224
25.	वनांचल ग्रामीण बैंक	झारखण्ड	188	188
26.	कावेरी कलपथरू ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	215	215
27.	चिकमगलूर कोडाकू ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	53	53
28.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	451	451
29.	प्रगति ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	368	368
30.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	139	139
31.	विश्वसरैया ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	30	30
32.	उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक	केरल	185	185
33.	दक्षिणी मालाबर ग्रामीण बैंक	केरल	235	235
34.	महा कौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	44	44
35.	झूबा धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	80	80

1	2	3	4	5
36.	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	223	223
37.	सतपुर नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	348	348
38.	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	214	214
39.	रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	100	100
40.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	27	27
41.	शारदा ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	63	63
42.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र	329	329
43.	विदर्भ ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र	97	97
44.	वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र	182	182
45.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	मणिपुर	27	27
46.	मेघालय ग्रामीण बैंक	मेघालय	58	58
47.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	नागालैंड	8	8
48.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	मिजोरम	62	62
49.	बैतरणी ग्राम्य बैंक	ओडिशा	104	104
50.	ऋषिकुल ग्राम्य बैंक	ओडिशा	83	83
51.	उत्कल ग्राम्य बैंक	ओडिशा	333	333
52.	कलिंग ग्राम्य बैंक	ओडिशा	183	183
53.	नीलांचल ग्राम्य बैंक	ओडिशा	174	174
54.	पूडुवाई भरथिअर ग्राम बैंक	पुडुचेरी	25	25
55.	मालवा ग्रामीण बैंक	पंजाब	53	53
56.	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब	178	178
57.	सतलज ग्रामीण बैंक	पंजाब	30	30
58.	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान	275	275
59.	राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान	220	220

1	2	3	4	5
60.	एमजीबी ग्रामीण बैंक	राजस्थान	218	218
61.	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	राजस्थान	213	213
62.	हदौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान	89	89
63.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	राजस्थान	58	58
64.	पल्लवन ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु	110	110
65.	पांडयन ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु	203	203
66.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	त्रिपुरा	111	111
67.	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	309	309
68.	बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	673	673
69.	काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	361	361
70.	प्रथमा बैंक	उत्तर प्रदेश	217	217
71.	इटावा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	139	139
72.	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	380	380
73.	श्रेयश ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	203	203
74.	सर्व उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	310	310
75.	इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	507	507
76.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तरांचल	61	61
77.	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	उत्तरांचल	142	142
78.	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पश्चिम बंगाल	123	123
79.	बांगिया ग्रामीण विकास बैंक	पश्चिम बंगाल	552	552
80.	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	पश्चिम बंगाल	216	216
81.	जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक	जम्मू और कश्मीर	176	59
82.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	63	0

विद्युत की कमी

3812. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत की कमी से देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) देश में कुल मिलाकर बिजली की कमी है। यह कमी बिजली की मांग और उपलब्धता के आधार पर राज्य दर राज्य, मौसम-दर-मौसम तथा माह-दर-माह परिवर्तित होती रही है।

बिजली एक समवर्ती विषय होने के कारण कृषि और उद्योग सहित उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नवंबर, 2011 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित, कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विभिन्न राज्यों ने दिन के विभिन्न घंटों में शून्य से 600 मे. वा. की बिजली की कटौती के विषय में सूचित किया है। नवंबर, 2011 में उद्योगों में बिजली की कटौती का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटियों को विद्युत की प्रतिदिन की उपलब्धता और मांग के आधार पर लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा समग्र विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए कार्यों में उत्पादन क्षमता वृद्धि में तेजी लाना; चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की कड़ी निगरानी; विद्यमान उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु जलीय; तापीय, न्यूक्लीयर तथा गैस आधारित स्टेशनों का समन्वित प्रचालन तथा अनुरक्षण; देश में उपलब्ध विद्युत के अधिकतम उपयोग हेतु अंतर राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क को सुदृढ़ करना तथा घरेलू कोयला आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात शामिल हैं।

विवरण I

नवंबर, 2011 में कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति

राज्य/क्षेत्र	आपूर्ति के औसत घंटे
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	24 घंटे/दिन
दिल्ली	24 घंटे/दिन
हरियाणा	तीन फेज आपूर्ति: औसत 8.15 घंटे/प्रतिदिन
हिमाचल प्रदेश	24 घंटे/दिन
जम्मू और कश्मीर	-
पंजाब	तीन फेज आपूर्ति: औसत 4.54 घंटे/प्रतिदिन
राजस्थान	तीन फेज आपूर्ति: औसत 8.15 घंटे/प्रतिदिन
उत्तर प्रदेश	तीन फेज आपूर्ति: औसत 8.15 घंटे/प्रतिदिन
उत्तराखंड	22.09 घंटे/प्रतिदिन

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
छत्तीसगढ़	तीन फेज आपूर्ति: औसत 18 घंटे/प्रतिदिन
गुजरात	कृषि को दिन और रात के क्रम में केवल 8 घंटों की अनियमित विद्युत आपूर्ति की गई। शेष 16 घंटों में विद्युत आपूर्ति नहीं की गई ज्योतिग्राम योजना 24 घंटे।
मध्य प्रदेश	
महाराष्ट्र	तीन फेज आपूर्ति: औसत 8 घंटे/प्रतिदिन (औसत) एकल फेज आपूर्ति: औसत 16 घंटे/प्रतिदिन (औसत)
गोवा	कोई प्रतिबंध नहीं।
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	तीन फेज आपूर्ति: औसत 7 घंटे/प्रतिदिन
कर्नाटक	तीन फेज आपूर्ति: औसत 6 घंटे/प्रतिदिन (औसत) एकल आपूर्ति: औसत 6-12 घंटे/प्रतिदिन (औसत)
केरल	कोई प्रतिबंध नहीं।
तमिलनाडु	तीन फेज आपूर्ति: औसत 9 घंटे/प्रतिदिन (औसत) एकल फेज आपूर्ति: औसत 15 घंटे/प्रतिदिन (औसत)
पुडुचेरी	कोई प्रतिबंध नहीं।
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	18 घंटे के आसपास
झारखंड	20 घंटे के आसपास
ओडिशा	24 घंटे
पश्चिम बंगाल	23 घंटे के आसपास

* चालू माह के आंकड़े नहीं भेजे गए हैं।

विवरण II

नवंबर, 2011 में उद्योगों पर अधिसूचित विद्युत कटौती/प्रतिबंध

राज्य/क्षेत्र	ऊर्जा कटौती	मांग में कटौती
उत्तरी क्षेत्र		
चंडीगढ़	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	
दिल्ली	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	
हरियाणा	0.2 से 1.2 मि.यू. एवं 400 मेगावाट (विभिन्न दिनों में भिन्न)	

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	2.00 मि.यू./दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए	0 मेगावाट कटौती 18.30 बजे से 21.30 बजे (व्यस्ततम कालीन घंटे) एलटी उद्योगों के लिए
जम्मू और कश्मीर	–	
पंजाब	1.8 मि.यू./दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए	600 मेगावाट कटौती दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए 18.00 से 21.00 बजे
राजस्थान	1.35 से 12.22 मि.यू./दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए	450 मेगावाट से 509 मेगावाट कटौती दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए 19.00 से 23.00 बजे भिन्न दिनों में
उत्तर प्रदेश	3.38 मि.यू. 790 मेगावाट (विभिन्न समयावधि में)	
उत्तराखंड	0 से 2.56 मि.यू./दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए भिन्न दिनों में (अक्तूबर, 2011 आंकड़ा)	0 से 70 मेगावाट कटौती दिन एचटी/एलटी उद्योगों के लिए कटोती विभिन्न घंटों के लिए (अक्तूबर 2011 आंकड़ा)
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
गुजरात	सभी उद्योगों को उपनी यूनिटें सप्ताह के सभी दिनों में चलाने की अनुमति है तथा यदि वे अनियमित अवकाश पाना चाहते हैं तो वे केवल निर्धारित दिन ही अनियमित अवकाश पाएंग तथा वे अपनी पसंद का अनतयमित अवकाश नहीं पा सकते हैं। सभी उद्योगों के लिए अपने अवकाश का समय अनियमित रखना आवश्यक है।	
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	सभी ईएचटी, एचटी और एलटी उद्योग व्यस्ततम घंटों (18.30 से 22.30 बजे तक) के दौरान लाइटिंग लोड के अलावा बिजली प्राप्त नहीं करेंगे। उद्योगों के लिए एक दिन का विद्युत अवकाश। घरेलू कटौती-हैदराबाद लगर 2 घंटे, जिला मुख्यालय-4/6 घंटे, मंडल-8 घंटे/ तथापि, 2641 मेगावाट (माह के लिए 755.03 मि.यू.) तक की लोड शेडिंग की गई।	
कर्नाटक	उद्योगों (बेंगलूर नगर) के लिए एक दिन का विद्युत अवकाश, तथापि, 1950 मेगावाट (माह के लिए 734.04 मि.यू.) तक लोड शेडिंग की गई।	
केरल	शून्य; तथापि, 600 मेगावाट (माह के लिए 14.81 मि.यू.) तक वी लोड शेंडिंग की गई।	

1	2	3
तमिलनाडु	एचटी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 20% की विद्युत कटौती। चेन्नई के लिए 1 घंटे की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2/3 घंटों की लोड शेडिंग, तथापि, 3225 मेगावाट (माह के लिए 679. 465 मि.यू.) तक की लोड शेडिंग की गई।	
पुदुचेरी	शून्य	
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	
झारखंड	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	
ओडिशा	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	
पश्चिम बंगाल	गैर अधिसूचित विद्युत कटौती	

टिप्पणी- हालांकि कुछ राज्यों "गैर अधिसूचित विद्युत कटौती सूचित की है; उद्योगों पर बिजली की उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर प्रतिदिन के आधार पर लोड शेडिंग की गई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

के.स.स्वा.यो. लाभभोगियों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

3813. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा के.स.स्वा.यो. लाभभोगियों और पेंशनरों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के उपरांत के.स.स्वा.यो. से उपलब्ध सेवाओं को वापस ले लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजकोष पर किस हद तक वित्तीय भार कम होगा, उन कर्मचारियों को किस हद तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और भ्रष्टाचार किस हद तक समाप्त हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार गैर-सीजएचएस क्षेत्रों में रह रहे पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अखिल भारत आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव इस योजना को सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी बनाने के लिए है। तथापि, सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रस्तावित योजना सीजीएचएस के लिए एक दूसरा विकल्प होगा और यह सेवारत कर्मचारियों एवं पेशनभोगियों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार किसी एक योजना को चुनने का विकल्प प्रदान करेगी।

(ङ) गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में रह रहे ऐसे पेंशनभोगियों, जो अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए प्रति माह केवल 300 रुपए की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर विशेष ध्यान देने के साथ इस योजना को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। वे अपनी ओपीडी और अंतरंग रोगी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए सीजीएचएस या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के विस्तार की मांग कर रहे हैं जो कि संसाधन कठिनाइयों के कारण व्यवहार्य नहीं है। स्वास्थ्य योजना, एक व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है। इसमें मुख्यत:गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में रह रहे ऐसे पेंशनभोगियों, जो इस समय किसी सरकारी स्वास्थ्य योजना में कवर नहीं हैं, की कवरेज के कारण अतिरिक्त वित्तीय विवक्षताएं होंगी।

विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

3814. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेलः
श्री रामकिशुनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके अधिकारी/कर्मचारी अनियमतताओं, ग्राहकों के उत्पीड़न और सेवा में अन्य कमियों में संलिप्त थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूरे देश में फैले 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और उनके एजेंटों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त बैकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करते हैं तथा बैकिंग लोकपाल योजना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार उनका निपटान करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त बैंक श्रेणीवार शिकायतों को दर्शाने वाला एक विवरण है। तथापि, आरबीआई की डाटा रिपोटिंग प्रणाली के अंतर्गत शिकायतों के बैंक-वार और क्षेत्र-वार निपटान से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(ग) आरबीआई ने समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को निर्देश दिया हैं जिनके माध्यम से बैंकों को सलाह दी गई है कि वे वसूली एजेंटों की नियुक्ति, वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों, वसूली एजेंटों के प्रशिक्षण, बैंकों के पास बंधक/दृष्टिबंधक रखी गई सम्पत्ति को कब्जे में लेने आदि के संबंध आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे एक प्रमुख के रूप में अपने एजेंटों की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेवार हैं और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देयराशि की वसूली के लिए नियुक्त किए गए उनके एजेंट बकायों की वसूली प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग संहिता और भारतीय मानक बोर्ड संहिता (बीसीएसबीआई), उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता आदि सहित आरबीआई दिशानिर्देशों और निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। इस मामले में प्राप्त शिकायतें मौजूदा दिशानिर्देशों तथा बैकिंग लोकपाल योजना के प्रावधानों और ऐसे सभी मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के अनुसार बैंकिंग लोकपाल द्वारा निपटाई जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का बैंक श्रेणीवार विवरण

बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या			
	जुलाई-जून 2007-08	जुलाई-जून 2008-09	जुलाई-जून 2009-10	जुलाई-जून 2010-11
1	2	3	4	5
एसबीआई समूह के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक	12163	14974	19092	20417
इलाहाबाद बैंक	506	838	797	834
आंध्र प्रदेश	397	619	822	842
बैंक ऑफ बड़ौदा	1070	1450	1782	2034
बैंक ऑफ इंडिया	930	1018	1452	1532

1	2	3	4	5
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	309	308	296	369
केनरा बैंक	1102	1443	2153	2047
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1013	1163	1272	1495
कार्पोरेशन बैंक	205	277	441	459
देना बैंक	292	334	502	593
इंडियन बैंक इंडियन बैंक	479	558	758	719
इंडियन ओवरसीज बैंक	435	549	833	754
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	425	497	638	686
पंजाब एंड सिंध बैंक	2006	2210	215	278
पंजाब नेशनल बैंक	224	186	2800	2946
सिंडीकेट बैंक	550	782	933	969
यूको बैंक	543	605	811	922
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	778	1110	1237	1491
यूनाईटेड बैंक ऑफ कॉमर्स	195	245	309	466
विजया बैंक	195	232	322	295
आईडीबीआई बैंक लि.	509	550	719	686
एसबीआई समूह	**13531**	**18167**	**22832**	**22307**
भारतीय स्टेट बैंक	10867	15306	18939	19435
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	949	979	1328	1005
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	275	355	696	628
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	396	360	473	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	178	222	350	305
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	298	321	468	548
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	155	46		
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर	413	578	578	386
पुराने निजी क्षेत्र बैंक समूह	**929**	**1177**	**1394**	**1179**

1	2	3	4	5
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	195	163	200	
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	43	57	72	43
सिटी यूनियन बैंक लि.	30	30	40	41
धनलक्ष्मी बैंक लि.	30	31	44	100
फेडरल बैंक लि.	124	209	194	190
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	197	274	323	324
जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	25	43	38	47
कर्नाटक बैंक लि.	42	38	66	74
करूर वैश्य बैंक लि.	56	80	132	109
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	34	46	50	55
लार्ड कृष्ण बैंक लि.	2	3	0	
नैनीताल बैंक लि.	11	19	9	22
रत्नाकर बैंक लि.	5	3	2	9
सांगली बैंक लि.	4	0		
एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लि.	1	1	1	2
साउथ इंडियन बैंक लि.	85	126	123	102
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	45	54	100	61
नए निजी क्षेत्र के बैंक समूह	13021	20805	21159	15943
एक्सिस बैंक लि.	1043	1733	2045	2215
सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब	473	31		
डवलेपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	61	93	84	94
एचडीएफसी बैंक लि.	3480	6584	7542	5590
आइसीआइसीआई बैंक लि.	7576	11453	10328	6895
इंडइंड बैंक लि.	109	281	295	373
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	261	602	826	728
यस बैंक लि.	18	28	39	48
विदेशी बैंक समूह	**6122**	**11700**	**11450**	**7081**

1	2	3	4	5
एबीएन एमरो बैंक एन.वी./आरबीएस	1162	1844	2143	1162
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	63	98	83	0
बैंक ऑफ अमेरिकन एन.टी. एंड.एस.ए.	3	3	1	0
बैंक ऑफ बहरीन एवं कुवैत बी.एस.सी.	0	0	1	0
बारक्लेस बैंक पीएलसी	252	1925	1106	629
बीएनपी परिबास	3	7	1	1
कैल्योन बैंक	3	2	1	0
सिटी बैंक एन.ए.	1901	2563	2005	967
डीबीएस बैंक लि.	0	3	4	36
ड्यूश बैंक एजी	134	417	444	208
हांगकांग एवं शंघाई बैकिंग कार्पो.लि.	1291	2838	3388	1865
जेपीमार्गेन चेस बैंक नैशनल एसोसिएशन	0	0	1	0
सोशिएट जनर्लाई	0	1	2	0
सोनाली बैंक	0	1	1	0
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1310	1991	2263	2144
स्टेट बैंक आफ मौरिशस लि.	0	0	2	1
एबी बैंक लिं.	0	1	4	0

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संयुक्त अनुसंधान

3815. श्री प्रेम दास राय: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) सरकार ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी अनुसंधान हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों सहित ऐसे संयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत के लिए जाने वाले वरीयता क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयुक्त उद्यम के परिणामस्वरूप भारत को भी कोई लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) इसके तीव्र प्रसार हेतु औपचारिक योजना का ब्यौरा क्या है और भारतीय उद्योगों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की इस संयुक्त अनुसंधान के परिणामों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। भारत गणराज्य के योजना आयोग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विवभाग के बीच एक संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास केन्द्र हेतु सहयोग पर दिनांक 4 नवम्बर, 2010 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) पहचान किए गए प्राथमिक ता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

(i) सौर ऊर्जा

(ii) द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन

(iii) दक्षता का सृजन

(ग) संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास केन्द्र (जेसीईआरडीसी) द्वारा वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के समूह के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा में संयुक्त अनुसंधान और विकास को सुगम बनाया जाएगा जिससे अक्षय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के त्वरित विकास और संस्थापना में और गति लाने में सहायता मिलेगी। इससे भारत को वैज्ञानिक समुदाय के बीच सहयोग का विस्तार करने तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों का सृजन करने में सहायता मिलेगी।

केन्द्र द्वारा दोनों देशों के शैक्षिक एवं निजी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, होगा, जो संगठन के रूप में कार्य करेंगे। ये संगठन स्वत: चयनित दल होंगे जिनमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों आदि की इकाइयां अथवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अग्रणी सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों के संचालन की जानकारी और अनुभव रखने वाले संगठनों को पुरस्कार दिए जाएंगे। संगठनों द्वारा मौजूदा संसाधनों एवं वास्तविक अवसंरचना का विकास किया जाएगा तथा दोनों देशों की प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा।

(घ) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा जेसीईआरडीसी के अंतर्गत सहयोग कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा 5 मिलियन अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई है। केन्द्र भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग, दोनों के वित्तपोषण को व्यवस्थित करने के लिए निजी वित्तपोषण प्राप्त करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग के साथ संयुक्त प्रस्तावों हेतु निधिकरण के अवसर की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आवेदन प्राप्त किए गए हैं और चयन प्रक्रिया चल रही है।

राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीएस) को हानि

3816. श्री के. सुधाकरण:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डो (एसईबीएस) को वर्ष 2010-11 में 1,00,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हरियाणा सहित राज्य-वार एसईबीएस में स्थिति के सुधार हेतु उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्ष 2010-11 की हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2010-11 के लिए सभी राज्य विद्युत बोर्डों के लेखा परीक्षित लेखे अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए पीएफसी "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय वाली यूटिलिटियों के लिए प्राप्त सब्सिडी के आधार पर सकल हानियां वर्ष 2007-08 में 17,620 करोड़ रुपये से 2008-09 में 35,762 करोड़ रुपये तथा 2009-10 में 42,415 करोड़ रुपए तक बढ़ गई थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(क) वाणिज्यिक हानियों के प्रारंभिक कारण प्रचलनात्मक अकुशलता, जिसकी वजह से अधिक एटी एंड सी हानियां होती हैं, आपूर्ति की लागत को शामिल करने के लिए टैरिफ का अपर्याप्त संशोधन, विद्युत की छेड़छाड़/चोरी, यूटिलिटियों को राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का वितरण न किया जाना है और (ख) तकनीकी हानियों के प्रारंभिक कारण अतिरिक्त नेटवर्क, कैपेसिटरों द्वारा रियेक्टिव विद्युत का न्यूट्रीलाइजेशन, 3 चरणों में आपूर्ति में भार असंतुलन आदि है।

(ग) वितरण नेटवर्क में एटी एंड सी हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा विद्युत विभागों के पास है। तथापि, अधिक एटी एंड सी हानियों से संबंधित मुद्दों और राज्यों के वितरण क्षेत्र में सुधारों से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए, देश में शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में जुलाई 2008 में विद्युत मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विवास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरुआत की गई थी। आर-एपीडीआरपी स्कीम में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि में कमी के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों; भाग-क और भाग ख में शुरू की गई है। स्कीम का भाग "क" विश्वसनीय और जांच योग्य आधारभूत आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए सूचना तकनीकी सक्षम प्रणाली की स्थापना के प्रति समर्पित है जिसमें शहरों में सटीक और जांच योग्य एटी एंड सी हानियों के मूल्यांकन में सक्षम बनेगी, जहां पर स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम का भाग "ख" उप पारेषण और वितरण प्रणाली के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण के लिए है।

आर-एपीडीआरपी स्कीम की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

- भाग-क की 5196.50 करोड़ रुपये की मूल्य वाली (आईटी) परियोजनाएं जिनमें 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग सभी पात्र नगर (1402) शामिल हैं, पहले ही संस्वीकृत कर दी गई है।

- भाग-क की 1385.87 करोड़ रुपये मूल्य की (स्काडा) परियोजनाएं जिनमें 13 राज्यों में सभी पात्र नगर (60) शामिल हैं, संस्वीकृत की जा चुकी हैं।

- भाग-ख परियोजनाओं के लिए 1100 नगर पात्र हैं अब तक 23,658.18 करोड़ रुपये की लागत वाली भाग-ख की 1039 परियोजनाएं 19 राज्यों में संस्वीकृत की गई हैं।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, हरियाणा की वितरण यूटिलिटियों की 839.21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और हरियाणा की वितरण यूटिलिटियों को 49.68 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 20 फरवरी, 2011 को स्कीम की मंजूरी के बावजूद हरियाणा को मंजूरी के 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात भी आईटीआईए की नियुक्ति अभी करनी है।

हरियाणा सहित आर-एपीडीआरपी के भाग-क और भाग-ख के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और मंजूर की गई परियोजना लागत के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

इसके अलावा, देश में बिजली की चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। बिजली की चोरी के प्रभावी नियंत्रण के जरिए वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप में विद्युत अधिनियम, 2003 में विशेषा प्रावधानों को शामिल करना ताकि चोरी को रोक जा सके, चोरी संबंधी अपराधों और चुराई गई बिजली के प्रभारों की वसूली के लिए भी तत्परता से सुनवाई आदि शामिल हैं।

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135-140 और 150 के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती दंड के रूप में बनाने के लिए विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के जरिए विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 151 में संशोधन किया है। इसके अलावा, भारतीय अपराध संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 12 के अनुरूप पुलिस अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। छेड़छाड़ वाले मीटरों के उपयोग और अनधिकृत प्रयोजन के लिए बिजली के उपयोग हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 (1) के अंतर्गत प्रावधान (घ) और (ङ) की प्रविष्टि के जरिए धारा 135 के अंतर्गत चोरी की परिभाषा को विस्तारित किया गया है।

अधिनियम की धारा 135-140 के अंतर्गत किए गए अपराधों की तत्परता से जांच के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों में विशेष न्यायालयों (अधिनियम की धारा 153 के अनुसार) का गठन शामिल है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार केवल बिजली की चोरी के मामलों के निपटान के लिए 24 राज्यों में विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं। हरियाणा में, चोरी के कुल 957 मामलों की सूचना दी गई थी और वर्ष 2009-10 के दौरान 32.25 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल किया गया था (स्रोत सीईए)।

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

विद्युत मंत्रियों का 5वां सम्मेलन 13 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह संकल्प लिया गया था कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत यूटिलिटियों की चोरी की लेखा परीक्षा अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर तक ली जाए। यदि लेखों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है। तो वह शुरू किया जाएगा। वितरण यूटिलिटियां राष्ट्रीय टैरिफ नीति में किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य विनियामक को पूर्व वर्ष के दिसंबर-जनवरी तक वार्षिक टैरिफ याचिका दाखिल करेगी। राज्य सरकारें यूटिलिटियों को सभी बकाया सब्सिडयां स्वीकृत करेगी और भविष्य में सब्सिडी के अग्रिम भुगतान को सुनिश्चित करेंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें 15% से कम ए टी व सी हानियों को कम करने के लिए कदम उठाएंगी और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में वितरण फ्रैन्चाइजियों की नियुक्ति हेतु कदम उठाएगी।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य विद्युत यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया के विकास की स्थिति में हैं एकीकृत रेटिंग प्रकिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटियों को सुग्रही/गैर सुग्राही बनाने हेतु एक तंत्र तैयार करना है ताकि उनके प्रचालन और वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके और स्वत: प्रचालन कि प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित इक्विटी समर्थन, सब्सिडी पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित कर सके।

"विद्युत क्षेत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल को अनुरोध"

विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय स्थिति को सुधारने और सामान्यतया विद्युत क्षेत्र और विशेषत: वितरण यूटिलिटियों की दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुधारने के लिए में समुचित रूप से टैरिफ (स्वत: संज्ञान, यदि अपेक्षित हो) के संशोधन हेतु राज्य विनियामक प्राधिकारियों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत निर्देश जारी करने के लिए "विद्युत हेतु अपीलीय अधिकरण" से अनुरोध किया हैं एपीटीईएल ने स्थिति का पता लगाने और आदेश पारित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु आयोग के गठन की तारीख से सभी वर्षों के लिए वार्षिक राजस्व मांग/टैरिफ के निर्धारण के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए सभी राज्य आयोगों/संयुक्त आयोगों से अनुरोध करते हुए दिनांक 4.2.2011 को आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुपालन से यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशः फोरम ऑफ रेग्यूलेटर (एफओआर) ने टैरिफ विनियमों को अनुमोदित किया है जिसमें यूटिलिटियों को टैरिफ की पर्याप्तता सुनिश्चित होगी। पीएफसी और आरईसी लघु समय के वितरण के लिए एक शर्त के रूप में मॉडल टैरिफ विनियमों को अपनाने पर जोर देते हैं।

विवरण I

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत का विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए सब्सिडी प्राप्त आधार पर लाभ

क्षेत्र	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10
		सब्सिडी के आचार पर प्राप्त लाभ	सब्सिडी के आचार पर प्राप्त लाभ	सब्सिडी के आचार पर प्राप्त लाभ
1	2	3	4	5
बिहार	बीएसईबी	(585)	(1005)	(1412)
झारखंड	जेएसईबी	(1201)	(1048)	(707)
ओडिशा	सेसको	(85)	(125)	(77)
	नेसको	36	(0)	(28)
	सेसको	(16)	(36)	(40)
	वेसको	(49)	13	(27)
सिक्किम	सिक्किम पीडी	(28)	10	1
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	100	39	71
—		(1829)	(2153)	(2219)
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	(83)	(48)	(33)
असम	सीएईडीसीएल	(31)	(13)	
	एलएईडीसीएल	(19)	(15)	
	यूएईडीसीएल	(26)	(19)	
	एपीडीसीएल	-	-	(321)
मणिपुर	मणिपुर पीडी	(94)	(113)	(106)
मेघालय	मेघालय एसईबी	1	10	(56)
मिजोरम	मिजोरम पीडी	(40)	(72)	(130)

1	2	3	4	5
नागालैंड	नागालैंड पीडी	(81)	(68)	(111)
त्रिपुरा	टीएसईसीएल	25	47	(33)
		(347)	(291)	(791)
दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	(449)	(108)	187
	बीएसईएस यमुना	(55)	58	77
	एनडीपीएल	282	(71)	351
हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(275)	(265)	(680)
	यूएचबीवीएनएल	(495)	(1218)	(912)
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(25)	32	(153)
जम्मू और कश्मीर	जएंडके पीडीडी	(1385)	(1316)	(2106)
पंजाब	पीएसईबी	(1390)	(1041)	(1302)
राजस्थान	एवीवीएनएल	(919)	(2403)	(3924)
	जेडीवीवीएनएल	(762)	(2185)	(3169)
	जेवीवीएन	(694)	(2227)	(3913)
उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	(1044)	(1244)	(1707)
	केईएससीओ	(173)	(152)	(218)
	एमवीवीएन	(854)	(1109)	(1002)
	पश्चिम वीवीएन	(928)	(579)	(1188)
	पूर्व वीवीएन	(1102)	(1346)	(1170)
उत्तराखंड	उत्तर पीसीएल	(487)	(469)	(391)
		(10,756)	(15,404)	(21,221)
आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	11	(2780)	(1198)
	एपीएनपीडीसीएल	35	(531)	(435)
	एपीएसपीडीसीएल	(339)	(1191)	(892)
	बेसकोम	(59)	(1485)	(1116)

1	2	3	4	5
कर्नाटक	चेसकोम	13	(588)	112
	जेसकोम	1	(280)	(318)
	हेसकोम	(32)	(198)	(31)
	मेसकोम	9	(560)	(174)
	केएसईबी	8	(41)	(14)
केरल	केएचईबी	217	217	241
पुडुचेरी	फुडुचेरी पीडी	21	(80)	(47)
तमिलनाडु	टीएनईबी	(3512)	(8021)	(9680)
		(3626)	(15539)	(13552)
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	464	764	
	सीएसपीडीसीएल		74	(333)
गोवा	गोवा पीडी	139	198	80
गुजरात	डीजीवीसीएल	2	3	22
	एमजीवीसीएल	2	5	17
	पीजीवीसीएल	1	1	4
	यूजीवीसीएल	1	6	6
मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(494)	(574)	(779)
	एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	(680)	(833)	(1433)
	एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	(614)	(1077)	(1131)
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	117	(902)	(1085)
		(1,061)	(2375)	(4632)
सकल योग		**(17,620)**	**(35762)**	**(42415)**

नोट: (1) में दिए गए आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

(स्रोत: पीएफसी)

विवरण II

आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4
गैर- विशेष श्रेणी राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	113	388.81
2.	बिहार	71	194.60
3.	चंडीगढ़	01	33.34
4.	छत्तीसगढ़	20	122.45
5.	गोवा	4	110.74
6.	गुजरात	84	230.72
7.	हरियाणा	36	165.63
8.	झारखंड	30	160.61
9.	कर्नाटक	98	391.14
10.	केरल	43	214.40
11.	मध्य प्रदेश	83	228.89
12.	महाराष्ट्र	130	324.42
13.	पुडुचेरी	4	27.53
14.	पंजाब	47	272.85
15.	राजस्थान	87	315.93
16.	तमिलनाडु	110	417.00
17.	उत्तर प्रदेश	169	650.68
18.	पश्चिम बंगाल	62	164.37
	उप जोड़	1192	4414.11
19.	अरुणाचल प्रदेश	10	37.68
20.	असम	67	173.78
21.	हिमाचल प्रदेश	14	96.41
22.	जम्मू और कश्मीर	30	151.99
23.	मणिपुर	13	31.55
24.	मेघालय	9	33.99
25.	मिजोरम	9	35.12
26.	नागालैंड	9	34.58
27.	सिक्किम	2	26.30
28.	त्रिपुरा	16	35.18
29.	उत्तराखंड	31	125.082
	उप जोड़	210	782.40
	कुल	1402	5196.50

आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत
1.	आंध्र प्रदेश	5	116.81
2.	असम	1	21.82
3.	बिहार	1	23.21
4.	गुजरात	6	138.51
5.	जम्मू और कश्मीर	2	52.89
6.	केरल	3	83.15
7.	मध्य प्रदेश	5	102.94
8.	महाराष्ट्र	8	161.62
9.	पंजाब	3	52.36
10.	राजस्थान	5	150.90
11.	तमिलनाडु	7	182.17
12.	उत्तर प्रदेश	11	266.55
13.	पश्चिम बंगाल	3	32.94
	कुल	60	1385.87

आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	यूटिलिटी/राज्य	परियोजनाओं की संख्या (शहर/परियोजना क्षेत्र)	स्वीकृति परियोजना लागत
		संख्या	करोड़ रुपये
1.	आंध्र प्रदेश	42	1056.59
2.	असम	56	391.41
3.	बिहार	1	506.14
4.	छत्तीसगढ़	16	216.56
5.	गुजरात	63	993.78
6.	हरियाणा	29	673.58
7.	हिमाचल प्रदेश	14	322.18
8.	जम्मू और कश्मीर	30	1665.27
9.	कर्नाटक	88	948.99
10.	केरल	42	872.17
11.	मध्य प्रदेश	82	1977.64
12.	महाराष्ट्र	122	3284.20
13.	पंजाब	42	1509.73
14.	राजस्थान	82	1540.47
15.	सिक्किम	2	68.46
16.	तमिलनाडु	87	3279.56
17.	उत्तर प्रदेश	161	3283.59
18.	उत्तराखंड	30	392.63
19.	पश्चिम बंगाल	50	675.23
	कुल	1039	23658.18

टोबिन कर

3817. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण वित्तीय बाजारों, विशेषकर मुद्रा क्षेत्रों में वर्तमान बाजार के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए टोबिन कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मुद्रा उतार-चढ़ाव पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) टोबिन कर लगाने का कोई प्रस्ताव नही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं; व्यापार ऋणों की ऑल-इन-कॉस्ट सीमा में वृद्धि करना; विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों को उदार बनाना; रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई ईसीबी प्राप्तियों को देश में लाने की आवश्कता; कारपोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमा को बढ़ाना तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को बढ़ाना।

पीआरआईएस में सुधार

3818. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार पंचायती राज प्रणाली में देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप दूसरी पीढ़ी सुधारों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार भी लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सुधारों में इनके विचारों को समाविष्ट करने के लिए संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) संवैधानिक ढांचे

के अंतर्गत पंचायती राज्य का एक विषय है। राज्य पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए विषय संबद्ध उपाय करते हैं जबकि केन्द्र सरकार सुसाध्य बनाने वाले की भूमिका निभाती है। संघ सरकार ने राज्यों में अपने पंचायती राज प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने राज्यों में अंतरण को सुकुर बनाने के लिए संघ सरकार ने राज्यों में एक्टिविटी मैपिंग तैयार करने में सहायता की, परामर्शी जारी की तथा राज्यों को पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंचायतों को कोष, कार्य तथा कर्मियों (3 क) के अंतरण के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया। विकेन्द्रीकृत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों को पूरा करने के लिए पंचायतों को राज्य सरकारों के माध्यम से 250 पिछड़े जिलों में महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं अन्य अंतरालों को पूरा करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत अबाध्य निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्ति, राज्यों को तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के अंतर्गत पंचायतों को अनुदान भी दिए जाते हैं, जो अबाध्य निधियां हैं। राज्यों को पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं तथा पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लेखों, नियोजन इत्यादि के लिए उचित साफ्टवेयर, विकसित किया गया है। ये मामले विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ उठाए गए हैं।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत बिक्री

3819. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) राज्य विद्युत बोर्डो (एसईबीएस) को बिजली बेचने में निरंतर कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2011-12 में एनटीपीसी द्वारा उत्पादित बिजली की अनुमानित 10 बिलियन यूनिट बेची नहीं जा सकी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनटीपीसी बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले को सम्मिश्रित कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2010-11 के दौरान एनटीपीसी द्वारा आयातित कोयले की कितनी मात्रा सम्मिश्रित की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) कुछ लाभग्राही राज्यों द्वारा उन्हें आबंटित संपूर्ण विद्युत का निर्धारण न किए जाने के कारण एनटीपीसी को उत्पादन योजना प्रभावित हुई हैं इस कारण एनटीपीसी को अपना उत्पादन कम करना पड़ा है।

(ख) वर्ष 2009-10 से उत्पादन में कमी करने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2009-10 - 5.27 बिलियन यूनिट

2010-11 - 13.23 बिलियन यूनिट

2011-12 - 11.07 बिलियन यूनिट (नवम्बर, 2011 तक)

(ग) अप्रैल-नवंबर, 2011 की अवधि के दौरान, एनटीपीसी केन्द्रों द्वारा लाभग्राहियों द्वारा घटे हुए उत्पादन कार्यक्रम के कारण लगभग 11.0 बिलियन यूनिट का उत्पादन नहीं किया जा सका।

(घ) लाभग्राहियों द्वारा कार्यक्रम उपलब्ध न कराए जाने के कारण।

(ङ) जी, हां।

(च) एनटीपीसी घरेलू कोयले में कमी को पूरा करने के लिए आयातित कोयले का सम्मिश्रण कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान आयातित कोयले के सम्मिश्रण का औसत प्रतिशत 8% के लगभग था।

विद्युत उत्पादन

3820. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक अतिरिक्त उत्पादन में संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईंधन की कमी और निधियन समस्याओं के बावजूद निजी क्षेत्र का कार्य निष्पादन बेहतर है जबकि केन्द्र और राज्य क्षेत्र पिछड़ गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ पर निजी क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कुल अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और योजना के अंतिम वर्ष के दौरान तक कितना लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन प्रभाविकता में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए ळैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान 30.11.2011 तक 10,307.5 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की हुई है। वर्ष 2011-12 के दौरान 30.11.2011 तक निजी क्षेत्र में 6,566.5 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हुई है जो इस अवधि की केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की 3,741 मेगावाट (केन्द्रीय क्षेत्र 2,160 मेगावाट, राज्य क्षेत्र: 1,581 मेगावाट) की संयुक्त क्षमता अभिवृद्धि से अधिक है।

योजना आयोग ने प्रारंभ में 11वीं योजना के दौरान 78,700 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के 36,874 मेगावाट, राज्य क्षेत्र के 26783 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र की 15,043 मेगावाट शामिल थी। तथापि, 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय, क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को संशोधित करके 62,374 मेगावाट किया गया जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के 21,222 मेगावाट, राज्य क्षेत्र के 21,355 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र के 19,797 मेगावाट शामिल थी। वर्ष 2011-12 के लिए 17,601 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के 5,725 मेगावाट, राज्य क्षेत्र के 4,266 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र के 7,610 मेगावाट शामिल हैं तथा लक्ष्य को पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(च) देश में क्षमता अभिवृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, भेल की निर्माण क्षमता, जो दिसंबर, 2007 में 10,000 मेगावाट थी, उसे बढ़ाकर 2012 तक 20,000 मेगावाट करना सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक समूह द्वारा भेल से विद्युत उपकरण की आपूर्ति से संबंधित मामलों की आवधिक समीक्षा; वैलेन्स ऑफ प्लांट्स जरूरतों को पूरा करने के लिए वेंडर बेस को बढ़ाने के लिए पणधारियों को संवेदनशील बनाना, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल एवं विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार समूह द्वारा परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर गहन मॉनीरिंग और वेब आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली प्रारंभ करना शामिल है।

[हिन्दी]

कोयले की खपत

3821. श्री विष्णु देव साय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के विद्युत संयंत्रों में कोयले की प्रतिदिन कितनी खपत है;

(ख) इन संयंत्रों में कोयला खपत के परिणामस्वरूप प्रतिदिन कितनी मात्रा में राख जल और वायु में निस्सरण किया जाता है तथा कितनी मात्रा में कोयला भूमि में खपाया जाता है;

(ग) ऐसे कोयले की कितनी मात्रा ईंटों और सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त की जा रही है; और

(घ) जल और वायु में निस्सरित की जा रही राख की मात्रा नियंत्रित करने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्ष 2010-11 के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एनटीपीसी लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों में कोयले की प्रतिदिन खपत निम्नानुसार है:

स्टेशन का नाम (क्षमता)	राज्य	कोयला खपत/दिन (मीट्रिक टन)
कोरबा (2600 मेगावाट)	छत्तीसगढ़	35000 अनुमानत:
सीपता (1000 मेगावाट)	छत्तीसगढ़	16000 अनुमानत:
विन्ध्याचल (3260 मेगावाट)	मध्य प्रदेश	5000 अनुमानत:

(ख) जहां तक पानी में राख हो बहाये जाने का संबंध है, एनटीपीसी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित संयंत्रों में पानी में राख के कण नहीं बहाये जाते हैं, क्योंकि ये सभी संयंत्र 100% ऐश वाटर रि-सर्कुलेशन सिस्टम से कार्य करते हैं।

इन केन्द्रों द्वारा बहाई गई राख की मात्रा निर्धारित मानकों के भीतर है। उत्सर्जन निम्नलिखित अनुसार है:

कोरबा	चरण-I और II	=	100-130 मि.ग्रा./एनएस3 और
	चरण-III	=	50 मि.ग्रा./एनएम3 से कम
सीपत	चरण-I	=	30-38;
	चरण-II	=	35-42 मि.ग्रा./एनएम3
विन्ध्याचल	चरण-I	=	120-145 मि.ग्रा./एनएम3
	चरण-II	=	80-90 मि.ग्रा./एनएम3 और
	चरण-III	=	75-190 मि.ग्रा./एनएम3
	एमजी/एनएम3	=	सामान्य मीटर क्यूब के अनुसार मिलिग्राम

एनटीपीसी भूमि पर कोई कोयला जमा नहीं कर रहा है क्योंकि कोयला सीधे एनटीपीसी प्रांगण की सीमा के भीतर स्थित कोल हॉपर में उतारा जाता है।

(ग) वर्ष 2010-11 में राख की ईट के संयंत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई/उपयोग में लाई गई राख की मात्रा:

i.	कोरबा	=	173370 एमटी
ii.	सीपत	=	75146 एमटी
iii.	विन्ध्याचल	=	40630 एमटी

वर्ष 2010-11 में सीमेंट विनिर्माताओं को उपलब्ध कराई गई राख की मात्रा

i.	कोरबा	=	581540 एमटी
ii.	सीपत	=	153277 एमटी
iii.	विन्ध्याचल	=	932000 एमटी

(घ) एनटीपीसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा यथा निर्धारित सभी कार्रवाईयां कर रहा है। वायु एवं जल में राख बहाये जाने पर नियंत्रण के लिए एनटीपीसी के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रों में निम्नलिखित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की गई है:

- राख के निपटान के लिए 100% पानी के लिए ऐश वाटर रि-सर्कुलेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है ताकि पानी में राख के ओवर फ्लो को रोका जा सके।
- वायु उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एनटीपीसी संयंत्रों की सभी यूनिटो में उच्च दक्षता वाली वायु प्रदूषण नियंत्रित प्रणालियां अर्थात इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐश डाइकों से अस्थायी उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, जल छिड़काव व्यवस्था, ऐस डाइकों पर पानी का कवर और ऐश डाइकों पर वैजिटेटिव कवर आदि प्रचलन में हैं।
- इसके अतिरिक्त, डाई ऐश एक्सट्रेक्शन सिस्टम्स (डीएईएस) की व्यवस्था भी की गई है।
- एनटीपीसी उपर्युक्त सभी प्रणालियों से, राख के उत्सर्जन का रख-रखाव नियामक द्वारा लागू की गई वैधानिक सीमाओं के भीतर कर रहा है।

[अनुवाद]

टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह

3822. **श्री अब्दुल रहमानः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर नए टीके के आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन टीकों का प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संबंधी तकनीकी सलाहकारी समूह नई वैक्सीन शुरू करने सहित रोग प्रतिरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार को सिफारिश करने वाले निकायों में से एक निकाय है।

(ख) एनटीएजीआई की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने तमिलनाडु और केरल में पेंटावेलेंट वैक्सिन सहित हेमोफिलस इंफ्लूएंजा टाईप बी, (एचआईबी (हिब) को शुरू किया है।

(ग) और (घ) इन राज्यों में पर्याप्त रोग प्रतिरक्षण कवरेज और सशक्त मॉनीटरिंग प्रणाली तंत्रों पर विचार कश्रते हुए आरंभ में तमिलनाडु और केरल में पेंटावेलेंट वैक्सिन को शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

लोकपाल की नियुक्ति

3823. श्री कौशलेन्द्र कुमारः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग, बीमा और आयकर क्षेत्रों सहित वित्त क्षेत्र के लिए लोकपाल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लोकपाल के उत्तरदायित्व व कृत्य क्या होंगे;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक क्षेत्र से लोकपाल को बैंक-वार एवं क्षेत्रक-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनी शिकायतों का समाधान हुआ; और

(घ) सभी शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) लोकपाल योजना बैंकिंग, बीमा तथा आयकर क्षेत्रों के लिए अधिसूचित की गई है। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए बैंक ग्राहकों को एक शीघ्र और किफायती मंच (फोरम) उपलब्ध करवाने हेतु बैंकिंग क्षेत्र के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ 1995 में किया गया था। ऐसे 27 आधार हैं जिनके संबंध में ग्राहक बैंकिंग सेवाओं में कमी के संबंध में बैंकिंग लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल की जिम्मेवारियां और कार्य बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में दिए गए हैं और यह आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर उपलब्ध है।

बीमा लोकपाल योजना बीमित ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और किफायती निपटान करने तथा उनकी समस्याएं कम करने के लिए शुरु की गई थी। बीमा लोकपाल की शक्तियां 20 लाख रुपये से अनधिक के मूल्य वाली बीमा संविदाओं तक सीमित रखी गई हैं।

इसी प्रकार, आयकर विभाग के विरुद्ध करदाताओं की शिकायतों का संतोषजनक समाधान करने के लिए तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु सरकार को आयकर लोकपाल के निष्कर्षों की सूचना देने के लिए आयकर लोकपाल योजना शुरु की गई।

फिलहाल, पूरे देश में बैंकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय, बीमा क्षेत्र के लिए 12 कार्यालय तथा आयकर लोकपाल के 12 कार्यालय स्थापित किए गए है।

(ग) बैंकिंग, बीमा तथा आयकर के सभी तीन कार्यालयों द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (1.7.11 से 31.10.11 की स्थिति के अनुसार)	
	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई	प्राप्त	निपटाई गई
बैंकिंग लोकपाल#	75,009	65,579	88,699	83,336	76,638	72,023	29,683	27,022
बीमा लोकपाल##	12,812	11,417	17,459	15,190	23,334	17,239	11,727	5,263
आयकर लोकपाल$	3,616	2,855	3,494	2,924	4,466	3,953	2,746	2,286

(टिप्पणीः # बैंकिंग लोकपाल के लिए वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 30 जून होता है। ## इसमें पिछले वर्ष से आगे लाई गई शिकायतों की संख्या शामिल है। $ जुलाई, 2011 तक)

(घ) बैंकिंग लोकपाल, बीमा लोकपाल तथा आयकर लोकपाल के सभी तीन कार्यालयों द्वारा मामलों के निपटान की समीक्षा संबंधित विनियामक तथा संबद्ध प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर वार्षिक और आवधिक आधार पर की जाती है।

बाल संरक्षण इकाइयां

3824. **श्री भूदेव चौधरी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि संस्वीकृत व जारी की गई और राज्य सरकारों ने इसका कितना उपयोग होना सूचित किया;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु सरकार के पास कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इस धनराशि के दुरुपयोग के कितने मामले सामने आए तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 62 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा हर जिले में बाल संरक्षण एकक का गठन किया जाना आवश्यक है। इन एककों की स्थापना सुकर बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2009-10 में शुरु की गई समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी. डी.एस.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जिला बाल संरक्षण एककों, जिन्हें अब तक वित्तीय सहायता दी जा रही है और इस उद्देश्य हेतु संस्वीकृत और निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई अनुदान राशि का उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि कुछ राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे आगामी किस्त के जारी करते समय उसे घटाई जाती है।

(घ) और (ङ) अंतर-मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग की समीक्षा करता है। इसके अलावा, निधियों के समुचित उपयोग सहित आई.सी.पी.एस. के कार्यान्वयन के मॉनीटरन हेतु राज्य बाल संरक्षण समिति की स्थापना के लिए आई.सी.पी.एस. में प्रावधान किये गए हैं। आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला अब तक नहीं पाया गया है।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत स्थापित बाल संरक्षण इकाइयों की संख्या और बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त बाल संरक्षण इकाइयों की संख्या	स्थापित बाल संरक्षण इकाइयों की संख्या*	संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)		
				2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	205.53	183.78	518.83
2.	असम	27	27	0.00	124.64	0.00
3.	बिहार	32	–	–	122.87	–
4.	छत्तीसगढ़	18	18	129.51	–	–
5.	गुजरात	26	26	0.00	110.35	156.65

1	2	3	4	5	6	7
6.	हरियाणा	21	21	0.00	94.82	–
7.	हिमाचल प्रदेश	12	–	–	–	96.04
8.	झारखण्ड	24	–	–	–	164.97
9.	कर्नाटक	16	16	0.00	17.91	110.58
10.	केरल	14	–	43.37	0.00	–
11.	मध्य प्रदेश	50	50	359.75	–	–
12.	महाराष्ट्र	35	35	–	140.66	–
13.	मणिपुर	9	9	0.00	52.83	–
14.	मिजोरम	8	8	–	71.14	–
15.	नागालैण्ड	11	11	94.18	–	–
16.	ओडिशा	30	30	317.70	153.66	317.70
17.	पंजाब	20	–	–	–	225.34
18.	राजस्थान	33	33	0.00	184.26	161.29
19.	सिक्किम	2	4	–	–	22.18
20.	तमिलनाडु	32	32	0.00	171.52	247.11
21.	त्रिपुरा	4	4	–	8.96	–
22.	उत्तर प्रदेश	72	72	–	–	710.62
23.	पश्चिम बंगाल	19	19	102.62	72.12	–
24.	दिल्ली	1	–	–	0.00	2.58
25.	पुडुचेरी	1	–	–	4.52	–
	कुल	540	438	1252.66	1514.04	2733.89

*राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

सौर ऊर्जा पैनल

3825. श्री दारा सिंह चौहानः
श्री चार्ल्स डिएसः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिजली उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा फार्म या सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार को बिजली उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा फार्म या सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए केरल राज्य, केरल राज्य बिजली बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों के नाम क्या हैं और पवन ऊर्जा फार्म या सौर ऊर्जा पैनलों की प्रस्तावित क्षमता कितनी है;

(ङ) आज की तिथि तक, इन पैनलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(च) लगाए गए ऐसे प्रत्येक पैनल को कब तक कार्यशील किया जाएगा?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना वाणिज्यिक आधार पर निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से की जाती है जो स्थलों की टेक्नो-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होती है। केन्द्र सरकार को पवन फार्म परियोजना संस्थापित करने के संबंध में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान मंत्रालय को ग्रिड सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) देश में दिनांक 31.10.2011 तक कुल 15683 मेवा. की पवन विद्युत क्षमता की स्थापना की गई है जिसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में 35 मेवा. क्षमता संस्थापित की गई है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान संस्थापित सौर विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय को केरल राज्य से पवन फार्मों की स्थापना के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय को सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु केरल राज्य, केरल विद्युत बोर्ड अथवा किसी अन्य एजेंसी से कोई नया प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में पवन फार्मों अथवा ग्रिड सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित सौर परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

दिनांक 24.11.2011 की स्थिति के अनुसार कमीशन की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं	
		संख्या	मेगावाट
1.	आंध्र प्रदेश	2	3
2.	छत्तीसगढ़	2	4
3.	गुजरात	5	91
4.	हरियाणा	2	2
5.	झारखंड	0	0
6.	कर्नाटक	2	6
7.	मध्य प्रदेश	0	0
8.	महाराष्ट्र	8	18
9.	नई दिल्ली	2	2
10.	ओडिशा	3	3
11.	पंजाब	2	3
12.	राजस्थान	10	43.5
13.	तमिलनाडु	3	7
14.	उत्तर प्रदेश	0	0
15.	उत्तराखंड	0	0
16.	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल	42	183.5

[अनुवाद]

विभिन्न परियोजनाओं हेतु बैंक-ऋण

3826. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न राज्य सरकारों से शीघ्र परियोजना-मंजूरी प्राप्त करते हुए विभिन्न परियोजनाओं के ऋण संबंधी आवेदनों को त्वरित ढंग से निपटाने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उक्त बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के समय अशोध्य ऋणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) ऋण आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को दिनांक 02.09.2011 और 22.09.2011 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने सरकार के निर्देशों का अनुपालन हेतु नोट कर लिया है।

(घ) आरबीआई ने क्षेत्रीय निवेश और आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण दिशा-निदेश जारी किए हैं बैंक की स्वयं की ऋण नीति और निवेश मानदण्ड हैं। ऋण आवेदनों पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों और बैंक के आंतरिक नीति दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

फा.सं. 7/99/2011-बीओए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011

मुख्य कार्यपालक,

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्त के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक से जानकारी मिली है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण हेतु प्राप्त आवेदकों के निस्तारण में काफी विलंब होता है। निर्णय लेने में हुए विलंब में परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन में व्यवधान आती है, जिससे आर्थिक विकास की चाल धीमी हो जाती है।

ऋण आवेदनों के निर्णयन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए, पीएसबी को निम्नलिखित पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

(i) प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुमोदित होने वाले सभी ऋण प्रस्तावों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक का विलंब न हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सीएमडी/एमडी और ईडी द्वारा एक नियत दिवसर पर इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा करते समय, सीएमडी/एमडी और ईडी तत्काल फीडबैक के लिए विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से क्षेत्र अधिकारियों से विचार विमर्श कर सकते हैं।

(ii) अंचल कार्यालय अथवा शाखा स्तर पर अनुमोदित होने वाले सभी ऋण प्रस्तावों की समीक्षा अंचल प्रबंधक द्वारा सप्ताह के नियत दिवस पर की जानी चाहिए ताकि 45 दिनों से अधिक का विलंब न हो।

(iii) जो ऋण प्रस्ताव, विभिन्न राज्य सरकारों के उत्तर/सूचना के लिए लंबित है- चाहे वह प्रधान कार्यालय स्तर अथवा अंचल कार्यालय स्तर पर अनुमोदित होना है, शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों से संपर्क किया जाए। शाखा प्रबंधकों द्वारा निस्तारित किए जाने वाले आवेदनों से संबंधित विषय, जिला समन्वय समितियों में मासिक आधार पर शाखा प्रबंधकों द्वारा उठाया जा सकता है।

(iv) राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति भी उन राज्यों में लगने वाली परियोजनाओं के तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों से अनुरोध करने पर विचार कर सकती है, जिन राज्यों में बैंको/वित्तीय संस्थाओं ने परियोजनाएं मंजूर की हैं परन्तु स्वीकृति (क्लियरेंस) के अभाव में संवितरण लंबित है।

(v) नागरिक अधिकारों के अनुसार, निम्नलिखित समय सीमा का पालन (सिटिजन चार्टर) किया जाना चाहिए:-

क) शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदन किया जाना-ऋण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर-

ख) क्षेत्रीय/अंचल प्रबंधकों द्वारा अनुमोदन किया जाना-ऋण आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर।

(ग) मुख्यालयों द्वारा अनुमोदन किया जाना-ऋण आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर।

पीएसबी से अनुरोध है कि इस संबंध में हुई प्रगति से इस विभाग को अवगत कराता रहे।

आपका,

(एम.एम. दौला)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23742207
फैक्स -011-23742207
23747018

प्रति प्रेषित:

(i) वित्त मंत्री के निजी सचिव।

(ii) राज्यमंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं)

(iii) वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव।

(iv) सचिव, आ.का.वि. के प्रधान निजी सचिव।

विवरण II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यापालक,

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से ऋण हेतु आए आवेदनों का निस्तारण।

महोदय,

यह पत्र 2 सितंबर, 2011 के समसंख्यक पत्र के तहत उपर्युक्त विषय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में है। द्रुत निकासी/परियोजनाओं का क्रियान्वयन जहां/बैंको वित्तीय संस्थाओं ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है परंतु राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों/विभागों से स्वीकृति के अभाव में संवितरण लंबित है, निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है:-

i. एसएलबीसी के सदस्य बैंक लंबित परियोजनाओं की स्थिति और ब्यौरा एसएलबीसी अग्रणी बैंक के मुख्य कार्यपालक को सूचित करेंगे।

ii. परियोजनाओं की स्वीकृति को त्वरित करने के लिए, एसएलबीसी अग्रणी बैंक के मुख्य कार्यपालक, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ मामले को उठाएंगे और एक बैठक बुलायेंगे जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और पदाधिकारी भाग लेंगे जहां की परियोजनाएं लंबित हैं, लंबित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए चर्चा करेंगे और कार्य योजना बनायेंगे।

iii. एसएलबीसी अग्रणी बैंक के मुख्य कार्यकलाप भी जिला स्तर पर जिला स्तर परामर्श समिति (डीएलसीसी) द्वारा आयोजित बैठक में, लंबित परियोजनाओं से संबंधित जिला प्राधिकारियों के पदाधिकारियों के साथ उसी प्रकार बैठक करेंगे जैसा ऊपर बिन्दु सं. (ii) में उल्लिखित है।

2. एनएलबीसी अग्रणी बैंक के मुख्य कार्यकलाप सभी सदस्य बैंकों की लंबित परियोजनाओं की स्थीत का सावधि रूप से पता लगाएंगे। यह प्रक्रिया नियमित आधार पर की जाएगी और यह एक स्थायी पहलू होगा।

आपका,

(एम.एम. दौला)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23742207
फैक्स -011-23742207
23747018

प्रति प्रेषित:

(i) वित्त मंत्री के निजी सचिव।

(ii) राज्यमंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं) के निजी सचिव।

(iii) वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव।

(iv) सचिव, आ.का.वि. के प्रधान निजी सचिव।

(v) सचिव, (वि.से) के प्रधान निजी सचिव।

(vi) अपर सचिव (वित्तीय सेवाएं) के प्रधान निजी सचिव।

(vii) वित्तीय सेवाएं विभाग के सं.स./निदेशकों/उप सचिवों के सभी प्रधान निजी सचिवों।

(viii) सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिव प्रधान।

विदेशी निवेश एवं ऋण

3827. शेख नूरूल इस्लाम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश एवं विदेशी ऋण का प्रतिशत कितना रहा;

(ख) विगत तीन वर्षा के दौरान किन मुख्य पांच देशों में भारत में अधिकतम निवेश किया है;

(ग) उक्त निवेश की शर्तें व निबंधन क्या रहे हैं;

(घ) देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश और ऋण का क्या असर हुआ है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वित्त जुटाने के लिए क्या कदम उठाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विदेशी निवेश और विदेशी उधार नीचे सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी 1: विदेशी निवेश और उधार का ब्यौरा

घटक	2008-09	2009-10	2010-11
		स.घ.उ. का प्रतिशत	
1. विदेशी निवेश (निवल)*	0.4	3.7	2.2
2. ऋण सृजित करने वाले प्रवाह (निवल)**	1.0	1.2	1.8

* इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश (निवल) शामिल हैं।

** इसमें विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधार, अल्पावधि ऋण, अनिवासी भारतीय जमाराशियां और रुपया ऋण शोधन शामिल हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2010-11 में भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित पांच अग्रणी देश मारीशस, सिंगापुर, नीदरलैण्ड्स, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका थे। पिछले तीन वर्षों में इन देशों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा नीचे सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: भारत में देश-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह (मिलियन अमरीकी डालर)

क्र सं.	देश	2008-09	2009-10 अ:	2001-11 अ:
1.	मॉरीशस	10,165	9,801	5,616
2.	सिंगापुर	3,360	2,218	1,540
3.	नीदरलैण्ड्स	682	804	1,417
4.	जापान	266	971	1,256
5.	सं. राज्य अमरीका	1,236	2,212	1,071

अ: अंनतिम स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट

(ग) भारत में विदेशर प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को शामिल करने वाली निबंधन और शर्तों का ब्यौरा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के "विदेशर प्रत्यक्ष निवेश नीति" नामक दस्तावेज में दिया गया है जो http//dipp.nic.in/Policy.aspx. लिंक पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) विदेशी उधार में बढ़ोत्तरी से मजबूत घरेलू निवेश मांग की जरूरत और वैश्विक वित्तीय बाजार तक बेहतर पहुंच परिलक्षित होती है। इसी तरह, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से बढ़ा घरेलू बाजार, उदारीकृत एफडीआई नीति, सदृढ़ बृहत आर्थिक बुनियाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का बढ़ना समेकन प्रतिबिम्बित होता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, खास तौर से अवसंरचना क्षेत्र के लिए तथा साथ ही प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए संसाधनों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विदेशी निवेशों की भूमिका को स्वीकारा गया था।

बैंकों द्वारा ऋण-नीति का उल्लंघन

3828. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों ने कारपोरेट जगत के बड़े ऋणग्राहकों के ऋण की पुनर्संचना करते समय अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित ऋण-नीति का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे बैंकों के विरुद्ध सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में पुनर्निर्धारण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

i. कुछ मामलों में पुनर्निर्धारण का कार्य विभिन्न वित्तीय एवं कारबार संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई लाभप्रदत्ता अध्ययन किए बिना किया गया था।

ii. कुछ मामलों में (कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण से जुड़े मामलों से इतर मामले) बैंक की ऋण नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार, दूसरे एवं परवर्ती पुनर्निर्धारण के लिए उचित संस्वीकृति प्राधिकारी के संबंध में विचलन पाया गया था।

iii. कुछ मामलों में बार-बार पुनर्निधारण किया गया।

iv. कुछ उधारकर्ताओं से पुनर्निर्धारण संबंधी शर्तों एवं निबंधनों की पुष्टि नहीं ली गई थी।

v. कुछ मामलों में पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनर्निर्धारण किया गया।

vi. कुछ मामलों पुनर्निर्धारित खातों का अनियमित उन्नयन किया गया।

vii. कुछ मामलों में सीडीआर तंत्र के तहत पुनर्निर्धारण हेतु निर्दिष्ट तारीख तय करने में अनुरूपता नहीं थी।

(ग) हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों जिनमें वे श्रेणियां शामिल नहीं है जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त, 2008 तथा 9 अप्रैल, 2009 के परिपत्रों के तहत सभी बैंकों को ऋणों के पुनर्निर्धारण हेतु पहले ही व्यापक विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी कर चुका है, फिर भी इसने ऐसी अनियमितताओं के मामलों का सुधार करने के लिए इसे बैंकों के साथ उठाया है।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति 2011-12 की अपनी द्वितीय तिमाही समीक्षा (25 अक्तूबर, 2011) में यह प्रस्ताव किया है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों के पुनर्निर्धारण संबंधी मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया जाए तथा उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों तथा लेखा मानकों को ध्यान में रखते हुए इनमें संशोधन करने का सुझाव दिया जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा उपस्करों हेतु प्रोत्साहन हेतु

3829. श्री रवनीत सिंह: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समाज के आर्थिक रूप से सीमांत वर्गों के लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा उपस्करों की खरीद हेतु कतिपय वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सौर-ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माताओं को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा अन्य और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) सरकार द्वारा स्थल और उपयोगकर्त्ता की श्रेणी पर निर्भर करते हुए समाज के आर्थिक रूप से सीमांत वर्गों सहित लोगों को विभिन्न प्रकार के अक्षय उपस्कर लगाने/खरीदने की लागत के 30 से 100% की श्रेणी में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) पहल ही उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) विभिन्न ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों हेतु उपलब्ध कराई जा रही सीएफए/प्रोत्साहन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सौर उपस्करों के विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क से छूट का प्रोत्साहन उपलब्ध है। कुछ उपस्करों, कच्ची सामग्री, सौर ऊर्जा उपस्कर के विनिर्माण में प्रयोग कइए जाने वाले संघटकों तथा उत्पादों पर शून्य/रियायती सीमा शुलक का लाभ भी उपलब्ध है।

(घ) सरकार द्वारा देश में ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:-

- राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान जैसे पूंजीगत/ब्याज सबिसिडी, त्वरित मूल्यहास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क।
- उत्पाद आधारित प्रोत्साहनों, अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों और अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में अधिमान्य शुल्क दरों, आदि जैसे अतिरिक्त उपायों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- सौर ऊर्जा प्रणालियों की बड़े स्तर पर संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ किया गया।
- क्षेत्र विशिष्ट सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता करना।
- प्रिंट, पोस्टल और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के प्रयोग पर व्यापक प्रचार और जागरूकता।

विवरण

विभिन्न ऑफ-ग्रिड विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों हेतु उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता

क्र.सं.	ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रिकृत प्रणालियां	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1	2	3
1.	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण: दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों/बस्तियों में घरों के लिए विद्युत उत्पादन/रोशनी हेतु अक्षय ऊर्जा प्रणालियां।	प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु एक पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि और प्रति घर 18,000 रु. की समग्र सीमा के अध्यधीन विद्युत उत्पादन प्रणालियों की लागत का 90%।
		गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु एक सिंगल लाइट एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणाली की 100% लागत
2.	परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 11,700 से 14,700 रु.
	असम के मैदानी क्षेत्र	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 9000 से 10,000 रु.
	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (तराई क्षेत्र को छोड़कर) तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग का कुरसियोंग और कालिमपोंग सब-डिवीजन, सुन्दरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 3000 से 10,000 रु.
	अन्य सभी	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 2100 से 8,000 रु.

1	2	3
3.	बायोमास गैसीफायर	**ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए** 100% प्रोड्यूसर गैस ईजन के साथ ग्राम स्तरीय विद्युत उत्पादन हेतु 15.00 लाख रु./100 कि.वा. विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी। **औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए** तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2.00 लाख रु./300 किवाई, दोहरे ईधन ईजन के साथ 2.50 लाख रु./100 किवाई 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 10.00 लाख रु./100 किवा. ई.। **संस्थागत अनुप्रयोगों के लिए** 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 15.00 लाख रु./100 किवा.ई.
4.	उद्योग में कैप्टिव प्रयोग हेतु बायोमास सह-उत्पादन (गैर-खोई)	अधिकतम 1 करोड़ रु./परियोजना के अध्यधीन प्रति मेवा. 20.00 लाख रु. (विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 20% उच्चतर सब्सिडी)
5.	शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा	प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए 1.0 से 3.00 करोड़ रु./मेवा.ई (विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 20% उच्चतर सब्सिडी)
6.	औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए 20.00 लाख रु. से 1.00 करोड़ रु./मेवा.ई (विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 20% उच्चतर सब्सिडी)
7.	सौर ऊर्जा प्रणालियां (प्रकाशवोल्टीय/तापीय)	परियोजना लागत की 30% की सब्सिडी और/अथवा 5% ब्याजधारी ऋण
8.	लघु एरोजनरेटर और हाइब्रड प्रणालियां	वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक लाभार्थियों के लिए क्रशः 1.00 लाख रु. और 1.50 लाख रु. प्रति किवा.। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं हेतु 2.25 लाख रु. प्रति किवा, की उच्चतर सहायता
9.	माइक्रो-हाइडल संयंत्र/पवन चक्की	मैकेनिकल अनुप्रयोग के लिए 0.35 लाख रु. प्रति पन चक्की विद्युतीय अनुप्रयोगों के लिए 1.10 लाख रु. प्रति पन चक्की

[हिन्दी]

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता

3830. श्री जगदानन्द सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उक्त सहायता राज्यों को सीधे मिली है अथवा केन्द्र सरकार के माध्यम से;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु दी गई सहायता से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) 1. **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

आरएनटीसीपी	स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30.11.11)
	श्व बैंक	101.84	124.97	169.35	96.60
	जीएफएटीएम	91.33	117.08	107.98	120.44
	डीएफआईडी	48.00	40.00	40.00	17.16
	कुल	241.17	282.05	317.33	234.2

राज्यों को कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का संवितरण केवल केन्द्र सरकार के माध्यम से ही किया जाता है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में वर्ष 2007 से नये स्मीयर पॉजिटिव रोगियों में से कम से कम 85 प्रतिशत रोगियों में उपचार की सफलता दर तथा समुदाय में अनुमानित एनएसपी रोगियों में से कम से कम 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है।

2. प्रजनन बाल स्वास्थ्य-2 परियोजना

निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- विश्व बैंक-910 करोड़
- डीएफआईडी-948.53 करोड़
- यूएनएफपीए-151.76 करोड़
- यूरोपीय संघ-210 करोड़

पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए प्राप्त सहायता

- केएफडब्ल्यू-595.87 करोड़
- विश्व बैंक-538.95 करोड़

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से अलग से राज्यों द्वारा सीधे ही सहायता प्राप्त की गई है। राज्यों द्वारा प्राप्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

डीईएफआईडी से प्राप्त सहायताः

- मध्य प्रदेश-445 करोड़
- बिहार-285.77 करोड़
- ओडिशा 422.13 करोड़

संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त सहायता

- उत्तर प्रदेश-32.16 करोड़
- उत्तराखंड-3.15 करोड़
- झारखंड-3.27 करोड़

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II और पल्स पोलियो कार्यक्रम से शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 58 (एसआरएस-2005) से घटकर 50 (एसआरएस-2009), मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख पर 254 (एसआरएस-2004-06) से घटकर 212 (एसआरएस-2007-09) तथा कुल प्रजननता दर 2.9 (एसआरएस-2005) से घटकर 2.6 (एसआरएस-2008) हो गई है। आरसीएच II के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से इन परिणामों को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है।

3. राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि मलेरिया नियंत्रण के लिए वैश्वक निधि और मलेरिया नियंत्रण तथा कालाबाजार उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	जीएफएटीएम (लाख रु. में)	विश्व बैंक (लाख रु. में)
2008-09	2461.14	2135.34
2009-10	1645.01	3540.02
2010-11	5306.12	5182.72
2011-12	350.77	222.00

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की वित्तीय सहायता उपरोक्तानुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हो रही है। विगत तीन वर्षों में परियोजना क्षेत्रों में मलेरिया एवं कालाजार स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी में काफी सुधार हुआ है।

- देश में तथा परियोजनाधीन क्षेत्रों में मलेरिया सूचकों में समग्र सुधार हुआ है। निगरानी परियोजना क्षेत्रों में वृद्धि हुई है तथा स्लाइड की पॉजिटिविटी कमी है।

- 543 कालाबाजार स्थानिकमारी खंडों में से 320 खंडों ने उन्मूलन प्राप्त कर लिया है। (खंड स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम रोगी)

4. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपूर्ति की गई कुष्ठ रोग की औषधें नि:शुल्क प्रदान की हैं।

(लाख रु. में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (13.12.2011 तक)
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोगों के लिए प्रदान की गई औषधों की लागत	800.00	590.06	635.38	257.69

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त की जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान उपचार पूरा करने के पश्चात रोग मुक्त होने पर छोड़े गए रोगियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
उपचार के बाद छोड़े गए कुष्ठ रोगियों की संख्या	13274	133822	132105

5. एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, जोकि एक विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित रोग निगरानी परियोजना है, भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2004 में विश्व बैंक की सहायता से शुरु की गई है जिसका उद्देश्य महामारी प्रवण रोगों के शुरुआती चेतावनी संकेतों का पता लगाने तथा उनसे निपटने के लिए कार्रवाई करने हेतु देश में रोग निगरानी को सुदृढ़ करना है।

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के लिए पूर्व में हुए व्यय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिपूर्ति आधार पर विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। आरम्भ में विश्व बैंक ने सभी 35 राज्यों तथा केंद्रीय निगरानी यूनिट में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की। अप्रैल, 2010 से विश्व बैंक की सहायता केन्द्रीय निगरानी यूनिट तथा 9 राज्यों (कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल) के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति तक सीमित है।

विश्व बैंक से सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्रदान की जाती है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में प्रतिपूर्ति के लिए दावा की गई राशि निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रतिपूर्ति के लिए दावा की गई राशि
2007-08	21.99
2008-09	19.36
2009-10	21.05
2010-11	14.07

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त होती है।

सभी राज्य/जिला मुख्यालयों में निगरानी यूनिटें स्थापित की गई हैं। 90 प्रतिशत जिले एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत महामारी प्रवण रोगों के लिए साप्ताहिक आंकड़ें की सूचना देते हैं। प्रकोप के निदान एवं नियंत्रण के लिए इन आंकड़ें की सूचना देते हैं। प्रकोप के निदान एवं नियंत्रण के लिए इन आंकड़ों का विश्लेषण जिला निगरानी यूनिट और राज्य निगरानी यूनिट द्वारा किया जाता है। राज्यों/जिलों ने वर्ष 2008 में 553 प्रकोपों, वर्ष 2009 में 799 प्रकोपों, वर्ष 2010 में 990 प्रकोपों तथा 2011 में (27 नवम्बर, 2011 तक) में 1535 प्रकोपों की सूचना दी और उनसे निपटने की कार्रवाई की।

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-III के लिए विश्व बैंक, एड्स मलेरिया एवं क्षय रोग हेतु वैश्विक निधियों जीएफटीएम), यूएनडीपी, यूएसएआईडी, डीएफआईडी से अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त होती है। इन संस्थानों ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-III (2007-12) के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए वचन दिया है:

(करोड़ रुपए में)

विश्व बैंक	1125
डीएफआईडी	808
वैश्विक निधि	2508
यूएसएआईडी	225
यूएनडीपी	71

पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित धनराशियों निर्मुक्त की गई है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विश्व बैंक	डीएफआईडी	यूएसएड	यूएनडीपी	वैश्विक निधि
2008-09	182.00	176.40	23.32	1.08	288.81
2009-10	184.96	209.81	13.55	7.55	630.44
2010-11	251.60	205.71	24.73	5.33	307.58
2011-12	प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई चल रही है।				

संघ सरकार द्वारा बाहरी सहायता प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चरण-III भारत में वयस्क एचआईवी व्याप्तता में वर्ष 2000 में 0.41% से वर्ष 2006 में 0.36% होते हुए वर्ष 2009 में 0.31% की कमी प्राप्त करने में सफल रहा है। वर्ष में नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या भी वर्ष 2000 में 2.7 लाख नए संक्रमण से कम होते हुए वर्ष 2009 में 1.2 लाख होकर पिछले दशक के दौरान 50% से अधिक से कम हुई है।

7. आयुष विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम/कार्यकलाप

विश्व स्वास्थ्य संगठन-आयुष (भारत सरकार) कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों को स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष 2009 के लिए

क्र.सं.	संस्थान	कार्यकलाप का नाम	स्वीकृत बजट (भारतीय रुपए)
1	2	3	4
1.	आर्य वैद्य शाला, कोट्टकल, केरल	इन्टरवर्टेबल डिस्क प्रोलैप्स के उपचार में कलावस्ती प्रक्रिया के सुरक्षित और युक्तिपरक प्रयोग पर अध्ययन	906,000
2.	आर्युवेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	आयुर्वेदिक प्रकाशनों की अन्तर्राष्ट्रीय सूची का प्रकाशन	298,000
3.	आयुष विभाग, नई दिल्ली	जन स्वास्थ्य परिचर्या में आयुष के एकीकरण पर एक पारिदृश्य दस्तावेज का विकास	500,000

1	2	3	4
4.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	आयुर्वेदिक में नैदानिक अनुसंधान क्रियाविधि हेतु दिशानिर्देशों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला	541,000
5.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	मानक आयुष उपचार तौर-तरीकों के लागत अनुमान के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक	210,000
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के इतिहास पर कार्यशाला	613,000
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से आयुष को पुनर्स्थापित करने के लिए विचारमंथन कार्यशाला	622,300
		कुल	3,690,600

(भारतीय मुद्राः छत्तीस लाख नब्बे हजार छह सौ रुपए केवल)

द्विवर्ष 2010-11 के लिए

क्र.सं.	संस्थान	कार्यकलाप का नाम	स्वीकृत बजट (भारतीय रुपए)
1	2	3	4
1.	आर्युवेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संथान, जामनगर	आयुर्वेद में नैदानिक अनुसंधान क्रियाविधि हेतु दिशानिर्देशों का विकास	161,000
2.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	आयुर्वेदिक नैदानिक परिभाषाओं का मानकीकरण	611,000
3.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर	मानक सिद्ध परिभाषाओं का विकास	483,000
4.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	आयुर्वेदिक प्रकाशनों की अन्तर्राष्ट्रीय सूची का प्रकाशन	558,000
5.	राजय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ	आयुष अनुसंधान कार्यकलापों के संगी-साथी समीक्षा लिखने और प्रकाशित करने के लिए दिशानिर्देशों का विकास	171,000
6.	कैप्ट, श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद अनुसंधान एवं सिद्ध औषधि विकास संस्थान, चेन्नई	आयुर्वेदिक मिश्रणों के चिन्हित यौगिकों का विकास	571,000
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	6 भारतीय भाषाओं में रोग-वार तीन पत्रिकाओं का अनुवाद	424,000

1	2	3	4
8.	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सीय विरासत संस्थान, हैदराबाद	साक्ष्य आधारित आयुर्वेद निदान एवं थेरेपी पर एक दस्तावेज का निर्माण	266,000
9.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	यूनानी चिकित्सा परिभाषाओं का मानकीकरण	635,000
10.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	आयुर्वेद की गैर-नैदानिक परिभाषाओं का मानकीकरण	647,000
11.	आर्युवेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	आयुष के लिए मॉडल भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों का विकास	548,000
12.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	आयुर्वेदिक दवाइयों के समुचित प्रयोग के लिए उपभोक्ता दिशानिर्देशों का विकास	273,000
13.	कैप्ट. श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद अनुसंधान एवं सिद्ध औषधि विकास संस्थान, चेन्नई	पारम्परिक दवाइयों के औषधि विकास में क्रोमैटोग्राफिक और स्पैक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यशाला	323,000
14.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	चिकित्सा व्यवसायियों हेतु योगा पर राष्ट्रीय कार्यशाला	568,000
15.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	राष्ट्रीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के समन्वयकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	1,264,000
		कुल	7,539,000

(भारतीय मुद्राः पचहत्तर लाख उन्तालिस हजार रुपए केवल)

चैक समाशोधन के संबंध में रिजर्व बैंक के मार्ग निदेश

3831. श्री राम सुन्दर दासः
श्री कपिल मुनि करवारियाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को स्थानीय चैकों का समाशोधन उसी दिन करने तथा बाहरी चैकों का समाशोधन अगले दिन तक करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चैक का निर्धारित अवधि के भीतर समाशोधन न किए जाने की दशा में किसी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्थानीय और बाहरी केन्द्र के चैकों के लिए वसूली अवधि का उल्लेख करते हुए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय समाशोधन के मामले में, बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि सामान्य सुरक्षा उपायों के अध्यधीन, समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाने के अगले कार्य-दिवस को संगत वापसी समाशोधन के पूरा हो जाने

के तुरंत बाद अथवा तीसरे कार्य दिवस को कारोबार शुरु होने के एक घंटे के अन्दर ग्राहक खाते में आभासी जमा देने के चलन की अनुमति दी जाए। इसके अलावा बाहरी केन्द्रों के चैकों के संग्रह के लिए अधिकतम समय-सीमा इस प्रकार विहित की गई है-राज्य की राजधानियों में आहरित चैकों के लिए सात दिवस, बड़े शहरों के लिए दस दिवस और अन्य स्थानों के लिए चौदह दिवस। आरबीआई, बैंकिंग क्षेत्र की गतिशीलता के मद्देनजर जब कभी भी उचित समझा जाता है, इन समय सीमाओं की समीक्षा करता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के 24 नवंबर, 2008 के परिपत्र के अनुसार, संबंधित बैंक की चैक संग्रह नीति में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि चैक संग्रह नीति में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लागू दर संगत अवधि की मियादी जमा लागू दर होगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं का कार्यान्वयन

3832. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों वे ग्रामीण इलाकों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ राज्यों में व्याप्त समस्याओं का निदान किस प्रकार करेंगे;

(ग) क्या उक्त विशेषज्ञ ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से परिचित करने हेतु जागरूकता अभियान भी आयोजित करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के नियोजन सहित मानव संसाधनों में वृद्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत मुख्य रूप से जोर दिए जाने वाले क्षेत्र में से एक है। एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यों को अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रक्षेपित की गई आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रयोजन के लिए निधियां दी जाती हैं। एनआरएचएम के अंतर्गत जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के नियोजन सहित नियोजित मानव संसाधनों के पारिश्रमिक, नियोजन की शर्तें और कार्य विवरण के बारे में निर्णय राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए आईईसी/बीसीसी क्रियाकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी निधियां दी जाती हैं।

कैंसर-चर्या सुविधाएं

3833. श्री के. सुगुमार:
डॉ. शशी थरूर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में केसर-चर्या सुविधाओं के उन्नयन एवं सबलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ स्थान-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मेडिकल कालेजों/अस्पतालों/कैंसर अस्पतालों को चुना गया है और कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार ने जिला अस्पतालों में कैंसर एवं हृदयरोग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सकों को इस हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ङ) पिछले वर्ष, भारत सरकार ने वृहद राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात (एनपीसीडीसीएस) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया हैं संशोधित कार्यक्रम, वृहद कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) के तौर पर सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों एवं तत्कालीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना करता है। ये तृतीयक कैंसर केन्द्र 6.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता बनाने की परिकल्पना करता है। ये तृतीयक कैंसर केन्द्र 6.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं (केन्द्र सरकार से 4.80 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रुपए।

टीसीसी योजना के अंतर्गत 6 संपूर्ण प्रस्तावों नामत: इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला (हिमाचल प्रदेश), गुरु गोबिन्द सिंह मेडिकल कालेज व अस्पताल, फरीदकोट (पंजाब) एमएनजे ऑकोलोजी संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), मालाबार कैंसर केन्द्र, थालासेरी (केरल) और मिजोरम राज्य कैंसर संस्थान आइजाल (मिजोरम) को गैर अनावर्ती सहायता अनुदान के लिए भारत सरकर के शेयर के तौर पर 4. 80 करोड़ रुपए (प्रत्येक) की निर्मुक्ति के लिए दिनांक 15 नवम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में रेडियोथैरेपी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम नैदानिक सेवाओं, बुनियादी कैंसर शल्य चिकित्सा व कैमोथिरेपी सुविधाओं के लिए जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना करता है। प्रति रोगी 1.00 लाख रुपए की दर से प्रति जिले 100 रोगियों के उपचार हेतु कैंसर रोगियों के लिए अपेक्षित केमोथिरेपी औषधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

यह कार्यक्रम कार्डियक परिचर्या सुविधाओं के लिए एनसीडी क्लीनिक को स्थापित करके और मानव संसाधनों सहित कार्डियक उपकरणों को प्रदान करके जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना करता है।

चिकित्सा शिक्षा

3834. डॉ. कृपारानी किल्ली:
योगी आदित्यनाथ:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में चिकित्सा शिक्षा में अमूल परिवर्तन करने हेतु इसे सुकर बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यसमूह की सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) द्वारा तैयार किए गए परिदृश्य दस्तावेज का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का भारतीय पद्धतियों के साथ समन्वय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां

(ख) और (ग) संसद के संयुक्त सत्र को 4 जून, 2009 को दिए गए अपने भाषण में माननीय राष्ट्रपति ने वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान हेतु एकछत्र विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग के गठन के लिए सरकार की इच्छा को घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग की स्थापना के विषय पर चर्चा करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग के निर्माण के लिए प्रारूप विधेयक सहित रिपोर्ट को राज्य सरकारों को उनके मत देने के लिए भेजा गया था। राज्यों और साथ ही आम जनता से प्राप्त हुई टिप्पणियों/सुझावों के बाद कार्यदल को प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग के प्रारूप विधेयक को अन्तम रूप देने के अधिदेश के साथ पुनर्गठित किया गया था। इन कार्यदलों की सिफारिशों और अन्तर-मंत्रालयी परामर्शों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग की स्थापना के विधायी प्रस्ताव को तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्मित परिदृश्य दस्तावेज 2015 का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नीतिशास्त्र बनाना है ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं रुझानों के अनुरूप बनाया जा सके।

(ङ) सरकार के पास एलोपेथिक प्रणाली को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक

3835. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री लालचंद कटारिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, आज की स्थिति में कितने ग्रामीण बैंक व उनकी शाखाएं हैं;

(ख) क्या उक्त बैंकों के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन, भत्तों व पेंशन का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त बैंकों के कर्मचारियों को दी जा रही वार्षिक पेंशन की राशि, गरीबी रेखा के वाले किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की निर्धारित अधिकतम सीमा से भी कम बैठती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार इस समय देश में 16001 शाखाओं के 'नेटवर्क' के साथ 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31 जनवरी, 2001 तथा 7 मार्च, 2002 के निर्णय के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूरक भत्ते को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समनुरूप श्रेणियों के कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है। अन्य भत्तों के संबंध में अलग-अलग प्रायोजक बैंक को अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ बातचीत करना अपेक्षित है।

(घ) से (च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत मिलनेवाले लाभ, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत दिए जाते हैं तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ये लाभ देय हैं।

गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य

3836. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का सुनिश्चियन करने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का गर्भवती महिलाओं को पोषक भोजन तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत और इसके नियंत्रणाधीन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II के अन्तर्गत देश भर में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं सुलभता बढ़ाने का प्रयास करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसव उपरांत परिचर्या प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है:

- गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों की सम्पूरक खुराक से रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार सहित प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर परियर्चा सेवाओं की व्यवस्था।

- प्रसव पूर्व शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आयोडीन अल्पता जन्य विकारों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए परिवार स्तर पर आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग को बढ़ावा देना।

- प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसव उपरांत परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं की नाम आधारित ट्रेकिंग।

- माताओं एवं बच्चों को प्रदान की जा रही प्रसव पूर्व परिचर्या, प्रसव उपरांत रोग प्रतिरक्षण की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर माता एवं बाल सुरक्षा कार्ड।

- जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।

- 24 घंटे मातृ परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल एककों के रूप में समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (24.7) का प्रचालन।

- पौषणिक परामर्श एवं पौषणिक शिक्षा सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए आउटरीच कार्यकलाप के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का क्षमता निर्माण।

- बुनियादी एवं व्यापक प्रसूति परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का क्षमता निर्माण।

- समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मांग सृजित करना और उनकी सुलभता को सुगम बनाने के लिए 8 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई पहल शुरू की गई है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को बिल्कुल नि:शुल्क एवं व्यय रहित सुविधा की हकदारी प्रदान करती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिनों के लिए तथा सिजेरियन सेक्शन के लिए 7 दिनों के लिए नि:शुल्क औषध और उपभोज्य, नि:शुल्क नैदानिक सामग्री, आवश्यकतानुसार नि:शुल्क रक्त एवं आहार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र नियंत्रण में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरु किया है।

इस पहल में घर से संस्थान तक, रेफरल के मामले में सुविधा केन्द्रों के बीच तथा वापस घर पहुचाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। जन्म के बाद 30 दिनों तक उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों उपचार के लिए जाने वाले सभी बीमार नवजात शिशुओं के लिए ऐसी ही हकदारियां प्रदान की गई हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नि:शुल्क हकदारियां प्रदान करने के लिए वर्ष 2011-12 हेतु राज्यों को 1437 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

(ङ) यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समग्र नियंत्रणाधीन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भाग के रूप में 1 जून, 2011 को शुरु किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

3837. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग, आयकर इत्यादि जैसे वित्तीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की राशि को दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के खाते में जमा न किए जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में बैंकों के प्रबंध निदेशकों की क्या भूमिका है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडलों के अनुमोदन से विशेष रूप से भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी मियादी जमा सकीम तैयार कर सकते हैं जिसके तहत किसी प्रकार की सामान्य जमाराशि पर मिलने वाले ब्याज की उच्चतर और निश्चित दर की तुलना में अधिक दर वाले ब्याज की पेशकश की गई हो। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में नामितियों के लिए जमाराशियों के स्वत: अंतरण की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। उपयुक्त अतिरिक्त ब्याज किसी प्रकार के अनिवासी जमाराशियों पर लागू नहीं हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बैकिंग लोकपाल कार्यालय को प्राप्त पेंशन संबंधित शिकायतों की कुल संख्या क्रमश: 2916, 4831 और 5810 थी। तथापि, प्राप्त शिकायतों के श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार आंकड़े तथा इन शिकायतों के बैंक-वार और क्षेत्र-वार निपटान से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) बैंकों के सीएमडी/प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राप्त अभ्यावेदनों पर तत्काल कार्रवाई हो।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2011 में सभी एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वे नियमित पेंशन, संशोधित पेंशन अथवा पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की बकाया राशि आदि चाहे पेंशन किसी प्रकार का हो (चाहे सामान्य पेंशन, पेंशन राहत (डीए) अथवा पेंशन बकाया) अथवा किसी श्रेणी के पेंशनर (केन्द्र/राज्य/रेलवे/रक्षा/दूरसंचार/स्वतंत्रता सेनानी आदि) को होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब पर बैंक दर और विलंबित अवधि के लिए 2% दण्ड ब्याज की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए और उक्त राशि को बैंक द्वारा पेंशनर से विलंब के लिए कोई दावा प्राप्त करने के बिना ही पेंशन खाते में उसी दिन जमा करा दिया जाना चाहिए।

विद्युत विनिमय द्वारा विद्युत का विक्रय

3838. श्री हर्ष वर्धन:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा विद्युत केन्द्रों के जरिये विद्युत का विक्रय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कितनी विद्युत मात्रा का विक्रय किया गया और इस अवधि में एनटीपीसी को प्रति इकाई विद्युत का कितना औसत मूल्य प्राप्त हुआ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बेची जाने वाली विद्युत की मात्रा का निर्धारण भी एनटीपीसी द्वारा ही किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एनटीपीसी द्वारा देश के विभिन्न राज्य बिजली बोर्डो का राज्य-वार कितनी मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराई गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" पर दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त "ग" पर दिए गए उत्तर परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त "क" से "घ" पर दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आईपीओ की सुपुर्दगी का प्रतिशत

3839. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ मामलों में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की सुपुर्दगी का प्रतिशत आईपीओ के माध्यम से बेचे गए शयरों की संख्या से अधिक या समान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) हाल में हुई गड़बड़ी के जिन मामलों की रिपोर्ट की गई है, उनकी जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सेबी द्वारा एनएसई और बीएसई से प्राप्त सूचनानुसार, 01 जनवरी, 2011 से 05 दिसम्बार, 2011 की अवधि में शिल्पी केबल टेक्नलाजिज लिमिटेड, ब्रुक्स लेबरेटरीज लिमिटेड तथा फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के मामलों को छोड़कर, एक भी स्क्रिप की सुपुर्दगी प्रतिशतता आईपीओ में आबंटित शेयरों की संख्या के बराबर या उससे अधिक नहीं थी। इन मामलों में सूचीयन तिथि को सुपुर्दगी लायक परिमाण की प्रतिशतता क्रमशः 100.95, 100.73 और 100.69 थी।

ध्यातव्य है कि उक्त सुपुर्दगी की प्रतिशतता ग्राहक (सकल) आधार पर परिकलित की गई है। यदि यह प्रतिशतता मद (निवल) आधार पर परिकलित हो तो कतिपय सौदों की संख्याएं घटा दी जाएंगी। इससे सुपुर्दगी प्रतिशतता सभी मामलों में 100 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो जाएगी।

(ख) सेबी बाजार में हमेशा सतर्कता बरतता है। किसी कदाचार की सूरत में, यह संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करता है। प्राधिकारियों ने सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बाजार को बढ़ावा देने तथा बाजार की सुव्यवस्था की रक्षा के लिए प्रणालियों एवं तौर-तरीकों को लागू किया है। इन संस्थापित प्रणालियों में जोखिम प्रबंधन के उन्नत तंत्र शामिल हैं जिनमें ऑनलाइन अनुवीक्षण और निगरानी, नियोजनों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं और सर्किट-फिल्टर इत्यादि भी हैं। इन प्रणालियों एवं तौर-तरीकों की समीक्षा निरंतर की जाती है तथा उभरती जरूरतें पूरी करने हेतु उनमें परिवर्तन भी किया जाता है।

एनपीएस के लिए सीआरए की नियुक्ति

3840. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए एक केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) की नियुक्ति की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या यह एजेंसी 2006 के आईपीओ घोटालों से मुक्त पायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क)जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को नई पेंशन प्रणाली के लिए केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के तौर पर नियुक्त किया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे संगठन अपनी रुचि बताने के लिए पात्र थे जिनके पास केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग और प्रशासन प्रकार्यों में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, 50 करोड़ रु. (पचास करोड़ रुपए) का न्यूनतम पाजीटिव निवल मालियत हो और विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष पांच लाख से अधिक अलग-अलग खातों को संभालने का अनुभव हो। एनएसडीएल को प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद चयनित किया गया था।

(ग) और (घ) आईपीओ अनियमितताओं के मामले में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एनएसडीएल के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां शुरू की हैं। एनएसडीएल के विरुद्ध कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) सेबी ने एनएसडीएल के विरुद्ध 27 अप्रैल, 2006 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निक्षेपागारों की ओर से कतिपय चूक करने/विफल होने का आरोप लगाया गया था और उन्हें प्रबंधन को पुनर्संचरित करने सहित सभी प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई करने का निदेश भी दिया था। एनएसडीएल द्वारा उक्त आदेश को प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण ने प्रबंधन को पुनर्सरचित करने के निदेशों की सीमित सीमा तक अंतरिम स्थगन दिया। बाद में उक्त अपील को इस अभिमत के साथ दिनांक 22 नवंबर, 2007 के आदेश के जरिए निपटाया गया कि उक्त एकपक्षीय आदेश में की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्ट्या थीं और जांच के दौरान एकत्रित सामग्रियों पर विचार करने के उपरांत अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) ऐबी ने 21 नवंबर, 2006 को परित्याग आदेश पारित किया जिसमें एनएसडीएल, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और आठ निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) को 115.82 करोड़ रु. का संयुक्त और पृथक-पृथक रूप से परित्याग करने का निदेश दिया। एनएसडीएल ने 22 नवंबर, 2007 को एसएटी के समक्ष अपील दायर की। एसएटी ने उक्त परित्याग आदेश को निरस्त कर दिया।

(iii) सेबी ने एनएसडीएल पर पांच करोड़ रु. की मौद्रिक शास्ति लगाते हुए 27, अप्रैल, 2007 को न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया जिसे एसएटी के समक्ष चुनौती दी गई। एसएटी ने 14 जनवरी, 2009 को उक्त न्यायनिर्णयन आदेश निरस्त कर दिया।

(iv) सेबी ने एनएसडीएल के विरुद्ध चल रहे अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों को अपने हाथ में लेने और निपटाने के लिए 18 फरवरी 2008 को एक समिति नियुक्त की जिसमें डा. मोहन गोपाल और श्री वी लीलाधर सदस्य थे। समिति ने 4 दिसंबर, 2008 को अपना अंतिम आदेश पारित किया। तदुपरांत, 9 नवंबर, 2009 को सेबी के बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला वि आईपीओ से संबंधित दिनांक 4 दिसंबर, 2008 का आदेश निष्प्रभावी (नान-एस्ट) हो गया और सेबी के संपूर्ण बोर्ड द्वारा इन मामलों का सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। बाद में, सेबी ने 2 फरवरी, 2010 को एनएसडीएल के विरुद्ध कार्यवाहियों का निपटरा करते हुए नया अंतिम आदेश जारी किया। तदुपरांत, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19 जनवरी, 2011 के निदेशों के आधार पर सेबी ने 28 जुलाई 2011 को समिति का दिनांक 4 दिसंबर, 2008 का आदेश जारी किया जिसे पूर्व में निष्प्रभावी (नॉन-एस्ट) मानने का निर्णय दिया गया था। तदुपरांत, एनएसडीएल ने दिनांक 4 दिसंबर, 2008 के उक्त आदेश के विरुद्ध एसएटी के समक्ष अपील दायर की और मामला एसएटी के विचाराधीन है।

बाल अधिकारों के लिए योजना

3841. श्री एम.के. राघवन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवषीय योजना में बाल अधिकार संबंधी प्रावधानों की प्रभावित की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन करवाया है/ शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बाल अधिकारों के संबंध में कुछ नए प्रावधान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपना स्वयं का बाल अधिकार आयोग स्थापित किया है; और

(च) इन आयोगों के साथ समन्वय से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा क्या भूमिका निभाए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का अधिकार दिलाना एक सतत् कार्य है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगा।

(ङ) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत 12 राज्यों में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जा चुकी है।

(च) यद्यपि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सथ औपचारिक संबंध नहीं है, तथापि, बाल अधिकार संरक्षण अर्थात बाल अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों का निपटान बाल अधिकार मुद्दों पर समर्थन, बच्चों के सरोकारों के मुद्दों पर परामश आयोजित करने जैसे विभिन्न मामलों पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग लगातार राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के संपर्क में रहता है।

[हिन्दी]

निवेश निधि

3842. श्री कमल किशोर "कमांडो": क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को निवेश निधि की स्थापना के लिए योजना आयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें इस निधि से निवेश किए जाने का विचार है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था किस हद तक सुदृढ़ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मामलों पर बाहरी संपर्क (इंटरफेस) के समन्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्रियों के समूह के विचारार्थ महत्त्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) ऊर्जा निधि सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रियों के समूह ने 13 अक्टूबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में संप्रभु संपत्ति निधि की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में सहमति दे दी है।

(ग) और (घ) संप्रभु संपत्ति निधि के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी

3843. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी निधि जारी की गयी है और राज्यों द्वारा व्यय की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यकलाप में समुदाय की भागीदारी एक कोर कार्नीति है। इसे निम्नलिखित के माध्यम से किया गया है:

- स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान का निरीक्षण करने में समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए सुविधा स्तर पर रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं।
- ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों (वीएचएसएनसी) का गठन।
- सरकार ने समुदाय मानीटरिंग की प्रक्रिया को सुकर बनाने और मिशन के लिए समुदाय की भागीदारी को विकसित करने और स्वामित्व के तरीकों पर सलाह देने के लिए समुदाय कार्यवाही सलाहकार समूह (एजीसीए) का गठन किया है।
- समुदाय और स्वास्थ्य सुविधा के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए आशा को नियोजित किया है।
- एनआरएचएम में वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन के माध्यम से एक सख्त मानीटरिंग तंत्र की व्यवस्था है। इन समीक्षा मिशनों के सदस्यों में सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है।

रोगी कल्याण समितियों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समितियों के गठन और आशा के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) एनआरएचएम के अंतर्गत समुदाय की भागीदारी से संबंधित कार्यकलापों सहित निर्मुक्त की गई और राज्यें द्वारा खर्च की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

आशा, आरकेएस एवं वीएचएसएनसी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित एवं तैनात किए गए आशाओं की संख्या	आकेएस पंजीकृत एवं सुविधाएं	वीएचएसएनसी गठित
1	2	3	4	5
1.	बिहार	69402	1446	8046
2.	छत्तीसगढ़	60092	903	19088
3.	हिमाचल प्रदेश	16888	577	3243
4.	जम्मू और कश्मीर	9500	560	6788
5.	झारखंड	40115	481	30011
6.	मध्य प्रदेश	48159	1574	44438
7.	ओडिशा	40765	1663	46928
8.	राजस्थान	40310	1944	43440
9.	उत्तर प्रदेश	135130	3736	51494
10.	उत्तराखंड	11086	325	15431
11.	अरुणाचल प्रदेश	3862	154	3012
12.	असम	27926	1083	26816
13.	मणिपुर	3878	97	3878
14.	मेघालय	6250	148	6250
15.	मिजोरम	987	77	815
16.	नागालैंड	1700	162	1278
17.	सिक्किम	666	28	641
18.	त्रिपुरा	7367	105	1040
19.	आन्ध्र प्रदेश	70700	1980	21916
20.	गोवा	0	14	260
21.	गुजरात	28809	1515	17751

1	2	3	4	5
22.	हरियाणा	12825	471	6280
23.	कर्नाटक	32939	2547	25200
24.	केरल	30719	1168	19560
25.	महाराष्ट्र	56854	3085	39820
26.	पंजाब	15481	615	13104
27.	तमिलनाडु	2650	1853	15158
28.	पश्चिम बंगाल	29552	1352	25284
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	407	27	275
30.	चंडीगढ़	30	3	22
31.	दादरा और नगर हवेली	85	2	70
32.	दमन और द्वीव	0	7	28
33.	दिल्ली	2680	193	324
34.	लक्षद्वीप	83	10	9
35.	पुडुचेरी	0	47	99
	कुल	807897	29952	497797

विवरण II

वित्तीय वर्षों 2005-06 से 2011-12 के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन निर्मुक्त तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.96	9.11	5.32	8.26	9.90	8.28	5.60	13.01	9.01	1071	12.56	12.76
2.	आंध्र प्रदेश	309.93	302.84	216.44	424.83	383.97	405.91	628.43	608.94	505.18	663.37	638.73	700.13
3.	अरुणाचल प्रदेश	19.03	29.35	17.57	30.78	49.88	31.27	47.991	44.50	47.62	4395	36.51	57.69
4.	असम	234.67	137.79	84.60	513.21	346.96	21253	637.84	602.15	547.47	63894	606.89	696.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	बिहार	382.89	255.51	186.69	556.68	361.89	23564	59066	350.24	423.25	777.70	621.18	783.19
6.	चंडीगढ़	3.79	427	3.14	5.68	4.50	3.48	6.48	6.45	4.11	8.04	5.31	6.47
7.	छत्तीसगढ़	11922	94.13	107.37	17421	149.11	187.69	22260	190.85	197.77	259.35	249.72	162.12
8.	दादरा और नगर हवेली	22.02	2.13	1 46	2.72	2.71	171	3.08	2.36	2.85	3.46	3.28	3.86
9.	दमन और द्वीव	20.22	224	1.64	2.63	3.48	1.86	2.79	1.98	2.43	3.07	260	2.41
10.	दिल्ली	30.21	24.92	24.99	53.51	37.12	31.95	77.73	55.31	51.06	100.37	9962	55.68
11.	गोवा	5.88	5.65	3.00	9.08	332	4.17	11.71	5.07	6.92	13.62	14.03	8.8
12.	गुजरात	210.69	21471	132.55	299.08	255.83	225.40	369.20	394.93	306.81	414.07	32.81	49543
13.	हरियाणा	79.12	8313	5461	117.96	114.84	76.96	137.25	11579	9857	16620	165.02	18773
14.	हिमाचल प्रदेश	47.01	5857	39.47	5602	70.99	57.04	67.32	52.41	56.55	77.74	64.21	94.84
15.	जम्मू और कश्मीर	74.62	69.36	17.52	66.16	49.14	51.42	87.02	160.45	75.27	102.24	76.48	111.94
16.	झारखंड	114.48	129.00	13535	216.20	158.64	91.89	26654	159.15	124.99	294.00	1247.27	299.30
17.	कर्नाटक	213.74	197.45	153.50	30274	253.80	194.34	393.94	297.32	275.29	461.83	437.84	428.94
18.	केरल	119.23	110.08	102.62	173.98	151.40	39.50	236.40	293.86	144.03	253.61	222.88	331.20
19.	लक्षद्वीप	1.28	1.72	0.77	1.69	1.71	0.93	1.79	1.08	0.62	2.13	1.22	2.58
20.	मध्य प्रदेश	292.94	256.87	181.55	413.20	410.89	353.36	689.95	61.09	645.70	60902	707.88	686.97
21.	महाराष्ट्र	348.28	328.92	230.17	52224	304.74	229.25	603.58	672.52	550.76	779.15	587.43	873.15
22.	मणिपुर	31.83	29.99	14.99	5298	37.26	20.40	65.91	49.27	40.99	6634	56.58	62.06
23.	मेघालय	26.62	2.52	1026	5234	35.421	19.48	61.26	43.04	32.70	65.48	44.76	51.27
24.	मिजोरम	27.84	25.17	17.00	26.69	50.31	28.73	3746	32.67	56.22	40.24	3744	54.26
25.	नागालैंड	25.21	30.41	17.72	45.95	41.69	36.23	55.20	144.75	4345	57.96	56.23	57.65
26.	ओडिशा	198.29	206.43	135.38	284.86	220.18	195.18	383.55	387.16	295.07	392.88	3880	334.05
27.	पुडुचेरी	2.32	3.81	3.50	4.24	5.66	8.66	9.41	4.71	7.14	11.31	5.12	7.29
28	पंजाब	81.88	90.7	65.45	130.4	138.90	86.62	161.69	107.84	111.64	185.8	18300	190.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	राजस्थान	281.32	293.4	201.24	398.52	406.45	299.48	571.85	660 90	537.65	596.53	798.15	909.16
30.	सिक्किम	7.66	9.12	7.84	12.76	24.15	9.87	17.49	34.27	13.39	21.44	19.88	50.62
31.	तमिलनाडु	238.52	251.22	206.17	336.87	332.64	321.48	430.31	546.56	392.74	515.70	501.60	534.42
32.	त्रिपुरा	32.49	29.09	20.34	67.52	38.40	29.85	85.62	79.04	38.28	88.32	77.58	68.73
33.	उत्तर प्रदेश	726.07	793.97	573.24	1130.39	894.56	703.82	1325.09	1258.77	956.47	1727.59	1474.91	1546.06
34.	उत्तराखंड	48.83	50.29	40.63	66.20	44.31	46.99	91.33	89.20	72.74	100.16	98.44	132.48
35.	पश्चिम बंगाल	286.24	281.86	190.05	436.86	379.52	263.30	544.72	525.23	335.33	639.93	539.79	563.55
	कुल योग	4633.39	4433.75	3204.17	6997.05	5774.30	4518.68	8928.85	8508.87	7010.07	10192.23	9625.09	10565.10

नोट:

वित्तीय वर्षो 2009-10 व 2011-12 (30.9.2011 तक) का व्यय अनन्तिम है।

आर सी एच, मिशन फ्लेक्सिबल पल, नेमी प्रतिरक्षण दिनांक 30.11.2011 तक और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिनांक 15.11.2011 तक वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्मुक्तियां

वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2011-12 के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन निर्मुक्त तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.09.2011 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	2,062.77	1,094.82	5,361.39	3,368.58	1,348.07	1,528.26	5,552.35	716.25
2.	छत्तीसगढ़	983.80	49.49	2,764.75	1,026.97	2,671.45	1,427.76	2,643.6	1,393.40
3.	हिमाचल प्रदेश	679.90	193.57	698.90	655.07	698.60	701.19	680.15	46.17
4.	जम्मू और कश्मीर	426.95	200.63	1,084.75	574.93	518.55	531.94	527.30	92.05
5.	झारखंड	1,561.50	362.62	2,575.30	470.32	2,575.30	4,674.52	3,576.40	1,247.68
6.	मध्य प्रदेश	6,578.30	886.22	6,880.55	1,760,54	6,882.95	3,760.53	5,785.90	974.21
7.	ओडिशा	842.80	817.21	1,133.30	10,692.11	5,856.85	5,519.89	5,0.587	502.91
8.	राजस्थान	6,309.00	5,377.99	8,445.35	6,329.98	4,075.35	4,313.52	5,778.20	677.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	उत्तर प्रदेश	8,089.65	5,619.48	13,896.75	12,345,01	13,228.30	10,779.69	8,379.25	77.97
10.	उत्तराखंड	962.45	430.40	1,229.90	285.65	1,953.00	3,266.43	1,806,85	104.65
पूर्वोत्तर राज्य									
11.	अरुणाचल प्रदेश	281.75	72.36	281.75	192.48	365.25	320.24	378.05	28.76
12.	असम	3,286.40	2,529.10	3,382.89	2,642.83	3,350.91	3,350.90	3,386.60	526.62
13.	मणिपुर	385.90	282.88	388.80	430.26	388.80	464.57	415.75	126.24
14.	मेघालय	696.55	356.61	709.40	224.26	703.85	618.39	637.15	50.10
15.	मिजोरम	136.85	140.55	138.25	137.65	138.25	86.25	138.75	109.73
16.	नागालैंड	210.00	70.72	199.00	140.83	203. 40	322.28	208.85	-
17.	सिक्किम	67.90	132.34	86.40	105.57	85.40	81.61	84.80	27.86
18.	त्रिपुरा	191.15	169.59	197.65	225.60	201.40	216.41	197.50	21.55
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य									
19.	आंध्र प्रदेश	3,939.55	3,593.76	4,560.25	-	3,977.30	2,041.26	3,985,90	367.14
20.	गोवा	62.85	23.08	76.65	7.76	90.85	35.57	56.70	16.18
21.	गुजरात	2,938.85	2,235.17	4,129.60	2,314.69	2,883.55	2,262.52	2,942.35	421.14
22.	हरियाणा	1,233.50	-	1,016.70	1,307.79	1,021.94	877.60	1,021.90	49.90
23.	कर्नाटक	4,947.00	6,634.45	4,645.15	1,941.74	4,487.15	3,137.75	4,302.90	577.08
24.	केरल	3,075.20	1,523.99	2,741.40	2,202.57	2,737.15	2,737.15	2,860.30	809.26
25.	महाराष्ट्र	1,834.25	3,961,11	6,057.90	1,763.12	6,007.70	5,068.61	5,913.00	690.09
26.	पंजाब	1,701.20	2,259.26	1,721.60	1,898.55	1,800.55	1,788.91	1,781.80	354.35 1
27.	तमिलनाडु	2,741.65	3,330.53	3,044.65	1,060.81	3,070.10	2,652.72	2,999.15	1,075.40
28.	पश्चिम बंगाल	1,265.85	1,105.17	5,517.30	3,422.82	5,518.30	5,571.32	5,218.85	546.55
छोटे राज्य संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	72.37	44.45	39.77	44.45	36.69	45.65	3.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	2.60	1.86	2.55	2.06	6.80	6.20	4.80	1.10
31.	दादरा और नगर हवेली	13.00	4.14	12.80	4.66	14.00	4.83	14.00	-
32.	दमन और दीव	8.50	5.37	9.80	6.38	7.15	1.42	7.15	1.11
33.	दिल्ली	26.35	1.12	46.75	-	225.00	-	78.90	0.03
34.	लक्षद्वीप	-	0.36	6.50	0.50	1.50	22.64	4.80	0.65
35.	पुडुचेरी	30.95	20.54	34.11	35.67	29.75	34.87	22.80	5.83
	कुल योग	57,574.92	44,058.92	83,123.24	57,637.53	77,168.92	68,244.44	76,894.32	11,643.02

नोट:

वित्तीय वर्षों 2009-10 व 2011-12 (30.9.2011 तक) का व्यय अनन्तिम है।

आर सी एच, मिशन फ्लेक्सिबल पल, नेमी प्रतिरक्षण दिनांक 30.11.2011 तक और अन्य कार्यक्रमों के लिए दिनांक 15.11.2011 तक वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्मुक्तियां

राजीव आरोग्यश्री चिकित्सा योजनाएं

3844. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राजीव आरोग्यश्री चिकित्सा योजना की वर्तमान स्थिति के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) उत्तर प्रदेश में राजीव आरोग्यश्री चिकित्सा योजना कार्यान्यन नहीं है।

(ख) केन्द्र सरकार ने इस उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि प्रदान नहीं की है।

बिहार को जनजातियों के लिए विशेष पैकेज

3845. श्री मोहम्मद असरारुल हक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए बिहार राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष पैकेज के अधीन निधियां प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में ऊर्जा, सड़क, संपर्क, सिंचाई, वानिकी तथा वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए एक विशेष योजना निरूपित की गई है। योजना आयोग विशेष योजना का प्रशासन कर रहा है तथा निधियां 100% अनुदान आधार पर निर्मुक्त कर दी जाती है दसवीं योजना अवधि के दौरान विशेष योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अबंटन किया गया था। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इतनी ही आबंटन अनुमोदित कियाा गया था। वर्ष 2010-11 के लिए इस आबंटन में 2000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2011-12 के लिए 1470 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अब निर्णय लिया गया था।

बिहार राज्य के लिए वार्षिक योजना 2011-12 हेतु 2,400,000.00 लाख रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय में से 1305314.37 लाख रुपए (कुल परिव्यय का 54.38%) एससीएसपी, टीएसपी, बीआरजीएफ तथा अन्य घटकों सहित प्राथमिकता वाली परियांजनाओं/योजनाओं के लिए रखा गया है। सरकार ने जनजातीय उपयोजना के लिए 26924.65 लाख रुपए निर्धारित किए हैं, जो वार्षिक योजना 2011-12 के लिए राज्य के कुल परिव्यय का 1.12% है। अनुसूचित जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का 0.91 हैं।

इस समय, अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

शेयर बाजार में एलआईसी का निवेश

3846. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शेयर बाजार में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान शेयर बाजार में इस प्रकार के निवेशों से एलआईसी द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शेयर बाजार में निवेश किया है।

(ख) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा अक्तूबर, 2011 तक शेयर बाजार में विए गए निवेश एवं ऐसे निवेशों से अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	इक्विटी में निवेश	निवेशों से प्राप्त लाभ (करोड़ रु. में)
2008-09	40,459.68	2,591.18
2009-10	61,398.13	9,432.25
2010-11	43,213.60	17,055.36
अप्रैल से अक्तूबर 2011	21,294.80	6,542.72

[हिन्दी]

वनों में पेयजल की सुविधा

3847. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री यशवंत लागुरीः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातियों को वनों में पेयजल लाने हेतु कई किलोमीटर चलना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनजातियों को वनों में ही उनके गांवों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि मंत्रालय ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर अधिवासों के कवरेज द्वारा पेयजल आपूर्ति के प्रावधान की निगरानी करता है। आईएमआईएस आंकड़ों के अनुसार 01.04.2011 तक देश में सकेन्द्रित 3,57,727 अनुसूचित जनजातियों के अधिवासों में से 2,34,312 अधिवासों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति से कवर कर लिया गया है, 96.702 अधिवासों को आंशिक रूप से कवर किया जाता है तथा 26,713 गुणवत्तापरक प्रभावित अधिवास हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12 से इस मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के संकेंद्रित अधिवासों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत वार्षिक आबंटन का 10% समर्पित किया है। इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यू के तहत निधियों के आबंटन के मानदंडों में ग्रामीण अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) की जनसंख्या को महत्त्व दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मीटर के उन्नतांश की सीमा जो पूर्व में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडीडब्ल्यूपी) में प्रचलन में थी के दिशानिर्देश हैडपंप जैसी जल आपूर्ति सुविधा के प्रावधान के लिए नए एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों में हटाया गया है। इसी प्रकार प्रति हैडपंप 250 व्यक्तियों की जनसंख्या मानदंड को हटाया गया है तथा राज्य अपने स्वयं के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। 100 व्यक्तियों से कम अधिवासों सहित सभी अधिवासों को एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देश के तहत पेयजल आपूर्ति के प्रावधान कवर किए जाएंगे। दिशानिर्देशों में ये बदलाव वनों में अनुसूचित जनजाति के सकेन्द्रित अधिवासों सहित इन अधिवासों को पेयजल को बेहतर कवरेज में लाएंगे।

पवन चक्की

3848. श्रीमती ज्योति धुर्वेः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि में पवन चक्कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में पवन चक्कियों की स्थापना के लिए किसी नए स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) अक्टूबर, 2011 तक देश में 15683 मेवा. की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई हे। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पवन संसाधन मूल्यांकन करने के लिए पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई के माध्यम से मंत्रालय द्वारा देश में 653 पवन मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। स्थलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता (दिनांक 30.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	212.65
गुजरात	2494.88
कर्नाटक	1848.70
केरल	35.10
मध्य प्रदेश	275.90
महाराष्ट्र	2481.75
राजस्थान	1764.95
तमिलनाडु	6565.05
अन्य	4.30
कुल	15683.28

विवरण II

राज्यवार पवन मानीटरिंग स्टेशन (दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित पवन मॉनीटरिंग स्टेशनों की कुल संख्या (एमएनआरई)
1	2	3
1.	तमिलनाडु	68
2.	गुजरात	69
3.	ओडिशा	9
4.	महाराष्ट्र	112
5.	आंध्र प्रदेश	78
6.	राजस्थान	36
7.	लक्षद्वीप	9
8.	कर्नाटक	49
9.	केरल	27
10.	छत्तीसगढ़	7
11.	मध्य प्रदेश	37
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19
13.	उत्तराखंड	11
14.	हिमाचल प्रदेश	6
15.	पश्चिम बंगाल	10
16.	पुडुचेरी	4
17.	पंजाब	10
18.	जम्मू और कश्मीर	24
19.	हरियाणा	6
20.	झारखंड	3
21.	उत्तर प्रदेश	11
22.	गोवा	4
23.	बिहार	5
24.	अरूणाचल प्रदेश	6
25.	असम	6
26.	त्रिपुरा	5
27.	मणिपुर	8

1	2	3
28.	मिजोरम	4
29.	सिक्किम	4
30.	नागालैंड	3
31.	मेघालय	3
	कुल	653

[अनुवाद]

इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1

3849. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री के. सुगुमार:
श्री जगदीश ठाकोर:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों से विश्वव्यापी महामारी इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 के नए मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से ठीक हुए और मृत व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उक्त इन्फ्लुएंजा के मरीजों के समुचित निदान तथा उपचार के लिए कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी गयी;

(घ) उक्त इन्फ्लुएंजा से बचाव तथा उसके उपचार के लिए बाह्य एजेंसियों से कितनी निधियां तथा अन्य सहायता प्राप्त हुई हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश में विदेशियों से आगमन के समय उनकी जांच करने के लिए क्या कार्य-योजना बनायी गई है तथा उस अवधि के दौरान इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 के लिए पॉजिटिव पाए गए विदेशियों की संख्या कितनी है; और

(च) संबंधित औषधियों और टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में टेमी फ्लू की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) यह विश्वमारी कम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है कि एच1एन1 इन्फ्लुएंजा विश्वमारी विश्वमारी-पूर्व स्थिति में पहुंच गई है। विश्वमारी इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 विषाणु अब मौसमी इन्फ्लुएंजा विषाणु के रूप में फैल रहा है और देश भर में कुछ ही मामलों की सूचना दी गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों को दी गई तकनीकी सहायता निम्नलिखित है:-

- राज्य त्वरित प्रतिक्रिया दलों और फिजिशियनों को प्रशिक्षण।
- ओजेलटामिविर, विश्वमारी इन्फ्लुएंजा का उपचार करने वाली इस औषधि का प्रापण केन्द्रीय स्तर पर किया गया था और इसे राज्यों को प्रदान किया गया था।
- वैक्सीकृत किए गए सभी राज्यों में विश्वमारी एन1एन1 टीके की 1.5 मिलियन खुराकों का प्रापण और स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों का प्रबंध किया गया।
- राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय भंडारण से निजी सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क दिए गए।
- सरकारी क्षेत्र में 26 प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क ने सभी राज्यों को प्रयोगशाला सहायता प्रदान की।
- सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण सामग्रियां तैयार की गई और सभी राज्यों को दी गई। इसके अतिरिक्त जनजागरुकता सृजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक मीडिया अभियान आरम्भ किया गया था।
- राज्यों को रोगियों, प्रयोगशाला जांच और नैदानिक प्रबंधन पर दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रापत 2.4 करोड़ की निधियों का प्रयोग त्वरित प्रतिक्रिया दलों और फिजिशियनों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस विश्वमारी से निपटने के लिए तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान किए।

(ङ) इस विश्वमारी के प्रारंभिक समय (2009 में) के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 22 अर्न्तार्ष्ट्रीय हवाई अड्डों, 9 बंदरगाहों और निर्धारित स्थल क्रॉसिंगों पर प्रवेश जांच आरम्भ की थी। 10 मिलियन से अधिक यात्रियों की जांच की गई थी। जांच के माध्यम से प्रयोगशालाओं द्वारा पुष्टि किए गए लगभग 600 रोगियों का पता लगाया गया था। भारत में समुदाय के मध्य फैलाव के पश्चात प्रवेश जांच को जनवरी, 2010 से बन्द कर दिया गया।

(च) ओजेल्टीमिविर औषधि और एच1एन1 टीके के देशीय निर्माण को सुगम किया गया था। केन्द्रीय भंडारण और राज्य सरकारों के पास ओजेल्टीमिविर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। शड्यूल एक्स औषधि लाइसेंस रखने वाले खुदरा कैमिस्टों के माध्यम से भी यह औषधि उपलब्ध हैं इस विश्वमारी टीके के चार देशीय निर्माता हैं।

विवरण

इन्फ्लुएंजा एच1एन1: वर्ष 2009, 2010 और 2011 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/वर्ष	16-मई-2009 से 31-दिसम्बर-2009			01-जनवरी-2010 से 31-दिसम्बर-2010			01-जनवरी-2011 से 11दिसम्बर 2011		
		मामले	मृत्यु	रोग मुक्त	मामले	मृत्यु	रोग मुक्त	मामले	मृत्यु	रोग मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	दिल्ली	8439	72	8367	2725	77	2648	25	2	23
2.	आंध्र प्रदेश	777	52	725	733	49	684	11	1	10
3.	कर्नाटक	1872	138	1734	2575	116	2459	99	12	87
4.	तमिलनाडु	2062	7	2055	1184	13	1171	34	4	30
5.	महाराष्ट्र	4594	270	4324	6814	669	6145	25	5	20
6.	केरल	1579	32	1547	1533	89	1444	210	10	200
7.	पंजाब	114	33	81	139	14	125	46	14	32
8.	हरियाणा	1888	34	1854	182	16	166	6	4	2
9.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	257	8	249	75	0	75	0	0	0
10.	गोवा	63	5	58	68	1	67	7	0	7
11.	पश्चिम बंगाल	135	0	135	121	4	117	0	0	0
12.	उत्तराखंड	129	10	119	25	7	18	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	14ज	7	7	10	3	7	14	3	11
14.	जम्मू और कश्मीर	93	2	91	20	2	18	13	1	12
15.	गुजरात	697	125	572	1682	363	1319	7	4	3
16.	मणिपुर	1	0	1	1	0	1	0:	0	0
17.	मेघालय	8	0	8	0	0	0	0:	0	0
18.	मिजोरम	4	1	3	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	असम	47	1	46	5	1	4	0	0	0
20.	झारखंड	1	0	1	1	0	1	0	0	0
21.	राजस्थान	3032	150	2882	1710	153	1557	35	11	24
22.	बिहार	7	0	7	0	0	0	1	0	1
23.	उत्तर प्रदेश	1215	14	1201	376	29	347	53	0	53
24.	पुडुचेरी	87	6	81	50	6	44	1	0	1
25.	छत्तीसगढ़	46	2	44	50	12	38	0	0	0
26.	मध्य प्रदेश	20	8	12	395	110	285	9	4	5
27.	दमन और दीव	1	0	1	0	0	0	0	0	0
28.	ओडिशा	26	3	23	92	29	63	0	0	0
29.	नागालैंड	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहे	251	0	25	2	0	2	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	2	0	2	0	0	0
	कुल	27236	981	26255	20570	1763	18807	596	75	521

शताब्दी विकास लक्ष्य

3850. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री धनंजय सिंह:
श्रीमती हरसिमरत कौर:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शिशु मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर अन्य विकासशील देशो की तुलना में अभी भी अधिकतम में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने शताब्दी विकास के लक्ष्यों के अधीन इसके संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हो तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं। जिन्हें इस संबंध में सफलता मिली है; और

(च) सरकार द्वारा विशेषकर अधिक शिशु मृत्यु-दर वाले राज्यों में इस समस्या के समाधान के लिए कौन-कौन से प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, नहीं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2015 तक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- 5 वर्ष से कम आये में मृत्यु दर: प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 38
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्मों पर 28
- मातृ मृत्यु अनुपात: 1,00,000 जीवित जन्मों पर 106

(ङ) और (च) राज्य जिन्होंने पहले से ही सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं: 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर के संबंध में दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु और मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं:

देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

(1) **जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना:** कुशल परिचरों द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दोनों में ही कमी लाने के लिए प्रमुख है। जेएसवाई को शुरू करने से लेकर संस्थागत प्रसवों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005 में 7.39 लाख से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 113.38 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के आधारभूत ढांचे को भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक प्रसूति परिचर्या सेवाएं और आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

(2) **गर्भवती महिलाओं के लिए बुनियादी और प्रसूति परिचर्या सेवाओं पर बल:** 24x7 के आधार पर और व्यापक प्रसूति परिचर्या प्रदान करने के लिए उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के प्रचालन को सुनिश्चित किया गया है।

(3) **बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या पर बल:** बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए सुविधा केन्द्र जैसे कि विशेष नवजात परिचर्या एकक, नवजात स्थिरीकरण एकक और विभिन्न स्तरों पर नवजात शिशु कार्नरों को स्थापित करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। इस समय, 293, एसएनसीयू, 1134 एनबीएयू और 8582 एनबीसीसी कार्य कर रहे हैं।

(4) **स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण:** बच्चों के सामान्य रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, माताओं की परिचर्या के चिकित्सकों, नर्सों और एएनएम को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण हैं: आईएमएनसीआई, एनएसएस के, एसबीए, एलएसएएस, ईएमओसी, बीएमओसी आदि।

(5) **महिलाओं में रक्ताल्पता का उपचार:** प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या जिसमें रक्ताल्पता के निवारण और उपचार के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन और फालिक एसिड संपूरण शामिल है, पर बल दिया जाता है।

(6) **कुपोषण का प्रबंधन:** चूंकि कुपोषण से बच्चों की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, अतः इससे बच्चों में मृत्यु और रुग्णता में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुपोषण के प्रबंधन और सूक्ष्म पोझाकों पर बल दिया गया है। अत्यधिक तीव्र कुपेषण के प्रबंधन और सूक्ष्म पोषकों पर बल दिया गया है। अत्यधिक तीव्र कुपोषण के प्रबंधन के लिए 480 पौषणिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। चूंकि स्तनपान से नवजात मृत्यु में कमी होती है, इसलिए पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से केवल स्तनपान करना और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की समाभिरूपता समन्वय से शिशु तथा छोटे बच्चों के उपयुक्त आहर चलनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माताओं को पौषणिक परामर्श प्रदान करने और बाल परिचर्या पद्धतियों में सुधार लाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य और पौषणिक दिवस आयोजित किए जाते हैं।

(7) **व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम:** टीकारण अनेक जीवन घातक रोगों यथा क्षयरोग, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा से बचाव के लिए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चे, प्रति वर्ष वैक्सीन निवार्य सात रोगों से प्रतिक्षित हो जाते हैं। भारत सरकार, वैक्सीनों और सीरिजों, कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति और प्रचलनात्मक लागतों के प्रावधान द्वारा वैक्सीन कार्यक्रम में सहायता करती है।

(8) विगत दो वर्षों में नई पहलेः

(क) दिनांक 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसमें सभी गर्भवती महिलाओं और रोगी नवजातों को मुफ्त परिवहन, खाद्य और औषधियों और निदान के लिए प्रावधान है। इस पहल से संस्थागत प्रसव को और बढ़ावा मिलेगा और स्वयं के हुए खर्चो को समाप्त करना, जो माताओं और बीमार नवजातों को संस्थागत परिचर्या प्रप्त करने में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) गृह आधारित नवजात परिचर्याः चूंकि जन्म के प्रथम 28 दिनों में 52 प्रतिशत शिशु मौतें होती हैं इसलिए 250 रु. का प्रोत्साहन प्रदान करके आशा के जरिए आधारित नवजात परिचर्या शुरू की गई है। गृह आधारित नवजात परिचर्या का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर नवजात पद्धतियों में सुधार लाना और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाना और उन्हें रेफर करना है।

(ग) माता और बाल ट्रैकिंग प्रणालीः सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पंजीकरण और उनका पता लगाने (ट्रैकिंग) को सुनिश्चित करने के लिए एक नाम आधारित माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है, जो वेबआधारित है, ताकि उनके लिए नियमित और संपूर्ण सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किए जा सके। दिनांक 23 अक्तूबर, 2011 तक एक करोड़ और अठारह लाख माताओं और 60 लाख बच्चों का पंजीकरण किया गया।

विवरण

विकासशील देशों के साथ भारत में शिशु मृत्यु दर की तुलना

स्थान	देश का नाम	शिशु मृत्यु दर (2009)
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	134
2.	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगों	126
3.	चाढ	124
4.	सीरिया लिओन	123
5.	गुएना बिसाऊ	115
6.	अफ्रीका रिपब्लिक सेंटर	112
7.	सोमालिया	109
8.	बुरून्डी	101
9.	माली	101
10.	अंगोला	98
11.	मोजाम्बिक	96
12.	केमरून	95
13.	बुरकिना फेसो	91
14.	इक्यूटोरियल गूनिया	88
15.	गुणिया	88
16.	नाइजीरिया	86
17.	जाम्बिया	86
18.	Cœte d'Ivoire	83
19.	कांगो	81
20.	लायबेरिया	80
21.	उगांडा	79
22.	द गांबिया	78
23.	नाइजीरिया	76
24.	बेनिन	75
25.	कामोरोस	75
26.	डिजबाउटी	75
27.	मारतानिया	74
28.	पाकिस्तान	71
29.	रवांडा	70
30.	मालवी	69
31.	सूडान	69
32.	कंबोडिया	68
33.	तंजानिया	68

1	2	3
34.	इथोपिया	67
35.	हैती	64
36.	टोगो	64
37.	लिसोथो	61
38.	जिम्बाम्बे	56
39.	केनिया	55
40.	म्यांमार	54
41.	भूटान	52
42.	गैबोन	52
43.	पापुआ न्यू गुनिया	52
44.	सो टोम और प्रिन्सिपल	52
45.	स्वाजीलैंड	52
46.	तजाकिस्तान	52
47.	सेनेगल	51
48.	यमन	51
49.	भारत	50
50.	टीमर लिस्टे	48
51.	घाना	47
52.	लाओसे	46
53.	बोट्सवाना	43
54.	उत्तरी अफ्रीका	43
55.	तुर्कमेनिस्तान	42
56.	बांग्लादेश	41
57.	मदगसगार	41
58.	बोल्बिया	40
59.	इरीटिरिया	39
60.	नेपाल	39
61.	किरीबत्ती	37

1	2	3
62.	नाउरू	36
63.	इराक	35
64.	नाम्बिया	34
65.	गुटमाला	33
66.	मोरक्को	33
67.	किग्रिस्तान	32
68.	फेडरल स्टेट आफ	32
69.	उजबेकिस्तान	32
70.	टिंड्रा एंड टोबाको	31
71.	अजरबेजान	30
72.	इंडोनेशिया	30
73.	सोलोमन द्वीप	30
74.	अल्जीरिया .	29
75.	गुयाना	29
76.	तुबालू	29
77.	डोमिनिकल रिपब्लिक	27
78.	जार्जिया	26
79.	ईरान	26
80.	जाम्बिया	26
81.	कजाकस्तान	26
82.	फिलीपिन्स	26
83.	होन्दूरास	25
84.	मंगोलिया	24
85.	सूरीनाम	24
86.	केप वार्दे	23
87.	जार्डन	22
88.	निकारागुआ	22
89.	सामोआ	21

1	2	3
90.	अरमेनिया	20
91.	इक्यूएडर	20
92.	वियतनाम	20
93.	पैरागुई	19
94.	पेरू	19
95.	सेंट लूसिया	19
96.	तुर्की	19
97.	इजिप्ट	18
98.	साउदी अराबिया	18
99.	टयूनिशिया	18
100.	ब्राजील	17
101.	चीन	17
102.	लिबिया	17
103.	टोंगा	17
104.	बेलिज	16
105.	कोलम्बिया	16
106.	पनामा	16
107.	अल साल्वेडोर	15
108.	फिजी	15
109.	मारीशस	15
110.	मैक्सिको	15
111.	बेनेजुएला	15
112.	अलबानिया	14
113.	सीरिया	14
114.	वनावटू	14
115.	अर्जेटिना	13
116.	बोसिना और हर्सगोविना	13
117.	ग्रेनाडा	13
118.	पलाऊ	13
119.	श्रीलंका	13
120.	सेंट किट्स और नेवीस	13
121.	उक्रेन	13
122.	थाइलैंड	12
123.	एंटीगुआ और बरमूढ़ा	11
124.	बेलारूस	11
125.	लेबनान	11
126.	मालद्वीप	11
127.	रूस	11
128.	सेचेलिस	11
129.	सेंट विंनसेंट एंड द ग्रेसडिनस	11
130.	उरूगुआ	11
131.	बहरीन	10
132.	कोस्टा रिका	10
133.	मॉसडोनिया	10
134.	रोमानिया	10
135.	द बहामास	9
136.	ओमान	9
137.	बुल्गारिया	8
138.	डोमिनिका	8
139.	कुवैत	8
140.	मोंटेनिगरो	8
141.	चिल्ली	7
142.	लटविया	7
143.	यूनिटेड अरब इमीरेट्स	7
144.	मलेशिया	6
145.	मार्सल इजलेंड्स	6

1	2	3
146.	पोलेंड	6
147.	सर्विया	6
148.	हंगरी	5
149.	लिथुनिया	5
150.	क्रोटिया	4
151.	इस्तोनिया	4
152.	साइप्रस	3

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी डब्ल्यू एच ओ, 2011

विकासशील देशों के साथ भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात की तुलना

स्थान	सदस्य देश	जीवित जन्म दर प्रति 100,000 मातृ मृत्यु दर अनुपात (2008)
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1400
2.	चाड	1200
3.	सोमालिया	1200
4.	ग्यूनिया-बिसाऊ	1000
5.	लाइबेरिया	990
6.	बरूण्डी	970
7.	सीरिया लिओन	970
8.	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन	850
9.	नाइजीरिया	840
10.	माली	830
11.	नाइजर	820
12.	यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया	790
13.	जिम्बाम्बे	790
14.	सूडान	750
15.	गूनिया	680
16.	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ द कांगो	670
17.	अंगोला	610
18.	कैमरून	600
19.	कांगो	580
20.	लाओ पील्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	580
21.	बुरकिना फासो	560
22.	मारिटानिया	550
23.	मोजम्बिक	550
24.	रवाण्डा	540
25.	केन्या	530
26.	लेस्थो	530
27.	मालावी	510
28.	कोटो डी ओवार	470
29.	इथोपिया	470
30.	जाम्बिया	470
31.	मेडागास्कर	440
32.	युगाण्डा	430
33.	स्वैजीलैंड	420
34.	बेनिन	410
35.	सेंगल	410
36.	साऊथ अफ्रीका	410
37.	गाम्बिया	400
38.	नेपाल	380
39.	टिमोर लेस्ट	370
40.	घाना	350
41.	टैगो	350
42.	बांग्लादेश	340

1	2	3
43.	कैमोरूस	340
44.	डिजोबउटी	300
45.	हैती	300
46.	कम्बोडिया	290
47.	इक्वैटोरियल ग्यूनिया	280
48.	इरीटा	280
49.	गुयाना	270
50.	गाबोन	260
51.	पाकिस्तान	260
52.	पापुआ न्यूगिनी	250
53.	इण्डोनेशिया	240
54.	म्यांमार	240
55.	भारत	230
56.	यमन	210
57.	भूटान	200
58.	बोट्सवाना	190
59.	बोलिविया (प्लूरीनेशनल स्टेट आफ)	180
60.	नामीबिया	180
61.	इक्वाडोर	140
62.	अल्गेरिया	120
63.	अल सल्वाडोर	110
64.	ग्वेटेमाला	110
65.	होन्डुरस	110
66.	मोरक्को	110
67.	डोमिनिकल रिपब्लिक	100
68.	निकारागुआ	100
69.	सेलामन आइसलैण्ड	100
70.	सूरीनाम	100

1	2	3
71.	पेरू	98
72.	पराग्वे	95
73.	नैलीज	94
74.	कैप वारडे	94
75.	फीलीपीन्स	94
76.	जमौका	89
77.	कोलम्बिया	85
78.	मैक्सिको	85
79.	इजिप्ट	82
80.	किरगिस्तान	81
81.	तुक्रमेनिस्तान	77
82.	ईराक	75
83.	पनामा	71
84.	अर्जेटीना	70
85.	वेनेजुएला (बोलीवरीएन रिपब्लिक)	68
86.	मंगोलिया	65
87.	लीबियन आफ जमाहिरिया	64
88.	तजाकिस्तान	64
89.	ट्यूनिशिया	60
90.	जार्डन	59
91.	ब्राजील	58
92.	वियतनाम	56
93.	त्रिनिदाद एवं टेबैको	55
94.	बहमास	49
95.	जार्जिया	48
96.	थाईलैण्ड	48
97.	सीरियन आफ रिपब्लिक	46
98.	कजाकिस्तान	45

1	2	3
99.	कोस्टारिका	44
100.	रशियन फेडरेशन	39
101.	श्रीलंका	39
102.	उजबेकिस्तान	38
103.	चीन	38
104.	मालदीव	37
105.	मारिट्रियस	36
106.	अल्बानिया	31
107.	मलेशिया	31
108.	ईरान (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ)	30
109.	उजबेकिस्तान	30
110.	अमेरिना	29
111.	रोमानिया	27
112.	उरूग्वे	27
113.	चील	26
114.	फिजी	26
115.	लेबनान	26
116.	उक्रेन	26
117.	सउदी अरबिया	24
118.	तुर्की	23
119.	लाटाविया	20
120.	ओमान	20
121.	बहरीन	19
122.	बेलारूस	15
123.	मोंटेंगरो	15
124.	क्रोएशिया	14
125.	बुल्गारिया	13
126.	हंग्री	13
127.	लिथुआनिया	13
128.	साइप्रस	12
129.	एस्टोनिया	10
130.	यूनाइटेड अरब अमीरात	10
131.	बोस्निया एण्ड हरजेगोविना	9
132.	कुवैत	9
133.	सरबिया	8
134.	नार्वे	7
135.	पुर्तगाल	7
136.	पोलैण्ड	6

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य साख्यिकी, डब्ल्यू एच ओ, 2011
आजीआईएसआरएस (2007-09) के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 212 है।

[हिन्दी]

जाली नोट

3851. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में बड़ी संख्या में जाली करेंसी नोट जमा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा इकट्ठा किए गए इस प्रकार के जाली करेंसी नोटों की संख्या तथा उनका मूल्य वर्ग क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि अप्रैल 2010 से सितंबर 2011 तक की अवधि के लिए बैंकिंग तंत्र द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों के आंकड़े (नोटों की संख्या के आधार पर) निम्नलिखित हैं:

वर्ष	रु. 10	रु. 20	रु. 50	रु. 100	रु. 500	रु. 1000	कुल (नोटों की सं.)
अप्रैल 2010 से मार्च, 2011	139	126	10,962	124,219	246,049	54,112	435,607
अप्रैल 2011 से सितंबर, 2011	40	158	6156	65,782	152,930	39,216	264.282

आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि अप्रैल 2010 से सितंबर, 2011 तक की अवधि के दौरान स्रोतवार पता लगे जाली नोटों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	आरबीआई द्वारा पता लगाए गए नोटों की संख्या	बैंकों द्वारा पता लगाए गए नोटों की संख्या	पता लगे नोटों की कुल संख्या
अप्रैल 10 से मार्च 11	45,235	390,372	435,607
अप्रैल 11 से सितंबर 11	19,104	245,178	264,282

(ग) और (घ) जाली भारतीय विदेशी मुद्रा (एफआईसीएन) समस्या के बहु-आयामी पहलुओं को हल करने के लिए कई एजेंसियां जैसे-आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय (एमएचए), केन्द्र तथा राज्यों की सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) एफआईसीएन से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों को निष्फल करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन एजेंसियों के कार्यों की आवधिक समीक्षा इस प्रयोजन हेतु गठित नोडल समूह द्वारा की जाती है। इस सदर्भ में, कार्यकरण स्तर पर राज्यों के बीच समन्वय हेतु सीबीआई को भी नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है और राजस्व आसूचना निदेशालय को तस्करी से लाए गए एफआईसीएन के लिए मुख्य आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा देश के भीतर जाली मुद्रा के परिचालन की समस्या से निपटने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए, जिसमें सीबीआई नोडल एजेंसी हो, गृह मंत्रालय में एफआईसीएन समन्वय समूह का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम द्वारा ऐसे अपराधों की जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार ने आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा के मामलों की जांच पर जोर देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) में आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का गठन किया है। आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों के संबंध में अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों को निरन्तर बेहतर किया जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने वाली व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया है।

[अनुवाद]

एसएचजी की संख्या में वृद्धि

3852. डॉ. थोकचोम मैन्याः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभ क्या हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान एसएचजी को बैंक ऋण की मात्रा में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) बैंकों में बचत खाते वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या 31 मार्च, 2011 को यह संख्या बढ़कर 74.62 लाख हो गई। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित संवितरित बैंक ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया

है। यह देशा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान बैंकों ने 16.10 लाख स्वयं सहायता समूहों को 12,253.49 करोड़ रु. की सीमा तक ऋण संवितरित किए जबकि वर्ष 2009-10 में बैंकों ने 15.87 लाख स्वयं सहायता समूहों को 14,453.30 करोड़ रु. की सीमा तक ऋण का संवितरण किया। 2010-11 के दौरान बैंकों ने 11.96 लाख स्वयं सहायता समूहों को 14,547.73 करोड़ रु. की सीमा तक ऋण संवितरित किए।

बैंकों को आरबीआई/नाबार्ड द्वारा सलाह दी गई है कि वे एसएचजी को दिए जाने वाले ऋणों के संवितरण में निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपाल करें।

- **एसएचजी उधार को योजना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना:** एसएचजी के बैंक उधार को प्रत्येक बैंक की शाखा ऋण योजना, ब्लाक ऋण योजना, जिला ऋण योजना तथा राज्य ऋण योजना में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि, एसएचजी बैाक संबद्धता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है फिर भी इन योजनाओं को तैयार करते समय क्षेत्र को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह बैंक के कारपोरेट ऋण योजना का भिन्न हिस्सा भी होना चाहिए।
- **मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड:** एसएचजी को बैंकों द्वारा बचत संबद्ध ऋण संस्वीकृत किए जाते हैं। (यह 1:1 से 1:4 के बचत ऋण अनुपात में विचलन करता है।) तथापि, परिपक्व एसएचजी के मामले में, बैंक के विवेकानुसार बचत की चार गुना सीमा से अधिक का ऋण दिया जा सकता है। समूहों को दिए गए ऋण बिना किसी मार्जिन और प्रतिभूति के होते हैं।
- **ब्याज दर:** एसएचजी द्वारा बैंक उधार में से इसके सदस्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर समूह के विवेक पर छोड़ दी जाती है।

विवरण I

निम्न स्थिति के साथ वित्त के तहत प्रगति एसएचजी समूह बचत का क्षेत्र-वार/एजेंसी-वार स्थिति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	31 मार्च 2009 कुल एसएचजी		31 मार्च 2010 कुल एसएचजी		31 मार्च 2011 कुल एसएचजी	
		एसएचजी की संख्या	बचत राशि	एसएचजी की की संख्या	बचत राशि	एसएचजी की संख्या	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	33257	2547.93	36762	10762.55	35319	9920.45
2.	हिमाचल प्रदेश	41744	2988.89	50182	3490.90	53113	3708.50
3.	पंजाब	39155	2882.22	45005	3645.10	40919	4385.16
4.	जम्मू और कश्मीर	2349	263.31	4366	1818.83	5569	387.14
5.	राजस्थान	192479	13837.49	213295	14255.08	233793	14031.70
6.	नर्द दिल्ली	2014	184.08	2191	234.85	3095	323.55
7.	चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	964	100.66.
	कुल	**310998**	**22703.92**	**351801**	**34207.31**	**372772**	**32857.1**

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
1.	असम	180996	6296.92	218352	7359.94	245120	8196.60
2.	मेघालय	9625	327.69	11787	360.25	10653	376.12
3.	नागालैण्ड	6057	157.65	5926	334.37	9866	362.99
4.	त्रिपुरा	22811	2858.82	31349	3335.70	34312	3395.30
5.	अरुणाचल प्रदेश	5148	93.63	6418	164.89	7079	186.31
6.	मिजोरम	4230	184.63	5097	251.40	4592	178.11
7.	मणिपुर	9474	191.78	10831	218.56	10306	240.23
8.	सिक्किम	1752	99.05	2428	141.98	2811	168.94
	कुल	**240093**	**10210.16**	**292188**	**12167.09**	**324739**	**13104.60**
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	बिहार	130005	6788.41	140824	8539.57	248197	10857.31
2.	झारखंड	49753	2550.96	79424	7421.81	87205	14195.76
3.	ओडिशा	441960	26948.71	503172	36473.50	521152	35354.72
4.	पश्चिम बंगाल	609439	123327.63	647059	59486.85	666314	80314.14
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2478	72.32	3763	92.87	4750	115.68
	कुल	**1233635**	**159688.03**	**1374242**	**112014.60**	**1527618**	**140837.61**
	मध्य क्षेत्र						
1.	छत्तीसगढ़	112982	4986.58	113982	7578.06	118167	8428.99
2.	मध्य प्रदेश	173725	7191.54	178226	10151.07	153817	11674.09
3.	उत्तराखंड	34302	2540.52	43997	7170.41	44295	3965.37
4.	उत्तर प्रदेश	391906	23960.57	429760	26464.03	470157	36269.56
	कुल	**712915**	**38679.21**	765965	**51363.57**	**786436**	**60338.01**
	पश्चिमी क्षेत्र						
1.	गोवा	5892	827.18	6745	3649.31	7926	818.73
2.	गुजरात	105046	6276.00	168180	32190.15	192834	17303.13
3.	महाराष्ट्र	685324	59325.22	770695	56828.02	760161	64799.27
	कुल	**796262**	**66428.40**	**945620**	**92667.48**	**960921**	**82901.13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	दक्षिणी क्षेत्र						
1.	आन्ध्र प्रदेश	1280900	119192.63	1448216	125528.98	1466225	130780.22
2.	कर्नाटक	457389	56686.54	534588	62705.32	564545	96502.87
3.	केरल	358863	23241.84	394197	37556.32	493347	42143.58
4.	लक्षद्वीप	एनए	एनए			164	10.36
5.	तमिलनाडु	730092	57731.09	826710	90373.26	943098	99723.87
6.	पुदुचेरी	एनए	एनए	19723	1286.96	22081	2430.87
	कुल	**2827244**	**256852.10**	**3223434**	**317450.84**	**3489460**	**371591.77**
	सकल योग	**6121147**	**554561.82**	**6953250**	**619870.89**	**7461946**	**701630.28**

एन.ए. उपलब्ध नहीं

विवरण II

वर्ष के दौरान सूक्ष्म वित्त के तहत प्रगति-एसएचजी को क्षेत्र-वार, राज्य-वार संवितरित बैंक ऋण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	31 मार्च 2009 कुल एसएचजी		31 मार्च 2010 कुल एसएचजी		31 मार्च 2011 कुल एसएचजी	
		एसएचजी की संख्या	बचत राशि	एसएचजी की की संख्या	बचत राशि	एसएचजी की संख्या	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	4573	6383.91	4023	4669.74	4789	6243.46
2.	हिमाचल प्रदेश	4957	4432.03	3797	3821.60	5293	7329.43
3.	पंजाब	2227	2136.41	1790	1944.55	2648	3220.83
4.	जम्मू और कश्मीर	307	251.17	675	578.99	622	677.26
5.	राजस्थान	29687	16734.13	26674	19172.25	28723	19815.29
6.	नई दिल्ली	937	305.59	416	446.20	344	381.76
7.	छत्तीसगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	74	84.08
	कुल	**42688**	**30243.24**	**37375**	**30633.33**	**42493**	**37752.11**

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र						
1.	असम	26448	15696.20	39058	19573.61	29094	22715.61
2.	मेघालय	1003	509.43	1895	884.18	1113	758.86
3.	नागालैण्ड	94	200.51	603	637.83	657	519.74
4.	त्रिपुरा	4766	5428.37	5424	6270.72	6015	6835.96
5.	अरुणाचल प्रदेश	1391	229.65	919	318.13	956	452.41
6.	मिजोरम	919	838.73	417	466.87	420	286.92
7.	मणिपुर	903	486.23	538	301.14	721	351.64
8.	सिक्किम	982	1252.67	453	264.51	331	174.51
	कुल	**35506**	**24641.79**	**49307**	**28716.99**	**39307**	**32095.65**
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	बिहार	18502	17934.57	24309	22576.85	32024	32204.76
2.	झारखंड	9729	7977.44	12065	11219.92	11286	14332.75
3.	ओडिशा	93433	54002.15	117226	66666.40	71843	57492.17
4.	पश्चिम बंगाल	114543	43613.24	123520	53422.23	131912	57589.80
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	582	239.24	326	133.25	559	330.91
	कुल	**236789**	**123766.64**	**277446**	**154018.65**	**247624**	**161950.39**
	मध्य क्षेत्र						
1.	छत्तीसगढ़	22912	17682.62	13609	6768.29	8858	5899.24
2.	मध्य प्रदेश	26345	6049.79	16042	9349.08	7767	11533.26
3.	उत्तराखंड	31563	32979.15	5559	4676.33	3679	4897.53
4.	उत्तर प्रदेश	20240	21429.25	42636	42416.18	28430	38425.51
	कुल	**101060**	**78140.81**	**77846**	**63209.88**	**48734**	**60755.08**
	पश्चिमी क्षेत्र						
1.	गोवा	1913	1411.03	1784	2543.64	3058	2364.36
2.	गुजरात	14393	4601.58	37059	10869.66	25600	9000.15
3.	महाराष्ट्र	108867	52378.25	110287	51284.24	63296	51226.89
	कुल	**125173**	**58390.86**	**149130**	**64697.54**	**91954**	**62591.40**

1	2	3	4	5	6	7	8
	दक्षिणी क्षेत्र						
1.	आंध्र प्रदेश	636816	550860.01	564089	670664.32	367420	620918.87
2.	कर्नाटक	134225	102039.59	104151	113044.23	90342	137435.43
3.	केरल	60376	51673.52	62058	50745.31	72761	77768.62
4.	लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	14	6.50
5.	तमिलनाडु	236953	205592.94	259161	256129.89	191469	255622.18
6.	पुदुचेरी	एनए	एनए	6259	13470.22	4016	7876.96
	कुल	**1068370**	**910166.06**	**995718**	**1104053.97**	**726022**	**1099628.56**
	सकल योग	**1609586**	**1225349.40**	**1586822**	**1445330.36**	**1196134**	**1454773.19**

जल विद्युत परियोजनाएं

3853. श्री निशिकांत दुबे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के द्वारा निर्धारित ऐसी राशि से अधिक के अनुमानित पूंजी निवेश (इस समय 500 करोड़ रु. से अधिक) वाली जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति आवश्यक होती है। इस समय 5135 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली दस जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू-वैज्ञानिक, सर्वेक्षण, जल संसाधन मंत्रालय में जांच के विभिन्न चरणों में है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जांच के अधीन जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

क्र.सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1.	लोन्डा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	225
2.	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000
3.	डेमवे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1140
4.	नाइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000

1	2	3	4	5
5.	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	144
6.	पेमासेलपू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90
7.	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	500
8.	मियांर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	120
9.	लूहरी	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	776
10.	चेंगो यानतेंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	140
	कुल			5135

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो

3854. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण के संबंध में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरों द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के आलोक में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय पोषण मानीटरन ब्यूरो (एनएनएमबी) ने लोगों के आहार और पोषाहारीय स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के बीच उक्त रक्तचाप की व्याप्तता विषय पर 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अध्ययन किया। एनएसएओ द्वारा किए गए अपने 54वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में शामिल किए गए गांव सैम्पल ढांचा का निर्माण करते हैं। नेमी आहार और पोषण मूल्यांकन के अतिरिक्त मोटापा की व्याप्तता, उच्च रक्तचाप और मधुमेय मेलीटुस (केवल आंध्र प्रदेश) और हीमोग्लोबिन का भी मूल्यांकन किया गया।

इस जांच में परिवारों, पोषहारीय मानवमिति, नैदानिक जांच, भोजन और पोषण लेने का मूल्यांकन, मृत्यु दर रक्तचाप, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और होमोग्लोबिन स्तर का जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरण शामिल किए गए।

इस एनएनएमबी रिपोर्ट (2006) के अनुसार संशोधित विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों के अनुसार 60 माह तक के स्कूल-पूर्व बच्चों के बीच अविकसित क्षयकारी तत्त्व क्रमश: 40%, 45% और 20% था। मोटापा की व्याप्तता लगभग 2.5% थी। महिलाओं में ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी (18.5 से कम बीएमआई के रूप में मापित) 36% और मोटापा 10.9% था।

उपर्युक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण के पोषाहारीय मानदंडों को 24 फरवरी, 2009 से संशोधित किया गया।

चूंकि कुपोषण एक जटिल बहुआयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करने का तरीका का द्विआयामी है: सभी क्षेत्रों की स्कीमों/कार्यक्रमों में पोषण को लक्ष्य करते हुए कुपोषण कारकों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। चूंकि, बहुक्षेत्रीय तरीका परिणाम दर्शाने में कुछ समय लेता है और जब एक साथ इनका क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह धीरे-धीरे काफी समय में लाभार्थियों को लाभान्वित करता है। दूसरा तरीका है प्रत्यक्ष और विशिष्ट उपाय, जो असुरक्षित समूह के लिए लक्षित होता है, जैसा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती और धात्री माताएं।

सरकार कुपोषण की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बहुत सी स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहुक्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आदि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में पोषण के एक या अन्य पहलू का समाधान करने की क्षमता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत पहले या इसके दौरान बहुत सी मौजूदा स्कीमों/कार्यक्रमों का विस्तार/सर्वव्यापीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाएं

3855. श्री अनंत कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में जनजातीय क्षेत्रों में माध्यमिक, डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व संस्थाओं की स्थापना तथा सुचारू कार्यकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार आवंटित, संस्वीकृत और जारी कुल निधि तथा इसके उपयोग के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा जारी उपयोग प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम के अधीन सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा राज्य सरकारों को तत्संबंधी शैक्षिक अवसंरचना हेतु अनुदान प्रदान करके अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान के लिए कुछ शिक्षा उन्मुख योजनाएं कार्यान्वित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य सरकार के विभागों को पूर्ण करता है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है, जिसके तहत इंटरमीडिएट, डिप्लोमा तथा अंडर ग्रेजुएट संस्थानों का समर्थन किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेगा विद्युत परियोजनाएं

3856. चौधरी लाल सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मेगा विद्युत परियोजनाओं में किसी अनियमितता की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं के कारण राजस्व की कितनी हानि की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) ऐसी ताप विद्युत परियोजनाएं जिनकी क्षमता 1000 मे.वा. या इससे अधिक है (जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए 700 मे.वा.) और जल विद्युत परियोजनाएं जिसकी क्षमता 500 मे.वा. या इससे अधिक है (जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 350 मे.वा.) और जिन्हें मेगा विद्युत नीति के अनुसार मेगा स्टेट्स का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, मेगा पावर परियोजनाएं होती हैं। मेगा पावर परियोजनाओं में अब तक कोई विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

खरीद नीति

3857. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक खरीद विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा किन विशेषताओं पर विचार किया गया तथा इस मामले पर किन इनटिटी एवं व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है; और

(ग) उक्त विधेयक का अधिनियमन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त एवं सांविधिक निकायों तथा अन्य प्रापण संस्थओं द्वारा लोक प्रापण (खरीद) को नियंत्रित करना है। इस विधेयक का प्रयोजन निविदादाताओं के साथ पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान व्यवहार सुनिश्चित करना तथा प्रापण प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कार्य कुशलता और किफायत बढ़ाना है। इस विधेयक में व्यापक सिद्धांत दिए गए हैं तथा इसके अंतर्गत नियम बनाए जाएंगे। इस विधेयक में शिकायत समाधान तंत्र तथा विधेयक अंतर्गत अपराधों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है।

प्रस्तावित लोक प्रापण विधेयक का एक मसौदा जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। प्रस्तावित विधेयक पर, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने और विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया है।

(ग) सरकार इस विधेयक को चालू वित्त वर्ष के दौरान संसद में पेश करना चाहती है।

डेरीवेटिव व्यापार

3858. श्री यशवीर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों ने पण के बदले पण के साथ फारेक्स डेरीवेटिव उत्पादों की बिक्री को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के उत्पाद आधिकारिता परिभाषा 'हेजिंग' के अंतर्गत आते हैं जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 'हेजिंग' की आधिकारिता परिभाषा क्या है;

(ङ) क्या रुपये के मुकाबले अमरीकी डालर की मजबूती का मुकाबला करते हेतु भारतीय रिजर्व बैंकों को इस बात की अनुमति दी है कि वे दीर्घकालिक 'हेजिंग' ठेके निर्यातकों को बेचें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्युत्पन्नों के बारे में दिनांक 20.04.2007 के जो समेकित दिशा-निर्देश हैं, उन दिशा-निर्देशों के अनुसार "मार्केट-मेकर किसी भी व्युत्पन्न आधारित उत्पाद (अनुमत्य नकद एवं सामान्य व्युत्पन्नी लिखतों का संयोजन) में केवल तब तक लेन-देन कर सकते हैं जब तक कि वह आरबीआई द्वारा अनुमत्य दो या अधिक सामान्य लिखतों का संयोजन हो और उसमें आधार के रूप में कोई व्युत्पन्न नहीं हो।" इसलिए, जबकि दो व्युत्पन्नी उत्पादों का किसी संरचना (स्ट्रक्चर) में एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है वहीं एक व्युत्पन्न पर निर्मित व्युत्पन्न को हाथ में नहीं लिया जा सकता। भारत के निवासी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण के संदर्भ में अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम (एक्सपोजर) से बचाव करने के लिए अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी करार करने की अनुमति है जिसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की बिक्री और/या खरीद करने की अनुमति है।

(ग) और (घ) आबीआई द्वारा बचाव-व्यवस्था 'हेजिंग' को आधिकारिता रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग पहले से ही विद्यमान जोखिम को (मौजूदा संदर्भ में 'फोरेक्स' जोखिम), सामान्यतया अधोगामी जोखिम को कम करने के लिए विपरीत 'पोजीशन' अपनाकर कम करने अथवा प्रति संतुलित करने के संदर्भ में किया जाता है।

(ङ) और (च) आबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकृत डीलर बैंक फेमा, 1999 के अंतर्गत अनुमत्य ऋण-जोखिम (एक्सपोजर) के प्रति बचाव (हेजिंग) करने के लिए निवासियों को अनुमत्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी करारों की पेशकश कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम के एक्सपोजर के प्रति बचाव (हेजिंग) करने के लिए अधोगामी जोखिम को कम करने के लिए सामान्य तौर पर विपरीत 'पोजीशन' ली जाती है। हालांकि, दो या अधिक हिस्सों वाली लागत कम करने वाली संरचनाओं (स्ट्रक्चर) की दिशा में सम्पूर्ण रूप में संरचना (स्ट्रक्चर) जोखिम के 'एक्सपोजर' के प्रति बचाव (हेजिंग' कर सकती है और यदि इसे अलग-अलग हिस्सों से जोड़कर देखा जाए तो यह बात साबित नहीं होती है।

कार्य की आउटसोर्सिंग

3859. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभाग वर्ग 'ग' और 'घ' सेवाओं में आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से नियुक्तियां करते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं;

(ख) क्या आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रचालन प्रणाली क्या है; और

(घ) क्या समूह 'क' और समूह 'ख) सेवाओं के मामले में भी इसी प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 178-185 के अंतर्गत कोई मंत्रालय/विभाग किफायती और कार्यकुशलता के हित में कतिपय सेवाएं बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर सकता है तथा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में इस संबंध में उल्लिखित मूलभूत दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए बगैर इस प्रयोजन के लिए विस्तृत अनुदेश और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता हैं बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करने का आशय पदों पर नियुक्ति नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित विद्युत संयंत्र

3860. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के रक्षित विद्युत संयंत्रों में इष्टतम स्तर पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान उनकी वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) उस अतिरिक्त विद्युत की मात्रा कितनी है जिनका उत्पादन इन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) एल्यूमिनियम, सीमेंट रसायन, उर्वरक, आयरन और स्टील, कागज और चीनी आदि के उत्पाद का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कैपटिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) विद्युत उत्पादन करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सीपीपी का समग्र प्रयोग 39-42% के बीच है। पिछले 3 वर्षो के दौरान सीपीपी द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता और वास्तविक विद्युत उत्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच)
2007-08	24986.39	90476.69
2008-09	26673.67	99721.16
2009-10	31516.87	106133.10

*जीडब्ल्यूएच = गीगा वाट घंटा

(ग) सीपीपी उस उद्योग की आवश्यकता पर निर्भर रहते हुए विद्युत उत्पादन करते हैं जिसके लिए प्राथमिकत: आपूर्ति करने के उनकी बाध्यता है। विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार कैप्टिव विद्युत संयंत्र ग्रिड को उत्पादित कुल विद्युत के 49% विद्युत की आपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार सीपीपी से विद्युत का उत्पादन उद्योगों की आवश्यकता के साथ-साथ अन्य यूटिलिटियों को बिक्री की व्यवहार्यता और खुली पहुंच की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीपीपी की अधिशेष क्षमता का प्रभावी उपयोग उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट खुली पहंच प्रचार और बिक्री के लिए संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा सरलीकरण पर निर्भर करता है। विद्युत मंत्रालय, वर्ष 2007 से विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन, मुख्य सचिवों तथा विद्युत सचिवों के साथ विभिन्न मंत्रें पर राज्यों के साथ खुली पहुंच को बढ़ावा देने के मामले पर नियमित बात-चीत कर रहा है।

[हिन्दी]

बाल विवाह

3861. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों में बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 नवम्बर, 2007 से लागू हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। मामलों की संख्या जिनमें रोके गए बाल विवाह के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007-09 के दौरान पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में बाल विवाह के प्रचलन के लिए कुछ जिम्मेदार कारक हैं-शिक्षा और बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जागरुकता की कमी, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में चिंता, सामाजिक रीति-रिवाज, कानून का लचर क्रियान्वयन आदि।

सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने और नियम बनाने और विशेषकर 'अखा तीज' (अक्षय तृतीय) के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु सभी संभव कदम उठाने के लिए लिखा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य के मुख्य मंत्रियों से बाल विवाह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार की संबंधित मशीनरी को संवेदनशील बनाने को कहा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जागरुकता बढ़ाने और बाल विवाह को रोकने हेतु सोच में परिवर्तन लाने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

बाल विवाह के दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007 दर्ज मामले	2008 दर्ज मामले	2009 दर्ज मामले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	19	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	1	1	1
4.	बिहार	8	8	0
5.	छत्तीसगढ़	4	5	0
6.	गोवा	0	1	0
7.	गुजरात	14	23	0
8.	हरियाणा	4	4	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड	4	0	0
12.	कर्नाटक	4	9	3
13.	केरल	1	4	0
14.	मध्य प्रदेश	5	2	0
15.	महाराष्ट्र	7	5	0
16.	मणिपुर	0	0	0

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	1	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0
20.	ओडिशा	1	1	0
21.	पंजाब	5	6	0
22.	राजस्थान	3	3	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	4	0
25.	त्रिपुरा	1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	9	6	0
	कुल राज्य	96	103	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0	1	1
	कुल अखिल भारत	96	104	5

स्रोत-राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो

[अनुवाद]

देश सहायता रणनीति

3862. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक से सहायताप्राप्त कार्यक्रम किसी देश सहायता रणनीति (सीएएस) द्वारा निष्पादित किये जाते हैं/सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सीएएस के अंतर्गत क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) देश सहायता कार्ययोजना (सीएएस) विश्व बैंक का एक दस्तावेज है जो किसी देश में विश्व बैंक के कार्यकलापों के महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध कराता है। भारत हेतु सीएएस (2009-12) विश्व बैंक की वेबसाइट http://go.worldbank.org/EXOS9HW9KO पर उपलब्ध है।

(ग) बैंक द्वारा सीएएस चक्र के मध्य बिन्दु के आस-पास सीएएस प्रगति रिपोर्ट (सीएएसपीआर) तैयार की जाती है। भारत के लिए, सीएएसपीआर दिसम्बर, 2010 में पूरी की गयी थी।

भारत सीएएसपीआर (दिसम्बर, 2010) ने मूल्यांकन किया है कि सीएएस (वित्तीय वर्ष 09-12) की प्रगति सही मार्ग पर है। यह विश्व बैंक की वेबसाइट http:go.worldbank.org/6RP99IS3AO पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

पिछड़ी जनजातियां

3863. श्री मधुसूदन यादव:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ से अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां स्वीकृत की गई तथा जारी की गईं तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी निधि के उपयोग की सूचना दी गई;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु पूरी स्वीकृत निधियां राज्य सरकारों को जारी नहीं की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष निधियों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) इस मंत्रालय में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से "पीटीजी का विकास" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए छत्तीसगढ़ में पीटीजी के जीवन संरक्षण और विकास हेतु संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी योजना) के अनुसार परिकल्पित कार्यकलाप अवसंरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि और बागवानी, लघु सिंचाई, आय सृजन आदि हैं, जिनके लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 10566.52 लाख रुपए की सहायता का अनुरोध किया गया। सीसीडी योजना के अनुमोदन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	स्वीकृत/निर्मुक्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोगिता
2008-09	615.22	615.33
2009-10	1064.43	1013.18
2010-11	1080.36	अभी तक सूचित नहीं
2011-12	1655.39	अभी तक सूचित नहीं

(घ) जी नहीं, स्वीकृत निधियों की पूर्ण मात्रा निर्मुक्त कर दी गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा की व्याप्ति

3864. श्री पिनाकी मिश्रा:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सर्वेक्षण/अध्ययन से देश में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा शारीरिक या यौन उत्पीड़न व्याप्त होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(घ) महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेखण-3 के आंकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की 35.4% महिलाओं और किसी भी उम्र में शादीशुदा लगभग 40% महिलाओं ने सारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। 6.7% महिलाओं के साथ शारीरिक और यौन दोनों प्रकार की घरेलू हिंसा हुई है। इसके अतिरिक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक और यौन घरेलू हिंसा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो रही है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों (अनंतिम), जो वर्ष 2010 तक उपलब्ध हैं, के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 2008 में कुल 5643, 2009 में 7803 और 2010 में 7575 मामले दर्ज किए गए।

(घ) सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के कारगर कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने, सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करने और चिकित्सा केन्द्रों आदि को अधिसूचित करने के लिए कहा है। सरकार ने गृह मंत्रालय के मध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से परामर्श करके सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के संरक्षण को कड़ाई से सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। राज्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए कानून प्रवर्तन मशीनरी को संवेदनशील बनाने की भी सलाह दी गई है।

चंदन की जब्ती

3865. श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ाः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली सहित कुछ राज्यों में भारी मात्रा में चन्दन की लकड़ी जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई या की जा रही है; और

(ग) देश की मूल्यवान वन संपदा को विदेशी देशों में तस्करी करके ले जाने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) महोदय। राजस्व आसूचना निदेशालय ने तमिलनाडु में दो अलग-अलग मामलों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत चन्दन की लकड़ी की कुछ मात्रा जब्त की हैं तथापि, दिल्ली में चन्दन की लकड़ी की कोई जब्ती नहीं की गई है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चन्दन की लकड़ी की जब्ती के ब्यौरे और की गई दण्डात्मक कार्रवाई निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त की गई चन्दन की लकड़ी की मात्रा (मी.टन में)	जब्त की गई चन्दन की लकड़ी का मूल्य	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	01	1.186	0.59	01
2010-11	01	0.400	0.40	शून्य
2011-12 (नवम्बर, 11 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भारतीय बहुमूल्य वन सम्पत्ति से वनस्पति एवं जीवजन्तु के सभी दुर्लभ/लुप्तप्रायः जातियों की तस्करी को रोकने के लिए सुग्राही बनाया गया है। समुद्री पत्तनों, हवाई पत्तनों और भू-सीमाशुल्क स्टेशनों पर निरन्तम निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच

3866. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री तूफानी सरोज:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री जोस.के. मणि:
श्री के. सुगुमार:
श्री एम.के. राघवन:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुधमेह एवं उच्च रक्तचाप की जांच हेतु कार्यक्रम शुरु किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने व्यक्तियों की जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार द्वारा राज्यों को कितनी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की जांच की प्रक्रिया कब तक पूरा होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात (एन पी सी डी सी एस) निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम को 21 राज्यों के 100 अभिज्ञात जिलों में शुरु किया गया है। यह 30 वर्ष से ऊपर की पूरी जनसंख्या के लिए एक अवसरवादी स्क्रीनिंग है।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्क्रीन किए गए व्यक्तियों की (राज्य-वार) संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न-I विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान एन पी सी डी सी एस के मधुमेह, हृदवाहिका रोग तथा आघात घटक के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अलावा, समय-समय पर उनकी आवश्यकतानुसार संबंधित राज्य को ग्लूकोमीटर आप्टीयम एक्सीड, आप्टीयम टेस्ट स्ट्रीप्स और आटो डिसेबल्ड लेसेट्स दिए गए हैं।

स्वास्थ्य संवर्धन, निवारण गैर-संचारी रोगों के शीघ्र निदान तथा प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य ढांचे के विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन में चिकित्सक, पराचिकित्सक तथा नर्सिंग स्टाफ शामिल है।

(ङ) एन पी सी डी सी एस के अंतर्गत मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के लिए लोगों की स्क्रीनिंग एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण I

राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका एवं आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम

लाभार्थी

राज्य	जिला/ब्लाक	एनपीसीडीसीएस एवं शहरी मलिन बस्ती में स्क्रीनिंग (वर्ष 2010-11 एवं 2011-12) के अंतर्गत मधुमेह व हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग किए गए व्यक्ति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	नेल्लोर, विजयनगरम	20237
असम	कामरूप	13607
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	2414
दिल्ली		14506
गुजरात	अहमदाबाद	40078
हरियाणा	मेवात	5347

1	2	3
कर्नाटक	कोल्लार	13299
	सिमौगा	18063
	बंगलौर	27612
		58974
केरल	पटनथिटा	37838
मध्य प्रदेश		31000
महाराष्ट्र		38801
	वर्धा	2794
	वसीम	41595
ओडिशा		245
	नौपाड़ा	264
	कोमना	879
	खरियार	916
	सीनापल्ली	463
	बोडन	2767
राजस्थान	भीलवाड़ा जेसलमेर	23003
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	
तमिलनाडु	चेन्नई	23812
उत्तराखंड	नैनीताल	150000
राजस्थान		
	मोथाल्डू	986
	धारी	881
	भीमताल	1150
	रामगढ़	272
	बटलघाट	1179
	कोटाबाग	153
	ओखलकांडा	1772
	बेलपर्वा	315
		6708
पश्चिम बंगाल		5302
कुल योग		477188

विवरण II

राष्ट्रीय मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस)

वर्ष 2010-11, 2011-12 के दौरान एनपीडीसीएम के अंतर्गत निधियों की समेकित निर्मुक्त

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कवर किए गए जिले	2010-11 (मार्च, 2011)			2011-12			कुल योग
				एनआर	आर	कुल	आर	एनआर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री कुल्लम	134.08	84.37	218.45	95.10	515.12	610.22	828.67
		2.	विजयनगर							
		3.	चित्तौड़							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4.	कुड्डुपा							
		5.	नैल्लोर							
		6.	कृष्णा							
		7.	कुरनूल							
		8.	परकाशम							
2.	असम	9.	जोरहट	132.88	66	198.88	0.00	0.00	0.00	198.88
		10.	डिब्रूगढ़							
		11.	लखीमपुर							
		12.	शिवसागर							
		13.	कामरूप							
3.	बिहार	14.	वैशाली	130.08	34.88	164.96	71.33	386.32	457.65	622.61
		15.	रोहतास							
		16.	मुजफ्फरपुर							
		17.	पश्चिम चम्पारन							
		18.	पूर्व चम्पारन							
		19.	कैमपुर (भाबुआ)							
4.	छत्तीसगढ़	20	बिलासपुर	68.44	57.54	125.98	35.66	193.16	228.82	354.80
		21.	जसपुर नगर							
		22.	रायपुर							
5.	गुजरात	23.	गांधीनगर	135.68	98.16	233.84	71.33	386.32	457.65	691.49
		24.	सुरेन्द्र नगर							
		25.	राजकोट							
		26.	जामनगर							
		27	पोरबंदर							
		28.	जूनागढ़							
6.	झारखंड	29.	बोकारो			समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ				0.00
		30.	रांची							
		31.	धनबाद							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	हरियाणा	32.	मेवात	65.24	18.33	83.57	47.55	257.56	305.11	388.68
		33.	यमुनानगर							
		34.	कुरुक्षेत्र							
		35.	अंबाला							
8.	हिमाचल प्रदेश	36.	चम्बा	67.24	42.05	109.29	35.66	193.16	228.82	338.11
		37.	लाहौल एवं स्पीति							
		38.	किन्नौर							
9.	जम्मू और कश्मीर	39.	लेह (लद्दाख)	130.88	40.89	171.77	59.44	321.92	381.36	553.13
		40.	उधमपुर (Erstwhile)							
		41.	कुपवाड़ा							
		42.	डोडा (Erstwhile) किश्तवार/ रामबाण)							
		43.	कारगिल							
10.	कर्नाटक	44.	कोलार	135.68	99.25	234.93	59.44	321.92	381.36	616.29
		45.	शिमोगा							
		46.	उदूपी							
		47.	टुमकूर							
		48.	चिकमंगलूर							
11.	केरल	49.	पथनामथिटा	69.64	70.16	139.80	59.44	321.96	381.40	521.20
		50.	कोजीकोड (कालीकट)							
		51.	अलप्पुझा							
		52.	इडुकी							
		53.	त्रिसूर							
12.	मध्य प्रदेश	54.	रतलाम	66.44	32.74	99.18	59.44	321.96	381.40	480.58
		55.	होशंगाबाद							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		56.	चिंदवाड़ा							
		57.	झाबुआ							
		58.	धार							
13.	महाराष्ट्र	59.	वसीम	134.08	79.44	213.52	71.33	386.32	457.65	671.17
		60	वर्धा							
		61.	गढ़चिरोली							
		62.	भंडारा							
		63.	चन्दरपुर							
		64.	अमरावती							
14.	सिक्किम	65.	ईस्ट सिक्किम	64.44	8.83	73.27	0.00	0.00	0.00	73.27
		66.	साउथ सिक्किम							
15.	ओडिशा	67.	नौपाड़ा	66.04	27.63	93.67	59.44	321.96	381.40	475.07
		68.	वालनगिर							
		69.	नबरंगपुर							
		70.	कोरपुट							
		71.	मलकानगिरी							
16.	पंजाब	72.	भठिंडा	68.04	50.99	119.03	35.66	193.16	228.82	347.85
		73.	गुरदासपुर							
		74.	होशियारपुर							
17.	राजस्थान	75.	भीलवाड़ा	136.68	122.63	259.31	83.22	450.72	533.94	793.25
		76.	जैसलमेर							
		77.	जोधपुर							
		78.	गंगा नगर							
		79.	बीकानेर							
		80.	बाड़मेर							
		81.	नागौर							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	तमिलनाडु	82.	थेनी	66.84	37.38	104.22	समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।			104.22
		83.	कोयम्बटूर							
		84.	विरुद्धनगर							
		85.	टुथकुड्डी							
		86.	तिरुवनेलवेरी							
19.	उत्तर प्रदेश	87.	रायबरेली	बैंक खाता विवरण और समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।						0.00
		88.	सुल्तानुपर							
		89.	झांसी							
		90.	लखीमपुर							
		91.	फरूखाबाद							
		92.	फिरोजाबाद							
		93.	ऐटा							
		94.	ललितपुर							
		95.	जालौन							
20.	उत्तराखंड	96.	नैनीताल	66.04	27.96	94.00	23.78	128.76	152.54	246.54
		97.	अल्मोड़ा							
21.	पश्चिम बंगाल	98.	दार्जिलिंग	68.84	60.95	129.79	35.66	193.16	228.82	358.61
		99.	जलपाईगुड्डी							
		100.	दखिल दीनापुर							
			कुल	1807.28	1060.18	2867.46	90.349	4893.48	5796.97	8664.43

राज्यों द्वारा व्यय रिपोर्ट: शून्य

इलाज के लिये वित्तीय सहायता

3867. **श्री देवजी एम. पटेल:**
श्री संजय दिना पाटील:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) तथा राष्ट्रीय रोग सहायता कोष (एनआईएएफ) से केवल गरीबी को रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) रोगियों को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं तथा इसके लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त विवेकाधीन अनुदान और एनआईएएफ

से कुल कितने बीपीएल रोगी लाभान्वित हुए तथा कितने रोगियों ने इनसे बड़े आपरेशन/इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) क्या सरकार ने सभी अपेक्षित दस्तावेजों के जमा करने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मामलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में होने वाले विलंब पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुदान को पर्याप्त समय रहते अनुमति प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता पत्र जारी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान और राष्ट्रीय आरोग्य निधि अर्थात् राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के अंतर्गत निर्धन मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) 75,000/-रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के निर्धन और प्रमुख रोग से पीड़ित सरकारी अस्पतालों/संस्थाओं में एकबारगी उपचार के जरूरत मंद मरीज एच एमडी एच के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। वित्तीय सहायता की सीमाएं हैं:

(क) 20,000/- रुपये यदि उपचार की अनुमानित लागत 50,000/- रुपये तक है। (ख) 40,000/- रुपये यदि उपचार की अनुमानित लागत 50,000/- रुपये से अधिक है और 1,00,000 रुपये तक है और (ग) 50,000 रुपये यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000 रुपये अधिक है।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे उन मरीजों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, जो प्रमुख जीवन-घातक रोग से पीड़ित हैं। इस प्रकार के मरीजों को वित्तीय सहायता एक बारगी अनुदान के रूप में उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्मुक्त की जाती है, जिसमें वे उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) आवेदक को उपचार कर रहे चिकित्सक/विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से भरा हुआ और उस अस्पताल (सरकारी अस्पताल) जहां रोगी उपचार प्राप्त कर रहा है, के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित और बीडीओ/तहसीलदार/कलेक्टर/एसडीएम से लिए गए मूल आय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के मामलों में परिवार के सदस्यों का ब्यौरा अर्थात राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।

3. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी रूप से प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और तत्पश्चात पात्र मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। स्वीकार्य धनराशि का एक चैक, अस्पताल को जारी किया जाता है, जिसे से यह अपेक्षित होता है कि वह मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र जारी करे।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एच एम डी और आर ए एन के अंतर्गत लाभान्वित पात्र आवेदकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवाद सूची क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/दस्तावेजों की प्रति के बाद उनहें प्रोसेस करने और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना अथवा स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत प्रतिबद्धता पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगभग 3-4 सप्ताह का समय लगता है।

विवरण I

2008-09 से 2011-12 (नवम्बर, 2011 तक) स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत निर्धन मरीजों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 रोगियों की संख्या	2009-10 रोगियों की संख्या	2010-11 रोगियों की संख्या	2011-12 (नवम्बर तक) रोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	85	132	160	138
2.	उत्तर प्रदेश	24	10	58	36

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	12	06	18	16
4.	उत्तराखंड	–	–	1	–
5.	दिल्ली	02	08	02	05
6.	ओडिशा		04	1	–
7.	महाराष्ट्र	02		01	01
8.	मध्य प्रदेश	09	03	04	02
9.	पंजाब	01	–	01	–
10.	कर्नाटक		–	–	–
11.	आंध्र प्रदेश	01	–	01	–
12.	केरल	01	–	07	12
13.	मणिपुर	04	–	–	–
14.	हरियाणा	02	02	05	02
15.	असम	01	–	–	–
16.	राजस्थान	01	–	01	–
17.	झारखंड	–	–	01	–
18.	छत्तीसगढ़	–	01	01	–
19.	जम्मू और कश्मीर	–	01	01	03
20.	तमिलनाडु	–	–	–	01
21.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	01
	कुल	145	167	263	217

विवरण II

2008-09, 2009-10 और 2011-12 और चालू वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत बी पी एल मरीजों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09 मरीजों की संख्या	2009-10 मरीजों की संख्या	2010-11 मरीजों की संख्या	2011-12 (नवम्बर तक) मरीजों की संख्या
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	115	108	100	47
पश्चिम बंगाल	04	06	08	03

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	02	04	14	09
दिल्ली	18	21	32	18
मध्य प्रदेश	07	05	05	03
महाराष्ट्र				
बिहार	57	43	42	25
राजस्थान		06	07	02
ओडिशा	05	06	03	01
हरियाणा	25	17	20	11
उत्तराखंड	11	06	10	04
हिमाचल प्रदेश	–	02	02	–
झारखंड	05	01	03	02
छत्तीसगढ़	–	02	–	
पंजाब	–	–	01	02
चंडीगढ़	–	–	–	–
गुजरात	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	–	–
तमिलनाडु	01	–	–	–
केरल	01	–	–	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–
मणिपुर	06		04	02
असम	02		02	–
त्रिपुरा	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	01	–	–
सिक्कम	–	–	01	01
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
कुल	259	228	254	130

गैर-संचारी रोग

3868. **श्री गोपीनाथ मुंडे:**
श्री प्रहलाद जोशी:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री के. सुगुमार:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में विभिन्न गैर-संचारी रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित थे तथा उनसे कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या देश में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर कोसर, मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एवं स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की शुरुआत की है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा पूरे देश में एनपीसीडीसीएस का विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत कितनी निधियां निर्धारित की गई एवं आवंटित की गई इसके उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता में वृद्धि करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विभिन्न गैर-संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या और उनसे हुई मौतों की संख्या विदित नहीं है। तथापि, रोगों के वैश्विक बोझ पर विश्व बैंक प्रायोजित अध्ययन यह इंगित करता है कि गैर-संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतें वर्ष 1990 में 37,88,000 (कुल मौतों का 40.4 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2000 में 48,50,000 (कुल मौतों का 51.2 प्रतिशत) हो गई है। इन आंकड़ों द्वारा वर्ष 2010 तक 59.1 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना थी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) रोग बोझ अध्ययन के अनुसार, सामान्य (एनसीडी) के लिए अनुमानित रोग बोझ अर्थात् आइकेमिक हृदय रोग (आईएचडी), आघात, मधुमेह मेलिटस नीचे दिया गया है। आईएचडी, आघात, मधुमेह व कैंसर (2004) के लिए रोग बोझ अनुमान:

रोग	मामलों की संख्या (मिलियन में)	मौतों की संख्या (मिलियन में)
आई एच डी	22.4	0.55
आघात	0.93	0.64
मधुमेह	37.8	0.1
कैंसर	0.82	0.20

(ख) और (ग) देश में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते हुए मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2010 के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग तथा आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरु किया है। इस कार्यक्रम को 21 राज्यों के 100 अभिज्ञात जिलों में शुरु किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए पूरे देश में इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव योजना आयोग को पेश किया गया है।

(घ) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान एनपीसीडीएस के मधुमेह, हृदयवाहिका रोग व आघात घटक के अंतर्गत, राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि वर्ष 2010-11 के लिए निधियां मार्च, 2011 में ही निर्मुक्त की गई हैं, इसलिए राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीडीसीएस) वर्ष 2010-11, 2011-12 के दौरान एनपीडीसीएस के अंतर्गत निधियों की समेकित निर्मुक्ति

रुपये लाख में

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कवर किए गए जिले	2010-11 (मार्च, 2011)			2011-12			कुल योग
				एनआर	आर	कुल	आर	एनआर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री कुल्लम	134.08	84.37	218.45	95.10	515.12	610.22	828.67
		2.	विजयनगरम							
		3.	चित्तौड़							
		4.	कुड्डापा							
		5.	नैल्लोर							
		6.	कृष्णा							
		7.	कुरनूल							
		8.	परकशम							
2.	असम	9.	जोरहट	132.88	66	198.88	0.00	0.00	0.00	198.88
		10.	डिब्रूगढ़							
		11.	लखीमपुर							
		12.	शिवसागर							
		13.	कामरूप							
3.	बिहार	14.	वैशाली	130.08	34.88	164.96	71.33	386.32	457.65	622.61
		15.	रोहतास							
		16.	मुजफ्फरपुर							
		17.	पश्चिम चम्पारन							
		18.	पूर्व चम्पारन							
		19.	केमपुर (भाबुआ)							
4.	छत्तीसगढ़	20.	बिलासपुर	68.44	57.54	125.98	35.66	193.16	228.82	354.80
		21.	जसपुर नगर							
		22.	रायपुर							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	गुजरात	23.	गांधीनगर	135.68	98.16	233.84	71.33	386.32	457.65	691.49
		24.	सुरेन्द्र नगर							
		25.	राजकोट							
		26.	जामनगर							
		27.	पोरबंदर							
		28.	जूनागढ़							
6.	झारखंड	29.	बोकारो			समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है				0.00
		30.	रांची							
		31.	धनबाद							
7.	हरियाणा	32.	मेवात	65.24	18.33	83.57	47.55	257.56	305.11	388.68
		33.	यमुनानगर							
		34.	कुरुक्षेत्र							
		35.	अंबाला							
8.	हिमाचल प्रदेश	36.	चम्बा	67.24	42.05	109.29	35.66	193.16	228.82	338.11
		37.	लाहूल एवं स्पीति							
		38.	किन्नौर							
9.	जम्मू और कश्मीर	39.	लेह (लद्दाख)	130.88	40.89	171.77	59.44	321.92	381.36	553.13
		40.	उधमपुर (Erstwhile)							
		41.	कुपवाड़ा							
		42.	डोडा (Erstwhile) किश्तवार/ रामबाण)							
10.	कर्नाटक	43.	कारगिल	135.68	99.25	234.93	59.44	321.92	381.36	616.29
		44.	कोलार							
		45.	शिमोगा							
		46.	उदूपी							
		47.	टुमकूर							
		48.	चिकमंगलूर							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	49.	पथनमथिटा	69.64	70.16	139.80	59.44	321.96	381.40	521.20
		50.	कोजीकोड (कालीकट)							
		51.	अलप्पुझा							
		52.	इडुकी							
12.	मध्य प्रदेश	53.	त्रिसूर	66.44	32.74	99.18	59.44	321.96	381.40	480.58
		54.	रतलाम							
		55.	हौशंगाबाद							
		56.	चिंदवाड़ा							
		57.	झाबुआ							
		58.	धार							
13.	महाराष्ट्र	59.	वसीम	134.08	79.44	213.52	71.33	386.32	457.65	671.17
		60.	वर्धा							
		61.	गढ़चिरोली							
		62.	भंडारा							
		63.	चन्दरपुर							
		64.	अमरावती							
14.	सिक्किम	65.	ईस्ट सिक्किम	64.44	8.83	73.27	0.00	0.00	0.00	73.27
		66.	साउथ सिक्किम							
15.	ओडिशा	67.	नौपाड़ा	66.04	27.63	93.67	59.44	321.96	381.40	475.07
		68.	वालनगिर							
		69.	नबरंगपुर							
		70.	कोरापुट							
		71.	मलकानगिरी							
16.	पंजाब	72.	भठिंडा	68.04	50.99	119.03	35.66	193.16	228.82	347.85
		73.	गुरदासपुर							
		74.	होशियारपुर							
17.	राजस्थान	75.	भीलवाड़ा	136.68	122.63	259.31	83.22	450.72	533.94	793.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		76.	जैसलमेर							
		77.	जोधपुर							
		78.	गंगा नगर							
		79.	बीकानेर							
		80.	बाड़मेर							
18.	तमिलनाडु	81.	नागौर	66.84	37.38	104.22	समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है			104.22
		82.	थेनी							
		83.	कोयम्बटूर							
		84.	विरुद्धनगर							
		85.	टूथकुड्डी							
		86.	तिरुनेलवेरी							
19.	उत्तर प्रदेश	87	राय बरेली	बैंक खाता विवरण और समझौता ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है						0.00
		88.	सुल्तानपुर							
		89.	झांसी							
		90.	लखीमपुर खीरी							
		91.	फरुखाबाद							
		92.	फिरोजबाद							
		93.	एटा							
		94.	ललितपुर							
		95.	जालौन							
20.	उत्तराखंड	96.	नैनीताल	66.04	27.96	94.00	23.78	128.76	152.54	246.54
		97.	अल्मोड़ा							
21.	पश्चिम बंगाल	98.	दार्जिलिंग	68.84	60.95	129.79	35.66	193.16	228.82	358.61
		99.	जलपाईगुड़ी							
		100.	दखिण दीनापुर							
			कुल	1807.28	1060.18	2867.46	903.49	4893.48	5796.97	8664.43

राज्यों द्वारा व्यय रिपोर्ट: शून्य

मेडिकल कालेजों में अनियमितताएं एवं गड़बड़ी

3869. श्री लालचंद कटारिया:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेडिकल कालेजों विशेषकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश, कैपिटेशन शुल्क की मांग तथा प्रवेश एवं मेडिकल डिग्री प्रदान करने हेतु धनवसूली किये जाने सहित अनियमितताओं एवं गड़बड़ी के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रत्येक मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसी गलती करने वाले मेडिकल कॉलेजों में इस प्रकार की अनियमितताओं एवं कदाचार को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मामले में फीस निर्धारण के लिए संबंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी होती हैं। तथापि, निजी मेडिकल कालेजों के मामले में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उच्च न्यायालय के एक जज की अध्यक्षता में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई समिति द्वारा फीस की संरचना के बारे में निर्णय किया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत मेडिकल/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश और 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत मेडिकल/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नकली प्रमाण पत्र को मेडिकल कालेजों में प्रस्तुत करके एम बी बी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के दो मामले राजस्थान राज्य में एक मामले और गुजरात में एक मामले की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के दो मेडिकल कालेज कथित तौर पर कैपिटेशन फीस की मांग कर रहे थे। उपर्युक्त मामलों को समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित कालेजों/राज्य सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिया गया है।

(घ) अखिल भारतीय स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर मेडिकल/दंत चिकित्सा सीटों में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत एम बी बी एस/बी डी एस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आबंटन पत्र जारी करते समय आबंटन पत्र की बाई तरफ नीचे एक कोड संख्या सहित प्रिंट वाटरमार्क पेपर का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यो/डीन से अनुरोध किया गया है कि यदि किसी मामले में भिन्नता पाई जाती है और अखिल भारतीय कोटे के यू जी और पी जी पाठ्यक्रमों में जाली/नकली प्रवेश प्राप्त करने का संदेह होता है तो उसे केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया जाए।

तम्बाकू उत्पादों की बिक्री

3870. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा हाल ही में किये गये उस सर्वेक्षण पर ध्यान दिया है जिसमें यह पाया गया है कि कुछ राज्यों के 48 प्रतिशत से अधिक शैक्षिक संस्थाओं में 100 गज के अंदर तम्बाकू उत्पादों को की बिक्री की जाती थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में नियमों एवं विनियमों का उपयुक्त कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। भारत सरकार ने जीएसआर संख्या 40 (ई.) दिनांक 19.1.2010 के तहत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद

(शिक्षण संस्थानों द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009 को अधिसूचित किया है और यह 19.1.2010 से लागू हो गये हैं। इन नियमों में किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि के भीतर के क्षेत्र में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री, बिक्री का आग्रह, या बिक्री की अनुमति देने के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों के बिक्री के प्रतिषेध से संबंधित उक्त नियमों का क्रियान्वयन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है। उल्लंघनों का संज्ञान लेने वाले अधिकृत अधिकारियों की एक सूची जीएसआर संख्या 619(ई) दिनांक 11.8.2011 के तहत अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने शिक्षण संस्थाओं के समीप सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री के प्रतिषेध को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवश्यक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अखबारों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई है।

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं की मृत्यु और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी

3871. श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में नवजात की मृत्यु की संख्या के मामलों में भारत की स्थिति क्या है तथा इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या 'सेव द चिल्ड्रेन इंडिया' की एक रिर्पोट के अनुसार देश में 2.6 मिलियन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नवजात शिशुओं की मृत्यु में कमी लाने तथा देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये/किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) विश्व में नवजात शिशु मृत्यु दर आवरोही क्रम में भारत का 29वां स्थान है।

(ख) और (ग) बाल बचाओ की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए "2.6 मिलियन अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है"। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी- 2010 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2010 में प्रमुख श्रेणियों की जनशक्ति नियुक्ति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कमी के कारणों में पर्याप्त संख्या से कम चिकित्सा उपचर्या संस्थाएं मौजूदा संस्थाओं में सीमित प्रवेश और अपेक्षित एवं स्वीकृत स्टॉफ पदों के बीच अंतर शामिल हैं।

(घ) देश में बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

(1) जननी सुरक्षा योजना के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना: कुशल जन्म परिचरों द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दोनों में ही कमी लाने के लिए प्रमुख है। जेएसवाई को शुरू करने से लेकर संस्थागत प्रसवों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005 में 7.39 लाख से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 113.38 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्ति स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के आधारभूत ढांचे को भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक प्रसूति परिचर्या सेवाएं और आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

(2) बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या पर जोर: बीमार नवजात शिशुओं की परिचर्या के लिए सुविधा केन्द्र जैसे कि विशेष नवजात परिचर्या एकक, नवजात स्थिरीकरण एकक और विभिन्न स्तरों पर नवजात शिशु कार्नरों को स्थापित करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। इस समय, 293, एसएनसीयू, 1134 एबीएयू और 8582 एनबीसीसी कार्य कर रहे हैं।

(3) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण: बच्चों के सामान्य रोगों के शीघ्र निदान और रोग प्रबंधन और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, माताओं की परिचर्या के लिए चिकित्सकों, नर्सो और एएनएम को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन किया जा रहा हैं ये प्रशिक्षण हैं: आईएमएनसीआई, एनएसएस के, एसबीए, एलएसएएस, ईएमओसी, बीएमओसी आदि।

(4) कुपोषण का प्रबंधन: चूंकि कुपोषण से बच्चों की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, अतः इससे बच्चों में मृत्यु और रोगों की संख्या में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुपोषण के प्रबंधन के लिए बल दिया गया है। गंभीर तीव्र कुपोषण के प्रबंधन के लिए 480 पौषणिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। चूंकि स्तनपान से नवजात मृत्यु में कमी होती है, इसलिए पहले छह महीनों के लिए विशेषरूप केवल स्तनपान कराना और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से शिशु तथा छोटे बच्चों के आहार चलनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माताओं को पौषणिक परामर्श प्रदान करने और बाल परिचर्या पद्धतियों में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और पौषणिक दिवस आयोजित किए जा रहे हैं।

(5) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम: टीकाकरण अनेक जीवन घातक रोगों यथा क्षयरोग डिप्थीरिया परट्यूसिस, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और खसरा से बचाव के लिए बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता हैं इस प्रकार बच्चे, प्रति वर्ष वैक्सीन निर्वाय सात रोगों से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। भारत सरकार, वैक्सीनों और सीरिंजों, कोल्ड चेन उपकरणों की आपूर्ति और प्रचलनात्मक लागतों के प्रावधान द्वारा वैक्सीन कार्यक्रम में सहायता करती है।

(6) विगत दो वर्षों में नई पहलें:

(क) दिनांक 1 जून, 2011 को **जननी सुरक्षा कार्यक्रम** शुरू किया गया था और इसमें सभी गर्भवती महिलाओं और रोगी नवजातों को मुफ्त परिवहन, खाद्य और औषधियों और निदान के लिए प्रावधान हैं इस पहल से संस्थागत प्रसव को और बढ़ावा मिलेगा और स्वयं के हुए खर्चों को समाप्त करना, जो माताओं और बीमार नवजातों को संस्थागत परिचर्या प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) गृह आधारित नवजात परिचर्या: चूंकि जन्म के प्रथम 28 दिनों में 52 दिनों में 52 प्रतिशत शिशु मौतें होती हैं इसलिए 250 रु. का प्रोत्साहन प्रदान करके आशा के जरिए गृह आधारित नवजात परिचर्या शुरू की गई हैं गृह आधारित नवजात परिचर्या का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर नवजात पद्धतियों में सुधार लाना और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाना और उन्हें रेफर करना है।

(ग) माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली: सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पंजीकरण और उनका पता लगाने (ट्रैकिंग) को सुनिश्चित करने के लिए एक नाम आधारित माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है जो वेब आधारित है, ताकि उनके लिए नियमित और संपूर्ण सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किए जा सके। दिनांक 23 अक्तूबर, 2011 तक एक करोड़ और अठारह माताओं और 60 लाख बच्चों का पंजीकरण किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधनों में वृद्धि करना जोर दिया जाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है और संविदात्मक आधार पर स्टॉफ की नियुक्ति करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सकों का बहु-कौशलीकरण, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान और अधिक चिकित्सकों और पराचिकित्सकों को तैयार करने के लिए और अधिक मेडिकल कॉलेज, जीएनएम, ए एन एम स्कूल स्थापित करना भी मानव संसाधनों में अंतर को कम करने के लिए किए गए उपाय हैं।

विद्युत उपकरण

3872. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्रों को विद्युत उपकरण की आपूर्ति करने वाली कंपनियां अपने कारखाने आधी क्षमता से चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन एवं कोरिया सहित अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण ये कपंनियां प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये अपने मूल्यों में 15 से 25 प्रतिशत तक की कमी कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चीन और कोरिया सहित अन्य देशों से विद्युत उपकरणों की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत उपकरण की आपूर्ति में भारतीय कंपनियों की सहायता करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये गये?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) विदेशों से विद्युत उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन बड़ी विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को सरल बनाने के लिए सुपर क्रिटिकल विद्युत उपकरण के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भेल ने क्रमशः सुपर क्रिटिकल बॉयलर एवं टरबाइन जेनेरेटर के विनिर्माण के लिए मैसर्स एल्सटॉम (फ्रांस) एवं सीमेंट (जर्मनी) के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है देश में सुपर क्रिटिकल उपकरण के अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं से तकनीकी संबद्धता के साथ सुपरक्रिटिकल बॉयलर एवं टरबाइन जेनेरेटर के विनिर्माण के लिए कई संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं।

देश में चरणबद्ध विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की अनिवार्य शर्तो के साथ सरकार द्वारा सुपरक्रिटिकल यूनिटों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य एनटीपीसी एवं डीवीसी के लिए 660 मेगावाट प्रत्येक की 11 सुपर-क्रिटिकल यूनिटें तथा एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट प्रत्येक की 9 सुपरक्रिटिकल यूनिटों के लिए थोक आदेश का अनुमोदन दिया गया है एवं इन यूनिटों के लिए बोलियां एनटीपीसी द्वारा आमंत्रित की गई हैं। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों के देशी विनिर्माताओं को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन कंपनियों/यूटिलिटियों को सुपरक्रिटिकल परियोजनाओं के बॉयलर्स एवं टरबाइन-जेनरेटरों के लिए अक्तूबर, 2012 तक आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में चरणबद्ध स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की शर्तो को शामिल करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस

3873. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के मामलों का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम (सीएचएस), 1996 के नियम 14 के अंतर्गत सी एच एस डॉक्टरों के लिए परामर्श देना व निजी प्रैक्टिस करने सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध है। तथापि, वे प्रैक्टिस बंदी भत्ते के हकदार हैं।

(ख) 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस के मामले राज्यों द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित नहीं किए जाते हैं।

(ग) सी एच एस संवर्ग की प्रतिभागी इकाई होने के नाते विगत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने के चार मामले सूचित किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरु करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का गैर-कानूनी निर्यात

3874. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री पी. कुमार:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से लौह अयस्क के गैर-कानूनी निर्यात घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षो के दौरान आज तक ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला तथा सरकार ने कितनी खेप जब्त की है;

(ग) क्या सरकार के पास देश से लौह अयस्क के गैर-कानूनी निर्यात को रोकने हेतु कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार की इस प्रकार के गैर-कानूनी निर्यात को रोकने तथा इस प्रकार के निर्यात पर दंड लगाने हेतु कोई उपयुक्त निगरानी तंत्र एवं नियामक लाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) अवैध खनन की कुछ घटनाएं केन्द्र सरकार को मिली

हैं तथा इन्हें उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने लौह अयस्क के किसी खेप को जब्त नहीं किया है। तथापि, कर्नाटक राज्य वन विभाग ने बिना वैध परमिट के लगभग 8,05,991.083 मीट्रिक टन अयस्क जब्त किया है। जब्त माल को सुरक्षित अभिरक्षा की दृष्टि से बेलिकर बंदरगाह के पोर्ट कंजरवेटर के विवेकाधीन रखा गया था। तथापि, इस रिपोर्ट के आधार पर जब्त माल का अवैध रूप से निर्यात कर दिया गया है, कर्नाटक राज्य वन विभाग ने मामले की जांच की और यह पाया कि 6.00 लाख मीट्रिक टन जब्त माल अवैध रूप से निर्यात किया गया है। राज्य सरकार ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आरंभ की है।

(ग) से (ङ) सरकार ने दिनांक 9.2.2011 की अधिसूचना जी.एस.आर. 75 (ई) के द्वारा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 45 में संशोधन करके सभी खान मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्ट्स, निर्यातकों तथा अंत्य-उपयोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे स्वयं को भारतीय खान ब्यूरो से पंजीकृत करवाएं तथा खनिजों की आवाजाही के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य सरकार को सूचित करें। इस प्रकार के एक छोर से दूसरे छोर तक लेखांकन से लौह अयस्क के निर्यात सहित अवैध अत्खनित खनिजों के परिवहन की सम्भावना में कमी आएगी।

अनाथ बच्चे

3875. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री एस. अलागिरि:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में अनाथ बच्चों तथा अनाथालयों के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे बच्चों के कल्याण/पुनर्वास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा कितने उपयोग की जानकारी दी गई; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले अनाथालयों की संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सरकार के पास अनाथों की संख्या के बारे में कोई प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

तीन अधिनियमों अर्थात् स्त्री और बाल संस्था (अनुज्ञप्ति) अधिनियम, 1956; अनाथ आश्रम और अन्य पूर्त गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 औ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में से किसी भी एक अधिनियम के अंतर्गत अनाथाश्रम स्थापित किए जा सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम में यह अधिदेश है कि सभी बाल देखरेख संस्थाएं इन कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। इस उपबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कहती आ रही है।

वर्ष 2009-10 के पहले सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से दो स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता देती थी अर्थात् (1) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए शिशु गृहों को सहायता स्कीम और (2) अनाथों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम। इन दोनों स्कीमों को मंत्रालय द्वारा 2009-10 में शुरू की गई एक नई स्कीम अर्थात् समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है और उन्हें विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी और संस्थागत देखरेख घटकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत संस्वीकृत/निर्मुक्त निधियों, सहायता-प्राप्त गृहों की संख्या और शामिल किए गए अनाथों सहित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण II में दिया गया है।

राज्य सरकारों/एजेंसियों को निर्मुक्त सहायतानुदान सामान्यत: उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि कोई अव्ययित शेष हो तो निधियों के बाद की किस्त निर्मुक्त करते समय इसे घटाया जाता है।

(ङ) स्थापित करने हेतु अनाथाश्रमों की संख्या संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं और आईसीपीएस के अंतर्गत गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके अनुमोदन पर निर्भर करती है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान देश में दत्तक को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों को सहायता की स्कीम और किशोर न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायतानुदान (वर्ष-वार व राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों को सहायता की स्कीम						किशोर न्याय कार्यक्रम					
		2008-09			2009-10*			2008-09			2009-10*		
		शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	10	100	49.20	22	1564	78.24	-	-	-
2.	असम	1	10	7.56	-	-	-	12	500	94.85	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	10	4.96	-	-	-	1	20	-	-	-	-
4.	बिहार	1	10	2.24	1	10	4.65	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	12	415	43.75	-	-	-
6.	दिल्ली	-	-	-	1	10	4.55	20	1854	92.31	-	-	-
7.	गोवा	-	-	-	-	-	-	3	97	5.67	-	-	-
8.	गुजरात	9	90	35.67	-	-	-	57	2504	134.60	-	-	-
9.	हरियाणा	1	10	3.81	-	-	-	8	354	20.20	-	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	1	10	4.17	22	911	26.62	-	-	-
11.	कर्नाटक	4	40	18.64	-	-	-	76	2902	120.77	-	-	-
12.	केरल	3	30	14.24	3	30	11.54	30	834	58.20	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	1	10	2.63	1	10	2.63	-	-	-	26	3091	127.43
14.	महाराष्ट्र	8	80	37.15	8	80	32.72	755	48015	808.13	755	48015	665.41
15.	मणिपुर	6	60	2.48	6	60	29.73	12	470	25.44	-	-	-
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	4	86	10.72	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मिजोरम	2	20	7.98	–	–	–	4	225	10.97	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	2	100	6.21	–	–	–
19.	ओडिशा	5	50	16.82	4	40	15.32	5	260	8.00	–	–	–
20.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	7	15	520	51.37	–	–	–
22.	राजस्थान	1	10	2.52	2	20	6,47	63	3800	122.00	–	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	1	25	4.95	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–		42	2772	132.77	–	–	–
25.	त्रिपुरा	1	10	16.90	1	10	17.02	7	289	5.75	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	5	50	13.99	–	–	–	56	2127	151.54	–	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	1	10	4.07	39	2560	97.84	–	–	–
	कुल	49	490	187.59	39	390	182.07	1268	73204	2110.90	781	51106	792.84

*केवल वित्तीय वर्ष 2009-10 से पहले की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति के लिए।

विवरण II

वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2011-12 (12.12.2011 तक) के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायतानुदान (राज्य-वार एवं वर्ष-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्थागत देखरेख घटक								
		2009-10			20010-11			2011-12 (12.12.2011 तक)		
		शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22	1564	78-24	102	6012	553.50	102	6186	1036.80
2.	असम	7	500	20.59	5	285	52.36	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–			–	
4.	बिहार	–	–	–	21	785	363.62	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	13	415	37.63	–		–		–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	23	1904	164.15	25	2047	319.49
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	57	2504	228.49	57	2490	225.26	57	2490	316.12
9.	हरियाणा	9	354	20.76	12	361	212.24		–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–		–	–	–	22	1673	156.77
11.	झारखंड	–		–	–	–	–	16	644	150.37
12.	कर्नाटक	76	2902	121.87	62	2541	215.13	63	2328	614.85
13.	केरल	30	834	36.56	31	1001	206.42	–		
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–			
15.	महाराष्ट्र	–		–	738	52688	3201.28		–	–
16.	मणिपुर	12	470	24.65	12	520	26.43		–	–
17.	मेघालय	–	–	–	4	86	29.44	–		–
18.	मिजोरम	–			4	225	15.74	–	–	–
19.	नागालैंड	2	100	6.21		–	–	–	–	–
20.	ओडिशा	5	260	11.06	29	1598	255.36	27	1299	110.81
21.	पुदुचेरी	–	–	–	6	217	69.77			–
22.	पंजाब	–		–	–	–	–	15	396	231.13
23.	राजस्थान	63	3800	194.19	–	–	–	63	1971	646.91
24.	सिक्किम	–		–	–		–	1	7	9.67
25.	तमिलनाडु	42	2772	183.37	41	2187	60.04	41	2382	790.86
26.	त्रिपुरा	–	–	–	9	328	175.65	–	–	
27.	उत्तर प्रदेश	–		–	–	–	–	49	2162	696.65
28.	पश्चिम बंगाल	39	2560	92.76	43	2807	258.91	–	–	
	कुल	377	19035	1056.38	1199	76035	6085.30	481	23535	5080.43

वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2011-12 (12.12.2011 तक) के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायतानुदान (राज्य-वार एवं वर्ष-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी (एसएसए) घटक								
		2009-10			20010-11			2011-12 (12.12.2011 तक)		
		शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	23	230	65.35	23	230	119.48	23	230	142.88
2.	असम	1	10	4.54	5	50	15.15	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-	3	30	10.80	-	-	
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-		-	-	-
6.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	गुजरात	8	80	37.06	9	90	17.13	9	90	27.34
9.	हरियाणा	1	10	5.13	1	10	6.43	-	-	
10.	हिमचाल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	10	4.12
11.	झारखंड							3	30	11.9
12.	कर्नाटक	4	40	21.79	9	90	26.29	23	230	80.5
13.	केरल	2	20	16.42	3	30	24.30	-		
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-		-	-	
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	17	170	172.17	-		
16.	मणिपुर	6	60	32.21	6	60	39.70		-	-
17.	मेघालय	-	-	-	-	-		-	-	-
18.	मिजोरम	-	-		4	40	15.87			-
19.	नागालैंड	-	-	-	-	-				-
20.	ओडिशा	12	120	44.14	19	190	61.22	19	190	63.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-		-	-
22.	पंजाब	-	-		-	-	-	5	50	19.83
23.	राजस्थान	2	20	10.94	5	50	22.17	5	80	24.44
24.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	-	-	16	160	41.85	18	180	106.14	-
26.	त्रिपुरा	-	-	-	3	30	6.80	-	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	5	50	62.49
28.	पश्चिम बंगाल	1	10	5.47	20	200	59.98	-	-	-
	कुल	60	600	243.05	143.00	1430.00	639.34	111	1140	542.66

[हिन्दी]

निर्धन व्यक्तियों हेतु बीमा योजना

3876. डॉ. संजय सिंह:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धन लोगों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या राय है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में निर्धन लोगों को बीमे की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने देश के गरीब लोगों के लिए निम्नलिखित बीमा योजनाएं शुरु की हैं:

(i) **आम आदमी बीमा योजना:** आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को परिवार के मुखिया अथवा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के कमाने वाले एक सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से शुरु किया गया था। सदस्यों को 18 वर्ष से 59 वर्ष के आयुवर्ग का होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि 200 रु. प्रति सदस्य प्रति वर्ष है जिसे केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ii) **जनश्री बीमा योजना:** जनश्री बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे और सीमांत रूप से ऊपर के ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। चुने हुए 45 पेशेवर समूहों के ऐसे सदस्य इस पॉलिसी को अपनाने हेतु पात्र है, जिनकी आयु 18 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में हैं।

(iii) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु की थी। इस योजना में अस्थायी आधार पर 30,000 रु. तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष का कवर अस्पताल में भर्ती होने पर प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रीमियम का भुगतान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(iv) **सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना:** केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु की गयी थी और यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लाभार्थ सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों द्वारा परिचालित की जा रही है। यह पॉलिसी 70 वर्ष की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और मुख्यतः अस्थायी

आधार पर एक परिवार के लिए 30,000 रुपए तक के अस्पताल भर्ती लाभ को कवर करता है, जिसमें परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु के लिए 25,000 रु. तक का हर्जाना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त ऐसी कई सूक्ष्म बीमा योजनाएं हैं जिनमें कोई आर्थिक-सहायता (सब्सिडी) नहीं मिलती है।

निजी डॉक्टरों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क

3877. श्री महेश जोशी:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे डॉक्टर मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं और वे मरीजों को बाहर से परीक्षण कराने के लिए कहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अस्पतालों के शुल्क को तर्कसंगत बनाने और नोटिस बोर्ड पर शुल्क का ब्यौरा दर्शाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, चिकित्सक परामर्श के लिए मरीजों से कोई शुष्क नहीं लिया जाता है और अधिकांश जांचें, जिनके लिए अस्पताल में सविधाएं उपलब्ध हैं, निःशुल्क की जाती हैं। कतिपय प्रकार की जांचों और क्रियाविधियों के लिए नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के मरीजों/सीजीएचएस लाभार्थियों को इस प्रकार के प्रभारों से छूट प्रदान की गई है। कुछ अन्य मामलों में, मरीजों से अनुरोध किया जाता है कि वे उन जांचों/क्रियाविधियों को अस्पताल से बाहर करा लें, जिनके लिए अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन प्रभारों को निर्धारित किया जाता है और अस्पतालों में इन्हें सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाता है।

[अनुवाद]

पारस्परिक तंबाकू अंशदान

3878. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेतु पारस्परिक तंबाकू अंशदान (एसटीसी) का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एसटीसी के लिए कोई अंशदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य प्रणालियों के नवीन वित्त-पोषण संबंधी उच्च-स्तरीय कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों के प्रत्युत्तर में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा अक्तूबर, 2011 में तैयार किया गया 'दसोलिडेरिटी टोबैको कंट्रीब्यूशन' एक विचार दस्तावेज है।

अपने बृहतर राष्ट्रीय तंबाकू कर वृद्धियों के एक भाग के रूप में 'लघु माइक्रो लेवी' को शामिल करने के लिए एसटीसी की अवधारणा प्रतिभागी देशों के निर्णयों पर निर्भर करती है। भारत सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी बैंको का घाटा

3879. डॉ. रतन सिंह अजनाला:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री धर्मेंद्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त कुछ बैंक कथित रूप से जनता की जमा धनराशि को लेकर चंपत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने तथा सहकारी बैंकों का पुनरूद्धार करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) सरकरी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कुल मिलाकर तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लाभ कमाया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले राज्य-सहकारी बैंकों (एससीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एससीबी		डीसीसीबी		एससीएआरडी		पीसीआरडीबी		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2008-09	4	68.56	47	242.42	8	349.23	392	369.05	451	1,029.26
2009-10	2	208.06	47	523.92	9	154.86	425	539.15	483	1,425.99
2010-11	2	252.40	36	332.05	7	92.97	270	353.05	315	1,000.47

शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में कुल मिलाकर लाभ कमाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बैंकिंग विनियम, 1949 की धारा 22 (4) के प्रावधानों के अनुसार 75 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने पर शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से एक राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 36 से 5 बैंकिंग कम्पनियों के लिए कार्यालय परिसमापक की नियुक्ति, परिसमापन कार्य में लगे बैंकों की परिसमापन आगमों की प्रगति की निगरानी से संबंधित कार्य देखने के साथ ही जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की समाप्त कार्यवाहियों (वाइंडिंग प्रोसिडिंग्स) का त्वरित निपटान भी सुनिश्चित करता है।

बैद्यनाथ समिति-I की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने ग्रामीण भारत, विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को एक सुप्रबंधित है एवं आकर्षक माध्यम बनाने के लिए इसे पुनरुज्जीवित व पुन: सशक्त करने पर लक्षित एक पुनरुज्जीवन पैकेज तैयार किया है। एसटीसीसीएस के पुनरुज्जीवन पैकेज के अंतर्गत 9858.51 करोड़ रु. (भारत सरकार के हिस्से के रूप में 9002.98 करोड़ रु. तथा राज्य सरकार के हिस्से के रूप में 855.53 करोड़ रु.) 30 नवंबर, 2011 को जारी किए गए ताकि सत्रह राज्यों में 54728 एसटीसीसीएस संस्थाओं (54715 पीएसीएस तथा 13 सीसीबी) को उनकी संचित हानियां समाप्त करने के लिए पुनर्पूंजीकृत किया जा सके।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

3880 श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने देश में जनजातीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में स्वीकृत और जारी निधियों तथा राज्य सरकारों द्वारा बताए गए इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये संस्थान किस सीमा तक जनजातीय संस्कृति और भाषा का संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में सफल रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानो (टीआरआई) को सरकार द्वारा 50:50 शेयरिंग आधार पर दिया जाता है और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदान 100% दिया जाता है। इस समय, टीआरआई आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्य कर रही है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच व्यय अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने, आंकड़े एकत्र करने, जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण सम्मेलन/कार्यशालाएं करने, विभिन्न जनजातीय समुदायों की संस्कृति और भाषाओं, प्रथागत कानूनों के प्रलेखन, जनजातीय औजारों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालय की स्थापना आदि जैसे कार्यकलापों के लिए बांटा जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सूचित स्वीकृत/निर्मुक्त निधियां और इनकी उपयोगिता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जनजातीय भाषाओं सहित जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन टीआरआई का एक सतत कार्यकलाप हैं जनजातीय कला और औजारों का संरक्षण करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना जैसी परियोजनाएं और स्थानीय जनजातीय भाषाओं में शब्दकोषों, व्याकरणों, प्रवेशिकाओं आदि को तैयार करने जैसे कार्य टीआरआई द्वारा किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, टीआरआई जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के एक प्रयास के रूप में अपने राज्यों में जनजातीय त्यौहारों का भी आयोजन करता है।

विवरण

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की निर्मुक्त निधियां (लाख रु. में)

क्र.सं	राज्य टीआरआई का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		स्वीकृत/ निर्मुक्त	प्रयुक्त	स्वीकृत/	प्रयुक्त	स्वीकृत/	प्रयुक्त	स्वीकृत/	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	आंध्र प्रदेश	44.29	21.18	35.576	7.71	0.00	0.00	0.00	
2.	असम	50.75	12ण.25	17.436	35.81	32.69	34.84	40.84	
3.	झारखंड	29.87	28.18	41.79	41.79	0.00	0.00	88.31	
4.	गुजरात	8.65	8.65	95.83	74.31	39.91	39.91	15.00	
5.	केरल	0.00	0.00	13.31	13.31	40.00	38.87	0.00	
6.	मध्य प्रदेश	388.32	388.32	81.388	80.80	77.36	77.36	54.27	
7.	महाराष्ट्र	48.45	43.98	74.776	44.43	30.67	26.62	0.00	
8.	मणिपुर	0.00	0.00	57.50	57.50	49.00	49.00	55.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ओडिशा	77.25	77.25	50.31	29.04	64.83	0.00	0.00
10.	राजस्थान	0.00	0.00	23.00	4.175	15.82	2.85	0.00
11.	त्रिपुरा	39.13	39.13	47.25	47.25	40.00	40.00	0.00
12.	पश्चिम बंगाल	0.38	0.00	36.15	0.00	0.436	0.00	0.00
13.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
15.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	16.00	16.00	15.5	0.00	0.00
	कुल	687.09	618.815	607.551	452.125	406.216	309.45	262.42

नई पेंशन योजना निधि का निवेश न किया जाना

3881. **श्री नीरज शेखरः**
श्री यशवीर सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों से 2004 से 2008 तक एकत्र की गई धनराशि का निवेश नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक एकत्र और निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा खाते में जमा किए गए लाभ का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो एक और निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा खाते में जमा किए गए लाभ का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या अंशदान की गई परन्तु निवेश न की गई धनराशि पर ब्याज दिया जाएगा; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वर्ष 2004 से मार्च, 2008 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के अंशदान के रूप में एकत्रित कुल 971.48 करोड़ रुपए की राशि को भारत के लोक लेखा में जमा किया गया था।

(ग) अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा एननीएस की संस्थागत संरचना का परिचालन नहीं किया जा सका था। अत: एनपीसी के तहत् सरकारी कर्मचारियों के अंशदान का बाजार में निवेश नहीं हो सका था।

(घ) ये निधियां लोक लेखा में जमा की गई थी तथा इस अंशदान पर 8% वार्षिक की दर पर ब्याज दिया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) पीएफआरडीए को उद्देश्य एवं वित्तीय मानदण्ड पर आधारित संस्थागत संरचना की स्थापना में कुछ समय लगा, अतः, जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार द्वारा अंशदान पर 8% वार्षिक की दर पर ब्याज दिया गया था।

(ज) भाग (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

शिशुओं की चोरी

3882. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अक्सर शिशुओं की चोरी की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नालकों में अनियमितताएं

3883. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) में अपनी अधिप्राप्ति नीति का उल्लंघन करते हुए ठेका प्रदान करने में कथित अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच एजेंसी ने इस संबंध में जांच करने और संलिप्त पाए गए अधिकारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) नालको में पिछले तीन वर्षो के दौरान संविदा आबंटन के संबंध में कथित अनियमितताओं के निम्नलिखित मामले मिले हैं। इन मामलों में स्थित इनके सामने दर्शाई गई हैं:-

क्र.सं.	ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1.	मै. एनवार्यानिक्स को एकल निविदा आधार पर संविदा आबंटन	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मुख्य प्रबंधक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण) के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की सलाह दी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी है, को संसूचित कर दी गई है।
2.	एक स्थानीय ठेकेदार मै. आरकेडी कंसल्टेंट प्रा.लि. को संविदा आबंटन	मामले की केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके जांच की गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भावी संविदाओं में उन ठेकेदारों पर निविदा में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने हेतु उपर्युक्त उपबंधों के समावेश करने की सलाह दी है, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं। आपराधिक मामलों दोष सिद्ध हुए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह नालको को संसूचित की दी गई है।
3.	माइंस वॉइड लीन स्लरी मोड राख के निपटान के लिए संविदा का आबंटन	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निम्न पदस्थ बोर्ड एम्पलॉयज के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की सलाह दी है तथा बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों, विशेष रूप से कार्यकारी निदेशक (फंक्शनल डायरेक्टर) की भूमिका की जांच एक ऐसे अधिकारी से कराने की सलाह दी है जो नालको के बोर्ड में है/नहीं था। तदनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ने मै. माइंस वॉयड लीन स्लरी मोड राख निपटान हेतु आबंटित की गई निविदा के मामले में सीएमडी, नालको तथा अन्य अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नालको (निलंबनाधीन) के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6ए के अंतर्गत प्राथमिक जांच हेतु सलाह के अनुसार इस मामले में कार्यवाई आरंभ कर दी गई है।

आईएईए और डब्ल्यू आईपीओ के एक्सटर्नल ऑडिटरों के रूप में नियुक्ति

3884. **श्री नवीन जिंदलः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सांविधिक लेखापरीक्षक को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), वियना और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ), जेनेवा द्वारा एक्सटर्नल ऑडिटरों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के लेखापरीक्षकों द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की योजना देश के सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्र कार्यनिष्पादन और वित्तीय लेखापरीक्षा करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) (1) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सितम्बर, 2011 में हुए महा सम्मेलन ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को विदेशी लेखापरीक्षा नियुक्त किया जो वित्त वर्ष 2012 और 2013 के एजेंसी के लेखों की लेखा परीक्षा करेगा।

(2) सितम्बर, 2011 में आयोजित विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ महासभा ने चयन पेनल की सिफारिश को अनुमोदित किया जो जनवरी, 2012 से प्रारंभ छह वर्ष की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन विदेशी लेखा परीक्षक के रूप में सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति करने से संबद्ध था।

(ख) लेखा परीक्षा किए जाने वाले अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन निम्नलिखित हैं:

1. जून 2012 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
2. 2012 तक अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ)
3. जून, 2016तक विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)
4. 2012 तक अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)
5. जून, 2012 तक संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यूटीओ)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीजीएचएस हेतु सलाहकार समिति का गठन किया जाना

3885. **श्री मिथिलेश कुमारः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और रेजीडेंट वैल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की सलाहकार समिति का गठन करने का प्रावधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में उक्त समिति की डिसपेंसरी-वार कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(घ) सरकार द्वारा कितनी डिसपेंसरी और आरडब्ल्यूए की मांग का अनुमोदन किया गया है अथवा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पास औषधालय स्तर पर स्थानीय सलाहकार समितियां बनाने की एक प्रणाली है जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित क्षेत्र कल्याण अधिकारी और सदस्यों के रूप में पेंशनभोगियों के संघ के प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक सेवा प्रदानगी में सुधार करने हेतु सीजीएचएस लाभार्थियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए औषधालयों में हर महीने के दूसरे शनिवार को होती है।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्रों को भुगतान की गई धनराशि

3886. **श्री विष्णु पद रायः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), प्रचार और जगरूकता फैलाने के लिए अनुमत्य 1000/- रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईईसी प्रचार धनराशि का व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो प्रचार का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या तमिलनाडु, केरल में दिया जा रहा वेतनमान और आवास किराया भत्ता (एचआरए) अंडमान निकोबार द्वीप सूह के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लागू है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भुगतान किए जा रहे एचआरए की धराशि कितनी है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनको कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ग) जी, हां।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रचार किये गये व्यय का भुगतान फरवरी, 2012 तक किये जाने की संभावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उपयोग अवधि बीत जाने के पश्चात उत्पादों की बिक्री

3887. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाकलेट, वैफर्स चिप्स आदि जैसी आयातित वस्तुओं की उपयोग अवधि बीत जाने के पश्चात् भी देश के विभिन्न भागों में उनकी बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अनुसार, किसी भी पदार्थ की बिक्री "तारीख तक इस्तेमाल" या "संस्तुत अंतिम उपभोग तारीख" या "इस्तेमाल की अंतिम तारीख" के बाद नहीं की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों/विनियम का क्रियान्यन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कड़ी सतर्कता बरतते और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

आतंकवादियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में निवेश

3888. श्री प्रबोध पांडा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में आतंकवादियों द्वारा निवेश किए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी निवेश के सभी स्रोतों का पता लगाने के लिए किसी निगरानी तंत्र का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आतंकवादियों द्वारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में निवेश किए जाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वित्तीय आसूचना यूनिट भारत (एफआईयू-इंड), जो संदिग्ध वित्तीय कारोबारों से संबंधित सूचना की प्राप्ति, विश्लेषण और प्रसार के लिए जवाबदेह केन्द्रीय राष्ट्रीय अभिकरण है, उसके द्वारा संदिग्ध कारोबार रिपोर्टों ऐसे मध्यवर्तियों से प्राप्त किए जाने की खबर है जिनमें शेयर दलाल, आस्ति प्रबंध कंपनियों, आदि जैसे स्टॉक मार्केट की मध्यवर्ती शामिल हैं। इनमें से कुछ संदिग्ध करोबार रिपोर्टें काले धन को वैध करने एवं आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी हुई हैं। ये मामले और आगे जांच के लिए आसूचना अभिकरणों को भेजे गए थे।

(ख) शेयर दलालों, आस्ति प्रबंध कंपनियों आदि जैसे स्टॉक मार्केट की मध्यवर्तियों से प्राप्त आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी तथा एफआईयू-इंड द्वारा आसूचना अभिकरणों को प्रेषित संदिग्ध कारोबार रिपोर्टों की वर्षवार संख्या निम्नवत दी गई है:

वित्त वर्ष	एसटीआर की संख्या
2009-10	05
2010-11	04
2011-12 (30 नवम्बार, 2011 तक)	01

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार में किन्हीं कदाचारों को रोकने के लिए सदा सतर्क रहता है। यह भातीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, नियमों एवं विनियमों आदि के उपबंधों के उल्लंघनकर्ता संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी करता हैं सेबी और एक्सचेंजों से सूचीबद्ध कंपनियों की व्यापार गतिविधि के अनुवीक्षणार्थ निगरानी प्रणालियों स्थापित की हैं। इसके अलावा, धनशोधन रोधी का अधिनियम, 2002 वैधता निवारण में जुलाई, 2005 से संदिग्ध कारोबारां की सूचना देने संबंधी कार्यप्रणाली स्थापित की गई है। जैसाकि उक्त पैरा (क) में कहा गया है, एफआईयू भी प्रतिभूति बाजार को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफटीएफ) का भी सदस्य है जो काले धन को वैध बनाने एवं आतंकवाद वित्तपोषण से जूझने के लिए मानकों को तय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतः सरकारी निकाय है। एफएटीएफ मानकों और धनशोधन रोधी अधिनियम, एवं वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग रोकने एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की पहचान, निवारण करने तथा उसे कुचल देने के लिए 49 अनुशंसाएं जारी की हैं। एफएटीएफ मानकों और धनशोधन रोधी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार, विनियमित संस्थान 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) और ग्राहक के लिए उचित तत्परता (सीडीडी) संबंधी शासनादेशों को अमल में ला रहे हैं। उनसे यह भी अपेक्षित है कि लेन-देनों को मॉनीटर करें और 10 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देनों और सभी संदेहास्पद लेन-देनों की सूचना एफआईयू-इंड को दें। एफएटीएफ की सदस्यता भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को परस्पर कानूनी सहायता के जरिए और विनियामकों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना बांटकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना आदान-प्रदान करने में सहायता भी करती है।

(ङ) स्टॉक बाजारों में काला धन या आतंकवादी निधियों को आने से रोकने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक बाजारों में लेनदेन के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए ही किया जाएगा। बैंकों और अन्य वित्तीय मध्वर्तियों से भी अपेक्षित है कि वे एफएटीएफ सिफारिशों, धनशोधन रोधी अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और संगत नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित ग्राहकों के लिए उचित तत्परता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सेबी के पास पंजीकृत मध्यवर्ती जैसे म्युचुअल फंड, निक्षेपागार भागीदारी स्टॉक ब्रोकर आदि ग्राहकों को पंजीकृत करते समय सेबी द्वारा बनाए गए 'अपने ग्राहको को जानो' (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। इन मध्यवर्तियों से तथा वित्तीय क्षेत्र के अन्य रिपोर्टिंग निकायों जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं, भुगतान प्रणाली प्रचालक, कैसीनो आदि से अपेक्षित है कि जब भी उनके समक्ष प्रयासयुक्त लेन-देन सहित कोई ऐसा लेन-देन आए, जो:

(i) इस संदेह को एक ठोस आधार पर देता है कि इसमें अंतर्ग्रस्त राशि के कुछ भी होने के बावजूद, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध की आय शामिल हो सकती है; या

(ii) असामान्य अथवा अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में किया गया प्रतीत होता हो, या

(iii) इसमें कोई आर्थिक औचित्य अथवा सदाश्यी उद्देय शामिल नहीं हो; अथवा

(iv) संदेह के लिए ठोस आधार देता हो कि इसमें आतंकवाद से संबंधित कार्यकलापों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है,

तो वे राजस्व विभाग के वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-इंड) के समक्ष संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टे प्रस्तुत करेंगे।

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (बीआरआईसीएस) के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

3889. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वैष्ठिवक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक नीतिगत रवैये पर चर्चा करने के लिए सितम्बर में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में और बीआरआईसीएस देशों ने सामूहिक रूप में किसी ठोस नीतिगत रवैये को अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान 22 सितम्बर, 20011 को वाशिंगटन डीसी में भारत की अध्यक्षता में बीआरआईसीएस के वित्त मंत्रियों तथा केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई थी।

(ख) इस बैठक में, अन्य बातों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति के संबंध में बढ़ती हुई चिन्ता पर चर्चा की गयी तथा बैठक के अंत में सुदृढ़, सम्पोषणीय तथा संतुलित वैश्विक संवृद्धि

तथा विकास सुनिश्चित करने हेतु संवृद्ध को वापिस सही सहमति के मुद्दों की एक विज्ञप्ति जारी की गयी।

(ग) जी, हां। बीआरआईसीएस के वित्त मंत्री तथा केन्द्रीय बैंक के गर्वनर सहमत थे कि वर्तमान परिस्थिति में निर्णायक कार्रवाईयां अपेक्षित थीं।

(घ) बीआरआईसीएस के वित्त मंत्री तथा केन्द्रीय बैंक के गर्वनर आर्थिक संवृद्धि हासिल करने, वित्तीय स्थिरता कायम रखने तथा मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हुए। वे सुदृढ़ संवृद्धि को सम्पोषित करने के लिए ढांचागत सुधारों में तेजी लाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं जो देश में सरलता से विकास तथा गरीबी उपशमन को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक वृद्धि एवं पुन: संतुलन में लाभप्रद होगा। वह बीआरआईसीएस देशों की सहक्रियाएं बनाने हेतु उनमें व्यापार और निवेश प्रवाह को सघन बनाने के लिए भी काम करेंगे।

[हिन्दी]

पीएसयू द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण

3890. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खनिजों और खनन के सर्वेक्षण में लगे हुए सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से लाभ अर्जित कर रहे पीएसयू की संख्या कितनी है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने केवल पीएसयू को खनिज और धातु क्षेत्रों का आरक्षण करने के मौजूदा प्रावधानों को हटाने तथा छोटे तथा मझौले खनिज आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य और केन्द्र सहित 45 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) देश में खनिजों के सर्वेक्षण (गवेषण) और खनन में लगे हुए हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभकारिता के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि गवेषण में निजी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए, यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के पीएसयू को खनिज रियायत देते समय निजी क्षेत्र कंपनियों के समतुल्य समझा जाए। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय खनिज नीति में यह प्रावधान है कि खनन कार्यकलाप करने वाली राज्य एजेंसियों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) तथा उसे विनियमित करने वालों के बीच अनुकूल फासला होगा और यह क ऐसे क्षेत्रों, जहां निजी एजेंसियां कार्यरत नहीं हैं अथवा उन्होंने गवेषण और खनन के लिए आवेदन नहीं किया है वहां अयस्क भंडारों का राज्य एजेंसियां के लिए आरक्षण पारदर्शी और न्यायोचित ढंग से होगा। खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 के प्रारुप को 12.12.2011 को लोक सभा में रखा गया है जिसमें केवल संरक्षण के उद्देश्य से खनिजयुक्त क्षेत्रों के आरक्षण का प्रावधान है।

बैंक में सिक्युरिटी गार्ड्स

3891. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी सरकारी बैंकों/शाखाओं में पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सिक्युरिटी गार्ड्स मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बैंकों की शाखाओं की समीक्षा करने का है जिन्हें कम जोखिम शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिनमें कोई सशस्त्र सिक्युरिटी गार्ड नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उक्त शाखाओं/बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) सरकार क्षेत्र के बैंक संभावित जोखिम का जायजा लेत हुए अपनी शाखाओं पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करते हैं। शाखाओं क जोखिम संबंधी वर्गीकरण की समीक्षा समय-समय पर और यथावश्यकतानुसार की जाती है। जहां कहीं भी जरूरी होता है वहां पर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है और इसक अलावा बैंक शाखाओं की सुरक्षा के लिए यथावश्यकतानुसार पर्याप्त उपाय भी उठता है। इन उपायों में इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम तथा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को अधिष्ठापित करना जैसे उपाय शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यायन प्राधिकरण

3882. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा और प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएमएफए) का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं;

(ग) प्रत्यायन प्राधिकरण ने किस सीमा तक स्वास्थ्य देख-भाल में सुधार किया है और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाया है; और

(घ) सरकार द्वारा चिकित्सा देख-भाल सुविधाओं में और सुधार करने और इसके परिणामस्वरूप सरकारी अस्पतालों में उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, देश में स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से संसद द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा इसे बार अंगीकार किए जाते ही इससे इस कानून के अंतर्गत कवर किए गए सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा।

राज्य सहकारी निकायों को नाबार्ड की सहायता

3893. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कुछ सहकारी निकायों को केन्द्रीय सहायता देने से इंकार करने के कुछेक मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) नाबार्ड अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के लिए भारत सरकार के पुनरुज्जीवन पैकेज का क्रियान्वयन कर रहा है। तथापि, तीन राज्यों में नामत: गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा केरल ने उक्त पैकेज के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अत: ये राज्य इस पैकेज के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

यूनानी औषधालयों के विरुद्ध शिकायतें

3994. श्री शरीफुद्दीन शारिक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चल रहे विभिन्न यूनानी औषधालयों और उसमें कार्य कर रहे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकयतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी), सीजीएचएस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध प्राप्त केवल एक शिकायत प्राप्त हुई हैं।

(ग) स्थानीय शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी), सीजीएचएस, लखनऊ के स्थानांतरण के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

यूटेरस को हटाना

3895. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में दौसा जिले में उन कुछ महिला मरीजों के मामलों पर गौर किया है जिनके यूटेरस अवैध रूप से हटा दिए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोषी पाए गए चूककर्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार जिला दौसा के बांदीकूई के निजी अस्पतालों में काफी बड़ी संख्या में गर्भाशय निकालने के बारे में जयपुर के एक संगठन से एक शिकायत जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त हुई थी। मामले की जांच एसएमएस मेडिकल कॉलेज के तीन विशेषज्ञों से बनी एक राज्य स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी तथा इसका निष्कर्ष था कि हिस्टेरेक्टॉमियां लक्षणों के अनुसार की गई थी।

विद्युत क्षेत्र हेतु राजसहायता

3896. श्री धर्मेन्द्र यादवः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2050 तक 2,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन संबंधी महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में 82,000 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना जलवायु संबंधी विचार-विमर्श में भाग ले रहे तीन मंत्रालयों के बीच विवाद का विषय बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में वर्ष 2050 तक 2,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पाद के लिए 82,000 करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं की मृत्यु

3897. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष सेप्सिस के कारण लगभग 1,90,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है तथा 30 प्रतिशत से अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां।

(ख) मिलियन मृत्यु अध्ययन के अनुसारद्व भारत में सभी बच्चों की मौतों में से 12% मौतें नवजात संक्रमण के कारण होती हैं। पांच वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों में प्रति हजार जीवित जन्मों 64 की दर के साथ, ये 190000 मौते होंगी।

अस्पताल संरचनाओं में किए गए विभिन्न अध्ययनों ने दर्शाया है कि नवजात सेप्सिस मामलों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध 30 से लेकर 50 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:-

(1) एंटीमाइक्रोबायल प्रतिरोध के नियंत्रण पर राष्ट्रीय नीति-भारत 2011 जो निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है (क) एंटीबायेटिक्स के प्रयोग एवं दुरुपयोग की मॉनीटरिंग, (ख) एंटीबायोटिक प्रतिरोध की मॉनीटरिंग के लिए अस्पताल आधारित प्रहरी निगरानी प्रणाली, (ग) प्रेस्क्रिप्शन प्रणाली का प्रलेखन और मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना, (घ) मानव, पशु और औद्योगिक प्रयोग में एंटीबायोटिक के उपयोग के लिए विनियामक प्रावधानों को प्रवृत्त करना।

(2) संक्रमण नियंत्रण और रोगी सुरक्षा उपायों पर दिशानिर्देश।

(3) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान और मानक प्रचालन प्रोटोकॉलों पर दिशानिर्देश।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण

3898. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन दरों पर ऐसे ऋण लिए गए थे; और

(ग) उक्त वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जिनसे ये ऋण लिए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने जिन विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, उनके नाम तथा उसके ब्याज की दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) (विश्व बैंक): दिनांक 1 जुलाई, 2011 के बाद हुए समझौते वाली परियोजनाओं हेतु 1.25% पूर्ववर्ती परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक कोई ब्याज प्रभारित नहीं कर रहा था।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)-विश्व बैंक: ब्याज: लिबोर (6 माह)+ परिवर्ती स्प्रैड (लिबोर पर परिवती स्प्रैड प्रत्येक 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को पुन: परिकलित किया जाता है तथा ऋण की औसत परिपक्वता पर भी निर्भर होता है)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)-ब्याज: लिबोर+1 जुलाई, 2011 को अथवा उसके बाद हुए ऋण समझौतों हेतु 40 बीपीएस।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जेआईसीए): सामान्य परियोजनाओं हेतु ब्याज दर 1.4% है तथा पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं हेतु ब्याज दर 0.65% है।

केएफडब्लू जर्मनी: मानक ऋण ब्याज दर 0.75% है तथा घटे हुए ब्याज ऋण एवं विकास ऋण पर केएफडब्लू की पुनर्वित्तपोषण लागत 6-माह यूरीबोर में से 75 आधार बिंदु घटाकर है।

एएफडी, फ्रांस: 6-माह यूरीबोर अथवा मार्जिन के बगैर समकक्ष निर्धारित दर। (0.25% की न्यूनतम ब्याज दर (निम्नतम)

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी): आहरित ऋण पर केवल 0.75% सेवा प्रभार लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए पैथालॉजी सुविधाएं

3899. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सीजीएचएस से मान्यता-प्राप्त पैथालॉजिकल प्रयोगशाला रक्त परीक्षण और अन्य परीक्षणों में सीजीएचएस पेंशन भोगियों को कोई प्राथमिकता नहीं देती;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोगशालाओं को सभी कार्य दिवसो में सीजीएचएस पेंशनभोगियों को वरीयता देने और उनके लिए अलग काउंटर खोलने का निदेश देने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की कभी जांच की है तथा यदि, हां? तो उनकी गुणवत्ता में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है एवं उक्त के सुधार के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या विवाहित पुत्रियों को उनके विवाह के बाद उनकी बीमारी के इलाज, जिसका उपचार उनकी शादी के पूर्व नहीं हो सका, सीजीएचएस लाभार्थी के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए; और

(ङ) क्या इस आशय का कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं से सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को वरीयता के आधार पर उपचार प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वे वरिष्ठ नागरिक हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने सेवाओं की गुणवत्ता सनिश्चित करने के लिए सीजीएचएस के अन्तर्गत नैदानिक प्रयोगशालाओं के पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदण्डों के रूप में एनएबीएल मान्यता निर्धारित की है।

(घ) और (ङ) मौजूदा सीजीएचएस नीति के अनुसार, यदि बेटी का एक बार विवाह हो जाए तो वह अपने पिता पर आश्रित नहीं रहती है। तदनुसार, उन्हें सीजीएचएस सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सीजीएचएस लाभार्थी के परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन योजना

3900. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सौर या पवन ऊर्जा या दोनों के लिए प्रयोज्य है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित अर्हता तथा न्यूनतम क्षमता क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) मंत्रालय की पवन और सौर ऊर्जा के लिए अलग से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) स्कीम पहले से ही शुरू है।

(ख) और (ग) पवन विद्युत हेतु स्कीम के तहत 62 लाख रु. प्रति मेवा. की सीमा के साथ कम से कम चार वर्ष और अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की 0.50 रु. प्रति यूनिट की दर से जीबीआई उपलब्ध कराया जाता है। यह स्कीम त्वरित मूल्यह्रास के समानान्तर है लेकिन एक पारस्परिक विशेष पद्धति पर है। एक वर्ष में कुल संवितरण प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा अर्थात् पहले चार वर्षों के दौरान 15.50 लाख रु. प्रति मेवा. के एक चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कीम में कैप्टिव पवन विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं लेकिन तीसरे पक्ष को बिक्री शामिल नहीं है (अर्थात् व्यापारी विद्युत संयंत्र)।

सौर ऊर्जा हेतु स्कीम के तहत, राज्य यूटीलिटीज की वितरण ग्रिड (33 केवी से कम) से जुड़ी लघु ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाओं की सहायता करने के लिए जीबीआई उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा लगभग 98 मेवा. की कुल क्षमता के साथ 78 परियोजनाओं का चयन किया गया है जिसके लिए मंत्रालय परियोजना विकासकर्त्ताओं से सीधे सौर विद्युत की खरीद करने पर राज्य यूटीलिटीज को 12.41 रु. प्रति किवा. घंटा का जीबीआई उलब्ध कराएगा। वर्ष 2010-11 के लिए सीईआरसी शुल्क दर (17.91 रु. प्रति किवा. घंटा) और 5.5 रु. प्रति किवा. घंटा की संदर्भ शुल्क दर के अंतर के रूप में यूटीलिटीज को जीबीआई की मात्रा निर्धारित की गई है। इन परियोजनाओं के वर्ष 2011-12 के दौरान आरंभ हो जाने की संभावना हैं इस समय, नए परियोजना प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए स्कीम नहीं खुली है।

(घ) दोनों स्कीमों के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

पवन विद्युत हेतु जीबीआई

स्कीम के तहत कोई न्यूनतम क्षमता निर्धारित नहीं की गई है। यह स्कीम दिनांक 17.12.2009 को/के बाद कमीशन की गई परियोजनाओं को त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए और एसईआरसी और/अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्कदर पर ग्रिड को बिजली की बिक्री करनी चाहिए। परियोजनाओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के साथ ऑन-लाइन पंजीकृत करना होगा।

सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु जीबीआई

स्कीम के तहत 33 केवी से कम की एचटी ग्रिड से जुड़ी 100 किवा. से 2 मेवा. प्रत्येक की क्षमता श्रेणी में ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं पात्र हैं। परियोजना विकासकर्ता को पहले राज्य द्वारा नामित एजेंसी के साथ और उसके बाद इरेडा के साथ ऑन-लाइन पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। इरेडा के साथ पंजीकृत पहली 100 किवा. क्षमता की परियोजनाएं जीबीआई के लिए पात्र हैं। परियोजना विकासकर्ता को कार्य-निष्पादन और सौर विद्युत संयंत्र की ग्रिड कनेक्टिविटी पर तकनीकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क विभाग के पास खोजी कुत्ते

3901. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी खबरें हैं कि सीमाशुल्क विभाग औषधि तथा जाली मुद्रा का पता करने के लिए खोजी कुत्तों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को देखने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें, यदि कोई हैं, तो क्या हैं; और

(ङ) सीमाशुल्क विभाग को पर्याप्त संख्या में खोजी कुत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में सीमाशुल्क विभाग के पास केवल ग्यारह (11) खोजी कुत्ते हैं जिन्हें आईजीआई हवाई पत्तन, नई दिल्ली तथा सीएसआई हवाई पत्तन, मुम्बई तथा अमृतसर हवाई पत्तन पर स्वापक औषधियों आदि का पता करने के लिए लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के ब्यौरे 'विवरण' के रूप में संलग्न है।

(ङ) जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर जरूरत पड़ती है तो विभाग के पास उपलब्ध खोजी कुत्ते के दस्ते को जांच के लिए बुलाया जाता है। क्षेत्री कार्यालय भी, जब कभी भी जरूरत पड़े, राज्य पुलिस तथा अन्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के पास उपलब्ध खोजी कुत्तों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

विवरण

इस विषय पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधियों सहित सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अंतर्गत संभार-तंत्र निदेशालय में पर्याप्त कर्मचारियों सहित एक अलग विशेष श्वानीय जांच स्थापना को गठित किया जाना चाहिए।

(ख) विभिन्न ग्रेडों में 79 खोजी कुत्तों तथा 172 कार्मिकों को तैनात करने का प्रस्ताव;

(ग) स्थिर तथा गतिशील दोनों प्रकार के कुत्ता घरों का प्रयोग किया जाना;

(घ) कुत्तों की देखभाल करने वालों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया जाना जिसमें भर्ती नियमावली में भूत-पूर्व सैनिकों को शामिल करने का उपबंध हो।

[अनुवाद]

पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर

3902. श्रीमती जे. शांता: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य से पेट्रोल तथा डीजल उपकर के मद में संग्रहित राशि कितनी है;

(ख) क्या इस निधि का कोई भाग कर्नाटक को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसी शीर्ष के अंतर्गत संग्रहित धनराशि का प्रतिशत तथा अन्य राज्यों को वितरित धनराशि का प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) डीजल और पेट्रोल पर संग्रहित अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की राज्य-वार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए ऐसी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से संग्रहित कुल राशि निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

2009-10	2010-11
16591	16979

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सड़क कोष का उपयोग सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं (एनएचडीपी) के विकास तथा राज्य सड़कों (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के विकास के लिए किया जाता है। कर्नाटक राज्य के लिए केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) तथा आर्थिक महत्व (ईआरई) और अंतर-राज्य संपर्क (आईएससी) के अंतर्गत आवंटित कोष निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष	कुल सीआरएफ जमा	कर्नाटक के लिए सीआरएफ जमा	ईआई एवं आईएससी के अंतर्गत कुल आवंटन	कर्नाटक को ईआई एवं आईएससी के अंतर्गत आवंटन
2008-09	1671.64	103.82	185.74	20.36
2009-10	1786.56	105.84	198.50	10.27
2010-11	2014.87	118.45	223.88	14.95

जहां तक ग्रामीण सड़कों के विकास का संबंध है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जो एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क का प्रावधान किया गया है। डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित राशि में से 0.75 रु. प्रति लीटर पीएमजीएसवाई के लिए आवंटित हैं वर्ष 2010-11 के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की शेष राशि (एनएबीएआरडी) ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद) पर आर्धारित निधियों का सांकेतिक आवंटन 38.59 करोड़ रु. था और वर्ष 2010-11 के दौरान कर्नाटक राज्य को जारी कुल निधि 927.68 करोड़ रु. थी।

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व प्रारंभ में भारत के समेकित कोष में जमा कर दिया जाता है। और इसके बाद संसद संग्रहण की लागत का समायोजन कर ऐसी प्राप्तियों को विनियोजन द्वारा केन्द्रीय सड़क को (सीआरएफ) में जमा कर देता है। इसके बाद योजना आयोग द्वारा सीआरएफ तीन मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच केन्द्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विहित तरीके से वितरित कर दिया जाता है। विगत दो वर्षो के दौरान सी आरएफ ईआई और आईएससी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस शुल्क से प्राप्त निधियों को आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सीआरएफ, ईआई तथा आईएससी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से निधियों का आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम (यूटी)	सीआरएफ जमा 2009-2010	सीआरएफ जमा 2010-2011	वर्ष 2009-10 के दौरान ई आई और आईएससी के अंतर्गत कुल आबंटन	वर्ष 2010-2011 के दौरान ई आई और आईएससी के अंतर्गत कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	148.91	170.33	9.55	10.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.38	35.42	11.90	4.7
3.	असम	35.05	38.91	1.62	2.23
4.	बिहार	46.28	53.61	6.44	0
5.	छत्तीसगढ़	58.43	66.39	1.97	3.50
6.	गोवा	5.87	6.19	0	.0
7.	गुजरात	107.48	119.81	16.98	22.62
8.	हरियाणा	47.55	55.36	6.99	0
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	27.48	8.37	0
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	96.97	0	12.95
11.	झारखंड	39.44	44.13	14.13	17.91
12.	कर्नाटक	105.84	118.45	10.27	14.95

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	36.54	40.26	11.34	0.85
14.	मध्य प्रदेश	133.63	152.33	6.07	41.28
15.	महाराष्ट्र	174.92	199.75	2.57	0
16.	मणिपुर	8.90	10.07	4.8	3.51
17.	मेघालय	10.40	11.81	1.07	0
18.	मिजोरम	8.20	0.29	2.85	4.21
19.	नागालैंड	6.61	7.35	4.75	29.58
20.	ओडिशा	70.56	79.74	14.87	5
21.	पंजाब	48.69	50.71	4.05	5.54
22.	राजस्थान	158.91	177.30	5.57	6.68
23.	सिक्किम	2.99	3.48	9.32	13.96
24.	तमिलनाडु	93.98	109.16	13.64	4
25.	त्रिपुरा	4.62	5.22	0.38	0
26.	उत्तराखंड	25.74	28.84	5.59	0
27.	उत्तर प्रदेश	140.65	157.93	6.15	4.48
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	59.23	1.49	0
	गैर आवंटित	0.00	0.00	1.94	0.05
	कुल योग	1716.21	1935.52	184.67	208.27
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.50	3.94	1	0.01
30.	चंडीगढ़	3.75	4.23	0.5	5
31.	दादरा और नगर हवेली	1.75	1.98	0	0
32.	दमन और दीव	1.33	1.50	0	2.5
33.	दिल्ली	51.78	58.40	0	2
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.15	0	0
35.	पुदुचेरी	8.11	9,15	0	4
	आरक्षित			12.33	2.10
	कुल योग	70.35	79.35	13.83	15.61
	योग	1786.50	2014.87	198.50	223.88

ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की सहायता

3903. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि का व्यय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत् देश में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 के दौरान संवितरण	2009-10 के दौरान संवितरण	2010-11 के दौरान संवितरण	2011-12 (30 नवंबर, 2011 तक) के दौरान संवितरण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	498.97	443.53	292.73	198.78
2.	बिहार	222.67	201.14	120.35	26.82
3.	छत्तीसगढ़	24.94	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	452.85	610.83	235.92	24.50
6.	हरियाणा	75.51	67.20	55.90	17.28
7.	हिमाचल प्रदेश	63,24	137.67	112.88	45.42
8.	जम्मू और कश्मीर	341.37	314.88	329.92	113.10
9.	झारखंड	96.92	171.46	177.07	9.65
10.	कर्नाटक	212.31	233.86	287.70	72.88
11.	केरल	28.40	51.19	34.92	41.88
12.	मध्य प्रदेश	73.58	132.77	140.50	96.07
13.	महाराष्ट्र	250.56	306.52	214.14	95.55
14.	ओडिशा	101.98	213.33	222.16	80.42
15.	पंजाब	98.05	175.33	149.73	119.89
16.	राजस्थान	234.13	247.36	323.43	167,64

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	412.85	445.42	247.06	190.01
18.	उत्तर प्रदेश	101.24	188.56	150.10	116.29
19.	उत्तराखंड	32.13	90.61	173.49	138.85
20.	पश्चिम बंगाल	223.21	311.37	321.91	119.59
21.	पुडुचेरी	0.70	21.88	1.71	
22.	अरुणाचल प्रदेश	42.19	54.24	2.07	0.00
23.	असम	11.72	40.27	12.31	8.58
24.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	मेघालय	0.00	30.06	20.23	17.82
26.	मिजोरम	6.02	25.85	14.17	14.47
27.	नागालैंड	23.31	24.85	0.00	7.50
28.	सिक्किम	9.30	8.50	21.10	19.24
29.	त्रिपुरा	0.00	0.00	6.43	6.43
	योग	3,637.44	4,527.49	3,688.10	1,750.37

[हिन्दी]

सेवा कर की माफी

3904. श्री मातोराव सैनुजी कोवासे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग को राष्ट्रमंडल युवा खेल प्रतियोगिता, 2008 के दौरान श्री दत्रपति क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे तथा नवीन बंधकामावर के आधुनिकीकरण के संबंध में सेवा कर को माफ करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी हां। निदेशक क्रीड़ा, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 13 मार्च, 2008 तथा 18 अगस्त, 2008 के पत्रों द्वारा राष्ट्रमंडल युवा खेल प्रतियोगिता, 2008 की पृष्ठभूमि में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स काम्पलैक्स के नवीनीकरण तथा नव निर्माण के सिविल निर्माण कार्यों के संबंध में सेवा कर में छूट हेतु केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 13 मार्च, 2008 के पत्र के लिए 12 मई, 2008 को एक सीधा उत्तर भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 18 अगस्त, 2008 के पत्र के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2008 को सीधा उत्तर भेजा गया। इन दोनों पत्रों में संसूचित किया गया कि सेवा कर लगाया जाता है तथा छूट प्रदान नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध की तीसरी बार दिनांक 12 मई, 2010 को माननीय सांसद श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए इसी विषय पर नियम 377 के अंतर्गत एक नोटिस के परिप्रेक्ष्य में दोबारा जांच की गई। दिनांक 12 मई, 2010 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा संबोधित एक उत्तर दिया गया जिसमें यह दोहराया गया था कि सेवा कर लगाया जायेगा तथा छूट प्रदान नहीं की जा सकती।

(ग) सेवा कर में छूट के प्रस्ताव की जांच की गई है तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आदिम जनजाति समूहों को बीमा कवर

3905. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में आदिम जनजाति समूहों (पीटीजी) के पारिवारिक सदस्यों को बीमा कवर उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले लाभान्वित पीटीजी की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित एवं जारी की गई धनराशि तथा राज्य सरकारों द्वारा इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश

3906. श्री रामसिंह राठवा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कारण भारी संख्या में जनजातियां विस्थापित की गई हैं यद्यपि उन्हें मामूली लाभ प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे क्षेत्रों में की गई परियोजनाओं की संख्या तथा इन परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को जनजातियों के विकास के लिए क्षेत्र एप्रोच के स्थान पर परिवार केन्द्रीय एप्रोच अपनाने संबंधी सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रावघाट परियोजना

3907. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित रावघाट परियोजना पर कार्य अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सुरक्षा कारणों से भिलाई इस्पात संयंत्र के रावघाट परियोजना के लिए खान और रेल लाइन के विकास में देरी हो रही है जिसने पेड कटाई कार्यकलापों को प्रभावित किया है। पर्याप्त सुरक्षा संबंधी मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

पीएसयू में विनिवेश

3908. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की 5 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी पूंजी विनिवेश को स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों (पीएसयू) प्रदत्त इक्विटी पूंजी के कितने प्रतिशत विनिवेश की अनुमति दी है;

(घ) उक्त विनिवेश के परिणामस्वरूप पीएसयू-आर विशेषकर ओएनजीसी से कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) प्रक्रिया के कब तक शुरू होने तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश का निर्णय सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार है।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. की 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का विनिवेश संपन्न किया गया है और इससे सरकार को 1144.55 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा, सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. की 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. की 5% प्रदत्त इक्विटी पूंजी ओर राष्ट्रीय भवन निर्माण लि. की 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश का अनुमोदन किया है।

(घ) शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि बिक्री करने के समय बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अत: प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुमान लगाया संभव नहीं है।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.; भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. और राष्ट्रीय निर्माण निगम लि. के विनिवेश प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। इन सौदों के सम्पन्न होने की कोई समय-सीमा बताना कठिन है क्योंकि यह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी की तैयारी तथा बाजार परिस्थितियों जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

जनजातियों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

3909. श्री हरिश्चन्द चव्हाण: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों विशेषकर महिलाओं में स्वास्थ्य ययोजनाओं के बारे में जागरुकता के कम स्तर पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय महिलाओं संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों खासकर सिकल सेल आदि के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में समन्वय करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सितंबर, 2011 में सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में सीकल सेल अनीमिया, मलेरिया और टी.बी. की समस्या स्वास्थ्य औ परिवार कलयाण मंत्रालय के समक्ष उठाई गई थी। इससे पूर्व अगस्त, 2011 में मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा की थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सिकल सेल बीमारी सहित जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर संबंधी एक कार्य योजना योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

सफदरजंग अस्पताल में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं से लैस स्कंध

3910. श्री पूर्णमासी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सफदजंग अस्पताल में 550 बिस्तरों वाला विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं से लैस (सुपर स्पेश्यालिटी) स्कंध निर्मित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति या है;

(ग) क्या पेंशभोगियों सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बिना किसी स्वीकृति के अपनी पसंद के सीजीएचएस पैनलबद्ध किसी भी निजी अस्पताल में किसी भी बीमारी की चिकित्सा कराने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सफदरजंग अस्पताल के कैम्पस में 360 बिस्तर वाले एक अति विशिष्टता स्कंध के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) सेवारत कर्मचारियों के मामले में उनके मंत्रालय/विभाग की और पेंशनभोगियों के मामले में वेलनेस केन्द्र के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति से पेंशनभोगियों सहित सीजीएसएच के लाभार्थियों को अपने पसन्द के सीजीएचएस पैदलबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार करवाने की अनुमति है। पैदलबद्ध अस्पताल द्वारा अस्पताल और सीजीएचएस के बीच हुए करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सीजीएचएस अनुमोदित दर पर उपचार किया जाता है। तथापि, आपातकालीन स्थिति में लाभार्थी किसी भी निजी अस्पताल में जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0$^1/_4$ बजे

इस समय श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री घनश्याम अनुरागी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0$^1/_4$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री गुलाम नबी आजाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5659/15/11]

(3) (एक) पोस्टग्रेज्युएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेज्युएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन परर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) पोस्टग्रेज्युएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5660/15/11]

(5) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5661/15/11]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5662/15/11]

(7) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5663/15/11]

(9) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 से 2010-2011 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 से 2010-2011 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5664/15/11]

...*(व्यवधान)*

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई, के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई, के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5665/15/11]

(2) (एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5666/15/11]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5667/15/11]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5668 /15/11]

(1) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5669 /15/11]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5670/15/11]

(3) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5671/15/11]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक माहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5672/15/11]

(ख) (एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5673/15/11]

(ग) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5674/15/11]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनेंस एंड पॉलिसी, वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाईनेंस एंड पॉलिसी, वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5675/15/11]

(3) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई, के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई, के वर्ष 2010-2011 के मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5676/15/11]

(4) (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5677/15/11]

(5) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5678/15/11]

(6) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5679/15/11]

(दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5680/15/11]

(तीन) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5681/15/11]

(चार) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5682/15/11]

(पांच) पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5683/15/11]

(छह) जे.एंड.के. ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5684/15/11]

(सात) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5685/15/11]

(आठ) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5686/15/11]

(नौ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5687/15/11]

(दस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5688/15/11]

(ग्यारह) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलंगीर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5689/15/11]

(बारह) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5690/15/11]

(तेरह) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5691/15/11]

(चौदह) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5692/15/11]

(पंद्रह) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5693/15/11]

(सोलह) लांगपी देहांगी रूरल बैंक, डिफू

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5694/15/11]

(सत्रह) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक नांदेड़

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5695/15/11]

(अठारह) बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5696/15/11]

(उन्नीस) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5697/15/11]

(बीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5698/15/11]

(इक्कीस) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5699/15/11]

(बाईस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्पा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5700/15/11]

(तेईस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5701/15/11]

(चौबीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5702/15/11]

(पच्चीस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजोल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5703/15/11]

(छब्बीस) एमजीबी ग्रामीण, मारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5704/15/11]

(सत्ताईस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5705/15/11]

(अठाईस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5706/15/11]

(उनतीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5707/15/11]

(तीस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5708/15/11]

(इकतीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5709/15/11]

(7) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5710/15/11]

(8) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलाहाबद बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5711/15/11]

(दो) आंध्रा बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5712/15/11]

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5713/15/11]

(चार) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5714/15/11]

(पांच) केनरा बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5715/15/11]

(छह) आईडीबीआई बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5716/15/11]

(सात) इंडियन ओवरसीज़ बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5717/15/11]

(आठ) इंडियन बैंक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5718/15/11]

(नौ) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5719/15/11]

(दस) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5720/15/11]

(ग्यारह) बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5721/15/11]

(बारह) यूको बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5722/15/11]

(9) संविधान के अनुच्छेद 1515 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2011-12 का संख्यांक 23)-कर की मांग के लिए बकाया राशि की वसूली के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5723/15/11]

(दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2011-12 का संख्यांक 21)-वैज्ञानिक विभाग-भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5724/15/11]

(10) (एक) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5725/15/11]

(11) (एक) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5726/15/11]

(12) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयातकों और निर्यातकों के परिसर में तत्स्थानिक स्वीकृति पश्चात् लेखापरीक्षा विनियम, 2011 जो 4 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5727/15/11]

(दो) सा.का.नि. 801 (अ) जो 9 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5728/15/11]

(तीन) सा.का.नि. 819 (अ) जो 17 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टेलीविजनों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित एलसीडी पैनल से संबंधित वास्तविक प्रयोक्ता शर्त को हटाना तथा 20 ईंच और उससे अधिक के एलसीडी टीवी पैनलों की प्रविष्टि के विवरण में आशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5729/15/11]

(चार) बैगेज (संशोधन) नियम, 2011 जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 809 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5730/15/11]

(13) सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत सा.का.नि. 810 (अ) जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर और चीनी ताइपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कम्पैक्ट सिस्क्स-रिकॉर्डेबल के आयात पर वर्तमान सनसेट रिव्यू के आरंभ होने की तारीख अर्थात् 3 अक्तूबर, 2012 सहित उस तारीख तक और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5731/15/11]

(14) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 813 (अ) जो 16 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 14/2007-के.उ.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5732/15/11]

(दो) सा.का.नि. 851 (अ) जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ होकर 17 नवम्बर, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त मद पर शुल्क नहीं लगाए जाने की सामान्य प्रक्रिया को देखते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की संदायगी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5733/15/11]

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 23 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एलडी-एनआरओ जीएन/2011-12/25/30309 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 10 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/26/31671 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5734/15/11]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5735/15/11]

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5736/15/11]

(ग) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेश्न लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेश्न लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5737/15/11]

(घ) (एक) पंजाब अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5738/15/11]

(ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5739/15/11]

(च) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5740/15/11]

(छ) (एक) कुमारक्रुप्पा फ्रंटीयर होटल्स् प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारक्रुप्पा फ्रंटीयर होटल्स् प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5741/15/11]

(ज) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5742/15/11]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभ पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5743/15/11]

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड नुट्रीशन पूसा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड नुट्रीशन पुसा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5744/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5745/15/11]

(ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5746/15/11]

(ग) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5747/15/11]

(घ) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5748/15/11]

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्वुरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5749/15/11]

(1) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान) बंगलौर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5750/15/11]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय) वड़ोदरा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5751/15/11]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय) भुवनेश्वर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5752/15/11]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र) चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5753/15/11]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पंजाब विश्वविद्यालय) चंडीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5754/15/11]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5755/15/11]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान सस्थान) धारवाड़

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5756/15/11]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान), गांधीधाम

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5757/15/11]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5758/15/11]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5759/15/11]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पटना विश्वविद्यालय), पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5760/15/11]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले राजनीतिक और आर्थिक संस्थान), पुणे

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5761/15/11]

(तेरह) अनुसंधान केन्द्र (डॉ. हरसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5762/15/11]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), हिमाचल प्रदेश

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5763/15/11]

(पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5764/15/11]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5765/15/11]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखादिया विश्वविद्यालय), उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5766/15/11]

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5767/15/11]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर कार्य सारांश

[अनुवाद]

महासचिवः मैं संसदीय समितियांः वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को छोड़कर)- कार्य-सारांश (1 जून, 2009 से 31 मई, 2010 तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5768/15/11]

अपराह्न 12.03$^1/_2$ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 21वां और 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006-उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के कार्यान्वयन के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73क के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्यवन की स्थिति के संबंध में सभा पटल पर रखता हूं।

अनुसूचित जनजातियों और "अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 इसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति द्वारा जांच कर ली गई है और 16.11.2010 को संसद में इस संबंध में अपने दसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दिया है। उक्त रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23011/145/2009-एसजी-II (एफआरए) (खण्ड-II) दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा लोक सभा सचिवालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति) को भेज दिया गया है।

रिपोर्ट में 23 सिफारिशें की गई हैं। समिति द्वारा की गई सभी 23 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5769/15/11]

अपराह्न 12.04$^1/_4$ बजे

(दो) डरबन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं डरबन में पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं। डरबन सम्मेलन में लिए गए निर्णय न केवल वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए, बल्कि हमारे देश में निरंतर विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और इसके क्योटो प्रोटोकॉल के तत्वाधान में प्रति वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष डरबन सम्मेलन

*सभापटल पर रखा गया और मंत्रालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल टी 5769/15/11

*सभापटल पर रखा गया और ग्रथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल टी 570/15/11

का मुख्य उद्देश्य जारी कार्य को बाली रोड मैप के अनुसार पूर्ण करना था। वर्ष 2007 में बाली में निर्णय लिया गया था कि वित्त, प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और उपशमन संबंधी अनेक कदमों द्वारा इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, यह निर्णय लिया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ होने वाली दूसरी वचनबद्धता अवधि के लिए अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इन दोनों ट्रैकों में पिछले चार वर्षों से वार्ता चल रही है। वर्ष 2009 में संपन्न कोपेनहेगन सम्मेलन अनिवार्य निर्णय लेने में असमर्थ रहा। उस साल दूसरी वचनबद्धता अवधि के दौरान विकसित देशों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाने थ। पिछले वर्ष कानकुन में स्थिति आंशिक रूप से सुधार हुआ जब बाली कार्य योजना संबंधी कुछ निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा सका और कुछ पक्षकार उत्सर्जन कटौती के लिए अपनी स्वैच्छिक वचनबद्धता जाहिर करने हेतु सहमत हुए। तथापि, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधी निर्णय नहीं लिए जा सके और बाली कार्य योजना के सभी पहलुओं का संपूर्ण कार्यान्यिवन नहीं किया गया।

डरबन सम्मेलन इसी पृष्ठभूमि में आयोजित हुआ। कानकुन के समझौतों को लागू करना इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। इसमें उपशमन संबंधी वचनबद्धताओं एवं कार्रवाइयों के लिए पारदर्शिता की व्यवस्थाओं, हरित जलवायु निधि की स्थापना, अनुकूलन समिति, और जलवायु प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा नेटवर्क से संबंधित कार्य शामिल थे। इसके साथ ही, इसमें बाली कार्य योजना और क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित अपूर्ण कार्य को पूरा किया जाना था। कानकुन में इस पर भी सहमति हुई थी कि डरबन में कानूनी विकल्पों का पता लगाया जाएगा ताकि कानूनी रूप से एक समुचित स्वरूप में प्रासंगिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5770/15/11]

भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में एक स्पष्ट, स्थिर और संवेदनशील कार्यनीति का अनुसरण किया है। इन मामलों पर हमारा दृष्टिकोण हमेशा साम्यता और साझा किन्तु भिन्न-भिन्न उत्तरदात्वि के सिद्धांत पर आधारित रहा है। डरबन में, हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत थे कि क्योटो प्रोटोकॉल और दीर्घावधि सहयोगात्मक कार्रवाई संबंधी तदर्थ कार्यकारी समूहों की अवधि समाप्त हो रही है। अत: हमने यह महत्वपूर्ण समझा कि क्योटो प्रोटोकॉल और बाली मुद्दों से संबंधित निर्णय डरबन में संपन्न कर दिए जाएं।

इस पृष्ठभूमि में, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि डरबन सम्मेलन ने इन मुद्दों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

डरबन सम्मेलन ने क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकसित देशों के लिए द्वितीय वचनबद्धता अवधि निर्धारित कर दी है। डरबन में लिए गए निर्णय के माध्यम से इसके लक्ष्य निश्चित कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों को अब 2012 में कतर में पक्षकारों के अगले सत्र में वास्तविक उत्सर्जन सीमाओं में बदल दिया जाएगा। इल लक्ष्यों और उत्सर्जन सीमाओं के अनुसमर्थन हेतु क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकरों को 2017 तक पांच वर्षों की समयावधि दी गई है।

यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह तथ्य ध्यायेय है कि क्योटो प्रोटोकॉल के मुख्य पक्षकारों द्वारा जोर देने के कारण यह निर्णय लेने में लगभग दो वर्षों का विलंब हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल एक एकल और व्यापक रूप से कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी संधि है, जिस पर सबसे पहले वार्ता होनी थी और कन्वेंशन के सभी पक्षकारों पर उसे लागू किया जाना था। डरबन में लिए गए निर्णयों में यह सुनिश्चित किया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल अगले पांच वर्षों के लिए अपनी द्वितीय वचनबद्धत अवधि में 2017 तक जारी रहेगा।

डरबन में लिया गया अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि कन्वेंशन के अंतर्गत विस्तारित कार्रवाइयों हेतु भविष्य की व्यवस्थाओं पर वार्ता की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके पीछे जलवायु स्थिरीकरण के वैश्विक लक्ष्य के प्रति सभी पक्षकरों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने की मंशा है। डरबन सम्मेलन में भविष्य में 'प्रोटोकॉल' या 'कानूनी दस्तावेज' या 'कानूनी आधार सहित किसी सम्मत परिणाम' के संबंध में व्यवस्था करने के लिए वार्ताओं के डरबन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, उसे 2015 के बाद अंतिम रूप दिया जाना है और 2020 तक कार्यान्वित किया जाना है। नई व्यवस्थाओं को विद्यमान कन्वेंशन के अंतर्गत तैयार किया जाएगा और ये व्यवस्थाएं साम्यता तथा सीबीडीआर के सिद्धांतों सहित कन्वेंशन के संगत सिद्धातों और उपबंधों के अध्यधीन होंगी।

इन ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए एक नया तदर्थ कार्यकारी समूह स्थापित किया गया है। इन व्यवस्थाओं को पक्षकारों द्वारा बाली कार्य योजना और कानकुन करारों के अनुसार उनकी वचनबद्धताओं और कार्रवाइयों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के मूल्यांकन के मद्देनजर तय किया जाएगा। अपेक्षित व्यवस्थाओं की प्रकृति का मूल्यांकन करने का आधार होगा जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी-पैनल (आईपीसीसी) की 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट, 2013-2015 समीक्षा के निष्कर्ष और सहायक निकायों के कार्य।

वर्ष 2020 तक भावी व्यवस्थाओं के लिए समुचित कानूनी स्वरूप का मुद्दा डरबन में गहन वाद-विवाद का विषय था। डरबन मंच पर लिए गए निर्णय के अनुसार अंतिम व्यवस्थाओं के कानूनी स्वरूप के लिए तीन विकल्प नामश: एक प्रोटोकॉल, एक कानूनी दस्तावेज अथवा कानूनी निष्कर्ष परिकल्पित किए गए। विशेषत: यूरापीय संघ के नेतृत्व में कुछ पक्षकारों ने करार के एक ऐसे स्वरूप पर जोर दिया जोकि सभी पक्षकरों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

भारत का हमेशा विश्वास रहा है कि कानूनी स्वरूप में वास्तविकता होनी चाहिए। कानूनी रूप बाध्यकारी करार की बढ़ती महत्वाकांक्षा और इसके कार्यान्वयन के लिए स्वत: कोई गारंटी नहीं है। कुछ क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत अपनी कानूनी बाध्यताओं को हटाने की हाल ही में एक तरफा घोषणाएं की हैं। यह इस तथ्य की ओर एक साफ संकेत है कि एक कानूनी स्वरूप केवल तभी उपयोगी हो सकता है जब तक पक्षकार इसे स्वेच्छा से मानना चाहते हों। इससे अतिरिक्त भारत का हमेशा मत रहा है कि हमारे विकास के इस स्तर पर भारत उत्सर्जन कटौती के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार के लिए सहमत नहीं हो सकता। हमारे उत्सर्जन बढ़ेंगे चूंकि हमें सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है और गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यता को पूरा करना है।

यूरोपीय संघ के नेतृत्व में कुछ पक्षकार 'कानूनी निष्कर्ष' संबंधी विकल्प को हटाना चाहते थे, जिसका प्रस्ताव मूल रूप से भारत ने रखा था। हमने इस दबाव का सफलतापूर्वक सामना किया है और इसके स्थान पर एक समान अभिव्यक्ति 'कानूनी बल के साथ सहमत निष्कर्ष' का सुझाव दिया, जिसे सभी पक्षकारों ने स्वीकर किया। वर्ष 2020 के बाद की व्यवस्थाओं को जब अन्तिम रूप दिया जाएगा, उनमें कुछ महत्वाकांक्षी सीओपी निर्णय, बाध्यकारी सीओपी निर्णय, नए संस्थानों और निकायों की स्थापना और कानून के देशीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय उपबंधों के अनुसार विभिन्न बाध्यकारी श्रेणियों के साथ, विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कन्वेंशन के अंतर्गत यथावश्यक नया प्रोटोकॉल अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल होंगे।

मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि भारत को अपने उत्सर्जनों को वर्ष 2020 तक पूरी तरह से कम करने के लिए बाध्यकारी वचनबद्धताएं निभानी हैं। भारत ने पहले ही वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक के अपने उत्पादन की उत्सर्जन मात्रा को 20 25% तक कम करने का घरेलू उत्सर्जन लक्ष्य घोषित किया है। यह लक्ष्य अन्य बातों पर भी निर्भर है तथा अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ-साथ भारत के उत्सर्जन में वृद्धि की अनुमति देता है। जलवायु परिवर्तन पर हमारी राष्ट्रीय कार्य योजना इस उद्देश्य को पूरा करने के अनुरूप बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में एक ऐसी कार्यनीति को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इस घरेलू उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

भारत से सुनिश्चित किया कि वर्ष 2020 में नई व्यवस्थाएं कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कन्वेंशन के सिद्धांत और उपबंध ऐसी व्यवस्थाओं पर भी लागू होते रहेंगे जो कि अभी विकसित की जानी हैं। भारत कन्वेंशन के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार साम्यता और साझा परन्तु पृथक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार दृढ़ता से सहमत निष्कर्षो की प्रकृति पर वार्ता करेगा।

इसके अतिरिक्त, डरबन निर्णयों में यह अधिदेशित है कि किसी भी 'निष्कर्ष' को विधिगत व्यवस्था के माध्यम से लागू करने से पहले सभी पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। यह निर्णय भविष्य में निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त कानूनी स्वरूप के चयन में भारत को आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। यह चयन हमारी राष्ट्रीय विकास अनिवार्यताओं और कन्वेंशन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

डरबन निर्णय द्वारा सौंपी गई मत्वपूर्ण जिम्मेदारी के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि भविष्य में साम्यता के मुद्दे को वार्ता का केन्द्र-बिन्दु बनाया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत ने डरबन में प्रस्तावित किया था कि साम्यता, एकपक्षीय व्यापार उपायों और प्रौद्योगिकी संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी मुद्दों को पक्षकारों के सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि साभ्यता के मुद्दे के महत्व को मान्यता दी गई है तथा दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई पर तदर्थ कार्यकारी समूह (एडब्ल्यूजी-एलसीए) ने अगले वर्ष इस मुद्दे पर एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श से कार्यकारी समूह, जिसकी अवधि दिसंबर, 2012 तक बढ़ाई गई है, के अंतर्गत संगत मुद्दों संबंधी निर्णयों की सूचना मिलेगी। अन्य दो मुद्दों की महत्ता को भी सीओपी द्वारा नोट किया गया है। और ये मुद्दे अब चर्चा का विषय हैं, जो कि अगले वर्ष कतर में निर्णयों हेतु एडब्ल्यूजी-एलसीए के विचाराधीन है।

सीओपी-17 ने हरित जलवायु निधि की स्थापना करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जोकि अपने प्रचालनों को एक अंतरिम सचिवालय और एक बोर्ड सहित शीघ्र प्रारम्भ करेगा। इस निधि से अनेक कमजोर देशों को प्रभावी उपशमन और अनुकूलन कार्रवाइयां करने में सहायता मिलेगी। भारत ने डरबन में निधि की स्थापना सुनिश्चित करने में सहायक भूमिका अदा की। अनुकूलन

समिति और प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा नेटवर्कों को प्रचलनात्मक बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

भारत ने इस सम्मेलन में खुल विचार और रचनात्मक भावना से भाग लिया। हमारा मूल उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत के दीर्घकालिक हित की रक्षा करना था। इस मामले में हम राजनैतिक सर्वसम्मति से मार्गदर्शित होते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दशकों पहले जब से यह वैश्विक चिंता का विषय बना है, तब से ऐसी राजनैतिक सहमति बनी हुई है और यह हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का द्योतक है।

अगले कुछ वर्षों में भावी व्यवस्थाओं पर गहन वार्ताएं होंगी। हम भावी विचारधारा का अनुसरण करते रहेंगे जो कि कन्वेंशन और इसके सिद्धांतों के मूल में निहित है। मुझे विश्वास है कि सदन सरकार के दृष्टकोण का और इस संबंध में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करता रहेगा। मुझे आपके मार्गदर्शन और सलाह की अपेक्षा रहेगी।

अपराह्न 12.04$^1/_2$ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मुझे यह घोषणा करनी है कि सभा के शेष भाग के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

1. आज की कार्यसूची में अग्रेषित किए गए किसी भी सरकारी कार्य पर विचार किया जाना।

2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना।

(क) चार्टर्ड आकाउण्टेण्ट (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) लागत और संकट में लेखापात्र (संशोधन विधेयक), 2010 और

(ग) कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा इन्हें पारित करना।

(क) संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(ख) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2011

(ग) आढ़ती विनियमन (प्राप्रव्यों का समनुदेशन) विधेयक 2011

(घ) भारतीय आयात-निर्यात बैंक संशोधन विधेयक, 2011

(ङ) कंपनी विधेयक, 2011

(च) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

(छ) लोकपाल विधेयक, 2011

4. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् वास्तुविद् संशोधन विधेयक, 2010 पर विचार करना तथा उसे पारित करना। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने हेतु माननीय सदस्यों के निवेदन को सभा पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:

1. कोहरे एवं धुंध के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा कई रेलों के रद्द करने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा तथा रेलवे को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु नवीनतम तकनीक अपनाए जाने के विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

2. प्राय: देखने में आता है कि अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में भगदड़ मच जाने के कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती हैं जिसमें अधिकतर महिलाओं एवं बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। अत: अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रमों में भीड़ की संख्या सीमित करने एवं ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाए जाने के विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): कृपया संसद की कार्यवाही में अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाये।

1. हुबली-कावेरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4 चतुर्भुज सड़कों को धारवाड़ हुबली के बीच 30 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4 बाईपास सहित को यथाशीघ्र छह लेनों वाले राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए जो इस समय दो लेनों वाली राजमार्ग है और जिसके कारण वहां अत्यधिक भीड़भाड़ वाला खतरनाक यातायात का मार्ग बन गया है।

2. इस सरकार द्वारा कन्नड़ भाषा को 3 वर्ष पूर्व प्राचीन भाषा का दर्जा दिया गया है लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए यह सरकार आवश्यक धनराशि जारी करने और संबंधित मामलों के बारे में समग्र स्थिति की समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. टीकमगढ़-छतरपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित ओरछा नगरी धार्मिक स्थान होने के साथ ही पर्यटन के रूप में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कई देशी एवं विदेशी फिल्मों की शूटिंग भी यहां होती रहती है। अत: यहां पर्यटन सुविधाएं तथा रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

2. शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून बनाया गया इसमें विकलांग छात्रों, दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि बाधित एवं मानसिक विकलांगों को अलग-अलग प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा सभी राज्यों में जिला केन्द्रों पर आवासीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

** **श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली):* मैं लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा हेतु निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं:

(क) तमिलनाडु में कोडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना को तत्काल चालू करने की आवश्यकता, सहित स्वार्थों द्वारा संयंत्र स्थल के निकट महीनों पुराने आंदोलन को समाप्त करवाना तथा मछुआरों और आस-पास के ग्रामीणों के मन में व्याप्त भय को दूर करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता।

(ख) मदुरै से तिरुनेलवेली होते हुए कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): लोक सभा में आगामी सप्ताह को कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को समाहित/जोड़ा जाए:

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत कर अविलंब ही धनराशि जारी की जाए तथा इस पर सदन में विचार हो; तथा

2. उत्तर प्रदेश के तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित/मांग कोल ब्लॉकों के आबंटन हेतु सभा में विचार हो।

[अनुवाद]

***शेख सैदुल हक** (वर्धमान-दुर्गापुर): मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए:

(क) झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों के परामर्श में दामोदर घाटी निगम के भाग के रूप में दामोदर नदी पर झारखंड में बोलपहाड़ी में एक और बांध का निर्माण करने की आवश्यकता।

(ख) दुर्गापुर-बराज जो बालू से भर गया है में से गाद निकालने और दामोदर घाटी निगम परियोजना के चार बांधों मंथन, पंचायत, तिलैया, कोनार से भी गाद निकालने के लिये तथा बाढ़ नियंत्रित करने और सिंचाई और पेयजल हेतु जलापूर्ति की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें:

1. गुजरात सरकार के विभिन्न जिला मथकों प्रवासन स्थलों में जुड़े हुए हैं। ईकों, मेडिकल यात्रा प्रवासन अंतर्गत

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

उन्हें छोटे हवाई जहाजों एवम् हेलिकॉप्टरों से जोड़ा जाए तो पर्यटन द्वारा सरकार को आर्थिक लाभ निश्चित है तथा यात्रियों को समयबद्ध सुविधा मिल सकेगी। उपरोक्त बाबत गुजरात सरकार ने केन्द्र से दरखास्त की है। कृपया शीघ्र अनुमति प्रदान की जाए।

2. वर्तमान में गुजरात में 159 नगर पालिका तथा 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे। जिनकी कुल बस्ती 2.26 करोड़ है। ग्राम विस्तार के लिए प्राथमिक आरोग्य की सुविधा अर्जित है किन्तु शहरी विस्तार इससे वंचित है। अत: शहरी विस्तार को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की खास आवश्यकता है। वह शीघ्र ही अर्जित की जाए।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): निम्नलिखित लोक महत्त्व के मामले को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं:

1. देश में बहुमूल्य खनिज सामग्री की खोज, उत्खनन और विपणन के लिए निजी कंपनियों को सरकार द्वारा दिए जा रही आवंटन नीति में बदलाव कर इन्हें बोली, निविदा पद्धति से आवंटित करने हेतु सरकार नीति बनाए।

2. निजी कंपनियों को आवंटित कैप्टीव कोल ब्लॉकों में हुई भारी अनियमितता, धांधलिया, भ्रष्टाचार को देखते हुए निजी कंपनियों के ऐसे सभी कैप्टीव कोल ब्लॉक्स का आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द करने के लिए सरकार कदम उठाए।

***श्री सुरेश काशीनाथ तवारे** (भिवंडी): निम्नलिखित विषय के अतिमहत्वपूर्ण समस्याओं को कार्यसूची में जोड़ने का कष्ट करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी में एवं देश में बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई है। भिवंडी में लगभग 5 लाख इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। बुनकरों, उद्यमियों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2. महाराष्ट्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 35(3) के तहत किसानों की खेती की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों के हित में धारा 35(3) को सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जायें:

1. नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाईटी जो कि नई दिल्ली नगरपालिका के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता एवम् इसका वित्तीय अंकेक्षण करने की आवश्यकता है।

2. देश में प्राइमरी और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की भारी कमी है जिससे प्राइमरी शिक्षा प्रभावित हो रही है इसलिए भारी संख्या में प्राइमरी और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की बहाली करने की आवश्यकता है। एक से अधिक पालियों में शिक्षा दी जाये एवम् मास्टर प्लान में नये विद्यालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाये। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोग के द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक–पुर:स्थापित

(एक) प्रेस और पुस्तक प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्रीमती अंबिका सोनी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तक तथा प्रकाशन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कानूनों में संशोधन करने और समेकित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कानूनों में संशोधित करने और उन्हें समेकित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 16/12/2011 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2011-2012 (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 18 पर विचार करेगी

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 2011-12

माननीय मंत्री।

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) 2011-12 पर (चर्चा में भाग ले चुके सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं *...(व्यवधान)* चर्चा के दौरान मुझे अनेक मूल्यवान सुझाव मिले हैं। हम एक लाख रुपये की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों हेतु संसद में आए हैं। यह एक तकनीकी मांग है *...(व्यवधान)* संसदीय स्वीकृति आवश्यक है *...(व्यवधान)* अनुपूरक अनुदानों की मांगों में कुल 46 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं *...(व्यवधान)* महोदय यदि मुझे आपकी अनुमति प्राप्त हो तो मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 16/12/2011 में प्रकाशित।

श्री दिनेश त्रिवेदी: *....*महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 2011-12 संबंधी चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं। चर्चा के दौरान, माननीय सदस्यों ने व्यापक विचार विमर्श किया और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और ये सभी रेलवे व्यवस्था में सुधार के लिए हैं। अनेक सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों से संबंधित कुद मांगें रखी हैं। मैं सम्माननीय सभा को आश्वस्त करता हूं कि इन सुझावों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी और इन्हें व्यवहार्य पाए जाने पार कार्यान्वित किया जाएगा।

हम संसद में 1 लाख की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेकर आये हैं। यह केवल तकनीकी मांग है, क्योंकि मुख्यत: कुछ सुरक्षा से जुड़ी कुछ नई परियोजनाएं शुरु की जानी हैं इसके लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कुल 46 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

भारतीय रेल का राष्ट्र के परिवहन परिदृष्य में अद्वितीय स्थान है। यह आम आदमी के लिए परिवहन का पसंदीदा और किफायती माध्यम है। यह विद्युत संयंत्रों के चलने में सहायता करती है। और सुनिश्चित करती है कि हमारे घरों को बिजली मिले। यह इस्पात और सीमेंट की ढुलाई करती है और अवसंरचना निर्माण में योगदान करती है, यह खाद्यान्नों को इनके उत्पादन वाले स्थानों से जनता द्वारा उपभोग के स्थानों तक ले जाती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसका मुकबला नहीं है। मुझे यकीन है कि अन्य सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम भारतीय रेल के बिना भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते।

परिवहन का यह उत्तम माध्यम दोराहे पर है। राष्ट्र की आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं। प्रणाली अवसंरचनात्मक और वित्तीय संसाधनों के अभाव से जूझ रही है। रेल नेटवर्क पर कार्य का भार बहुत है, और यह परिसंपत्ति उपयोग में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद माल और यात्री परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है तथा यह क्षमता के स्तर से अधिक हो गया है। परिवहन का तीव्रतर माध्यम क्या कार्मिक और सामग्री राष्ट्र की तेज प्रगति की कुंजी है परंतु भारतीय रेल नेटवर्क इस तीव्रता से नहीं चल पा रहा है।

सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है और इस समस्या के निवारण करने के लिए मैंने परमाणु विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक अति उच्च स्तरीय समिति गठित की है क्योंकि वे सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। इस समिति के अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक विद्वान डॉ. अनिल काकोदकर हैं और आईआईटी के निदेशक डॉ. दांदे सहित आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।

---

*.......*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

रेलवे को अगली पीढ़ी वाले सुधारों तक भी जाने की आवश्यकता है। अतः मैंने आम आदमी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व में सबसे सुरक्षित और सर्वोत्तम परिवहन प्रणाली बनाने हेतु श्री सम पित्रौदा की अध्यक्षता में और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री एम.एस. वर्मा, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष श्री दीपक पारीख और अन्य के साथ भारतीय रेल के आधुनिकीकरण हेतु एक अन्य समिति भी गठित की है।

अपर्याप्त अवसंरचना के कारण आगामी वर्षों में रेल परिवहन के अर्थव्यवस्था में गतिरोध बनने की स्थिति से बचने के लिए रेलवे में स्वर्णिम चर्तुभुज समर्पित मालवाड़ा गलियारों आदि को सुदृढ़ करने जैसी क्षमता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन परियोजनाओं से रेलवे द्वारा अधिक मात्रा में कार्गो की ढुलाई करना सुनिश्चित होगा और इससे मालभाड़े को घटाने में मदद मिलेगी ताकि रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके। रेलवे की परिवहन में ईंधन की किफायत से इस्तेमाल करने वाला माध्यम होने के कारण इन परियोजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि रेल द्वारा माल की ढुलाई में वृद्धि से देश की ईंधन लागत में बचत होगी। विजन 2020 में 25000 कि.मी. नई रेल लाइनों का निर्माण, 12000 कि.मी. की प्रत्येक क्षेत्र में दोहरीकरण और आमान परिवर्तन 14000 कि.मी. लाइन का विद्युतीकरण और 2000 कि.मी. की उच्च गति के गलियारा सम्मिलित है। इसके अलावा, चल स्टॉक अर्थात 2.89 लाख वैगन, 9500 लोकोमीटिव और 51000 कोच की काफी अधिक आवश्यकता होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और आधुनिकीकरण, अवसंरचना विस्तार, यात्री सुविधाओं विश्वस्तरीय स्टेशनों जैसी सेवाओं में सुधार, एमएफसी, मेट्रो परियोजनाओं आदि के लिए धनराशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे को वर्ष 2020 तक लगभग 140 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश करने की आवश्यकता होगी।

रेलवे ने प्रधानमंत्री की स्वप्निल परियोजना, समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है। लुधियाना से दंकुनी और रेवाड़ी से जेएनपीटी तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कोरिडोर से अत्यधिक व्यस्त परिवहन प्रणाली को आवश्यक राहत मिलेगी और रेल क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इससे माल यातायात की अपेक्षा काफी अधिक, द्रुत गति और कुशल ढुलाई में मदद मिलेगी तथा यह अधिक ट्रेनों के लिये मौजूदा नेटवर्क को मुक्त करने में मदद मिलेगी। वेस्टर्न कोरिडोर के चरण-1 के वित्तपोषण के लिये मार्च, 2010 में जेआईसीए के साथ ऋण संबंधी समझौता करके किया गया है। ईस्टर्न कोरिडोर के भाग के लिए विश्व बैंक से वित्तपोषण की भी व्यवस्था की गई है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोरिडोर्स दोनों का कार्यान्वयन करके वर्ष 2016-17 में चालू करने हेतु इसे पूरा करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

तथापि, भारतीय रेलवे भारी वित्तीय बाध्यताओं का सामना कर रहा है। विस्तार और उन्नयन हेतु प्रचुर संसाधन सृजित करने के लिए रेलवे तंत्र की अपनी सीमा है। रेलवे की परियोजनाओं की सूची बहुत लम्बी है। स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने वाले लम्बित कार्य और नई लाइनों का आकलन एक लाख करोड़ से अधिक है। ये रेल परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों से लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो बेहतर रेल संपर्क के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना चाहती हैं। सकल बजटीय सहायता के अभाव में इन परियोजनाओं बाधा आ रही है और इनको पूरा करने में अनुचित विलंब हो रहा है।

छठे वेतन आयोगों के कार्यान्वयन के कारण रेलवे की आंतरिक संसाधन सृजन क्षमता में कमी से यह स्थिति और गंभीर हो गई है। इसका कुल प्रभाव 2008-09 से 2011-12 तक के वर्षों में पेंशन सहित 73000 करोड़ रुपये हो गया है। आवर्ती वार्षिक प्रभाव का अनुमान 20,000 करोड़ से अधिक है।

संरक्षा और सुरक्षा

भारतीय रेलवे ने "सेफ्टी नेवर स्लीट्स" के उद्देश्य के साथ कार्य किया है। हमारा कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री ट्रेन से जाते समय स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित महसूस करें। मैं इस सम्माननीय सभा को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यद्यपि रेलवे के पास जो आंकड़े हैं वह रेलवे के कार्यों में सुधार और संरक्षा दर्शाते हैं, परंतु मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक कि हम दुर्घटना का कारण बनने वाली त्रुटियों को समाप्त नहीं कर देते और दुर्घटना विजन 2020 का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं।

तथापि, लोगो को रेलवे के प्रति और जिम्मेदारी दर्शानी होगी। यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। यह आपकी अपनी संपत्ति है। यद्यपि बार-बार होने वाले आंदोलनों के कारण रेलवे के कार्यों में रुकावट आती है तथापि वे दूर-दूर तक रेलवे के कार्यकरण से जुड़े हुए नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि रेलवे को आसानी से लक्ष्य बनाया जा सकता है यात्री किराए और माल भाड़े दोनों प्रकार से रेलवे को प्राप्त आय पर ऐसे व्यवधानों से प्रभाव पड़ता है। सभा के माननीय सदस्यों और सभा के सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि वे कृपया रेल यात्रियों और संपत्ति को होने वाले नुकसान की रोकथाम करने में मदद करें।

संरक्षा से जुड़े मुद्दे मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हम रेलवे की संरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इस संबंध में उठाए गए कुठ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है:

(एक) चार सेक्शन्सों में आटोमेटिव सिग्नेलिंग लेटिरिज में रेल संरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) हेतु पायलट परियोजनाएं।

(दो) लोकोमोटिव में सतर्कता नियंत्रण उपकरण

(तीन) प्रचालन और संरक्षा में सुधार करने हेतु स्टेशन सेक्शनों की ट्रेन सर्किटिंग।

(चार) रेल संचार दोनों की इंटरलॉकिंग

(पांच) एसीडी का पायलट आधार पर विस्तार करके तीन और जोनों तक ले जाने के लिये लगातार प्रयास करना

(छह) व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर्स (डब्ल्यूआईएलडी)

(सात) लंबी दूरी की ट्रेनों में आटोमेटिक फायर अलार्म

(आठ) मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन्स

(नौ) डिजिटल अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर्स

(दस) कैशवर्ती डिब्बों और इमरजेंसी एस्केप विंडोज की शुरूआत

(ग्यारह) माडर्न सिमुलेटर्स के साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(बारह) नए प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन और स्थापना।

(तेरह) टीवीयू के गाड़ियों में 6000 से 3000 की छूट देकर चौकीदार रहित रेल संयारों पर चौकीदार नियुक्त करने का अभियान।

(चौदह) आरओबी/आरयूबी और सीमित ऊंचाई वाले अंडर ब्रिजों का निर्माण।

यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु कम सुरक्षा वाले स्टेशनों पर समेकित सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली से स्टेशन क्षेत्र से ट्रेन में चढ़ने/उतरने हेतु प्रवेश द्वार से आते/जाते समय पटरियों की बहुस्तरीय निगरानी जांच सुनिश्चित करेगी।

इस प्रयोजनार्थ, रेलवे सुरक्षा बल को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के सशक्तिकरण हेतु व्यापक विधेयक लाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है एक अखिल भारतीय-सुरक्षा हेल्पलाइन और रेलवे सुरक्षाबल की चौकियों की नेटवर्किंग शुरू की जा रही है तथा कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं।

रेलवे आम आदमी से जुड़ी है और दो करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन रेल से यात्रा कर रहे हैं। जहां तक सुविधाओं और सेवाओं का संबंध है तो यात्रियों की सभी आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कभी कुछ किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। इनमें सुधार करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे।

यह विश्व, आर्थिक विकास के वाहक के रूप में भारत की ओर देख रहा है और-आगामी दिनों में रेलवे भारत के विकास का वाहक बनेगी।

महोदय, मैने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का संज्ञान किया है और मैं जल्द ही उन्हें पत्रों के माध्यम से इन मुद्दों से संबंधित वास्तविक स्थिति और इन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराऊंगा। मैं रेलवे को पुरजोर समर्थन देने के लिए माननीय सदस्यों को पुन: धन्यवाद देता हूं।

अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का अनुमोदन करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल) वर्ष 2011-12 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राशियों से अत्यधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधियों से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग के नाम	सभा द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि (रुपए)
16	परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय	
	पूंजी	40,000
	रेल निधियां	40,000
	रेल संरक्षा निधि	20,000
	कुल	1,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रस्तावों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदर्भ और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदर्भ और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

...(व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदय, मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि रेलवे प्रयोजनों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदर्भ और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदर्भ और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधयेक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

रेल मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लोक सभा सोमवार, 19 दिसंबर, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 19 दिसंबर, 2011/28 अग्रहायण 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 16/12/2011 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रघुवीर सिंह मीणा श्री अवतार सिंह भडाना	321
2.	श्री माणिकराव होडल्या गावित श्री मरोतराव सैनुजी कोवासे	322
3.	श्री अर्जुन राय श्री बलीराम जाधव	323
4.	श्री प्रेमदास श्री मानिक टैगोर	324
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	325
6.	श्रीमती मेनका गांधी	326
7.	श्री वरुण गांधी	327
8.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	328
9.	श्री तूफानी सरोज श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	329
10.	श्री कामेश्वर बैठा श्री जोस के. मणि	330
11.	श्री कमलेश पासवान श्री एम.बी. राजेश	331
12.	श्री एस. सेम्मलई श्री धनंजय सिंह	332
13.	श्री श्रीपाद येसो नाईक डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	333
14.	श्री संजय दिना पाटील डॉ. संजीव गणेश नाईक	334
15.	श्री प्रहलाद जोशी श्री रमेन डेका	335
16.	श्री राम सिंह कास्वां श्री उदय सिंह	336
17.	श्री प्रबोध पांडा	337
18.	श्री नवीन जिन्दल	338
19.	श्री महेश्वर हजारी	339
20.	श्री आर. थामराईसेलवन	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3745, 3770, 3771, 3783, 3892
2.	श्री आधि शंकर	3761
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	3790
4.	श्री आनंदराव अडसुल	3682, 3745, 3770, 3771, 3806
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3713, 3873, 3895
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	3716
7.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3879
8.	श्री अनंत कुमार	3855
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3807
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	3794
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	3782, 3783, 3869
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3757
13.	श्री कीर्ति आजाद	3775
14.	श्री गजानन ध. बाबर	3745, 3770, 3771, 3783, 3870
15.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3850, 3882
16.	श्री विजय बहुगुणा	3764

1	2	3
17.	श्री कामेश्वर बैठा	3808
18.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3850
19.	डॉ. बलीराम	3753
20.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3809
21.	श्री सुदर्शन भगत	3796
22.	श्री ताराचन्द भगोरा	3693
23.	श्री संजय भोई	3795, 3872 3872
24.	श्री समीर भुजबल	3787
25.	श्री भजन लाल	3715, 3834
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	3844
27.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	3744, 3866
28.	श्री सी. शिवासामी	3711
29.	श्री सी.एम. चांग	3741
30.	श्री हरीश चौधरी	3702, 3792, 3877
31.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3701, 3868
32.	श्री दारा सिंह चौहाण	3825
33.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	3733
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3699, 3800, 3909
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3778
36.	श्री भूदेव चौधरी	3824
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3728, 3816, 3903
38.	श्री खगेन दास	3776, 3797
39.	श्री राम सुन्दर दास	3831
40.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3870
41.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	3752
42.	श्री रमेन डेका	3780
43.	श्री के.पी. धनपालन	3727
44.	श्री संजय धोत्रे	3811, 3875
45.	श्री आर ध्रुवनारायण	3686
46.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3848
47.	श्री चार्ल्स डिएस	3825
48.	श्री निशिकांत दुबे	3853
49.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3807, 3808, 3870
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3789
51.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3795, 3826, 3871
52.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	3828
53.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3862
54.	श्री एल. राजगोपाल	3797
55.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3865, 3875, 3878
56.	श्रीमती परनीत कौर गुलशन	3859
57.	डा. सुचारू रंजन हल्दर	3839
58.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	3845
59.	श्री महेश्वर हजारी	3696
60.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3740, 3800
61.	शेख नूरुल इस्लाम	3827
62.	श्री प्रातपराव गणपतराव जाधव	3777
63.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3814
64.	श्री बद्रीराम जाखड़	3731
65.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3724
66.	श्री हरिभाऊ जावले	3726, 3900
67.	श्रीमती जयाप्रदा	3840

1	2	3
68.	श्री नवीन जिन्दल	3884
69.	श्री कैलाश जोशी	3708
70.	श्री महेश जोशी	3877
71.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3820
72.	श्री प्रहलाद जोशी	3868
73.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3732, 3905
74.	श्री पी. करुणाकरन	3739, 3808
75.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3831
76.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3749
77.	श्री लाल चंद कटारिया	3835, 3869
78.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3814, 3823
79.	श्री चंद्रकांत खैरे	3768
80.	डॉ. कृपारानी किल्ली	3834
81.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3801, 3891
82.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3842
83.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3779, 3904
84.	श्री एन. कृष्टप्प	3709
85.	श्री मिथिलेश कुमार	3692, 3885
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	3857
87.	श्री पी. कुमार	3784, 3874
88.	श्री शैलेन्द्र कुमार	3703
89.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	3817
90.	श्री यशवंत लागुरी	3847
91.	श्री पी. लिंगम	3870
92.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3861
93.	श्री सतपाल महाराज	3798
94.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3750
95.	श्री नरहरि महतो	3718, 3832

1	2	3
96.	श्री भर्तृहरि महताब	3769
97.	श्री प्रदीप माझी	3763, 3791, 3880
98.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3710, 3804
99.	श्री मंगनी लाल मंडल	3772
100.	श्री जोस के. मणि	3866
101.	श्री दत्ता मेघे	3785
102.	श्री भरत राम मेघवाल	3837
103.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3852
104.	श्री महाबल मिश्रा	3752
105.	श्री पिनाकी मिश्रा	3864
106.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3868
107.	श्री विलास मुत्तेमवार	3745
108.	श्री देवेन्द्र नागपाल	3698
109.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3810, 3867, 3883
110.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3725
111.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	3773, 3857
112.	श्री संजय निरूपम	3793
113.	श्री ओ.एस. मणियन	3690
114.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3820
115.	श्री पी.आर. नटराजन	3803, 3867
116.	श्री वैजयंत पांडा	3746, 3866, 3868
117.	श्री प्रबोध पांडा	3888
118.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3801
119.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3734, 3907
120.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3795, 3871, 3872

1	2	3
121.	श्री देवजी एम. पटेल	3867
122.	श्री बाल कुमार पटेल	3767
123.	श्री किसनभाई बी. पटेल	3763, 3791, 3880
124.	श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल	3814
125.	श्री संजय दिना पाटील	3867
126.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3756, 3761
127.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3808, 3854, 3870
128.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3795, 3871, 3872
129.	श्रीमती कमला देवी पटले	3689, 3863, 3890
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3760
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	3745, 3746, 3866, 3868
132.	श्री प्रेमचंद्र गुड्डू	3720
133.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3781
134.	श्री एम.के. राघवन	3841, 3866
135.	श्री बी.वाई राघवेन्द्र	3712
136.	श्री अब्दुल रहमान	3822, 3875, 3878
137.	श्री प्रेम दास राय	3815
138.	श्री रमाशंकर राजभर	3873
139.	श्री एम.बी. राजेश	3864
140.	श्री पूर्णमासी राम	3743, 3910
141.	श्री रामकिशुन	3750, 3814
142.	श्री जगदीश सिंह राणा	3730, 3812, 3868

1	2	3
143.	श्री निलेश नारायण राणे	3717, 3801
144.	श्री के. नारायण राव	3809
145.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3705
146.	श्री रामसिंह राठवा	3695, 3906
147.	श्री अशोक कुमार रावत	3723, 3879, 3898
148.	श्री विष्णु पद राय	3681, 3886
149.	श्री रूद्र माधव राय	3747, 3869
150.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3729
151.	श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी	3745
152.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	3874
153.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3843
154.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3718, 3832
155.	श्री एस. अलागिरी	3792, 3875
156.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3735
157.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3878
158.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3736, 3892, 3908
159.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3759
160.	श्री विष्णु देव साय	3821
161.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3818
162.	श्रीमती सुशीला सरोज	3782
163.	श्री तूफानी सरोज	3706, 3866
164.	श्री तथागत सत्पथी	3751
165.	श्री हमदुल्लाह सईद	3691, 3887
166.	श्री एम.आई. शानवास	3758
167.	श्रीमती जे शांता	3683, 3759, 3902
168.	श्री शरीफुद्दीन 'शारिक'	3894

1	2	3
169.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	3706
170.	श्री जगदीश शर्मा	3745, 3779
171.	श्री नीरज शेखर	3840, 3881
172.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3697, 3893
173.	श्री एंटो एंटोनी	3745
174.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	3742
175.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3774, 3792
176.	डॉ. भोला सिंह	3800
177.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3687, 3869, 3901
178.	श्री दुष्यंत सिंह	3721
179.	श्री इज्यराज सिंह	3702, 3875
180.	श्री जगदानंद सिंह	3830
181.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3813
182.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3836
183.	श्री राधा मोहन सिंह	3812
184.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3769
185.	श्री राकेश सिंह	3712
186.	श्री रवनीत सिंह	3829
187.	श्री सुशील कुमार सिंह	3743, 3899
188.	श्री उदय सिंह	3700, 3857, 3889
189.	श्री यशवीर सिंह	3840, 3881, 3858
190.	चौधरी लाल सिंह	3856
191.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	3754
192.	श्री धनंजय सिंह	3850
193.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3786, 3820

1	2	3
194.	श्री उदय प्रताप सिंह	3835
195.	श्री विजय बहादुर सिंह	3802
196.	डॉ. संजय सिंह	3876
197.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3704, 3852
198.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3799
199.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3716, 3880
200.	श्री के. सुधाकरण	3816
201.	श्री ई.जी. सुगावनम	3849
202.	श्री के. सुगुमार	3833, 3849, 3866, 3868
203.	सुप्रिया सुले	3810, 3867
204.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3688, 3779, 3865
205.	डॉ. राजन सुशान्त	3755
206.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3788
207.	श्री अशोक तंवर	3780
208.	श्री बिभू प्रसाद तराई	3685
209.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	3684
210.	श्री मनीष तिवारी	3788
211.	श्री जगदीश ठाकोर	3796, 3849, 3850, 3860
212.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3749, 3870
213.	श्री आर. थामराईसेलवन	3897
214.	डॉ. एम तम्बिदुरई	3849
215.	डॉ. शशी थरूर	3765, 3833
216.	श्री पी.टी. थॉमस	3745, 3846
217.	श्री मनोहर तिरकी	3804
218.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3808

1	2	3
219.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3707
220.	श्री लक्ष्मण टुडु	3737, 3777, 3876, 3877
221.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3694
222.	श्री हर्ष वर्धन	3838
223.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3847
224.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3766, 3868,
225.	श्री सज्जन वर्मा	3762
226.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3851
227.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	3819
228.	श्री पी. विश्वनाथ	3774
229.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3714, 3722
230.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	3772, 3811, 3875
231.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	3814
232.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3770, 3771, 3783, 3879, 3896
233.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3786, 3807, 3838
234.	श्री ओम प्रकाश यादव	3719, 3809
235.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3805
236.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3748
237.	श्री मधुसूदन यादव	3863
238.	श्री मधु गौड यास्खी	3771
239.	योगी आदित्यनाथ	3834

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	321, 323, 325, 329, 339
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	324, 326, 327, 328, 330, 338, 340,
खान	:	335
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	332
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	333, 334
पर्यटन	:	322
जनजातीय कार्य	:	337
महिला और बाल विकास	:	331, 336

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	3686, 3692, 3698, 3704, 3705, 3709, 3711, 3719, 3723, 3726, 3729, 3730, 3740, 3740, 3747, 3748, 3750, 3758, 3762, 3771, 3776, 3773, 3775, 3778, 3793, 3795, 3801, 3803, 3807, 3809, 3811, 3814, 3817, 3823, 3826, 3827, 3828, 3831, 3835, 3837, 3839, 3840, 3842, 3846, 3851, 3856, 3857, 3858, 3859, 3862, 3865, 3876, 3879, 3881, 3887, 3888, 3889, 3891, 3893, 3898, 3901, 3902, 3903, 3900, 3908,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3681, 3682, 3691, 3694, 3697, 3700, 3701, 3703, 3706, 3707, 3708, 3710, 3714, 3715, 3716, 3720, 3721, 3722, 3727, 3728, 3732, 3735, 3739, 3741, 3743, 3744, 3745, 3752, 3753, 3754, 3759, 3765, 3766, 3769, 3770, 3776, 3777, 3779, 3780, 3781, 3782, 3784, 3788, 3790, 3804, 3810, 3813, 3822, 3830, 3832, 3833, 3834, 3836, 3843, 3844, 3849, 3850, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3873, 3877, 3878, 3885, 3887, 3892, 3894, 3895, 3897, 3899, 3910
खान	:	3725, 3733, 3737, 3751, 3767, 3774, 3791, 3800, 3874, 3883, 3899, 3907
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	3699, 3787, 3789, 3794, 3802, 3806, 3815, 3825, 3829, 3848, 3900
पंचायती राज	:	3718, 3786, 3797, 3808, 3818
विद्युत	:	3683, 3687, 3688, 3690, 3693, 3717, 3755, 3764, 3783, 3758, 3812, 3816, 3819, 3820, 3821, 3838, 3853, 3856, 3860, 3872, 3896
पर्यटन	:	3712, 3713, 3736, 3742, 3746, 3760, 3792, 3798
जनजातीय कार्य	:	3684, 3685, 3689, 3695, 3696, 3749, 3805, 3845, 3847, 3855, 3863, 3880, 3905, 3906, 3909
महिला और बाल विकास	:	3702, 3724, 3731, 3734, 3738, 3756, 3757, 3761, 3763, 3768, 3796, 3799, 3824, 3841, 3854, 3861, 3864, 3875, 3882, 3886

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/17/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।